खण्ड-385, अंक-7
गुरूवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(17 मार्च, 1988 ई0)

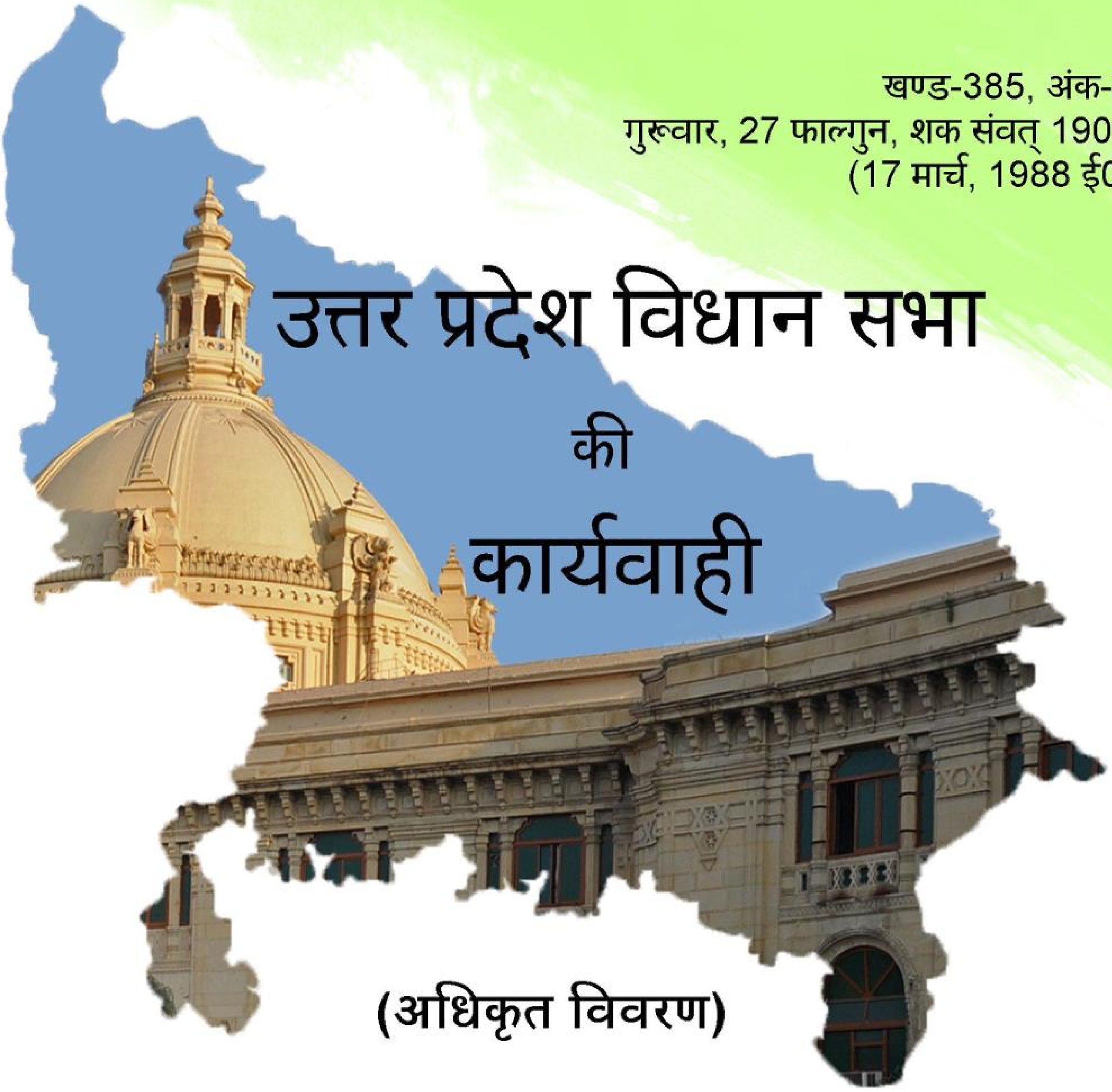

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 385 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

	पृष्ठ-संख्या
विषय सूची	क—ग
उपस्थिति सदस्य	i—ii
प्रश्नोत्तर	1—85
प्रदेश के बुनकरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधान सभा के सामने धरना देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
महानगर बरेली में नकटिया सेतु पर पथकर समाप्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85—86
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों एवं लाजों में सहकारिता द्वारा स्टूडेन्ट मेस एवं कामन किचन योजना चलाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद बांदा की करवी नगरपालिका के अन्तर्गत सड़क अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86—87
जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में भीषण वृष्टि के कारण हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
जिला मुरादाबाद की सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
जिला सुल्तानपुर के ब्लाक भदैया में भीषण ओलावृष्टि से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	88
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का नवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	89
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का दसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	89
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	89
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी)	89—105
श्री जनार्दन प्रसाद अग्रहरि तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना (जारी)	105
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)	105—111

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (जारी)	111—127
श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना (जारी)	127—128
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (जारी)	128
श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना (क्रमागत)	128—136
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (जारी)	136—139
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	139—140
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (जारी)	141—146
सिंचाई बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का (स्वीकृत)	146
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (जारी)	146—160
श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा में गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना	160
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (जारी)	161—165
सिंचाई विभाग पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव (पुनःस्वीकृत)	166
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (क्रमागत) (स्वीकृत)	166—194
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	194
जनपद उन्नाव की पुलिस की निष्क्रियता से होली के अवसर पर वर्गीय एवं खूनी संघर्षों में घायल होने आदि की घटनाओं के संबंध में वक्तव्य	194—200

विषय	पृष्ठ-संख्या
गोरखपुर में होली के अवसर पर पुलिस उप निरीक्षक द्वारा एक व्यक्ति की हत्या तथा तीन व्यक्तियों को घायल किये जाने विषयक स्थिति के संबंध में चर्चा	200—205
जनपद मुरादाबाद के बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद द्वारा बनाये जा रहे बांध के प्रत्येक वर्ष में बह जाने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन	205
नत्थियां	206—214

संसद पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 17 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
अशोक सेहरा, श्री	आगरा
औसान सिंह, श्री	इटावा
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन सिंह तड़ागी, श्री	नैनीताल
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गौरी शंकर, श्री	इटावा
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
देव कुमार यादव, श्री	बांदा
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर
प्रभु दयाल, प्रधान	मेरठ
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
बलजीत सिंह, श्री	मथुरा
बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
मंगल देव, श्री	गोण्डा
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
संजय सिंह, डाक्टर	सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सरस्वती देवी, श्रीमती	अल्मोड़ा
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, दिनांक 17 मार्च, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता के पद पर नियुक्ति की नीति

**1—श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा गोपाल दास यादव—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता का पद पालिका केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाने की नीति है ? यदि हां, तो क्या इसका पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

जी हां, लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता का पद पालिका केन्द्रीयित सेवा का पद है ।

प्राधिकरण सेवा के मुख्य अभियन्ता का पद (कानपुर नगर विकास परियोजना से) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25-9-86 के अनुपालन में आगरा से सम्बद्ध किया गया था जिसके समक्ष पालिका सेवा के मुख्य अभियन्ता, श्री एन0 ए0 फरीदी, आगरा में कार्यरत रहे । प्राधिकरण सेवा का पद रिक्त न होने के कारण दिनांक 1-12-86 से विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण सेवा के मुख्य अभियन्ता की तैनाती लखनऊ विकास प्राधिकरण में की गई ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही नीतिगत प्रश्न है और माननीय मंत्री जी महिला सदस्य हैं, इसके कारण भी यह ठीक से प्रश्न का जवाब नहीं दे सकीं । पहली बात तो नीतिगत प्रश्नों का जवाब किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री को देना चाहिए क्योंकि राज्य मंत्री नीतिगत निर्णयों में भाग नहीं लेते । मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैल रहा है और तमाम लोग उससे पीड़ित हैं, इसलिये मैं आपका विशेष संरक्षण चाहूंगा । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । हम जहां बैठते हैं, आपकी नाक के नीचे यह हो रहा है । लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता का पद पालिका सेन्ट्रलाइज सर्विस से होना चाहिए, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया । मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य अभियन्ता का पद जिस पर श्री एस0 सी0 गुप्ता को बैठाया गया है, क्या मुख्य अभियन्ता की नियुक्ति के लिए जो आवश्यकताएं हैं, वे उसकी पूर्ति करते हैं । यदि नहीं तो जो उच्च न्यायालय के आदेश का जिक्र किया, श्री एन0 ए0 फरीदी को कानपुर में 1-12-86 को जब नियुक्ति किया गया, उस समय वे निलम्बित थे । वह जगह खाली थी और उनकी नियुक्ति की जा सकती थी, क्योंकि विशेष परिस्थिति में जबकि कानपुर विकास प्राधिकरण का पद रिक्त है, किन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी राइटिंग में इनकी नियुक्ति करने का क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, श्री एन0 ए0 फरीदी को वहां से निलम्बित कर दिया गया था, जिन्होंने रिट दायर की हाई कोर्ट के अन्दर । हाई कोर्ट ने मान्यवर, उनको वहीं रखने के आदेश

दिये और कहा कि वे इसी पद पर नियुक्त रहेंगे, इसीलिए उनको वहां पर रखना पड़ा । विशेष परिस्थितियों में लखनऊ में प्राधिकरण का कोई पद खाली नहीं था और श्री गुप्ता का स्थानान्तरण यहां के पद के ऊपर इसलिये किया गया । वैसे शासन भी मानता है और हाई कोर्ट ने भी कहा कि महापालिका की केन्द्रीयित सेवाओं का यह पद होना चाहिये । लेकिन इसमें दो चीजों के ऊपर, दो प्रकरणों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर है, जो कि अभी चल रही है ।

जब कोई सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसके ऊपर हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, वह कानपुर से संबंधित है । लखनऊ में यह जो श्री एस0 सी0 गुप्ता को किया गया है, यह आप भी मानती हैं कि नियुक्ति गलत है और यहां केन्द्रीय नगरपालिका सेवा का व्यक्ति होना चाहिये । माननीय मंत्री जी को तो इसमें एक पैसा मिला नहीं है लेकिन विचौलियों ने इस नियुक्ति के पीछे 15 लाख रु0 लिये हैं । आपने इस नियुक्ति को दबाव में आकर के किया है । आप इस प्रकरण की गुप्तचर विभाग से जांच करायें । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप श्री एस0 सी0 गुप्ता को यहां से हटा देंगी, उन्हें वापस कर देंगी और केन्द्रीय पालिका सेवा के किसी योग्य व्यक्ति को यहां पर नियुक्ति करेंगी ? अगर गुप्ता जी बहुत योग्य हैं तो माननीय मंत्री जी उन्हें आप अपने यहां विशेष कार्याधिकारी बना दीजिए ।

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, भ्रष्टाचार का जहां तक प्रश्न है, उसको बिल्कुल देखेंगे, अगर भ्रष्टाचार हुआ है । लेकिन, इस वक्त मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर ज्यादा बात करना उचित न समझा जाय ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, प्रश्न यही था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है वह उपयुक्त है या नहीं, क्राइटेरिया के अनुसार है या नहीं । मान्यवर, प्रश्न पूछा गया है लखनऊ का और जवाब दे रही हैं कानपुर का । मान्यवर, फरीदी साहब का जिक्र आया आलरेडी वह मुख्य अभियंता थे, रिटायर हो चुके हैं । उच्च न्यायालय वाले मामले का तो यहां कोई औचित्य ही नहीं है । श्री एस0 सी0 गुप्ता की जो नियुक्ति की गयी है, मान्यवर, यह प्राविधान है कि अधिशासी अभियन्ता के पद पर 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिये, इन्हें डेढ़ वर्ष का अनुभव नहीं था लेकिन इसके बावजूद उनकी नियुक्ति हुई । मंत्री जी ने खुद एडमिट किया कि यहां पर महापालिका का व्यक्ति होना चाहिये वह भी नहीं है । विकास प्राधिकरण गाजियाबाद, इलाहाबाद, मेरठ में है ।

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न करें ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं । मान्यवर, एक श्री मेहरोत्रा योग्य व्यक्ति उपलब्ध थे, आगरा का एक अधिकारी उपलब्ध था लेकिन उनकी ओर नहीं देखा गया । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो श्री एस0 सी0 गुप्ता की नियुक्ति की गयी है क्या वह इस पद हेतु सारी औपचारिकतायें पूरी करते हैं या नहीं करते हैं ? यदि नहीं करते थे तो फिर किस आधार पर उनको नियुक्त किया गया ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, यह सारा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है कि महापालिका सेवा का होना चाहिए या प्राधिकरण का होना चाहिए। जब यह मामला वहां विचाराधीन है फिर उसके बाद यहां ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह व श्री गोपाल दास यादव जी ने अपने अनुपूरक में स्पष्ट तथ्य रखें, सारी बातें कही लेकिन माननीय मंत्री जी उसको समझ नहीं रही है। मैं पुनः उसको दोहराकर दो लाइन में यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता पद के लिए जो भी योग्यताएं व अर्हताएं निश्चित की गई हैं, क्या वह श्री गुप्ता में उपलब्ध हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण मांगती हूं। सर्वोच्च न्यायालय में यही प्रकरण तय किया जा रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपसे एक महिला संरक्षण मांग रही है और आप अपना संरक्षण उन्हें प्रदान नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि यह सारा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उन सब पर चर्चा करना, सरकार की तरफ से इस सदन में किसी चीज को कमिट करने का मतलब होगा, जो वहां अपील है, वह प्रभावित हो। मामला सब जुडिस है, उसके ऊपर यहां पर विचार-विमर्श नहीं हो सकता, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। अगर कोई पुरूष आपसे संरक्षण मांग रहा होता और वह न देते तो बात अलग थी, लेकिन यहां आपसे एक महिला संरक्षण मांग रही है, उन्हें आप अपना संरक्षण प्रदान करें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, क्या ए0 के0 गुप्ता की नियुक्ति का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है ? कोर्ट में तो डा0 फरीदी का मामला है।

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, यह मामला भी उसी से संबंधित है, आप मुझे संरक्षण प्रदान करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री फरीद साहब तो रिटायर हो गये, लेकिन श्री ए0 के0 गुप्ता जी के खिलाफ कोई भी रिट या याचिका कोर्ट में दाखिल नहीं है और मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकरण की जांच का आदेश सतर्कता विभाग को दिया है दिनांक 19-2-1988 को। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगी कि मुख्य मंत्री का आदेश और श्री गुप्ता के खिलाफ कोई याचिका न दाखिल होना दो बातें हैं। तो मंत्री जी इस समूचे प्रकरण पर अगर आज उत्तर नहीं दे सकती हैं, तो इसे हटाकर पूरे उत्तर को 2-4 दिन के बाद दे दें।

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, यह माननीय सदस्य काहे को इतनी जल्दी मचा रहे हैं, मामला कोर्ट में है, फैसला हो जाने दीजिये, उसके बाद जवाब आ जायेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, फैसले की कोई बात नहीं है, जब मामला कोर्ट में है ही नहीं । यहां पर प्रश्न तो श्री गुप्ता के अवैधानिक नियुक्ति का है । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बिना मतलब इसमें दखलन्दाजी कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ।

(घोर व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मन्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, इसका सही उत्तर दिलवा दें ? यह मामला कहीं भी विचाराधीन नहीं है ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, यह कोई छोटी बात नहीं है, इसमें बड़े-बड़े उच्च अधिकारी शामिल हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बारी साहब आप सदन में हैं, कृपया इस तरह न करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, यह सदन को गुमराह करने का मामला है । आपके संरक्षण की आवश्यकता है । सारे सदन को बहुत ही खूबसूरती से गुमराह किया जा रहा है ।

सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लम्बित है वह सीनियारिटी लिस्ट से संबंधित है । लखनऊ विकास प्राधिकरण का उससे कोई संबंध नहीं है । कानपुर के इन्जीनियर्स ने अपनी सीनियारिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर किया है । यह बड़े दुख की बात है कि माननीय मंत्री जी भ्रष्टाचार को पोषित कर रही हैं और उसे संरक्षण दे रही हैं । इसलिए मान्यवर, आप देखें, इस मामले को लेकर माननीय मुख्य मंत्री ने हमारे पत्र पर दिनांक 19-2-1988 को सतर्कता विभाग द्वारा जांच करने के आदेश दिये हैं । इसके बाद भी उन्हें विशेष परिस्थितियों में बनाये रखने का क्या औचित्य है और वे विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं । भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक जो काम चल रहा है, क्या उसी के तहत इन्हें अभी तक बनाये रखा गया है ?

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, यह मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है । माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रही हैं । कानपुर के इन्जीनियर्स का मामला लम्बित है, मुख्य अभियन्ता का नहीं । शासन खुद कहता है कि इनकी नियुक्ति गलत हुई है । मैंने जैसा कि पहले कहा था कि 15 लाख रुपये बिचौलिये खा गये, माननीय मंत्री जी ने नहीं लिया है । इन गुप्ता के खिलाफ सैकड़ों गम्भीर आरोप हैं । इसी कारण माननीय मुख्य मंत्री ने 19-2-1988 को इस मामले की जांच हेतु सतर्कता विभाग को आदेश दिये । ऐसे भ्रष्ट अभियन्ता को रोकने का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री मैनेजर सिंह जी ने एक बात कही । यदि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, तो मैं इसको देखूंगा, अगर मुनासिब समझूंगा तो अपना निर्णय दे दूंगा ।

श्री गोपाल दास यादव—

यह सरकार भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण दे रही है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(तत्पश्चात् श्री गोपाल दास यादव व श्री अनुग्रह नारायण सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

जूनियर डाक्टरों द्वारा की गयी हड़ताल के कारण तथा उनकी मुख्य मांगें

**2—श्री मित्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जूनियर डाक्टर्स की अभी हाल में लम्बी अवधि तक चली हड़ताल के कारण क्या थे तथा उनकी मुख्य-मुख्य मांगे क्या थीं ?

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

जूनियर डाक्टर्स ने अपनी मांगों के संबंध में 17 नवम्बर, 1986 से 28 जनवरी, 1987 तक हड़ताल की । उनकी प्रमुख मांगे निम्नवत् थीं :—

(1) उत्तर प्रदेश में दिल्ली व अन्य केन्द्रीय संस्थानों की भांति रेजीडेंसी प्रणाली लागू की जाय ।

(2) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अस्पतालों में कार्यरत जूनियर डाक्टरों के समतुल्य वेतनमान लागू किये जायं ।

(3) कार्य अवधि सुनिश्चित की जाय तथा राजपत्रित व प्रतिबंधित अवकाश के दिनों में कार्य करने पर प्रतिकर अवकाश अनुमन्य किया जाय ।

(4) निःशुल्क आवासीय सुविधा या आवासीय भत्ता दिया जाय ।

(5) स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु क्रमशः न्यूनतम 52 प्रतिशत तथा 55 प्रतिशत प्राप्तांक का प्रतिबंध हटाया जाय ।

(6) राज्य के अस्पतालों में भर्ती मरीजों से शुल्क वसूली का शासनादेश वापस लिया जाय ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन मांगों को लेकर जूनियर डाक्टर्स हड़ताल पर गये थे, उनमें से कौन-कौन सी मांगों को शासन ने ठीक समझा और हड़ताल समाप्त करने के लिए कौन-कौन सी मांगों पर समझौता हुआ और उसकी शर्तें क्या थीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर हड़ताल को समाप्त हुए डेढ़ वर्ष से ऊपर हो गया है और सभी जूनियर डाक्टर्स कार्य कर रहे हैं ।

आइटम नं0 6 उत्तर का कि, "राज्य के अस्पतालों में भर्ती मरीजों से शुल्क वसूली का शासनादेश वापस लिया जाय ।" यह बात नहीं मानी गई ; वेतन के संबंध में कहा गया कि वेतन समिति गठित है, उसकी जब संस्तुतियां आयेंगी, उसके बाद निर्धारण होगा, एड-हाक रूप से 400 रु0 प्रति माह उनका वेतन बढ़ा दिया गया इस आधार पर कि 1950 रु0 से ऊपर वेतन नहीं होगा, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की बात स्वीकार की गयी ।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, जूनियर डाक्टर्स की पहली मांग यह थी कि रेजीडेंसी प्रणाली लागू की जाय । मैं जानना चाहता हूं कि जब दिल्ली में और अन्य केन्द्रीय अस्पतालों में यह प्रणाली लागू है तो उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

एक समिति गठित की गयी थी, जिसमें जूनियर डाक्टर्स एसोसियेशन के भी दो प्रतिनिधि थे, उस समिति की बैठक हो गयी है, अभी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आयी है लेकिन जानकारी मिली है कि समिति ने रेजीडेन्सी सिस्टम को उत्तर प्रदेश में लागू करने की संस्तुति कर दी है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—डाक्टर दिनेश जौहरी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक में किसानों की अधिगृहीत भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*2—कुमारी कृष्णा रावत—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ जनपद काकोरी ब्लाक के गांव वरोकला, पीरनगर, छदाइया तथा हयातनगर के किसानों की भूमि अधिगृहीत कर ली है और क्या इस संबंध में वहां के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक 10-2-88 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वहां के निवासियों के मुआवजे को अधिक बढ़ाकर कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां । वहां के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ शासन को दिनांक 10-2-88 को नहीं प्राप्त हुआ है । किन्तु प्रश्नकर्ता का एक पत्र जिस पर 10-2-88 की तिथि अंकित है, बिना किसी संलग्नक के शासन को दिनांक 12-2-88 को प्राप्त हुआ है । भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत रिफरेन्स दायर करने पर जनपद न्यायाधीश द्वारा ही दर बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है ।

कुमारी कृष्णा रावत—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का कहना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि को अधिगृहीत कर लिया गया है, मैं यह जानना चाहती हूं कि भूमि को कब अधिगृहीत किया गया है और क्या कब्जा प्राधिकरण को मिल गया है ? माननीय मंत्री जी का कहना है कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ वहां के निवासियों का संलग्न पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसको आपके समक्ष और सदन के सभी सदस्यों के समक्ष स्पष्ट करने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लीजिये ।

कुमारी कृष्णा रावत—

मैं यह जानना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी का कहना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जमीन अधिगृहीत कर ली है, तो कब अधिगृहीत की है ? क्या कब्जा माननीया मंत्री जी के विभाग का है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, तिथि तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कब्जा हो चुका है, 50 प्रतिशत मुआवजा भी लोगों को दिया जा चुका है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि मुआवजा किस हिसाब से दिया गया है ? कितने लोगों की जमीन ली गयी है ? कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी मुआवजा नहीं मिला है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

यह तो प्रश्न में पूछा नहीं था कि कितने लोगों का है, इसलिये यह तो मुझको मालूम नहीं है, दर शासन तय नहीं करता है, शासन के अधिकार में मुआवजा तय करना नहीं है, यह डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा तय किया जाता है अगर आपको कोई शिकायत है, उनके यहां प्रार्थना-पत्र दीजिए, वहीं सारी चीजें तय होंगी ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या जिन लोगों की जमीनें ली गयीं हैं, उनको मुआवजा दिया जा चुका है, यदि हां, तो वह किस हिसाब से दिया गया है ।

श्रीमती पद्मा सेठ—

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विशेष अध्याप्ति अधिकारी को मुआवजे हेतु लगभग एक करोड़ से ऊपर की धनराशि दी जा चुकी है ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप—

माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करेंगी कि किस दर से आपने भुगतान किया है ? कितने स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीनों का मुआवजा दिया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

दर की सूचना तो मेरे पास नहीं है क्योंकि यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, इसलिए यह सूचना हमारे पास नहीं है ।

(श्री शारदा प्रताप के खड़े होकर कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय शारदा प्रताप जी माननीय मंत्री जी क्या कह रही हैं, उनको सुनने तो दीजिए, आप तो पहले से हाथ-पैर मारने लगते हैं । (हंसी)

श्रीमती पद्मा सेठ—

जो सूचना आप चाह रहे हैं, वह मेरे पास नहीं है, लेकिन टोटल मुआवजा विकास प्राधिकरण को जो दिया गया है, वह मैं बता रही हूं ।

कुमारी कृष्णा रावत—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि . . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने क्या कहा है, वह न कहकर केवल अपना प्रश्न कर लीजिए ।

कुमारी कृष्णा रावत—

मेरा प्रश्न मान्यवर यह है कि क्या कोई प्रार्थना-पत्र आपको प्राप्त हुआ है, यदि हां तो उसमें क्या लिखा हुआ है और क्या उसके अनुसार कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

माननीय विधायिका जी का दिनांक 10-2-88 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मैंने विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद, जिला-लखनऊ में 7 कांग्रेस की जनसभायें सम्पन्न कर लिया है जिसमें ग्रामीणों ने निम्न समस्याओं से मुझे अवगत कराया है—

(1) दुबग्गा (काकोरी लखनऊ) में पीरनगर, हैयातनगर, बरीकलां तथा छनदौइया के किसानों में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत कर ली गई जमीनों का मुआवजा कम से कम 10 रुपया प्रति वर्ग फीट मांगा है । इनकी मांग पूरी होनी चाहिए ।

(2) गोपरामऊ (ब्लाक-काकोरी) में बेतानाले पर पुलिया के निर्माण की 10 गांव के लोगों ने मांग किया ।

(3) बसहरी घाट (ब्लाक माल, जिला-लखनऊ) में पथकर की माफी की मांग की गई ।

(4) गौंदा-मोअज्जमनगर (ब्लाक-मलिहाबाद, लखनऊ) के निवासियों ने पुलिया की मांग की है ।

(व्यवधान)

कुमारी कृष्णा रावत—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर तो आया नहीं, कृपया उसे दिलवा दीजिए ।

(प्रश्न संख्या 3 के पुकारे जाने पर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें ।

प्रदेश के नगरमहापालिकाओं में नगरीय विधायकों को बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में कर्त्तव्य पालन न करने देने का औचित्य

*3—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 8 (ए) (बी) के अनुसार प्रदेश की नगर महापालिकाओं के प्रशासक पूर्ण रूप से बोर्ड की सभी शक्तियों, कार्यों व कर्तव्यों के पालन के अधिकारी व उत्तरदायी हैं ? यदि हां, तो सभी नगर महापालिकाओं के संबंधित क्षेत्रों के नगरीय विधायकों को धारा 6 (सी) के अनुसार बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में कार्य शक्तियों तथा कर्तव्य पालन न करने देने का क्या औचित्य है ? क्या नए बोर्ड के गठन के पूर्व तक उनको अपने कर्तव्यों के पालन हेतु पदेन सदस्य तत्काल घोषित करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

यह सही है कि उत्तर प्रदेश महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 8 (ए) (बी) के अनुसार प्रदेश की नगर महापालिकाओं के प्रशासक पूर्ण रूप से बोर्ड की सभी शक्तियों, कार्यों व कर्तव्यों के पालन के अधिकारी व उत्तरदायी हैं ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 539 के अंतर्गत प्रदेश की समस्त नगर महापालिकायें अक्रमित हैं । अधिनियम की धारा 6 (सी) के अंतर्गत पदेन सदस्यों को अन्य के साथ निर्वाचित महापालिका के गठन में शामिल किया जाता है । चूंकि इस समय निर्वाचित महापालिकायें गठित नहीं हैं, अतः अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्गत संबंधित क्षेत्र के सांसदों तथा विधायकों को पदेन सदस्य के रूप में नये बोर्ड के गठन के पूर्व कार्य करने देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, फिर यह एक नीतिगत सवाल है और इस नीति पर माननीया मंत्री जी का जो बयान है, उसे केवल उन अधिकारियों ने ही लिखा है, जो कि इन तमाम जनतांत्रिक संस्थाओं पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं और उनका शोषण कर रहे हैं । नगरपालिका के संबंधित क्षेत्रों के नगरीय विधायकों को धारा 6 (सी) के अनुसार बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में उनको कोई कर्त्तव्य या उत्तरदायित्व नहीं दिये गये हैं और 17 वर्षों से चुनाव भी नहीं हुए हैं और अभी भी माननीया मंत्री जी की इन संस्थाओं में चुनाव कराने की कोई मंशा नहीं है । धारा 8 (ए) (बी) के अनुसार प्रदेश की नगर महापालिकाओं के प्रशासक पूर्ण रूप से बोर्ड की सभी शक्तियों, कार्यों व कर्तव्यों के पालन के अधिकारी व उत्तरदायी हैं, ऐसी स्थिति में जो पदेन सदस्य हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि अगर माननीया मंत्री जी उस बोर्ड की जोकि प्रशासक के रूप में इसमें मनोनीत हैं,

उसमें हम लोगों को सदस्य बनाने में उनको क्या आपत्ति है ? यहां एडवोकेट जनरल हैं और अन्य भी कई साधन न्याय से संबंधित राय देने के लिये हैं, उनसे आप राय ले लें । हम सर्वोच्च न्यायालय में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम न्याय जरूर चाहेंगे कि नगरीय विधायकों को पदेन सदस्य के रूप में कर्त्तव्य पालन के लिये मौका दिया जाय, नहीं तो इसको निरस्त किया जाय और इसके संबंध में लीगल एडवाईस अवश्य ली जाय ।

श्री अध्यक्ष—

माननीया मंत्री जी, मुनासिब यह होगा कि आप इसमें एडवोकेट जनरल की राय ले लें ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद नैनीताल में ओला प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को राहत देने की मांग

*1—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल के रामगढ़ भवाली, नथूवाखान, श्यामखेत, हरतोला तथा मुक्तेश्वर के फल उत्पादकों की सेवों की फसल मई, 1987 की भीषण ओलावृष्टि से 75 प्रतिशत से भी अधिक नष्ट हो गयी थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त फल उत्पादकों के पास जीवनयापन का इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको तुरन्त राहत देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

जनपद नैनीताल में मई, 1987 की भीषण ओलावृष्टि से सेवों की फसल में निम्नवत् अनुमानित क्षति हुई :—

क्षेत्र	प्रतिशत
रामगढ़	69·30
श्यामखेत	75·00
भवाली	48·00
नथुआखान	52·50
हरतोला	49·90
मुक्तेश्वर	49·77

इन क्षेत्रों के फल उत्पादकों के लिये औद्यानिकी आय का एक प्रमुख स्रोत है ।

शासन के राजस्व विभाग द्वारा नैनीताल जनपद के लिये तीन लाख रुपये तकावी के रूप में स्वीकृत किए गये, जिसमें से 2 लाख रुपए ओला प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवंटित

कर निम्न विवरणानुसार कुल 1,77,500 रु0 की धनराशि वितरित की जा चुकी है :—

क्षेत्र का नाम	आवंटित की गई धनराशि
रामगढ़	15,000
भवाली	96,500
नथुवाखान	25,500
हरतोला	3,500
मुक्तेश्वर	37,000

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र का जो मुख्य आधार है, वह फलोत्पादन है, तो जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कुल क्षेत्र में कितनी हानि हुई है और उसके अनुपात में तकाबी कितनी बांटी गयी ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मैंने जो अभी विवरण दिया है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि कितनी तकाबी की रकम बांटी गयी है ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, उसमें जितने क्षेत्रों के नाम हैं, उनको पढ़कर सुना दिया और उन्हीं को रुपया भी दिया गया और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि सारा का सारा क्षेत्र फलोत्पादक है और फल उत्पादन ही वहां का मुख्य धंधा है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कितना नुकसान हुआ और कितने प्रतिशत तकाबी दी गयी । माननीय मंत्री जी के अनुसार श्यामखेत में 75 प्रतिशत नुकसान हुआ, परन्तु वहां पर कोई तकाबी नहीं दी गयी, इसका क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने बताया कि जो तकाबी दी गयी है, उसका विवरण दिया गया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, जो फलोत्पादक क्षेत्र हैं, उनमें साल में एक ही बार फसल पैदा होती है और अगर वह ओला या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाती है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो यह क्षेत्र है वह सेब की फसल का क्षेत्र है, तो क्या इसका बीमा कराया गया था और यदि नहीं कराया गया था तो क्या इसकी भविष्य में व्यवस्था करेंगे । जो उद्यानिकी क्षेत्र हैं, उनका बीमा करने की व्यवस्था करेंगे, जो बीमा योजना चल रही है । अगर बीमा योजना चालू कर दी जाये तो जो क्षति होती है, उससे वहां के लोगों को क्षतिपूर्ति हो सकती है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, उस क्षेत्र में बीमा योजना लागू नहीं है और जहां तक दूसरे प्रश्न सवाल है, इस पर विचार किया जायेगा । यह सुझाव अच्छा है और मैंने विभाग के अधिकारियों से कहा है कि इस पर एक पाइलेट प्रोजेक्ट तैयार किया जाये ।

उत्तर प्रदेश में एच0 सी0 एल0 से टी0 एस0 पी0 खाद की आपूर्ति

*2—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एच0 सी0 एल0 से टी0 एस0 पी0 खाद का कोटा कब से स्वीकृत है और वह प्रदेश के किन-किन क्षेत्र अथवा गोदामों में सप्लाई किया है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि इस प्रकार की खाद का कोटा प्रदेश को दिये जाने पर भी वह सीधे बम्बई की किसी फर्म को बेच दी जाती है ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

हिन्दुस्तान कापर लि0 द्वारा ट्रियल सुपर फास्फेट उर्वरक की आपूर्ति इस प्रदेश को वर्ष 1977-78 से वर्ष 1980-81 के मध्य, भारत सरकार के आवंटन के आधार पर की गई, किन्तु फर्म ने यह सूचना देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है कि उसने प्रदेश में कहां-कहां माल की आपूर्ति की है ।

शासन को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जानकारी का प्रश्न उठता है । जब भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को उर्वरक देने के लिए आदेश किया होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार को सूचित किया होगा । इस बात का कोई प्रश्न नहीं उठता है कि फर्म ने यह सूचना देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी से अवगत कराया था या नहीं । कि फलां-फलां व्यक्ति को उर्वरक दी जाय, यदि हां तो कब-कब इस पर कार्यवाही की गयी ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उत्तर प्रदेश को वर्ष 1977-78 में 6096 टन का आवंटन हुआ और वर्ष 1978-79 में 3500 टन, 1979-80 में 2800 टन, 1980-81 में 800 टन आवंटित किया गया और जो आपूर्ति हुई, वह बहुत कम हुई है । वह 77-78 में 272 टन, 78-79 में 1516 टन, 79-80 में 1124 टन तथा 80-81 में 706 टन की हुई । यह भारत सरकार एलोकेट करती है । इसकी आपूर्ति करना कम्पनी का काम होता है । हमारी ओर से भारत सरकार से सूचना मांगी गई थी कि यह आवंटन के विपरीत सप्लाई कम हुई है । फर्टिलाइजर की कमी नहीं थी । उन्होंने कितना बेच दिया, इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जिस उर्वरक के बारे में माननीय नौटियाल जी ने प्रश्न किया, जब 77-78 में इसका प्रचलन हुआ तो उसके बारे में किसान संदेह में थे । यह सही है कि इस खाद की उपयोगिता को देखते हुये हम जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां इसकी मांग बहुत ज्यादा हो गई है । मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश में फैक्ट्री हैं वे ऐसी खाद बनाती हैं, जिसमें कभी-कभी संदेह हो जाता है तो इसका निराकरण करके आप ऐसी जगहों में अधिक खाद सप्लाई करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, इस समय प्रदेश में कहीं पर खाद की कमी नहीं है और फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । अगर पाण्डेय जी को कहीं पर इसकी कमी नजर आई हो तो वे हमें बता दें, हम वहां उपलब्ध करा देंगे ।

श्री सगर पाल सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जब उत्तर प्रदेश में सारी जमीनों का सर्वे हो गया है और आमतौर से फासफेट फर्टिलाइजर की कमी नहीं है तो जहां कंसन्ट्रेटेड फर्टिलाइजर ट्रिपिल फासफेट है, उसको मंगाने की क्या आवश्यकता थी । वह बाहर से क्यों मंगाया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में इसे बनाने के बहुत कारखाने हैं और उन्हें इसे बेचने में काफी दिक्कत आ रही है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मैंने निवेदन किया कि 77-78 से लेकर 80-81 का यह मामला है । इस समय कोई सप्लाई नहीं हो रही है और इस कम्पनी ने भी यह फर्टिलाइजर बनाना बन्द कर दिया है ।

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हार्टिकों के इलाहाबाद डिपो में हुए घोटाले की जांच रिपोर्ट तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हार्टिकों के इलाहाबाद डिपो में हाल में ही की गयी स्टाक एवं बिक्री रजिस्टरों की आडिट से जानकारी मिली है कि 4 लाख से अधिक रुपये का सामान गायब है ? (जांच जुलाई 87 के आस-पास हुई थी) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा इसके लिए दोषी कौन-कौन अधिकारी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

हार्टिकों के इलाहाबाद डिपो के भौतिक सत्यापन/आडिट के आधार पर वर्ष 86-87 की अवधि के लिए 90,004.87 रु0 का सामान/कैश कम पाया गया । प्रथम दृष्टतया केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को दोषी पाया गया और इस हेतु उन्हें आरोपित कर उनके विरुद्ध नियमित जांच आदेशित की गई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, भ्रष्टाचार के इस मामले को बचाने का प्रयास किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि जब प्रथम दृष्टा में ही सरकार के प्रभारी अधिकारी दोषी पाये गये और वहां के कैश में 90 हजार से अधिक की कमी पायी गयी तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जांच ही क्यों हो रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, पहले उन्हें निलंबित किया गया था । उसके बाद उन्होंने कुछ रुपया जमा कर दिया और अब जांच हो रही है । जांच के बाद जो नतीजे आयेंगे, उस हिसाब से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । मैं गुप्ता जी को और मान्यवर, आपके माध्यम से सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कोई भी दोषी पाया जायेगा, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितना रुपया जमा कर दिया गया है और क्या शासन की यह नीति है कि अगर गबन पाया जाय किसी के खिलाफ तो क्या उसका दोष माफ कर दिया जायेगा । क्या इस नीति के तहत ही उन्होंने रुपये का कुछ अंश जमा कर दिया, इसलिये उनको बहाल कर दिया जाय ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो केन्द्र प्रभारी हैं, इनका नाम क्या है ? क्या वह एम0 डी0 या चेयरमैन के संबंधी हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, इन्होंने 27,313 रु0 जमा किया है, दूसरा प्रश्न था कि क्या नाम है तो इनका नाम विनोद कुमार मिश्र है । जहां तक किसी के संबंधी होने का सवाल है, जो मुझे जानकारी दी गयी है, उसके अनुसार वहां के जो चेयरमैन हैं, उनके रिश्तेदार लगते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो मेरा पहला प्रश्न था, वह साबित हो गया कि यह चेयरमैन के रिश्तेदार हैं, इसीलिये फेवर दिया जा रहा है । तो क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है कि जो गबन का दोषी पाया जाय, उसमें वह कुछ अंश जमा कर दे तो उसे बहाल कर दिया जायेगा । 90 हजार से अधिक का मामला है, उसमें से 27 हजार जमा कर दिया । तो क्या सबके लिये सरकार नीति अपनायेगी कि अगर रुपया जमा कर देगा तो उसे बहाल कर देंगे । तो क्या इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, सरकार का इरादा किसी भ्रष्टाचार को छुपाने या पनपाने का नहीं है (व्यवधान) यह दीगर नहीं है । इस अधिकारी को निलम्बित किया गया था । यह मामला आडिट के दौरान पकड़ा गया था । इन्होंने कहा कि इसमें मैंने गलती नहीं की है, कहीं से गलतफहमी हो सकती है और 27 हजार रुपया जमा कर दिया उसके बाद रि-इंस्टेट कर दिया गया । अब इसमें जांच हो रही है उसमें दोषी पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ जरूर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप बन गया कि इन्होंने गबन किया है, जिस पर कुछ रुपया उन्होंने जमा भी कर दिया । जब स्पष्ट है कि गबन किया है तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल क्यों नहीं भेजा गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मैंने बताया कि जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आई, उस पर उनका जवाब-तलब किया गया, जिस पर उन्होंने 27 हजार कुछ रुपया जमा कर दिया । जहां तक एफ0 आइ0 आर0 होने की बात है, चूंकि एक बार रुपया जमा कर दिया और उनको निलम्बित भी कर दिया गया, फिर रि-इस्टेट किया गया है । अब जांच हो रही है, उसमें दोषी पाये जायंगे तो उनके खिलाफ जरूर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अचल सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह के प्रकरण में गबन के बाद रुपया जमा कर दिया गया, इसलिये एफ0 आइ0 आर0 नहीं लिखायी गयी । तो क्या शासन की ऐसी नीति है कि जहां रुपया जमा कर दिया जायेगा, वहां खासकर इनके विभाग में एफ0 आइ0 आर0 नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है, आप बैठिये । (व्यवधान) काफी हो गया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, इस पक्षवालों को भी प्रश्न कर लेने दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये, मैं आगे बढ़ गया हूं ।

*4—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[5 वें गुरुवार के लिए स्थगित]

(दिनांक 17 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न)

उत्तर प्रदेश में ऊसर, बंजर, बीहड़ तथा अन्य बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाने या वृक्षारोपण हेतु योजनायें

*1—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 12 लाख हेक्टेयर ऊसर, 8 लाख हेक्टेयर बंजर, 12 लाख हेक्टेयर बीहड़ तथा 8 लाख हेक्टेयर अन्य बेकार भूमि पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है, जिसके फलस्वरूप उक्त भूमि को कृषि अथवा वृक्षारोपण के योग्य एक निश्चित समय के अन्दर बनाने का स्पष्ट प्राविधान है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बेरोजगार जनशक्ति तथा अन्य प्राकृतिक साधनों के भरपूर उपयोग के लिये माननीय मंत्री जी इस कार्य को अगले 10 वर्षों में कराने हेतु समय निर्धारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उत्तर प्रदेश में ऊसर एवं खेती के अयोग्य भूमि 11.15 लाख हेक्टेयर है, कृषि बेकार भूमि 11.42 लाख हेक्टेयर है तथा इसके अतिरिक्त 12.3 लाख हेक्टेयर बीहड़ भूमि है ।

भूमि को कृषि योग्य बनाने अथवा वृक्षारोपण करने हेतु निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं :—

(1) ऊसर सुधार की जिला योजना
(2) केन्द्र पोषित ऊसर सुधार की योजना
(3) बीहड़ सुधार की जिला योजना
(4) दस्यु प्रभावित जनपदों में बीहड़ सुधार की योजना
(5) ई0 ई0 सी द्वारा वित्त पोषित बीहड़ सुधार की योजना

इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं दी जा सकती । यह उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मंत्री जी ने 5 योजनाओं का उल्लेख किया जो ऊसर, बीहड़ और बेकार भूमि के सुधार के लिये चलाई जा रही हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 35 लाख हेक्टेयर प्रदेश में है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इन 5 योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन सालों में आपने प्रतिवर्ष औसतन कितना सुधार किया और आगे वाले वर्ष में कितना सुधार प्रस्तावित है और इस गति से कितने वर्षों में आप सुधार कर पायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, हमने निवेदन किया कि यह संसाधनों पर निर्भर करेगा चूंकि यह बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिये प्रदेश स्तर पर और भारत सरकार से भी पूरी मदद मांगने की कोशिश करेंगे और जो संसाधन मिलते हैं, उनका पूरा उपयोग इसमें करने की कोशिश करेंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, हमने तो संसाधनों का प्रश्न नहीं किया था, बल्कि प्रश्न था कि इन एजेंसियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में औसतन कितना सुधार किया है और आने वाले वर्ष में क्या प्रस्ताव है और इस गति को औसत मानें, तो कितना समय भूमि सुधार में लगेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, उसमें प्रयास हो रहा है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य था कि एक लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन को विभिन्न योजनाओं में ठीक करेंगे और उसको खेती में उपयोग में लायेंगे और उसमें अच्छी प्रगति है ।

श्री हरिशंकर तिवारी—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या गोरखपुर में चिल्लूपार और धुरियापार विधान सभाई क्षेत्रों में जहां दो हजार एकड़ से अधिक भूमि ऊसर है, उसके सुधार हेतु कोई योजना मंत्री जी लागू करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जिस विशेष इलाके का जिक्र किया है मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन तिवारी जी को मैं अवगत करा दूंगा ।

श्री अशोक वाजपेयी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा ऊसर क्षेत्र हरदोई जनपद में आता है और 8 हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन अनउपजाऊ है, पिछले साल भी मैं जानना चाहा था और फिर जानना चाहता हूं कि क्या हरदोई जनपद के विशाल ऊसर क्षेत्र के सुधार हेतु मास्टर प्लान में कोई बड़ी योजना क्या मंत्री जी ने तैयार किया है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी और कब तक जमीन उपजाऊ बन सकेगी ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, ऊसर सुधार की योजना प्रदेश में 36 जिलों में लागू है और इसमें हरदोई भी शामिल है और वहां पर ऊसर सुधार का काफी काम हुआ है ।

(ता0 प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने पर)—(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

अब आप आगे चलें, 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं ।

प्रश्न संख्या 2, माननीय राम आसरे वर्मा । माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान)

पहले मुझे तो सुनिये, मैं क्या कह रहा हूं । बरार जी आखिरी प्रश्न आप कर लीजिये ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, 35 लाख हेक्टेयर भूमि का मामला है । मैं पहले भी इसे मंत्री जी के ध्यान में लाया हूं और मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इस पंचवर्षीय योजना में 20 हजार एकड़ प्रतिवर्ष का इनका लक्ष्य है । तो इसका मतलब यह है कि डेढ़ सौ वर्ष से अधिक इस भूमि को उपजाऊ बनाने में लगेंगे । तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 85 में मौजूदा प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि 50 लाख हेक्टेयर जो इस प्रकार की भारत में भूमि है, उसको प्रतिवर्ष उपजाऊ बनाया जायेगा या वृक्षारोपण के योग्य बनाया जायेगा, तो यदि यह उनकी इस घोषणा पर यकीन रखते हैं तो क्या यह उन्हीं प्रधानमंत्री से अतिरिक्त संसाधन मांगने की प्रार्थना करेंगे, जिससे उनका वायदा पूरा हो सके और पूरे भारतवर्ष में जो उन्होंने लक्ष्य रखा था, वह पूरा हो सके ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, हमारा पूरा प्रयास है कि इस साल हम बीहड़ सुधार की योजना लाएं और दस्यु प्रभावित 6 जनपदों में लाये भी हैं, (व्यवधान) उसमें आगरा और इटावा शामिल हैं, आपको तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए था । जहां तक मान्यवर, बरार साहब का यह कहना है कि प्रधान मंत्री की यह घोषणा है, तो यह उनकी घोषणा है और यह सही है और उत्तर प्रदेश सरकार उसके कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है ।

एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों की तरह होम्योपैथिक डिस्पेन्सरियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने की मांग

*2—श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उच्चीकृत किये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों के लिए उच्चीकृत का प्राविधान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज को आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित किया जाता है ।

होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित किये जाने की कोई नीति नहीं है ।

उ0 प्र0 होम्यो चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया

*3—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि इस समय प्रदेश में 5000 से अधिक होम्योपैथिक चिकित्सक बेरोजगार हैं ? क्या यह भी सही है कि प्रदेश के लगभग 400 होम्यो चिकित्सालयों में डाक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

होम्योपैथिक चिकित्सकों को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे चिकित्सकीय शिक्षा प्राप्त किये होते हैं । इस समय प्रदेश में केवल 140 होम्योपैथिक चिकित्सालयों में एवं 150 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 290 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त हैं । रिक्ति पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न पहले भी आया था और इसका उत्तर दे दिया गया था, सिर्फ इसमें अब एक प्रश्न कर लूं, मंत्री जी की जानकारी में ला दूं । वह इन होम्योपैथिक चिकित्सकों को चाहे बेरोजगारों की श्रेणी में रखें या न रखें, लेकिन इसका सर्वे करा लें कि 5 हजार यह चिकित्सक अपनी क्लीनिक्स नहीं खोल पा रहे हैं और राजकीय नौकरियों के लिए भटक रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश में ऐसे 21 हजार से ऊपर होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, 5 हजार ही नहीं हैं ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा इन्होंने अपने उत्तर में कहा कि लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया है । लोक सेवा आयोग से अधियाचन करने के बाद बहुत दिनों में सुनवाई होती है फिर नियुक्तियां या इण्टरव्यू होता है, तो क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मंत्री जी तदर्थ रूप से नियुक्ति करने के आदेश देंगे ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् 1988 के फरवरी माह में अनुरोध किया गया है कि इन पदों पर चिकित्सकों का चयन करके सूचियां दें या फिर दो-तीन महीने के अन्दर सूचियां भेज दें ।

शासन द्वारा गेहूं, चना, सरसों व धान के बिक्री भाव तय करने की नीति

*4—श्री राजेन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री पिछले पांच वर्षों के गेहूं, चना, सरसों व धान की फसलों का बीज भाव शासन द्वारा घोषित समर्थित भावों की विवरण तालिका सदन में रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को कृषि विभाग तराई बीज निगम द्वारा जो ऊंची दरों पर बीज बेचा जाता रहा है उसका क्या औचित्य है तथा प्रदेश के अन्दर सभी संस्थाओं के बिक्री केन्द्रों पर बीज के समान बिक्री भाव की प्रक्रिया कब से शुरू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

गेहूं, चना, सरसों व धान के शासन द्वारा समर्थित मूल्यों की विगत पांच वर्षों की तालिका निम्नवत् है :—

क्र0 सं0	फसल का नाम	फसल वर्ष				
		83-84 रु0	84-85 रु0	85-86 रु0	86-87 रु0	87-88 रु0
1	गेहूं	152	157	162	166	173
2	चना	240	—	260	280	290
3	सरसों	360	385	400	415	430
4	धान	132	137	142	146	150

कृषि विभाग, तराई बीज निगम द्वारा अभिजनक/आधारीय बीज का क्रय अधिक मूल्य पर किये जाने, बीजोत्पादन हेतु अन्य फसलों से कुछ दूरी रखने, रोगिंग कराने, विधायन व्यय, सर्टीफिकेशन, फीस, टेगिंग, पैकिंग, बोरों तथा छपाई पर होने वाला व्यय सम्मिलित होने के कारण निगम के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित दरों पर बीज बेचा जाता है ।

प्रदेश में सभी संस्थाओं के बिक्री केन्द्रों पर बीज का समान मूल्य किया जाना सम्भव नहीं है ।

यह बीज प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा नियंत्रित विभिन्न संस्थाओं द्वारा उत्पादित किया जाता है और इनके उत्पादन में भिन्न-भिन्न संस्थाओं द्वारा भिन्न-भिन्न व्यय किया जाने तथा विभिन्न स्तरों के नियंत्रण में होने के कारण समान दरें निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

उ0 प्र0 परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति जनता में स्वयं प्रेरणा जागृत करने हेतु नसबंदी हेतु जन शिक्षण की सरकार की योजना

*5—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि उ0 प्र0 में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति जनता में स्वयं प्रेरणा जागृत करने हेतु नसबन्दी के संबंध में व्यापक जन शिक्षण की सरकार की योजना क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनता में स्वयं प्रेरणा जागृत करने हेतु चलचित्र प्रदर्शन, काव्य गोष्ठियां, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं कार्यकर्त्ताओं द्वारा निजी सम्पर्क आदि विभिन्न माध्यमों से जन शिक्षण की व्यापक योजना कार्यान्वित की जा रही है । इस जन शिक्षण कार्यक्रम में जनता के प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाता है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के तमाम जन शिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं तब जबरियां नसबन्दी का प्रयास क्यों किया जाता है और प्रलोभन क्यों दिये जाते हैं टेलीविजन दिये जाते हैं, एस0 डी0 एम0 के काम बन्द हो जाते हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् यह बहुत मानवीय कार्यक्रम है इससे सबको प्रेरणा दी जाती है ।

श्री काशी सिंह एरी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से नीतिगत मामले में एक जानकारी चाहूंगा । क्या माननीय मंत्री जी, जैसा कि इन्होंने तय किया है कि विभिन्न विभागों का नसबन्दी का कोटा फिक्स करते हैं । अलग-अलग विभाग कोई प्रलोभन देकर या किसी दबाव में रखकर नसबन्दी के कोटे को पूरा करते हैं जैसे पटवारी और लेखपाल हैं इनका जनता पर दबाव रहता है तो इनका कोटा पूरा हो जाता है, लेकिन जो कमजोर विभाग होते हैं उनका कोटा नहीं हो पाता है जिसकी वजह से कर्मचारियों की सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न किए जाते हैं, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि आपका जो विभाग परिवार नियोजन का है वही इस कार्य को करे वही इसका प्रचार-प्रसार करे । बाकी जो विभाग हैं उनको इससे फ्री कर दिया जाए ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, साधारण स्थिति में तो माननीय एरी जी की बात सही है पर इस समय स्थिति विस्फोटक है । जितनी देर में हम यहां इस पर विचार कर रहे हैं उतनी देर में उत्तर प्रदेश में 11 सौ लोग पैदा हो गये हैं । अतएव विस्फोटक स्थिति को देखते हुए समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति का सहयोग इसमें आवश्यक है और लिया जा रहा है ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्प्रेरकों को प्रशिक्षण देकर उनकी एक टीम तैयार करने की योजना विभाग ने बनायी है । क्या इस प्रकार की योजना पर विचार किया जा रहा है कि उत्प्रेरकों, मोटीवेटर्स को सही प्रकार से प्रशिक्षण देकर, पार्ट टाइम कुछ पे करें ताकि वह सही ढंग से प्रेरणा देकर लोगों को नसबन्दी कैम्पस में लायें ।।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस प्रकार का एक कार्यक्रम उन्नाव, हरदोई और लखनऊ में वर्ष वर्ष 1988-89 से प्रारम्भ किया जा रहा है, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया ।

श्री सूरपाल पाण्डेय—

मान्यवर, क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं जिसके कारण कर्मचारी उस लक्ष्य की पूर्ति हेतु फर्जी नसबंदी करके सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या इस प्रकरण की जांच अपने स्तर से कराने की कृपा करेंगे ताकि फर्जी नसबंदी न हो सके ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी कार्यक्रम की जांच करने के लिये भारत सरकार की एक टीम गठित है क्योंकि भारत सरकार इसके लिये धन देती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शासन से भी जांच होती है। हर तृतीय माह में भारत सरकार की एक टीम आती है और बिना बताये व बिना सूचित किये प्रदेश में विभिन्न जनपदों में वह जाती है और इसकी जांच करती है। माननीय सदस्य ने बस्ती जिले के बारे में दिया था उसकी जांच के आदेश हो चुके हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद माननीय सदस्य को मैं बता दूंगा। अगर कहीं पर कोई फर्जी काम हो रहा है तो बता दें उसकी जांच करायी जायगी। हम ब्राह्मण हैं, हवन करने वाले हैं। जब हवन किया जाता है तो कुछ गड़बड़-सड़बड़ हवन में पड़ जाता है।

श्री मुईद अहमद—

क्या आप सुल्तानपुर में जो फर्जी नसबंदी हुयी है उसकी जांच करवायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

*6—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

[दिनांक 25-2-88 को अता0 प्र0 सं0 9 द्वारा उत्तरित]

*7—श्री मित्रसेन—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*8—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[दिनांक 25-2-88 को ता0 प्र0 सं0 9 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर में गैस्ट्रो एनट्राइटिस बीमारी से मृत व्यक्तियों की संख्या एवं रोकथाम

***9—श्री हर्ष वर्धन—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सितम्बर, 1987 के प्रथम पखवाड़े में गोरखपुर जनपद में गैस्ट्रो एनट्राइटिस बीमारी से लगभग 75 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो फरेन्दा विकास खण्ड के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुयी है ? उक्त बीमारी के फैलने का कारणों की चिकित्सकों द्वारा आवश्यक रोकथाम के उपाय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं, केवल 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

केवल 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

उक्त बीमारी के फैलने की रोकथाम के लिये शहरी क्षेत्र में 16818 और ग्रामीण क्षेत्रों में 33540 निरोधात्मक टीके लगाये गये। इसके अतिरिक्त कुओं तथा हैन्ड-

पम्पों का भी विसंक्रमण किया गया । साथ गैस्ट्रो एन्ट्राइटिस से बचाव हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार लाउडस्पीकर, हैन्डबिल एवं पैम्फलेट तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से किया गया ।

श्री हर्ष वर्धन—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उक्त बीमारी के फैलने की रोकथाम के लिये शहरी क्षेत्र में 16,818 और ग्रामीण क्षेत्रों में 33,540 निरोधात्मक टीके लगाये गये । मान्यवर, मेरी यह सही जानकारी है कि यह बीमारी जब फैल गयी, तब उसके बाद टीका लगाने का काम प्रारम्भ किया गया, जिससे काफी लोग मर गये । मान्यवर, इस बीमारी के फैलने से पहले रोकथाम की कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, सितम्बर 2 और 3, 1987 की रात में यह बीमारी गोरखपुर में फैल गयी और 3 तारीख की रात में ही इसका उपाय प्रारम्भ कर दिया गया । श्रीमन् फरेंदा विकास खण्ड में गैस्ट्रो एन्ट्राइटिस से यह बीमारी वहां पर रही और वहां पर भी रोकथाम की गयी, इसीलिए मृत्यु दर वहां पर कम रही ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह मृत्यु दर कम होने का मामला नहीं है । इस बीमारी के फैलने से इतने लोगों की मौत हुई । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 16 व्यक्तियों की मृत्यु गैस्ट्रो एन्ट्राइटिस बीमारी से गोरखपुर जनपद में हुई और 4 व्यक्तियों की मृत्यु फरेन्दा विकास खण्ड के अन्तर्गत हुई । माननीय मंत्री जी ने दो जगहों पर मृत्यु होना बताया, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये मौतें किस महीने में और किस तारीख में हुई और टीका लगाने का काम कब प्रारम्भ किया गया और जिन अधिकारियों ने बीमारी फैलने से पहले टीका लगाने का काम प्रारम्भ नहीं किया, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् इसमें प्रथम तो यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है कि इस बीमारी को रोक दें, इलाज करना तो हमारा दायित्व है । श्रीमन् गर्मी के दिनों में हमारी भूख जितनी है, उसके अनुसार 75 परसेन्ट ही हम खायें, तो गैस्ट्रोएनट्राइटिस की बीमारी कम होगी । हमें पीने के लिए शुद्ध जल का ही प्रयोग करना चाहिए । यह बीमारी शुद्ध जल न पीने के कारण ही होती है । श्रीमन् 4 तारीख को विसंक्रमण और टीका लगाने का काम प्रारम्भ हो गया । मृत्यु जो हुई, वह गोरखपुर में 16 व्यक्तियों की हुई, वह 2 और 3 तारीख में हुई और फरेंदा में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई, वह 4 और 7 तारीख को हुई । श्रीमन् 2 सितम्बर और 3 सितम्बर के बीच रात में यह रोग फैला, 4 तारीख और 8 तारीख के बीच फरेंदा में यह मृत्यु हुई । 2 और 3 की रात में गोरखपुर नगर में यह बीमारी फैली । 3 तारीख को गोरखपुर नगर में कुएं के जल और हैंड पम्प के जल में कीटाणु नाशक दवाइयां डालने का काम मारम्भ हुआ और 4 तारीख को टीका लगाने का काम प्रारम्भ हुआ ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस बीमारी से 20 लोग मरे और इसका मुख्य कारण भोजन और पानी की कमी रही है । मान्यवर, यह केवल गोरखपुर की ही बात

नहीं है, बल्कि यह अन्य जनपदों में भी है । मान्यवर, जैसा आपने बताया कि यह बीमारी पेयजल की गड़बड़ी के कारण हुई, प्रदेश में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, सरकार को भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, अगर भोजन की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है, तो सरकार शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करेगी, ताकि यह बीमारी अन्य जनपदों में न फैल सके और इस बीमारी को रोका जा सके ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

यह बीमारी महामारी के रूप में नहीं होती है, यह स्थानीय होती है, हम सब जो भोजन करते हैं, जो गेहूं और चावल और दाल खाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कीटाणु होते हैं, अगर हम यह रोक लगा दें कि खाद्य उत्पादन में कीटाणुनाशक दवाइयों का उपयोग न किया जायगा, हम यह रोक लगा दें कि खाद्य उत्पादन में खाद्यों का उपयोग नहीं किया जायेगा तो हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे देश में पूरी जनसंख्या के लिये खाद्य की आपूर्ति नहीं की जा सकती है । तो निर्णय यह करना होता है कि कौन सी चीज देनी आवश्यक है । उसी प्रकार से आपकी बीमारी का है । यह गैस्ट्रो एन्ट्राइटिस मर्ज का मूल कारण अशुद्ध जल है, हम जल में ब्लीचिंग पाउडर डालें, अन्य चीज डालें, शुद्ध करें और आपको पिलायें तो ब्लीचिंग पाउडर भी हमारे शरीर में जा रहा है । प्रकृति के द्वारा दिया हुआ शुद्ध जल जो ऋषिकेश और गंगोत्री में है वह काशी में और बलिया में नहीं है । जमनोत्री का निकला हुआ जल वह आगरा और मथुरा में नहीं है । इसका कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है । मूल रूप से हमें इसे ही रोकना पड़ेगा तभी शुद्ध जल और शुद्ध वायु मिल सकेगी और गैस्ट्रो एन्ट्राइटिस रहित देश हमारा होगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत हकीकत बात स्वीकार की कि शुद्ध जल की उपलब्धता नहीं है । तो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग का यह भी काम है कि जनता को शुद्ध जल पिलवाने की व्यवस्था करे । तो क्या इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग की कोई योजना है कि कितने वर्षों में शुद्ध जल की व्यवस्था करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह इनसे ताल्लुक तो है नहीं ।

श्री रघुवर दयाल शर्मा—

मान्यवर, इनके संबंधित है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है ।

*10—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[दिनांक 25-2-88 को ता0 प्र0 सं0 5 द्वारा उत्तरित]

जनपद इलाहाबाद के करछना तहसील में ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गांवों की संख्या

*11—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के करछना तहसील में नौगवां ग्राम समूह पेय जल योजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी, वित्तीय स्वीकृति के अभाव में इसका कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से गांव सम्मिलित हैं तथा कब तक इसका कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नौगवां ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित 16 ग्रामों में पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रस्तावित की गई थी । परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण तथा सभी समस्या-ग्रस्त ग्रामों की द्रुतगति से लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा लिये गये निर्णय नुसार पेयजल की दृष्टि से सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पंप लगाकर लाभान्वित किया जा रहा है तथा पाइप द्वारा पेयजल व्यवस्था उन्हीं ग्रामों में की जा रही है जहां हैण्ड पम्प सफल नहीं है अथवा उनका जल रासायनिक दृष्टि से पीने योग्य नहीं है । अतः प्रश्नगत योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया ।

प्रश्नगत ग्राम समूह योजना में ग्राम गोठी तालुकालवायन, भामोखर, कौंधियारा, कंथा, एकौनी, सेन्दुरी तालुकालवायन, ठोठरी, नवैगवां, बेलसारा, बहरावां, बनौरी, गड़गोहना कलां, गड़गोहना खुर्द, गारी बजहिया, पंवर एवं कुकुठी सम्मिलित है । इन ग्रामों में से ग्राम सेन्दुही तालुकालवाइन तथा बारी बजहिया में वर्ष 1988-89 में हैण्ड पंप लगाये जाने प्रस्तावित है तथा अन्य सभी ग्रामों में हैण्ड पंप अधिष्ठापित कर दिये गये हैं ।

मथुरा जनपद में सादाबाद, तहसील के कतिपय गांवों में डच योजना के अन्तर्गत लगाये गये इण्डिया मार्क-2 नलों (हैण्ड पम्पों) का परीक्षण

*12—श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)—

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि ग्राम नगला सैजा (अकोस), सेलखड़ा, कजोलीघाट एवं मंडोरा, तहसील सादाबाद, जिला मथुरा में डच योजना के अन्तर्गत इण्डिया-2 नल (हैण्ड पम्प) लगाये गये हैं, जिनका कि अधिकतर पानी खारी है और पीने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या शासन जनहित में उक्त ग्राम सभाओं में अविलम्ब टंकी निर्मित कराने का कष्ट करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नगत ग्रामों में डच सब प्रोजेक्ट-3 के अन्तर्गत इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पंप लगाये है जिनके जल का रासायनिक परीक्षण कराया जा रहा है । प्रश्नगत क्षेत्रों में 63 हैण्ड पंप लगाये गये हैं, जिसमें से 54 हैण्ड पंपों के पानी का परीक्षण कराया गया है । इनमें से अधिकतर हैण्ड पंपों का पानी वैकल्पिक व्यवस्था न हो पाने की दिशा में स्वीकार किये जाने वाले मानकों व निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है ।

परीक्षण व पर्वेक्षण पूर्ण होने पर आवश्यकतानुसार टंकी बनाये जाने पर विचार किया जायेगा ।

अगले 2—3 वर्षों में ।

जनपद गाजीपुर में जीर्ण-शीर्ण घाटों की मरम्मत के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*13—श्री अमिताभ अनिल दुबे—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर में जीर्ण-शीर्ण घाटों की मरम्मत कराने के संबंध में प्रश्नगर्ता का पत्र उन्हें 12-6-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मान्यवर, जो उत्तर लिखकर आया था उससे मैं खुद संतुष्ट नहीं थी । इसलिए इसको वापस करके इसका फिर से उत्तर देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आपको उत्तर फिर से दे दिया जायेगा ।

श्री अमिताभ अनिल दुबे—

मान्यवर, एक प्रश्न कर लेने दें । यह 12-6-86 को मैंने पत्र दिया है लगभग पौने दो साल होने को आ गया और उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि आपको यह पत्र कब मिला था और आपने सूचना संबंधी आदेश कब किया था?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, जो सूचना मिली थी वह मुझे सही नहीं प्रतीत हुई इसलिए उसको दुबारा मंगाने के लिए भेजा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप शीघ्र ही सूचना एकत्र करके दें ।

देवरिया जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों की स्थापना

*14—श्री सूर्य प्रताप शाही (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के किन-किन विकास खण्डों में अब तक राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों की स्थापना नहीं हुई है ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा आवश्यकता को ध्यान में रखकर इन विकास खण्डों में प्राथमिकता के आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के निर्माण के लिये निर्देश देगी ? यदि हां, तो इन सभी विकास खण्डों में कब तक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना शासन द्वारा कर दी जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद देवरिया के पांच विकास खण्डों-कप्तानगंज, गौरी बाजार, बैतालपुर, पथरदेवा एवं सेवरही में अब तक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना नहीं हुई है । वर्तमान में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के निर्माण/स्थापना का विषय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अधिकार क्षेत्र में है । अतः प्रश्नगत मामले में उक्त जनपद का जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा ही उचित निर्णय लेना होगा ।

क्वीनमेरी अस्पताल एवं मेडिकल कालेज के बीच सड़क पर ओवर हेड ब्रिज बनाये जाने की मांग

*15—श्री नरेश चन्द्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि क्वीनमेरी अस्पताल, लखनऊ के मरीजों को आए दिन एक्सरे तथा अन्य जांच कराने हेतु सड़क पार कर मेडिकल कालेज के परिसर में जाना पड़ता है जिससे मरीजों को बड़ी भीड़ के साथ अन्दर घुम कर ले जाया जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी क्वीनमेरी अस्पताल एवं मेडिकल कालेज, लखनऊ के बीच की सड़क पर कोई ओवर हेड ब्रिज बनाने की व्यवस्था करा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

क्वीनमेरी अस्पताल एवं मेडिकल कालेज के बीच की सड़क पर ओवर हेड ब्रिज बनवाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ओवर हेड ब्रिज की सीढ़ियों के माध्यम से मरीजों को क्वीनमेरी अस्पताल से कालेज परिसर में लाने-ले जाने में होने वाली असुविधा को देखते हुए इसका निर्माण कराया जाना उपयोगी न होगा ।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी को यह जानकारी है कि क्वीनमेरी अस्पताल और मेडिकल कालेज के बीच में एक सब-वे रोड है, क्या वहां पर यदि ओवर ब्रिज नहीं बन सकता है तो क्या अन्डर-ग्राउन्ड वे बनाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

सहकारी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में मतदाताओं को सूचना

*16—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम के संबंध में मतदाताओं को व्यक्तिगत सूचना न दिये जाने तथा समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति न प्रकाशित कराने का क्या औचित्य है ? क्या झांसी जिले में गत समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में समाचार-पत्रों में कोई विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गयी या मतदाताओं को व्यक्तिगत सूचना दी गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह (सहकारिता मंत्री)—

सहकारी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं दी गई बल्कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 441 के उपनियम (2) के खण्ड (111) (ग) तथा (घ) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्वाचन अधिकारियों ने डुग्गी पिटवाकर, समिति मुख्यालय पर कार्यक्रम चस्पाकर एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से मतदाताओं को सूचना उपलब्ध कराई ।

कृषि प्रक्षेत्र में कार्यरत मासिक वेतन प्राप्त कर्मचारियों की संख्या एवं उनके विनियमितीकरण की मांग

*17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में सरकार के कृषि प्रक्षेत्रों में कार्यरत मासिक वेतन प्राप्त ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें कार्यरत रहते 10 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है परन्तु उनकी सेवायें अभी विनियमित नहीं है ? इनकी सेवायें कब तक विनियमित कर दी जायेंगी ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में बी0 एच0 डब्ल्यू0 प्रशिक्षण हेतु चयनित अनियमित चयन का निरस्तीकरण एवं जांच

*18—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में बी0 एच0 डब्ल्यू0 प्रशिक्षण सत्र जनवरी 88 हेतु 26 और 28 दिसम्बर, 87 को मुख्य चिकित्साधिकारी फैजाबाद द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का चयन करके प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र में योगदान प्रस्तुत करने के आदेश जारी करने के बाद निदेशक चिकित्सा स्वा0 एवं परिवार कल्याण द्वारा कथित अनियमितताओं के आधार पर यह चयन निरस्त किया गया है ? यदि हां, तो कथित अनियमितताओं के आधार पर चयन निरस्त करने से पूर्व अनियमितताओं की जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो किस अधिकारी से और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

जी हां । जांच निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 4-1-88 को की थी ।

प्रदेश में जिलों के प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एन्टी स्नेक वेनम ब्वायल की व्यवस्था

*19—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों पर एन्टी स्नेक बेनम ब्वायल की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो हर स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने ब्वायल की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । जिलों के प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार एन्टी स्नेक वेनम वायल्स उपलब्ध कराये जाते हैं ।

भूमि की मारकेट वैल्यू के आधार पर मानदण्ड का निर्धारण

*20—श्री राजित प्रसाद यादव—

विधान सभा 1987 के तृतीय सत्र के पहले गुरुवार के तारा0 प्रश्न संख्या-7 के संबंध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों में राजस्व मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसानों की भूमि की मारकेट वैल्यू देने के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित है ? क्या मंत्री जी किसी भूमि का मुआवजा उसके आस-पास की जमीनों के उस वर्ष के विक्रय मूल्य के आधार पर किसानों को दिलवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

भूमि अध्याप्ति अधिनियम के प्राविधानानुसार जब कभी किसानों की भूमि योजना हेतु अधिग्रहीत की जाती है तब उस भूमि से सम्बन्धित योजना की प्रथम विज्ञप्ति अधिनियम की धारा-4 (परिषद् अधिनियम की धारा-28) की तिथि से भूमि के आस-पास के 3 वर्ष पूर्व हुये सभी बैनामों को एकत्रकर उनके गुण व दोषों पर भली-भांति विचार करते हुए

जो बैनामा योजना की भूमि की उपयोगिता के समान समकक्ष होता है उसी बैनामें को ही मारकेट वैल्यू का मापदंड मानकर मुआवजा निर्धारित करने का प्राविधान है ।

जी नहीं । क्योंकि वर्तमान व्यवस्था संशोधित भूमि अध्याप्ति अधिनियम पर आधारित है और इसके विपरीत मुआवजे का निर्धारण विधिक रूप से सही नहीं होगा ।

अतारांकित प्रश्न

महिला चिकित्सालय महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मरीजों से फीस का लिया जाना

1—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि महिला चिकित्सालय, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ड्यूटी के समय मरीजों से 16 रुपया मरीज फीस ली जाती है तथा जिन महिलाओं को कापर-टी की सुविधा प्रदान की जाती है उन्हें राजकीय कोष से जो धन दिया जाता है वह न देकर उनके हस्ताक्षर ले लेते हैं ? क्या गर्भवती महिलाओं के चिकित्सा व अन्दरूनी सफाई की अलग से फीस लेती है व पी0 पी0 सेन्टर में लैब टेक्निशियन द्वारा 4 रुपया प्रति व्यक्ति से पेशाब आदि की जांच हेतु लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त बिन्दुओं पर खुली जांच करवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा मरीजों से ड्यूटी के समय ऐसी फीस नहीं ली जाती । कापर-टी लगवाने वाली महिलाओं को निर्धारित धनराशि का भुगतान किया जाता है ।

गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा व अन्दरूनी सफाई के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है ।

पेशाब व खून की जांच हेतु 4 रु0 की फीस नियमानुसार ली जाती है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

2—श्री शफीकुर्रहमान तर्क—

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

श्री अनिल कुमार चिकित्साधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मडराक, अलीगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

3—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि उन्हें प्रश्नकर्ता ने डाक्टर गजेन्द्र सिंह छोकर का एक शिकायती-पत्र अपने पत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 24-9-87 को डाक्टर अनिल कुमार, चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मडराक, जनपद अलीगढ़ के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के बारे में दिया था जिसमें आयुर्वेदिक निदेशक के विभाग के अलावा अन्य उच्च अधिकारी से जांच हेतु लिखा गया था ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? शिकायती-पत्र में कौनसी शिकायतें सही पाई

गयीं ? क्या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

शिकायतों की जांच हेतु जिलाधिकारी अलीगढ़ को लिखा गया है । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है । जांच के पश्चात् ही किसी कार्यवाही के बारे में निर्णय हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नही उठता ।

जल निगम, मथुरा द्वारा बकाये विद्युत् बिल के भुगतान की कार्यवाही

4—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा विद्युत् विभाग का मथुरा जल निगम पर अब तक कोई विद्युत् बिल पेयजल योजनाओं का भुगतान के लिए बकाया है ? यदि हां, तो कितना तथा जल निगम मथुरा द्वारा विद्युत् बिल भुगतान न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि विद्युत् बिल की भारी धनराशि जल निगम पर बकाया होने के कारण अधिकांश पेयजल योजनाएं विद्युत् खराबी के कारण बन्द पड़ी हैं ? यदि हां, तो जल निगम मथुरा द्वारा विद्युत् बिल का कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

ग्रामीण पेयजल योजनाओं के विद्युत् देयकों के भुगतान हेतु रु0 9,23,904.00 की धनराशि बकाया है । भुगतान न किये जाने के कारण कोई भी योजना बन्द नहीं है । 6 योजनाओं को विद्युत् पर्याप्त वोल्टेज पर न मिलने के कारण चलाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । विद्युत् आपूर्ति ठीक करने हेतु विद्युत् परिषद् से अनुरोध किया गया है । बकाया विद्युत् बिलों का सत्यापन, उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् के जिला स्तरीय अधिकारियों से कराया जाना है जिसके पश्चात् इनके भुगतान हेतु कार्यवाही की जायेगी ।

5—श्री पूरन सिंह माहरा—

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

6—श्री पूरन सिंह माहरा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

निदेशक परिवार कल्याण, उ0 प्र0 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के पश्चात् गृह जनपदों में कार्यरत प्रसार शिक्षकों की संख्या एवं स्थानान्तरण की मांग

7—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में वर्ष 1986-87 हेतु निदेशक परिवार कल्याण, उ0 प्र0 का कोई दिशा निर्देश दिनांक 23 अप्रैल, 1986 पत्रांक प0 क0/3/स्था0/जी-स्था0 नीति/1986/4526-12 द्वारा निर्गत हुआ था ? यदि हां तो

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जलालपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसखारी जिला-फैजाबाद में खण्ड प्रसार शिक्षक उप खण्ड-2 एवं उपखण्ड-3 के अन्तर्गत कितने ऐसे प्रसार शिक्षक हैं जो अपने गृह जनपद के गृह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कितने-कितने समय से कार्यरत हैं ? सरकार के उक्त आदेश एवं निर्देश का पालन न करने के लिये कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार संबंधित प्रसार शिक्षकों के स्थानान्तरण तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । जनपद फैजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर पर ही एक प्रसार शिक्षक ऐसे हैं जो माह अप्रैल, 1987 से अपने गृह जनपद के गृह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत हैं ।

यद्यपि उक्त आदेशों में खण्ड प्रसार शिक्षक एवं उच्च श्रेणी के कर्मचारियों को जनपद से बाहर तैनात किये जाने के निर्देश थे किन्तु कार्यहित में उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया है अतः किसी के दोषी ठहराये जाने का प्रश्न नहीं उठता । वर्ष 1988-89 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के दिशा निर्देश अभी जारी न किये जाने के कारण सम्प्रति प्रश्नगत कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

8—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दिनांक 25-2-88 को अता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

उ0 प्र0 भण्डारागार निगम द्वारा सम्भावित अर्जित लाभ

9—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 भण्डारागार निगम ने 1985-86 में कितना लाभ अर्जित किया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम में वर्ष 1985-86 में रु0 119.80 लाख का शुद्ध लाभ सम्भावित है जो सम्परीक्षण के अधीन है ।

10—श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

[दि0 25-6-87 को अता0 प्र0 सं0 10 द्वारा उत्तरित]

साधन सहकारी समिति बसडीला, जिला देवरिया से संबंधित पूर्व सचिवों द्वारा कथित गोलमाल की जांच की मांग

11—श्री विष्णु देव—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि साधन सहकारी समिति बसडीला पाण्डे जिला-देवरिया से संबंधित पूर्व सचिवों द्वारा किये गये गोल माल के कारण क्षेत्र के कई गांवों के संबंधित कृषकों का अंतिम बकाया स्पष्ट नहीं है, क्योंकि संबंधित अमीन (श्री रामानन्द यादव) को वसूली हेतु दिये गये रजिस्टर में सत्य-असत्य दो प्रकार की धनराशियां अंकित हैं और वसूली हेतु दिये गये विभिन्न नोटिसों की धनराशियों में तारतम्यता नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ? क्या मंत्री जी जिम्मेदार कर्मचारियों को दण्डित करके कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बावन के प्रभारी बीज भण्डार के मकान से बरामद अनुदान संबंधी डी0 ए0 पी0 की जांच

12—श्री विष्णु देव—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि विकास खण्ड बावन जिला हरदोई के अन्तर्गत ग्राम-मुहाजिदपुर के श्री लल्ला सिंह के शिकायती-पत्र दिनांक 8-2-86 के आधार पर लगभग 7 टन अनुदान की डी0 ए0 पी0 खाद (जो मिश्रित भी है) प्रभारी बीज भण्डार बावन जिला-हरदोई के निजी किराये के अधीन बैटगंज, मकान से बरामद करके सील कर दिया है, जिसके कारण संबंधित कर्मचारी को निलम्बित/गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो क्या ली गई विभागीय गवाहियों के आधार पर कार्यवाही करने एवं सील किये गये डी0 ए0 पी0 खाद की शुद्धता की जांच कराकर मंत्री जी सम्पूर्ण मामले में दोषी कर्मचारी को दण्डित करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

श्री रघुनाथ पुत्र श्री घुरई, ग्रा0 मठिया नरईपुर सहकारी समिति पिपरासी, जिला देवरिया को दिये गये फर्जी ऋण पर कथित नोटिस

13—श्री विष्णु देव—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि श्री रघुनाथ पुत्र घुरई साकिन-मठिया नरईपुर, सहकारी समिति पिपरासी, ब्लाक-पड़रौना, जिला-देवरिया के फर्जी अंगूठा और फटो पर दिखाये गये ऋण की शिकायतोपरान्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मु0 2420 रु0 ऋण जमा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पुनः सहायक विकास अधिकारी सहकारिता ब्लाक-पडरौना द्वारा दिनांक 19-11-85 को मु0 2771 रु0 84 पैसा की नोटिस कथित व्यक्ति के नाम जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इस घपले की पूर्ण जानकारी सदन को देंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं ।

नोटिस जारी नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि अधिकारी, जिला हरदोई द्वारा प्रभारी बीज भण्डार बावन जिला हरदोई को दिया गया आरोप-पत्र

14—श्री विष्णु देव—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि प्रभारी बीज भण्डार बावन जिला-हरदोई द्वारा खाद-बीज अनुदान को बिल दिनांक 28-6-86 तक जमा न करने के बावजूद जिला कृषि अधिकारी, हरदोई ने प्रभारी बीज भण्डार बावन को बचाने हेतु कोई आरोप-पत्र नहीं

लिखा है ? यदि हां, तो जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

आरोप-पत्र दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेट वेयर हाउस देवरिया के कार्यवाहक मैनेजर के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

15—श्री विष्णु देव—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें संस्थापक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा के पत्र दिनांक 6-8-87 के साथ किसी अन्य का शिकायती-पत्र दिनांक 21-9-87 जो स्टेट वेयर हाउस, देवरिया के तत्कालीन कार्यवाहक मैनेजर के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या लाखों के गोल-माल, जाल-साजी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करा ली गयी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सदन के पटल पर कृत कार्यवाही को रखेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा के संस्थापक का पत्र दिनांक 6-8-87 प्राप्त हुआ है जिसके साथ किसी अन्य का कथित शिकायती-पत्र दिनांक 21-9-87 प्राप्त नहीं हुआ है ।

निगम के अधिकारियों की गठित जांच कमेटी द्वारा की जा रही है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित शापिंग कम्पलेक्स के निर्माण में विलम्ब पर कार्यवाही

16—श्री नरेश चन्द—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर में कामर्शियल एवं शापिंग काम्पलेक्स कहां-कहां बनाये जा रहे हैं और उनमें से कितने निर्धारित समय के अन्दर नहीं तैयार किये गये एवं समय के अन्दर न तैयार होने की जिम्मेदारी किस पर है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न स्थलों पर शापिंग काम्पलेक्स बनाये जा रहे हैं—चन्दा खेड़ा (तुलसी पैलेस) चौक, कपूरथला, गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड कानपुर रोड योजना के सेक्टर "डी" अलीगंज योजना के सेक्टर "जी" एवं "एच" । कैलाश कुंज (फैजाबाद रोड) उपरोक्त में से केवल चौक काम्पलेक्स समय से तैयार नहीं किया जा सका । जिम्मेदारी ठेकेदार पर है । उसका अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया है और 67,000 रु0 जुर्माना वसूल किया गया है ।

बलिया जनपद के कतिपय नगरों के सड़क के निर्माण हेतु शासन से धन की मांग एवं स्वीकृति

17—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के नगर बलिया, नगर रसड़ा, नगर बिल्थरा रोड, नगर सिकन्दरपुर में आवासीय सीवधा, मार्ग सुविधा,

सीवर सुविधा, नाली सुविधा, जल-कल सुविधा के लिए नगर प्रशासनों द्वारा 1985-86, 1986-87 में कितने-कितने धन की मांग की गयी है तथा किन-किन मदों पर कितना-कितना धन शासन ने दिया है तथा कितना-कितना खर्च कर दिया गया है ? क्या सरकार ने नगर विकास हेतु मांग के अनुसार धन दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

बलिया जनपद के नगर बलिया, रसड़ा, बिल्थरा रोड, सिकन्दरपुर में वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में सड़क निर्माण हेतु नगर प्रशासकों द्वारा मांगी गई तथा शासन द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न है । शेष मदों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 206 पर)

जनपद बस्ती के टाउन एरिया बांसी में सम्पन्न माघ मेले में नियमानुकूल मनोरंजन व्यवस्था

18—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया बांसी, जिला बस्ती के तत्वाधान में वर्ष 1986-87 के "माघ मेला" के अन्तर्गत कितने सरकस, टूरिंग सिनेमा और नौटंकियां आईं ? क्या बक्शी, टाउन एरिया बांसी बस्ती को पास इशू करने का अधिकार प्रदान किया गया है ? अगर हां, तो कितने पास प्रतिदिन इशू करने का अधिकार है ? अगर बक्शी को इस तरह का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, तो क्या सरकार उक्त बक्शी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जनपद बस्ती की टाउन एरिया कमेटी, बांसी में वर्ष 1986-87 में सम्पन्न हुए माघ मेले में एक सर्कस, तीन टूरिंग सिनेमा तथा एक नौटंकी लगी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया कमेटी, बांसी के सचिव को पास ईशू करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया था और न उसके द्वारा पास ईशू किये गये अतः उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसी जनपद बस्ती के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

19—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकटी जनपद बस्ती में वर्ष 1986 में किन-किन कर्मचारियों को बोनस आहरित करके नहीं दिया गया ? क्या बोनस भुगतान किये गये कर्मचारियों को भुगतान की तिथि को नसबन्दी उपलब्धि 50 प्रतिशत प्राप्त करने के उपरान्त ही शासन के निर्देशानुसार भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों को ? यदि नहीं, तो भुगतान का क्या औचित्य था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमती जोरबना देवी महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका को वर्ष 1986 में बोनस नहीं दिया गया । इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही चल रही थी ।

जी नहीं । संतोषजनक कार्य के सम्पादन पर बोनस भुगतान किया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसी, जनपद बस्ती द्वारा किये गये पुरुष नसबन्दी के उम्मीदवारों की संख्या एवं वितरित सामग्री की जानकारी की मांग

20—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 उमेश यादव चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकटी जनपद बस्ती ने वर्ष 1986-87 में कितने पुरुष नसबन्दी केसेज सम्पादित किये ? उन सभी सम्पादित नसबन्दी केसेज के नाम पते आदि संबंधित विवरण क्या है तथा उनके प्रेरक कौन-कौन हैं और किन-किन को उन्होंने कम्बल वितरित किया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां जिला बस्ती के कर्मचारियों के रोके गये वेतन का भुगतान

21—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियांवा जनपद बस्ती ने वर्ष 1985-86 में किन-किन कर्मचारियों का किन-किन माहों का किन कारणों से वेतन रोका गया था ? रोके गये वेतन का भुगतान किन-किन कर्मचारियों को कर दिया गया है तथा शेष कर्मचारियों को कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जिन कर्मचारियों का वेतन रोका गया था उनके नाम और अवधि की सूची संलग्न है ।

वेतन भुगतान के आदेश कर दिए गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 208 पर)

जनपद गोण्डा (गिर्द गोण्डा) स्थित छोटे किसानों की आवास विकास कालोनी हेतु अधिगृहीत की गई भूमि के मुआवजे का भुगतान

22—श्री राम सागर—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गोण्डा (गिर्द गोण्डा) स्थित छोटे किसानों की भूमि 1983 में अध्याप्ति अधिकारी द्वारा आवास विकास कालोनी बनाने हेतु ली गयी थी ? यदि हां, तो उस भूमि का मुआवजा उन किसानों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

जनपद गोण्डा (गिर्द) के कुल 179 किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है । जिसमें से 167 किसानों को अन्तिम रूप से मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है ।

शेष 12 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों के मामले में स्वामित्व विवाद होने के कारण तथा 4 किसानों के निश्चित तिथि पर उपस्थित न होने के कारण उन्हें मुआवजे का भुगतान नहीं हो सका । इन चारों किसानों के मुआवजे से सम्बन्धित पत्रावली राजस्व परिषद् द्वारा मंगा ली गयी थी । जो दिनांक 11-2-88 को वापस प्राप्त हो गई है । अब उक्त चारों किसानों को मुआवजा भुगतान किये जाने हेतु दिनांक 25-3-88 निर्धारित की गयी है ।

जनपद लखनऊ के गन्ने वाली गली (अमीनाबाद) में सीवर लाइन डालने की मांग

23—श्री काशी सिंह एरी—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह नवम्बर, दिसम्बर, 1985 में गन्ने वाली गली (गढ़ैया) अमीनाबाद लखनऊ के निवासियों की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र वहां सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या सरकार उक्त गन्ने वाली गली (गढ़ैया) अमीनाबाद में सीवर लाइन डलने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

प्रश्नगत क्षेत्र की जांच कराई गयी ।

आर्थिक कठिनाइयों के कारण प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर लाइन डालना सम्भव नहीं है ।

जिला लखनऊ में कंधारी बाजार लोध पुरवा एवं पठानों की बारादरी में सीवर लाइन डालने में प्रगति

24—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कंधारी बाजार लोध पुरवा एवं पठानों की बारादरी लखनऊ में सीवर लाइन डालने हेतु वर्ष 1986 में मार्च माह के लखनऊ से निकलने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत में सीवर डालने हेतु निविदा आमंत्रित करने के लिये विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ? यदि हां, तो प्रश्नगत मोहल्ले में सीवर लाइन डालने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त मोहल्ला में सीवर लाइन डालने की योजना इस वर्ष प्रारम्भ कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

इस आशा में कि जल संस्थान अपने संसाधनों से यह कार्य करा सकेगा, जल संस्थान द्वारा निविदा आमंत्रित कर ली गयी थी ।

जी नहीं ।

आर्थिक कठिनाईयों के कारण जल संस्थान के लिये फिलहाल प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर लाइन डालना सम्भव नहीं है ।

जनपद मैनपुरी के कतिपय विकास खण्डों में नल का लगाया जाना

25—श्री बाबू राम यादव—

क्या शासन के संज्ञान में है कि मैनपुरी जनपद के विकास खण्ड करहल, बरनाहल, मदनपुर में पीने के पानी के कुंए सूख गये हैं ? तो इन क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए कितने नल लगवाए गए और अभी तक कितने ग्राम और मजरे (नगले) अवशेष हैं जहां अभी तक एक भी नल नहीं लगा है? अवशेष ग्रामों व मजरों में सरकार कब तक पानी की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नगत विकास खण्डों में कुछ स्थानों पर पीने के पानी के कुए सूख जाने की सूचना मिल रही है ।

इन विकास खण्डों के कुल 314 ग्रामों में से 273 ग्रामों में 654 हैण्ड पंप लगाये गये और 41 ग्रामों तथा 517 मजरों में हैण्ड पम्प लगाया जाना शेष है ।

अवशेष ग्रामों/मजरों में धन की उपलब्धता के अनुसार यथाशीघ्र पेयजल सुलभ कराया जायगा ।

26—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

[4 थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 124 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरपालिका गाजीपुर में हेल्थ मैनुअल के अनुसार कर्मचारियों की संख्या

27—श्री अमिताभ अनिल दुबे—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका गाजीपुर में कितने सफाई कर्मचारी हैं ? हेल्थ मैनुअल के अनुसार कितने कर्मचारी होने चाहिए ? क्या हेल्थ-मैनुअल के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

एक सौ बहत्तर सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ।

तीन सौ पचास सफाई कर्मचारी होने चाहिए ।

नगरपालिका की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने के कारण सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है ।

कम आबादी वाले नगर पालिकाओं के विकास योजना के अन्तर्गत नगरपालिका गाजीपुर को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण तथा कार्यों का विवरण

28—श्री अमिताभ अनिल दुबे—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक लाख से कम आबादी वाले नगरपालिकाओं के विकास की योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में गाजीपुर नगरपालिका को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के स्रोतों से कितना धन प्राप्त हुआ है ? उक्त धन से विकास के कौन-कौन से कार्य पूरे किए जा चुके हैं कौन-कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं तथा कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं और कितना धन इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होना है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

आई0 डी0 एस0 एम0 टी0 योजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः रु0 17.60 एवं रु0 17.60 लाख का ऋण नगरपालिका गाजीपुर को उपलब्ध कराया गया है ।

उक्त धन से निम्नलिखित 6 स्वीकृत परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं :—

(1) कपूर पुर आवासीय परियोजना ।
(2) प्रकाश टाकीज से बलिया मार्ग परियोजना ।
(3) उर्दू बाजार से नबाबगंज मार्ग परियोजना ।
(4) शास्त्रीनगर चौराहा परियोजना ।
(5) इरिगेशन चौराहा परियोजना ।
(6) टैक्सी स्टैण्ड चौराहा परियोजना ।

वर्तमान समय में निम्नलिखित 8 परियोजनाओं पर कार्यान्वियन प्रगति पर हैं :—

(1) रजदेपुर आवासीय परियोजना ।
(2) पीरनगर आवासीय परियोजना ।
(3) मालगोदाम वाणिज्यिक परियोजना ।
(4) डिग्री कालेज से आर0टी0ओ0 चौराहे तक मार्ग परियोजना ।
(5) गोराबाजार वाणिज्यिक परियोजना ।
(6) कचहरी कम्पाउन्ड वाणिज्यिक परियोजना ।
(7) इरिगेशन क्रासिंग से शास्त्रीनगर तक मार्ग परियोजना ।
(8) माल गोदाम मार्ग परियोजना ।

स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में निम्नलिखित 9 परियोजनाओं का कार्यान्वियन किया जाना है :—

(1) छावनी लाइन आवासीय परियोजना ।
(2) टैक्सी स्टैण्ड वाणिज्यिक परियोजना ।
(3) महुआबाल वाणिज्यिक परियोजना ।
(4) गजरेपुर वाणिज्यिक परियोजना ।
(5) स्टेशन रोड वाणिज्यिक परियोजना ।
(6) नुरुद्दीनपुर वाणिज्यिक परियोजना ।
(7) टाउन हाल वाणिज्यिक परियोजना ।
(8) छावनी लाइन वाणिज्यिक परियोजना ।
(9) पशुबधशाला विविध परियोजना।

इस योजना के अन्तर्गत रु0 83.90 लाख में से रु0 48.70 लाख का ऋण केन्द्र एवं राज्य सरकार से समान मात्रा में प्राप्त होना अवशेष है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकटी जिला बस्ती के कर्मचारियों के रोके गए वेतन का भुगतान

आदेश

29—श्री अफसर यू0 अहमद—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले गुरुवार के निर्धारित श्री द्वारिका प्रसाद विधायक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री

बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यालय पर निवास न करने के आधार पर कर्मचारियों के वेतन रोकने का किसी प्रकार के नियम में प्राविधान है ? यदि हां, तो प्रा0 स्वा0 केन्द्र बनकटी जनपद बस्ती के जिन कर्मचारियों के वेतन रोके गये हैं उन्हें शासनादेश संख्या 7-9-1980 कार्मिक-1, दिनांक 7 जून, 1980 के पैरा 3 के नियम खण्ड 2, भाग 2 से 4 के संशोधित मूल नियम 54 के अन्तर्गत संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देकर कर्मचारियों को उचित अवसर प्रदान किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

संबंधित कर्मचारियों को रोके गये वेतन का तत्काल भुगतान करने के आदेश दे दिए गये हैं ।

श्रीमती जोखना देवी हरिजन महिला कर्मचारी के रोके गए वेतन भुगतान की कार्यवाही

30—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले गुरुवार में निर्धारित श्री द्वारिका प्रसाद, विधायक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के संबंध में क्या यह सत्य है कि श्रीमती जोखना देवी हरिजन महिला कर्मचारी को वर्ष 1986-87 में रोके गये वेतन का भुगतान नहीं किया है जबकि अन्य कर्मचारियों जिनका वेतन रोका गया था, को वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इस मामले में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बनकटी, बस्ती के चिकित्सालय स्वीकृति की जानकारी की मांग

31—श्री अफसर यू0 अहमद—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पांचवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्साधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बनकटी, जनपद बस्ती को 25-6-86 को प्राप्त मेडिकल प्रमाण-पत्रों को लम्बे समय तक रोक कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती के पास प्रतिहस्ताक्षरण हेतु दिनांक 9-4-87 को क्यों भेजा गया ? प्रतिहस्ताक्षरित मेडिकल अवकाश प्रार्थना-पत्र को सम्बन्धित अधिकारी जैसे उप मुख्य चिकित्साधिकारी प्रथम बस्ती एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती को स्वीकृति हेतु कब अग्रसारित किया गया तथा अवकाश कब स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रशासक, नगर महापालिका, कानपुर द्वारा श्रीमती रामप्यारी (हरिजन) बेवा को दुकान हेतु भूमि का आबंटन

32—श्री राम सजीवन—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती राम प्यारी (हरिजन) बेवा काशीराम, निवासी 86/133 रायपुरवा, कानपुर ने 4-11-86 को प्रशासक, नगर महापालिका

कानपुर को तथा 2-9-85 को अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर को प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया था कि कानपुर परेड पर स्थित नवीन मार्केट में फ्लैट नं0 73 में शौचालय के पास उसकी 15-16 वर्षों पुरानी दुकान को उसके नाम एलाट कर दिया जाय ? यदि हां, तो अभी तक उस गरीब बेवा हरिजन महिला को दुकान एलाट न करने के क्या कारण हैं ? उक्त विधवा के नाम वह दुकान कब तक एलाट कर दी जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

श्रीमती राम प्यारी (हरिजन) बेवा काशीराम, 86/133 रायपुरवा, कानपुर द्वारा 4-11-86 को प्रशासक नगर महापालिका, कानपुर को दिए गये प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि कानपुर परेड पर नवीन मार्केट में फ्लैट नं0-73 के नीचे दुकान नं0 227 के बगल में शौचालय के पास का स्थान उन्हें एलाट कर दिया जाये । श्रीमती राम प्यारी की प्रार्थना पर उसको नवीन मार्केट में ही सड़क के किनारे फुटपाथ पर 4 फुट × 4 फुट जगह तहबाजारी पर आवंटित कर दी गयी है जिसके लिए 31-3-88 तक का तहबाजारी शुल्क भी जमा किया जा चुका है ।

अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी को आयुर्वेद स्नातक औषधि एवं शल्य चिकित्सा की डिग्री देने की मांग

33—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में कमच्छा स्थित अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, आयुर्वेद स्नातक औषधि एवं शल्य चिकित्सा की डिग्री देने के लिए मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो किस समय से ? क्या इस विद्यालय से 1984-85 में आयुर्वेद स्नातक औषधि एवं शल्य चिकित्सा की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की मार्कशीट उन्हें दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

34—श्री कुशलपाल सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

उ0 प्र0 में प्रबन्ध निदेशक व बीज प्रमाणीकरण संस्था के निदेशक के रिक्त पदों पर चयन के विकल्प

35—श्री रमाकान्त—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई बीज विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक व उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था के निदेशक पदों को कृषि विभाग के अतिरिक्त कृषि निदेशकों की तैनाती करके निर्धारित नियमों के तहत कब तक भरा जायेगा और अभी तक न भरे जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्रबन्ध निदेशक, तराई बीज विकास निगम एवं निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था के पदों को भरने के लिए विभिन्न विकल्प हैं जो शासन के विचाराधीन हैं ।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अधिकारियों को उप निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक के पद पर नियमानुसार प्रोन्नति

36—श्री रमाकान्त—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में वे कौन-कौन कृषि विभाग के अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के साथ जांच चल रही थी, विपरीत चरित्र पंजिका प्रविष्टियां थीं, सत्य निष्ठा संदिग्ध अप्रमाणित व सेंसर प्रविष्टियां थीं और उक्त के उपरान्त भी इन्हें 1986 में ही उप निदेशक अथवा संयुक्त कृषि निदेशक संवर्ग में पदोन्नति कर दी गयी थी ? यदि हां, तो शासन नीति/आदेश के विपरीत इस प्रकार की पदोन्नति करने का क्या कारण था ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विवरण संलग्न है ।

चयन समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा उक्त अधिकारियों की प्रोन्नति की गई ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 209 पर)

सीतापुर जनपद में मण्डलीय सहायक कृषि अभियन्ता के बिना सत्यापन के निर्माण कार्यों के भुगतान की जांच

37—श्री रमाकान्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1985-86 में सीतापुर जनपद में मण्डलीय सहायक कृषि अभियन्ता के सत्यापन के बिना घटिया निर्माण कार्यों का भुगतान कर दिया गया था और कुछ सीमेन्ट जलालपुर फार्म पर बचाकर बाजार में बेचा गया था ? यदि हां, तो कौन अधिकारी उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्ष 1985-86 में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र जलालपुर, जनपद सीतापुर के नाली निर्माण का भुगतान यांत्रिक सहायक एवं वरिष्ठ यांत्रिकी सहायक द्वारा पूर्ण होने की रिपोर्ट देने के उपरान्त परन्तु सहायक कृषि अभियन्ता (प्रसार) के सत्यापन के बिना, तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, श्री शशि भूषण त्रिपाठी, द्वारा किया गया । सहायक कृषि अभियन्ता, के सत्यापन के बिना भुगतान किये जाने के मामले की जांच की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार की जा रही जांच में जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

38—श्री मूल चन्द—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषदों को स्कूल चलाने हेतु सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराने सम्बन्धी शासनादेश

39—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों के माध्यम से स्कूल चलाने के लिए सस्ती दर से भूमि उपलब्ध कराने की

कोई घोषणा गत वर्ष उन्होंने की थी ? यदि हां, तो वह घोषणा क्या थी ? क्या मंत्री जी इस घोषणा को मूलरूप से सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 211 पर)

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित आवासों एवं भूखण्डों के आवंटन हेतु बनायी गयी श्रेणियों की मूल्यांकन सीमा तथा विक्रय दरें

40—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या आवास विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित आवासों और भूखण्डों के आवंटन के लिए कितनी श्रेणियां बनी हैं और उसकी मूल्यांकन-सीमा 1986 के पूर्व क्या थी और उस पर किन दरों से ब्याज लिया जा रहा था ? क्या परिषद् ने, महंगाई के कारण निर्मित भवनों के लागत मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए उक्त सीमा में परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर कितना ब्याज लिया जा रहा है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्मित आवासों के आवंटन के लिए पांच श्रेणियां और भूखण्डों के आवंटन के लिए दो श्रेणियां बनाई गई हैं, जिनकी वर्ष 1986 के पूर्व मूल्यांकन सीमा और उस पर लिए जाने वाले ब्याज की दरें निम्न प्रकार थीं :—

	प्रतिशत
1—रु0 12,000 तक कुल विक्रय मूल्य की सम्पत्ति पर	8·5
2—रु0 12001 से रु0 20,000 तक कुल विक्रय मूल्य की सम्पत्ति पर	9·5
3—रु0 20,001 से रु0 30,000 तक कुल विक्रय मूल्य की संपत्ति पर	12·5
4—रु0 30,001 से रु0 50,000 तक कुल विक्रय मूल्य की सम्पत्ति पर	13·5
5—रु0 50,000 से अधिक की कुल विक्रय मूल्य की संपत्ति पर	14·5

जी हां ।

भवनों की कीमतों को नियंत्रित करने एवं कमजोर वर्ग को सुविधा देने के उद्देश्य से परिवर्तित दरें एवं सीमा निम्नवत् हैं :—

मूल्यांकन निर्देशिका

प्रस्तर 5, 3—4—अ—रु0 12,000 निर्माण लागत की सम्पत्ति पर	8
ब—रु0 12,001 से 20,000 निर्माण लागत की संपत्ति पर	8·5

स—रु0 20,001 से 30,000 तक निर्माण लागत की संपत्ति पर 11

द—रु0 30,001 से 50,000 तक निर्माण लागत की सम्पत्ति पर 12·5

य—रु0 50,000 से ऊपर के निर्माण लागत की संपत्ति पर 14

र—स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली संपत्ति पर शून्य

41—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

[माननीय सदस्यों द्वारा वापस लिया गया]

श्री आर0 के0 वर्मा प्रभारी बीज भण्डार बावन, हरदोई की कथित अनियमित नियुक्ति की जांच की मांग

42—श्री विष्णु देव—

क्या कृषि मंत्री को यह ज्ञात है कि प्रभारी, बीज भण्डार, बावन (श्री आर0 के0 वर्मा), जिला हरदोई को बीज भण्डार पर नियुक्त न करने के आदेश/निर्देश के बावजूद भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी, हरदोई (श्री गोपाल शरण सिंह) ने बीज भण्डार बावन का चार्ज श्री वर्मा को दिलाकर खाद-बीज वितरण में गबन एवं धोखाधड़ी का अवसर प्रदान किया ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई दण्डनीय कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गोपाल शरण सिंह तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी हरदोई द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद किए गये कथित भुगतान की जांच की मांग

43—श्री विष्णु देव—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई (श्री गोपाल शरण सिंह) ने अपने पत्रांक 6049, दिनांक 12-3-86 द्वारा प्रभारी, बीज भंडार, बावन, जिला हरदोई को यंत्रों की भारी धनराशि की कमी का पत्र लिखने एवं कैशियर को कटौती के निर्देश के बावजूद उन्हें 3550 रुपये का भुगतान 31-3-86 को प्रभारी बीज भंडार कोड़ा के माध्यम से करा दिया गया ? यदि हां, तो इस अनियमितता के संबंध में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सचिव, साधन सहकारी समिति मिझोड़ा, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

44—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 20-10-87 का शिकायती पत्र संलग्नकों सहित शासन को मिल गया है ?

यदि हां, तो उनमें से कितनी शिकायतों की जांच जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, फैजाबाद को कार्यवाही हेतु सौंपी गयी है और उन पर जनवरी, 88 तक कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

सहकारिता विभाग से सम्बन्धित शिकायती पत्र जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, फैजाबाद को जांच हेतु भेजा गया । जांच में साधन सहकारी समिति मिझौड़ा के सचिव दोषी पाये गये । उनके विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज करा दी गयी है । सम्बन्धित सचिव पूर्व से ही गबन एवं अन्य आरोपों में निलम्बित चल रहा है ।

जल निगम से सम्बन्धित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

45—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 20-10-87 का शिकायती पत्र संलग्नकों सहित शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उनमें से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही का दायित्व अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को सौंपा गया है और उन पर जनवरी, 88 तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां,

केवल एक ही शिकायत जल निगम से सम्बन्धित थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में ग्राम टिकरी में एक इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाने का दायित्व सौंपा गया था । उक्त ग्राम में इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प का अधिष्ठापन कर दिया गया है ।

यान्त्रिक मण्डल व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर के कार्यालय का स्थानान्तरण

46—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब शासन की नीति पूर्वान्चल के जिलों की विकास की रही है तो किन कारणों से उ0 प्र0 जल निगम द्वारा गोरखपुर में पूर्व में कार्यरत यांत्रिक मण्डल व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के कार्यालय को क्रमशः तोड़ दिया गया है व बनारस स्थानान्तरित कर दिया गया है ? उक्त कार्यालयों को पुनः गोरखपुर में स्थानान्तरित/स्थापित करने हेतु क्या आदेश दिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

वाराणसी में चल रहे गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यों की प्राथमिकता को देखते हुए मुख्य अभियंता, गोरखपुर का कार्यालय वाराणसी स्थानान्तरित किया गया था । साथ ही गोरखपुर क्षेत्र के कार्यों की महत्ता को देखते हुए उनका एक कैम्प कार्यालय गोरखपुर में भी बनाए रखा गया है । जहां तक गोरखपुर के यांत्रिक मण्डल के तोड़ने का प्रश्न है वर्तमान में गोरखपुर में विद्युत एवं यांत्रिक के कार्यों को देखते हुये, इस मण्डल को आस्थगित रखा गया है न कि तोड़ा गया है । फैजाबाद तृतीय निर्माण शाखा के मुख्यालय को पुनः गोरखपुर में स्थानान्तरित करने हेतु अभी कोई आदेश नहीं दिये गये हैं क्योंकि मुख्यालयों के परिवर्तन से गोरखपुर के विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है ।

जनपद देवरिया में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी प्रेरकों एवं पुरस्कृत पात्र व्यक्तियों की संख्या

47—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में वर्ष 1986-87 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत (नसबन्दी) प्रेरकों को सरकार द्वारा इस योजना में स्वीकृत धनराशि में कितने व्यक्तियों को इनाम वितरित किया गया ? क्या यह सत्य है कि कुछ प्रेरकों को इनाम दिये जाने से वंचित रखा गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सम्पूर्ण मामले की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद देवरिया में वर्ष 1986-87 में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 978 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया था ।

पुरस्कार हेतु कोई पात्र व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं रहा ।

स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद के न्यूरो सर्जरी व प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अलग-अलग किए गए आपरेशनों की संख्या व वसूल किया गया शुल्क

48—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद के न्यूरो सर्जरी व प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा वर्ष 86-87 तथा दिसम्बर, 87 तक अलग-अलग कितने आपरेशन किये गये तथा कितना शुल्क कितने आपरेशन से वसूल किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद में न्यूरो सर्जरी व प्लास्टिक सर्जरी विभाग नहीं है वरन सर्जरी विभाग के अन्तर्गत न्यूरो सर्जरी व प्लास्टिक सर्जरी यूनिटें हैं । इन यूनिटों में वर्ष 1986-87 में क्रमशः 726 व 187 आपरेशन किये गये जिनमें से क्रमशः 3 व 7 सशुल्क आपरेशनों से क्रमशः 1236 रु0 व 2884 रु0 शुल्क वसूल किया गया ।

वर्ष 1987 में अप्रैल से दिसम्बर माह तक न्यूरो सर्जरी व प्लास्टिक सर्जरी यूनिटों में क्रमशः 391 व 160 आपरेशन किये गये, इनमें से क्रमशः 1 व 3 सशुल्क आपरेशनों द्वारा क्रमशः कुल 475 रु0 व 1425 रु0 शुल्क वसूल किया गया ।

इलाहाबाद नगर के कतिपय चिकित्सालयों द्वारा किया गया आपरेशन व लिया गया शुल्क

49—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर के स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय व तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय के सर्जरी व अस्थि विभाग द्वारा वर्ष 86-87 तथा दिसम्बर, 87 तक अलग-अलग कितने आपरेशन किये गये ? उनमें से कितने आपरेशन शुल्क लेकर किया गया और कुल कितना शुल्क वसूल किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय इलाहाबाद में वर्ष 1986-87 में सर्जरी तथा अस्थि विभागों में क्रमशः 1683 तथा 1231 आपरेशन किए गये । इनमें से क्रमशः

240 तथा 20 सशुल्क आपरेशनों से 99,000 रु0 तथा 8,250 रु0 शुल्क वसूल किया गया । वर्ष 1987 में माह अप्रैल से दिसम्बर तक सर्जरी तथा अस्थि विभागों द्वारा क्रमशः 1476 व 1255 आपरेशन किये गये, जिसमें से 110 व 18 सशुल्क आपरेशनों द्वारा क्रमशः 52,250 रु0 व 8,550 रु0 शुल्क वसूल किया गया ।

तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय इलाहाबाद में वर्ष 1986-87 में सर्जरी तथा अस्थि विभागों में क्रमशः 1347 तथा 126 आपरेशन किये गये । इनमें से क्रमशः 7 तथा 3 सशुल्क आपरेशनों से क्रमशः 885 रु0 तथा 665 रु0 वसूल किया गया । वर्ष 1987 में माह अप्रैल से दिसम्बर तक सर्जरी तथा अस्थि विभागों में क्रमशः 941 तथा 91 आपरेशन किये गये । इनमें से क्रमशः 10 तथा 5 सशुल्क आपरेशनों से 2300 रु0 तथा 1200 रु0 वसूल किया गया ।

बलिया जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार की गयी नसबन्दियों की संख्या

50—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार कितनी-कितनी नसबन्दी कराई गई है ? क्या उक्त अवधि के दौरान अविवाहित, विधुर तथा विधवाओं की नसबन्दी किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अपात्र व्यक्तियों की नसबन्दी किये जाने के मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

बलिया जनपद में वर्ष 1985-86 में कुल 6571 तथा वर्ष 1986-87 में कुल 12825 नसबन्दियां की गई ।

सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 213 पर)

निदेशक उद्यान (पर्वतीय क्षेत्र) के विरुद्ध कथित अनियमितता का आरोप

51—श्री शारदा प्रताप—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में निदेशक उद्यान (पर्वतीय क्षेत्र) ने रेट कन्ट्रेक्ट द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर कुछ विशेष दुकानों से ही कीटनाशक दवाओं का क्रय करके लाखों रुपये का सरकारी धन का नुकसान पहुंचाया है ? क्या इस प्रकरण पर कृषि मंत्री तथा मुख्य मंत्री को कोई शिकायती-पत्र भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करा करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कीटनाशक अमोनिया फास्फाइड के विक्रय हेतु अनधिकृत पार्टियों को जारी लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही

52—श्री शारदा प्रताप—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्यूमोनियम फास्फाइड एक प्रतिबन्धित कीटनाशक होने के बावजूद भी उसके विक्रय के लाइसेंन्स अनधिकृत पार्टियों को जारी किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि कृषि रक्षा अधिकारी, लखनऊ ने मेसर्स यू0 पी0 एग्रीकल्चरल इनपुट्स कारपोरेशन के नाम इसी तरह का अनधिकृत लाइसेन्स निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

अल्यूमोनियम फास्फाइड के प्रतिबंधित कीटनाशक होने के बारे में कीटनाशी परिषद् भारत सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है ।

कृषि रक्षा अधिकारी, लखनऊ ने उक्त फर्म के नाम संबंधित कीटनाशी रसायन के विक्रय का लाइसेन्स जारी किया है ।

संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

जिला सहकारी बैंक बस्ती के कतिपय कर्मचारियों की नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां

53—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 25-7-1972 के पश्चात जिला सहकारी बैंकों में पदोन्नति एवं नियुक्ति का अधिकार सहकारी संस्थागत सेवा मंडल को है ? यदि हां, तो क्या जिला सहकारी बैंक, बस्ती में पांच कर्मचारियों के पदोन्नति के संबंध में बैंक की तत्कालीन प्रबन्ध समिति ने 29-3-1974 को श्रम न्यायालय, गोरखपुर में कोई समझौता किया था ? यदि हां, तो ऐसा समझौता करने का अधिकार प्रबन्ध समिति को किस प्रकार था तथा इसके लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

श्रम न्यायालय, गोरखपुर में पांच कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में श्रमिकों एवं बैंक के मध्य चल रहे वाद संख्या 285/73 में दिनांक 29-3-74 को एक समझौता पीठासीन अधिकारी के समक्ष हुआ ।

यह वाद जिला सहकारी बैंक लि0 बस्ती तथा यू0 पी0 बैंक इम्पलाइज यूनियन बनाम सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया राजाबाजार, पो0 पुरानी बस्ती के मध्य चल रहा था । बैंक के विरुद्ध चल रहे वाद में पैरवी तथा समझौता आदि करने का समस्त अधिकार बैंक प्रबन्ध समिति द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को होता है । कथित मामले में समझौते पर हस्ताक्षर सचिव बैंक द्वारा किए गए हैं । अतः न तो किसी को दोषी ठहराया गया है और न ही किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ।

अपर निबंधक अधिकोषण द्वारा कतिपय पदों का सृजन एवं पदोन्नति के निर्देश

54—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर निबन्धक अधिकोषण ने 10-2-78 को जिला सहकारी बैंक, बस्ती में 300—750 के वेतनमान के 14 पदों का सृजन करते हुए सभी को रिक्त घोषित किया था और 7 पद पदोन्नति द्वारा भरने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो उक्त 7 पदों पर सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा पदोन्नति कराये बिना उस पद का नियमित कर्मचारी कैसे माना जायगा तथा सचिव, जिला सहकारी बैंक, बस्ती द्वारा ऐसे कर्मचारियों का नाम जिनकी पदोन्नति सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल से नहीं की गयी है, कैडर एथारिटी सहकारी बैंक सेवा को पदोन्नति हेतु भेजे जाने का क्या आधार था ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

अपर निबन्धक (अधि0) के पत्रांक 139(7) स्टा0 पै0/अधि0, दिनांक 10-2-78 द्वारा जिला सहकारी बैंक लि0, बस्ती के समस्त वर्ग के कर्मचारियों के पदों की संख्या स्वीकृत की गयी थी जिसमें वर्ग-2 के 14 पद स्वीकृत करते हुए सभी 14 पदों को रिक्त घोषित किया गया था एवं इसमें से 7 पद पदोन्नति से भरने के निर्देश दिये गये थे ।

अपर निबन्धक (अधि0) के उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में वरिष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर उक्त कर्मचारियों को वर्ग-2क के पद (शाखा प्रबन्धक) पर वरिष्ठता सूची में रखा गया सूची अनुमोदनार्थ सेवा मण्डल को प्रेषित की गई । नियमानुसार वरिष्ठता सूची के आधार पर ही नाम सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा को पदोन्नति हेतु भेजा गया ।

जिला सहकारी बैंक बस्ती द्वारा पांच कर्मचारियों की पदोन्नति को नियमित किये जाने का औचित्य

55—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, बस्ती द्वारा 29-3-74 को श्रम न्यायालय, गोरखपुर में किये गये समझौते के आधार पर पांच कर्मचारियों की पदोन्नति 1-7-1973 से अवैध मानी गयी है ? तथा यह सही है कि बैंक द्वारा 29-3-72 दर्शाकर पदोन्नति को नियमित बनाने का प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

जी नहीं, यह कर्मचारी 29-3-72 से शाखा प्रभारी का कार्य कर रहे थे और 29-3-72 से इन्हें शाखा प्रबन्धक का वेतन दिया गया अतः इनकी शाखा प्रबन्धक पद पर कार्य करने की मौलिक तिथि 29-3-72 दर्शायी गयी है । इनकी पदोन्नति नियमित होने सम्बन्धी मामला संस्थागत सेवा मण्डल स्तर पर निर्णय हेतु विचाराधीन है ।

इस मामले में निर्णय संस्थागत सेवा मण्डल के स्तर पर विचाराधीन है अतः मण्डल के निर्णय के पूर्व किसी को दोषी ठहराने एवं कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है ।

राजकीय महिला चिकित्सालय, फैजाबाद के स्टाफ नर्सों के स्थानान्तरण आदेश पर न्यायालय द्वारा स्थगन

56—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में कार्यरत स्टाफ नर्सों ने गत जून, 87 में जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में ही किये गये स्थानान्तरण आदेश पर उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 3992/87 प्रस्तुत करके स्थगनादेश लिया था और आज भी वहीं कार्यरत हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा याचिका संख्या 3992/87 में शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में पैरवी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

प्रश्नगत याचिका की पैरवी की जा रही है ।

57—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में कार्यरत स्टाफ नर्सों ने स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 3992/87 प्रस्तुत करके तथा फैजाबाद के ही सी0 एम0 एस0 डा0 जी0 सी0 पान्डेय ने स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 5222/87 प्रस्तुत करके स्थगनादेश लिया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से याचिका संख्या 5222/87 में पैरवी करके स्थगनादेश निरस्त न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

रिट याचिका संख्या 5222/87 में माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी की गयी और माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका निरस्त कर दी ।

मृतका श्रीमती पद्मा कुमारी का महिला चिकित्सालय फैजाबाद द्वारा समुचित उपचार व्यवस्था

58—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में गत 21-7-87 को सैप्टिक वार्ड में भर्ती हरिजन मरीजा श्रीमती पद्मा कुमारी पत्नी जिया लाल, निवासी ग्राम मुंशीडेरा, क्षेत्र सोहवल की मृत्यु रात्रि 8 बजे के लगभग हुई थी ? यदि हां, तो 10 बजे प्रातः के लगभग भर्ती हुई इस मरीजा के दिन में 3 बजे के लगभग मरा हुआ प्रसव होने तथा घर के लोगों द्वारा सी0 एम0 एस0 व अन्य लोगों से बार-बार अनुरोध करने के बाद भी चिकित्सालय की किसी महिला विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा सी0 एम0 एस0 द्वारा मरीजा को न देखे जाने के क्या कारण थे और समुचित उपचार की व्यवस्था न किये जाने का क्या कारण था ? क्या शासन की ओर से मामले की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । मृतका श्रीमती पद्मा कुमारी का महिला चिकित्सालय फैजाबाद के चिकित्सकों द्वारा समुचित चिकित्सा उपचार किया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद से अनुमोदित भूमि संरक्षण निरीक्षकों की संख्या की जानकारी की मांग

59—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद से भूमि संरक्षण निरीक्षक के पद पर कितने कर्मचारी अब तक अनुमोदित हैं और उनमें से कितनों को दूसरे विभाग (प्रशिक्षण एवं सम्पर्क विभाग) में नियुक्त किया गया है और कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो भूमि संरक्षण विभाग में भूमि संरक्षण निरीक्षक के पद पर अनुमोदित नहीं हैं और वह भूमि संरक्षण विभाग में कार्य कर रहे हैं ? क्या मंत्री जी लोक सेवा आयोग से अनुमोदित ऐसे भूमि संरक्षण निरीक्षकों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद बस्ती के श्री त्रिभुवन पुत्र श्री बुधन, ग्राम भगतूपुर का कथित दो बार नसबन्दी आपरेशन का आरोप

60—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुदरहा, जनपद बस्ती के प्रभारी चिकित्साधिकारी ने दिनांक 31-8-86 को श्री त्रिभुवन पुत्र बुधन, ग्राम भगतूपुर का नसबन्दी आपरेशन किया ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त श्री त्रिभुवन पुत्र बुधन ग्राम भगतूपुर का नसबन्दी आपरेशन डा0 उमेश यादव, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनकटी, जनपद बस्ती ने भी दिनांक 20-9-86 को किया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त दोनों चिकित्साधिकारियों द्वारा उक्त व्यक्ति का पुरुष नसबन्दी कराने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति शुल्क भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुदरहा, जनपद बस्ती में दिनांक 31-8-86 को प्रश्नगत व्यक्ति का नसबन्दी आपरेशन नहीं किया गया ।

जी नहीं । प्रश्नगत व्यक्ति का नसबन्दी आपरेशन दिनांक 20-9-86 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकटी पर नहीं हुआ ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 उमेश यादव, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनकटी, बस्ती द्वारा की गयी फर्जी नसबन्दी

61—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 उमेश यादव, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनकटी, जनपद बस्ती ने श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव, उर्फ विजयनाथ श्रीवास्तव पुत्र स्व0 राम उजागिर लाल श्रीवास्तव, ग्राम कैतहा, पोस्ट महसो, जिला बस्ती जिनका विवाह मार्च, 87 में सम्पन्न हुआ, उनकी दो बार फर्जी नसबन्दी क्रमशः

दिनांक 2-10-86 और दिनांक 11-12-86 को एक बार उक्त राजेन्द्र श्रीवास्तव के नाम से और दूसरी बार उनके उफीयत के नाम विजय नाथ श्रीवास्तव के नाम से की गयी ? यदि हां, तो उक्त फर्जी नसबन्दी से सम्बन्धित देय राजकीय भुगतान को हड़पने के विरुद्ध डा0 उमेश यादव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत दोनों व्यक्ति अलग-अलग हैं । इनकी नसबन्दी भी अलग-अलग तिथियों में की गयी तथा देय धनराशि का भुगतान भी अलग-अलग तिथियों में किया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनकटी, बस्ती को भवन मरम्मत हेतु कथित धनराशि की स्वीकृति

62—श्री अफगर यू0 अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनकटी, जनपद बस्ती को वर्ष 1986-87 में सरकारी भवन मरम्मत हेतु कितनी धनराशि कब प्राप्त हुई थी ? उक्त धनराशि से किस पंजीकृत ठेकेदार द्वारा किन-किन भवनों की क्या-क्या मरम्मत करायी गयी ? क्या मरम्मत कराये गये भवनों का सत्यापन किसी सहायक अभियन्ता द्वारा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1986-87 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनकटी, जनपद बस्ती के भवन की मरम्मत हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी थी । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद नगर में पेय जलापूर्ति हेतु लगाये गये नलकूपों की संख्या व व्यय किया गया धन

63—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 85-86, 86-87 तथा दिसम्बर, 87 तक इलाहाबाद नगर में पेय जलापूर्ति हेतु कितने नलकूप कहां-कहां लगाये गये और उन पर कुल कितना व्यय किया गया ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

इलाहाबाद नगर में पेय जलापूर्ति हेतु वर्ष 85-86, 86-87 तथा दिसम्बर, 87 तक निम्न प्रकार नलकूप का निर्माण किया गया :—

1985-86	1986-87	दिसम्बर, 87
3 नलकूप	6 नलकूप	2 नलकूप
दरियाबाद,	सोहबतियाबाग	राम प्रिया रोड
बख्तियारी एवं	अल्लापुर, आकाशपुरी,	एवं शास्त्रीनगर
हासिमपुर	अशोकनगर, कल्याणी	
	देवी तथा राजरूपपुर	

उपरोक्त नलकूपों के निर्माण पर कुल रु0 75.50 लाख व्यय किया गया है ।

इलाहाबाद नगर महापालिका द्वारा सड़कों के निर्माण व मरम्मत में व्यय किया गया धन

64—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका द्वारा वर्ष 85-86, 86-87 व दिसम्बर, 87 तक नगर क्षेत्र की कितने किलोमीटर सड़कें बनवाई गईं, मरम्मत कराई गई और कितना खर्च किया गया ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगर महापालिका, इलाहाबाद द्वारा प्रश्नगत वर्षों में बनाई गई सड़कों का विवरण निम्नवत् है :—

विवरण	वर्ष 1985-86	86-87	87-88 (दिसम्बर 87)
सड़क खड़ंजा नाली, गली के सुधार/मरम्मत आदि कार्य (किलोमीटर में)	80	116	75

खर्च का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :—

व्यय (लाख रुपयों में) 133.75, 186.85, 163.80

जनपद इलाहाबाद के फतिगाय मुहल्लों की खराब सड़कों की मरम्मत

65—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद के सादियाबाद, नया पुरा स्टैनली रोड, मऊसरैया, नेवादा, मम्फोर्डगंज, अल्लापुर, शिलाखाना तेलियरगंज, स्वराज्य नगर, मेंहदौरी, जोंधवल, सी बेली रोड कचहरी आदि की सड़कें एकदम ध्वस्त हो गई हैं और वर्षों से इनकी मरम्मत नहीं कराई गई ? यदि हां, तो इन स्थानों की सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

इलाहाबाद नगर के उल्लिखित क्षेत्रों में से सादियाबाद, नेवादा, मम्फोर्डगंज, अल्लापुर, कचहरी रोड पर मार्गों के सुधार का कार्य कराया गया है । अन्य स्थानों पर भी सुधार कार्य कराये जा रहे हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला इलाहाबाद के शिवकुटी स्थित आयुर्वेदिक के डाक्टर, कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय किया गया धन

66—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शिवकुटी स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में डाक्टर, कर्मचारियों के वेतन, चारपाइयों व बिस्तर, अस्पताल के

किराये तथा दवाओं के मद में वर्ष 1986-87 में कितना अलग-अलग व्यय किया गया तथा इसी समयावधि में कितने मरीजों का इलाज भर्ती करके किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इलाहाबाद शिवकुटी स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल के डाक्टर, कर्मचारियों के वेतन पर वर्ष 1986-87 में रु0 3412.75 तथा दवाओं के मद पर रु0 5923.10 की धन-राशि व्यय की गयी । चारपाइयों व बिस्तर और अस्पताल के किराये पर व्यय शून्य रहा । इस समयावधि में किसी भी मरीज का इलाज भर्ती करके नहीं किया गया ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्प वर्गों के भवनों की लागत में वृद्धि एवं संशोधित किराया

67—श्री मित्रसेन—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत (अल्प आय वर्ग को) दिये जाने वाले भवनों की लागत 15000 रु0 से बढ़ाकर 22000 रु0 कर दी गयी है, तथा क्या आवंटन के बाद 5500 रु0 को 4 किस्तों में दिये जाने का भी प्राविधान है ? यदि हां, तो दोनों प्रक्रियाओं का औचित्य क्या है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के लोगों के आवास की लागत बढ़ाकर 22,000 रु0 कर दी गयी है ।

जी हां ।

किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत सड़कों द्वारा निर्धारित लागत की सीमा के अन्तर्गत भवन नहीं बन पाता है, अतः अतिरिक्त धनराशि आवंटी से वसूल की जाती है ।

अवध सहकारी बैंक लि0, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का भुगतान

68—श्री मित्रसेन—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध सहकारी बैंक लि0, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में पूर्व प्रेषित प्रार्थना-पत्रों की फोटो स्टेट प्रतिलिपियां श्री राम आसरे वर्मा सदस्य विधान सभा एवं श्री राम लाल सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 9-11-87 व 14-11-87 सहित निबंधक सहकारी समितियां उ0 प्र0 को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कर्मचारियों की प्रश्नगत मांग पर निबंधक द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

श्रम निरीक्षक के सुझाव के अनुसार बैंक में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिनांक 15-1-85 को बैंक प्रबन्धक द्वारा लिए गए निर्णय के अधीन दिनांक 21-6-84 से एरियर भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (निलम्बित) तकाबी लिपिक कार्यालय परियोजना अधिकारी (कृषि), वाराणसी के सम्बन्ध में दिये निर्देशों के पालन के संबंध में

69—श्री राज किशोर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, तकाबी लिपिक (निलम्बित) कार्यालय परियोजना अधिकारी (कृषि), वाराणसी के मामले में राज्य मंत्री, कृषि उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पृष्ठांकन संख्या 13-एस0 एम0 ए0/86, दिनांक 7-6-86 में दिये गये निर्देश जिस पर उप निदेशक कृषि वाराणसी के पत्र संख्या 1180, दिनांक 1-7-86 द्वारा प्रसारित निर्देश अपर जिलाधिकारी, विकास वाराणसी के पृष्ठांकन संख्या 3741 दिनांक 28-8-84 में दिये गये निर्देश मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या क्रमशः 2968 विवाद लि0, दिनांक 14-9-84, 1263/विवाद लि0, दिनांक 14-9-83, 1263/विवाद लि0, दिनांक 27-6-86 एवं 1543/विवाद लि0 19-7-86 में दिये गये निर्देशों का परिपालन परियोजना अधिकारी (कृषि) वाराणसी, द्वारा किया गया एवं उक्त अधिकारियों के पत्रों का उत्तर उनके द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना तथा उक्त तकाबी लिपिक को उत्पीड़ित करने के संदर्भ में परियोजना अधिकारी (कृषि) वाराणसी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

परियोजना अधिकारी (कृषि), वाराणसी द्वारा उनके पत्र संख्या 1553, दिनांक 4-8-86 को उत्तर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

सहसों बाजार, इलाहाबाद के बने सरकारी अस्पताल में डाक्टर तथा कम्पाउण्डरों के बैठने की व्यवस्था संबंधी शिकायत

70—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहसों बाजार, इलाहाबाद में पिछले दो वर्षों से बने सरकारी अस्पताल में आज तक डाक्टर तथा कम्पाउण्डर के बैठने की व्यवस्था नहीं की गयी और अस्पताल की हालत (भवन) जर्जर होती जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी में कथित नगर भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप

71—श्री राज किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के तहत शासन को प्राप्त वाराणसी नगर महापालिका संख्या 10/6 आराजी संख्या 8/1 स्थित मुहल्ला हुकुलगंज, मकबूल आलम रोड, वाराणसी रकबा लगभग 12900 वर्ग मीटर भूमि पर संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अवांछनीय व अनधिकृत व्यक्तियों का संगठित गिरोह अवैध कब्जा कर रहा है ? यदि हां, तो संदर्भित कीमती भूमि को बचाने में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं । प्रश्नगत भूमि अभी नगर भूमि अधिनियम के अंतर्गत शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 द्वारा प्रसार शिक्षकों को कन्फर्म किये जाने का कथित आरोप

72—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण विभाग में निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें उ0 प्र0 के आदेश संख्या एफ0 पी0/4057/ई-1/65, दिनांक 30-8-85 के अनुसार पदोन्नति करके किन-किन प्रसार शिक्षकों को कन्फर्म किया गया और किन-किन को कन्फर्म नहीं किया गया ? क्या जिन्हें अब तक कन्फर्म नहीं किया गया है, उन्हें कन्फर्म करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

कथित दिनांक को इस आशय का कोई भी आदेश निदेशक, परिवार कल्याण द्वारा जारी नहीं किया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका, बाराबंकी में मेट व बेलदारों के पदों के सृजन का प्रस्ताव

73—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, बाराबंकी ने निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0, लखनऊ को पत्रांक 530/मु0 का0, दिनांक 6 सितम्बर, 86 द्वारा नगरपालिका, बाराबंकी में दो मेट व 28 बेलदारों के पद सृजन हेतु लिखा था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, बाराबंकी का उक्त पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं हुआ । निदेशक, स्थानीय निकाय ने जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के प्रस्ताव के आधार पर नगरपालिका, बाराबंकी में बेलदार के 25 व मेट के 2 पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे शासन द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है ।

बांदा जिले के कतिपय स्थानों पर पेयजल हेतु हैण्डपम्पों की व्यवस्था

74—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या घ, 020979, दिनांक 25-8-87 बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी, ग्राम ढोलबजा (सढ़ा) छीछन (सढ़ा) देवहाई (सढ़ा) आदि में पेयजल हेतु हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो संलग्न पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? इन गांव में कब तक पेयजल हेतु हैण्डपम्प लगवा दिये जायेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

ग्राम सढ़ा में हैण्डपम्प पहले ही लगाये जा चुके हैं । प्रश्नगत ग्राम सढ़ा के प्रश्नगत मजरों में अभी हैण्डपम्प नहीं लगाये जा सके हैं ।

ग्राम सढ़ा के उपरोक्त मजरों ढोलबजा, छिछन एवं देवहाई में वर्ष 1988-89 में हैण्डपम्प लगाया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों की जनसंख्या एवं पेयजल हेतु राजकीय हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था

75—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक महुवा के ग्राम नन्दवारा, ग्राम कबौली, ग्राम नौहाई, ग्राम पहाड़पुर मजरा, गजराज पुरवा एवं ग्राम देवरार की मौजूदा वर्ष में लगभग आबादी क्या है तथा इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए पेयजल की समस्या का निराकरण करने हेतु क्रमशः प्रत्येक गांव में अभी तक कितने राजकीय हैण्ड-पम्प लगवाये गये हैं तथा आबादी के अनुसार कितने हैण्डपम्पों की आवश्यकता है और वह कब तक लग जायेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मौजूदा वर्ष की आबादी ज्ञात नहीं है । वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की आबादी निम्न प्रकार है :—

क्रम-सं0	ग्राम का नाम	जनसंख्या (1981)
1	2	3
1	नन्दवारा	2331
2	कबौली	1742
3	नौहाई	2144
4	पहाड़पुर	559
5	देवरार	1201

मजरा गजराजपुरवा, जो कि ग्राम पहाड़पुर का एक मजरा है, की आबादी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लगभग 100 है ।

पहाड़पुर ग्राम समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में है, जिसमें आबादी के अनुसार 3 हैण्ड-पम्पों की आवश्यकता है, जो लगाये जा चुके हैं । गजरा गजराजपुरवा में हैण्डपम्प लगाया जाना अभी प्रस्तावित नहीं है । अन्य ग्राम समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में सम्मिलित नहीं हैं, अतः उनमें शासन की वर्तमान नीति के अनुसार सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई हैण्डपम्प नहीं लगाये गये हैं और न ही अभी प्रस्तावित हैं ।

ग्राम नौहाई की हरिजन बस्ती में हरिजन बस्ती पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल एक हैण्डपम्प लगाया गया है ।

जनपद बांदा के नरैनी ब्लाक के कतिपय गांवों में लगाये गये हैण्ड पम्पों का विवरण

76—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के गांव रेहुची एवं रामनगर में तथा शहवाजपुर व सिधौटी, गोपरा में आबादी को देखते हुए पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु कितने हैण्डपम्पों की आवश्यकता है तथा भीषण पेयजल समस्या को देखते हुए अभी तक कितने हैण्डपम्प लगाये गये हैं ? क्या सीमावर्ती मध्य प्रदेश के अजमगढ़ धर्मपुर के रास्ते से हैण्डपम्प लगाने की मशीन भेजकर अविलम्ब ग्राम रेहुची तथा रामनगर में हैण्डपम्प लगवाये जायेंगे तथा अन्य गांवों में अन्य सुलभ रास्तों से मशीन भेजकर हैण्डपम्प लगवाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

आबादी को देखते हुए बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्रामों में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक तथा अब तक लगाये गये हैण्डपम्पों का विवरण निम्नवत् है । (ग्राम रेहुची तथा गोपरा में एक-एक अतिरिक्त हैण्डपम्प सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत लगाये गये हैं) :—

क्र0	ग्राम का नाम	आवश्यक हैण्ड-पम्पों की संख्या	अब तक लगाये गये हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3	4
1	रेहुची	4	5
2	रामनगर निस्फी	3	3
3	सहवाजपुर	2	2
4	सिधौटी	5	2
5	गोपरा	6	7

ग्राम रेहुची तथा रामनगर में आबादी के अनुसार आवश्यक हैण्डपम्प पूर्व में ही लगाये जा चुके हैं । ग्राम सिधौटी के अतिरिक्त अन्य ग्रामों में भी आबादी के अनुसार आवश्यक हैण्डपम्प पूर्व में लगाये जा चुके हैं ।

ग्राम सिधौटी में शेष 3 हैण्डपम्प वर्ष 88-89 में लगाया जाना प्रस्तावित है ।

जिला चिकित्सालय, फैजाबाद के सी0 एम0 एस0 के स्थानान्तरण के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन

77—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, फैजाबाद के सी0 एम0 एस0, डा0 जी0 सी0 पाण्डेय ने गत अगस्त, 87 में अपने स्थानान्तरण आदेश के बारे में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 5222/87 प्रस्तुत करके स्थगनादेश लिया था और इस स्थगनादेश का विरोध शासन और सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने करके माह सितम्बर, 87 में स्थगनादेश निरस्त कराया ? यदि हां, तो स्थगनादेश निरस्त हो जाने और याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रहते हुए भी डा0 पाण्डेय को सी0 एम0 एस0 जिला चिकित्सालय के पद पर पुनः नियुक्त करके शासन द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की मंशा के विपरीत कार्य किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

78—श्री अवधेश प्रसाद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद आगरा के कतिपय मुहल्लों में जल भराव की समस्या का निवारण

79—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फीरोजाबाद के मोहल्ले रामनगर-श्यामनगर, सन्तनगर ओमनगर-आजाद नगर चंदवारगेट आदि में वर्षा ऋतु के मध्य रेलवे की पुलिया चंदवार गेट तथा आसपास पानी भर जाने से रामनगर आदि की बड़ी आबादी एक टापू में बदल जाती है ? यदि हां, तो पानी निकासी के लिए बड़ा गहरा नाला न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सन्तनगर, ओम नगर, आजाद नगर में नाली व खड़न्जा का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः वहां पानी भरने की समस्या नहीं है । रामनगर श्यामनगर में 80 प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है ।

चन्दवार गेट रेलवे पुल के नीचे, रेलवे का पुल नीचा होने के कारण मार्ग ऊंचा नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण बरसात में पानी मार्ग पर भर जाता है किन्तु पम्प/ट्राली इन्जन लगाकर पानी तुरन्त निकाला जाता है ।

नगर पालिका, फिरोजाबाद ने पानी की निकासी हेतु चन्दवार गेट तथा अन्य नालों के निर्माण हेतु रु0 52.82 लाख के आगणन बनाये है । नगर पालिका की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण फिलहाल नाली का निर्माण सम्भव नहीं है ।

बलिया शहर के गन्दे पानी के निकास हेतु सीवर सिस्टम योजना की व्यवस्था की मांग

80—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय व श्री मैनेजर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया शहर जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है, के गंदे पानी को निकालने हेतु सीवर सिस्टम योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे निकट भविष्य में कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में सीवर योजना लागू किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

जनपद बस्ती की कृषि मंडी समितियों द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु धन का आवंटन एवं निर्माण कार्य

81—श्री धनराज यादव—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 86-87 के वर्ष में कृषि मण्डी समितियों द्वारा सम्पर्क मार्ग निर्माण करने के लिए, मण्डी परिषद् के निर्माण एजेन्सियों को धन आवंटित किया गया है ? क्या इसके तहत बस्ती जिले के मण्डी समिति नौगढ़ द्वारा कुछ सम्पर्क मार्गों का प्रस्ताव मण्डी परिषद् को प्राप्त हुआ है ? क्या पांच लाख रुपये का ड्राफ्ट मण्डी समिति नौगढ़ ने मण्डी परिषद् को भेजा है ? यदि हां, तो प्रस्तावित मार्गों का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

मण्डी समिति से प्रस्ताव मण्डी परिषद् को प्राप्त होने पर और तदुपरान्त मण्डी निदेशक से सम्यक् संस्तुति शासन को प्राप्त होने पर यथासमय निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

लखनऊ नगर के नाका हिन्डोला हैदर कैनाल पुल से मोती नगर वाली जर्जर सड़क का नवीनीकरण

82—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर की नाका हिंडोला हैदर कैनाल पुल से मोती नगर चौराहे को मिलाने वाली जर्जर सड़क को यदि पेवर मशीन द्वारा बनवाने में खर्च अधिक आता हो तो उस सड़क को रोड रोलर द्वारा ही बनवाकर तुरन्त नवीनीकृत कर दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नाका हिंडोला हैदर कैनाल पुल से मोती नगर चौराहे को मिलाने वाली जर्जर सड़क का सुधार कार्य, पेवर फिनिशर मशीन द्वारा माह फरवरी, 1988 में कराया जा चुका है ।

गुलाब बाड़ी गांव को नगर पालिका, मुरादाबाद में शामिल करके विकास करने की मांग

83—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुलाब बाड़ी गांव अब नगर पालिका मुरादाबाद में शामिल कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या अब इसका विकास नगर पालिका करा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

गुलाब बाड़ी गांव नगर पालिका, मुरादाबाद में शामिल नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के कटाबाग मुहल्ले की सड़क की मरम्मत

84—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के मुहल्ले कटाबाग में पिछले वर्ष से पुराने खड़ंजे उखड़े पड़े हैं और उनको अभी तक सही नहीं किया गया है, जगह-जगह मिट्टी तथा ईंटों के ढेर पड़े हैं, जिससे जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या उसे अतिशीघ्र सही कराने की सरकार कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मोहल्ला कटाबाग की दो गलियों में पुराने लगे खड़ंजे को उखाड़ कर उसके स्थान पर नगर पालिका द्वारा फरवरी, 88 में तारकोल की सड़क निर्मित कराई जा चुकी है तथा सड़क निर्माण के दौरान ईंटें तथा मिट्टी के ढेर को भी साफ कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के कतिपय मुहल्लों की पुरानी सड़कों व नालियों की मरम्मत

85—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद के असालत पुरा मुहल्ले में तथा ईदगाह के पास बहुत घनी आबादी है, जिसकी सड़कें तथा नालियां बिल्कुल टूटी-फूटी पड़ी हैं तथा गन्दा पानी हर समय भरा रहता है, आने-जाने में काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त मुहल्ले में अतिशीघ्र सड़कें तथा नालियां बनाये जाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जनपद मुरादाबाद के असालुतपुरा मुहल्ले में तथा ईदगाह के पास घनी आबादी है । इस क्षेत्र में कुछ सड़कें तथा नालियां टूटी-फूटी हैं और अत्यधिक वर्षा या आकस्मिक अवरोध से ईदगाह रोड के निचले भाग में कभी-कभी पानी भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है ।

मुहल्ला असालुतपुरा में सड़क व नाली निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है । नई आबादी ईदगाह की सड़कें व नालियों के निर्माण हेतु सर्वे कराया जा चुका है तथा इसके निर्माण हेतु नगर पालिका द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त पानी भराव की समस्या का भी निदान तत्काल किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश के अल्प आय वर्ग योजना, हरदोई के अन्तर्गत भवन का पंजीकरण कार्ड जारी करना

86—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश की अल्प आय वर्ग योजना हरदोई के चरण 1985-86 के अन्तर्गत भवन के पंजीकरण हेतु लखनऊ निवासी श्री शम्भू दयाल आत्मज स्व0 श्री जगन ने दिनांक 31-1-86 को फार्म संख्या 18115 धनराशि 2500 रुपये इण्डियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ में जमा की है ? यदि हां, तो क्या पंजीकरण कार्ड जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

स्व0 श्री इन्द्रमणि चतुर्वेदी, सहकारी पर्यवेक्षक, सहकारी संघ, बभनान, गोण्डा के आश्रित को नौकरी में लिये जाने की कार्यवाही

87—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्व0 इन्द्रमणि चतुर्वेदी, सहकारी पर्यवेक्षक सहकारी संघ, बभनान, जिला गोण्डा की कार्यरत रहते हुए सन् 1984 में मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मृतक के आश्रित ने अपने नियुक्ति के लिए प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ दिया था ? यदि हां, तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां । श्री इन्द्रमणि चतुर्वेदी, तत्कालीन सहकारी पर्यवेक्षक, सहकारी संघ बभनान, जिला गोण्डा की दिनांक 31-12-84 को मृत्यु होने की सूचना मिली थी । यह भी सत्य है कि श्री इन्द्रमणि चतुर्वेदी के आश्रित पुत्र श्री मनोज कुमार चतुर्वेदी ने सेवायोजित किये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के माध्यम से दिया था । सहकारी पर्य-

वेक्षकों से संबंधित सहकारी संघ प्राधिकारी की सेवा नियमावली में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का प्राविधान न होने के कारण मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्तियों पर निर्णय नहीं लिया जा सका । अब नियम बना लिये गये हैं और तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

निलम्बित तकावी लिपिक श्री सुरेन्द्र कुमार कार्यालय परियोजना अधि0 कृषि वाराणसी की पुनः बहाली तथा बकाये वेतन के भुगतान की मांग

88—श्री राज किशोर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, तकाबी लिपिक, कार्यालय परियोजना अधि0 कृषि वाराणसी की निलम्बन अवधि दिनांक 29-5-79 से 15-10-80 तक के लिए उन्हें आरोप-पत्र अथवा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? किस आधार पर उन्हें पुनः सेवा में लिया गया और किस आधार पर उन्हें उक्त निलम्बन अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या जांच अधिकारी ने उन्हें निर्दोष बतलाया था और उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनता था ? यदि हां, तो उनके उक्त अवधि के वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आरोपों की जांच जांच अधिकारी द्वारा की गयी, जिन्होंने अपचारी कर्मचारी से प्रश्नोत्तर के रूप में बयान लेने के पश्चात् अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की, जिससे आरोप-पत्र निर्गत नहीं किया गया ।

जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच आख्या पर विचारोपरान्त श्री श्रीवास्तव के बहाली के आदेश किये गये थे ।

चूंकि वे पूर्णतया दोषमुक्त नहीं पाये गये, अतः उनके निलम्बन अवधि का वेतन का भुगतान नहीं किया गया ।

जांच अधिकारी ने श्री श्रीवास्तव की कार्यप्रणाली को अच्छा नहीं बताया था ।

उपरोक्त बतायी गयी स्थिति में श्री श्रीवास्तव के निलम्बन अवधि के वेतन के भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य का विवरण तथा व्यय किया गया धन

89—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में ऊसर सुधार योजना के अंतर्गत किन-किन विभागों द्वारा कौन-कौन से काम वर्ष 86-87 व 87-88 में प्रारम्भ किये गये तथा इनमें से कितने काम पूरे हो गये हैं और कितने कार्य अपूर्ण हैं ? इन कार्यों पर अलग-अलग कितना धन खर्च किया गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

बाराबंकी जनपद में ऊसर सुधार का कार्य कृषि विभाग द्वारा इन दो वर्षों में दो योजनाओं के अंतर्गत किया गया था :—

1. ऊसर सुधार की जिला योजना—

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में कृषि विभाग द्वारा ऊसर सुधार का कार्य किया गया । इस योजना के अन्तर्गत 110 हेक्टेयर का लक्ष्य प्रस्तावित था, जिसमें 70 हेक्टेयर उपचारित किया गया ।

2. केन्द्र पुरोनिधानित ऊसर सुधार योजना—

जनपद बाराबंकी में केन्द्र पुरोनिधानित ऊसर सुधार योजना के अंतर्गत कार्य वर्ष 87-88 में प्रारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत 245 हेक्टेयर ऊसर सुधार का लक्ष्य रखा गया था । बोरिंग का कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जाना था । पम्पसेट की आपूर्ति यू0 पी0 एग्रो द्वारा किया जाना था तथा शेष कार्य कृषि विभाग द्वारा किये जाने थे । अभी तक केवल नि:शुल्क बोरिंग तथा पम्पसेट लगाये जाने का कार्य आरम्भ हो सका । इसके अन्तर्गत लक्ष्य तथा पूर्ति की स्थिति निम्नवत् है :—

कार्य	लक्ष्य	प्रारम्भ	पूर्ति
बोरिंग	61	19	17
पम्पसेट	61	9	0

क्योंकि यह पम्पसेट विद्युत् चालित है, अत: विद्युत् विभाग द्वारा सभी 19 कृषकों के बोरिंग स्थल तक विद्युत् लाइने स्थापित की जा चुकी है, परन्तु कृषकों द्वारा कोठरी एवं फाउन्डेशन न बनाये जाने के कारण अभी तक कनेक्शन नहीं हो सके, जिसे पूर्ण किया जा रहा है । यह कार्य पूर्ण होने पर ही ऊसर सुधार का बाकी कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ।

वर्ष 86-87 में 0.87 लाख रुपये अनुदान के रूप में व्यय किया गया है (जिला योजनान्तर्गत) वर्ष 1987-88 में बोरिंग पर अब तक 0.57 लाख एवं पम्पसेट पर 0.27 लाख रुपये की धनराशि व्यय हो चुकी है ।

सरदार पटेल संक्रामक हैजा अस्पताल अल्लापुर, इलाहाबाद को स्वास्थ्य विभाग को दिये जाने का प्रस्ताव तथा उच्चीकृत अस्पताल बनाने की मांग

90—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका प्रशासक द्वारा वर्ष 87 में सरदार पटेल संक्रामक हैजा अस्पताल, अल्लापुर को स्वास्थ्य विभाग को दिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक स्वीकृत हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या उक्त अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा लेकर अल्लापुर की भीषण आबादी को देखते हुए उच्चीकृत अस्पताल बनाने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । प्रश्नगत अस्पताल को जनरल अस्पताल में परिवर्तित करने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

91—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

[दिनांक 31-12-87 को अता0 प्र0 सं0 71 द्वारा उत्तरित]

92—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

[दिनांक 31-12-87 को अता0 प्र0 सं0 112 द्वारा उत्तरित]

डायमण्ड डेरी कालोनी लखनऊ में गन्दगी फैलने संबंधी शिकायत एवं निराकरण की मांग

93—श्री गौरी शंकर भैय्या—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डायमण्ड डेरी कालोनी लखनऊ में सड़कों आदि पर वर्ष भर गोबर एवं कंडे आदि फैलाये जाते हैं और तमाम गन्दगी की जाती है ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या स्थायी उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नगत क्षेत्र से जब कभी ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो उसका निराकरण महापालिका, लखनऊ द्वारा समय-समय पर किया जाता है ।

प्रश्नगत प्रकरण के स्थायी समाधान हेतु दुधारू पशुओं को नगर से बाहर हटाये जाने के लिए कामधेनु नगर व राधा ग्राम योजना, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनायी जा रही है ।

प्रदेश सरकार द्वारा निर्बल वर्ग को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराये जाने की योजना

94—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सरकार दुर्बल निर्बल वर्ग, जिनकी आमदनी 300 रुपया, 450 रुपया प्रतिमाह है, के आवास हेतु भूमि सस्ती दर पर अध्याप्ति करती है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस भूमि पर सरकार गरीबों, दुर्बलों, मजदूरों को बसाने हेतु ई0 डब्लू0 एस0 क्वार्टर का निर्माण आवास विकास परिषद् और हडको आदि संस्थाओं से कराती है ? यदि हां, तो दुर्बल आय वर्ग वालों को कितनी कीमत अदा करनी होती है और उसकी मासिक किस्त क्या है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

भूमि सस्ती दरों पर नहीं वरन् सभी श्रेणी के आवासों हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार समान दर पर अध्याप्त की जाती है ।

आवास एवं विकास परिषद् की योजनाओं में 60 प्रतिशत से 65 प्रतिशत भवनों का निर्माण दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये हडको से ऋण प्राप्त कर के आवास परिषद् द्वारा किया जाता है ।

दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये आवास एवं विकास परिषद् द्वारा, टाइप 15/25 व टाइप 18/30, दो प्रकार के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है । टाइप 15/25 के भवन की कीमत लगभग रु0 22,836 व टाइप 18/30 के भवन की कीमत लगभग रु0 28,764 अनुमानित है तथा 15 वर्षों की अवधि में किश्तों की दर क्रमशः रु0 186 व रु0 246 प्रतिमाह रखे जाने का अनुमान है ।

सी0 एम0 एस0 राजकीय चिकित्सालय, फैजाबाद के स्टाफ नर्सों के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

95—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोकदल (अ) फैजाबाद के कोषाध्यक्ष श्री रमेश कुमार शर्मा ने दि0 24-6-87, 25-6-87 को तथा माह जुलाई व अगस्त में पृथक-पृथक ज्ञापन पत्र, अपर निदेशक चि0 स्वा0 एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद तथा सी0 एम0 एस0 राजकीय महिला चिकित्सालय, फैजाबाद को देकर कुछ स्टाफ नर्सों पर प्रेशर डिलीवरी कराने का आरोप लगाते हुए इनकी ड्यूटी प्रसव निवर्सन कक्ष या परिवार कल्याण शल्य चिकित्सा कक्ष में न लगाने का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो प्रेशर डिलीवरी के परिणाम स्वरूप हुई महिलाओं की अस्वाभाविक मृत्यु के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री शर्मा के ज्ञापन-पत्र दिनांक 20-7-87 में प्रेशर डिलीवरी से अस्वाभाविक मृत्यु होने एवं इस कार्य में कुछ स्टाफ नर्सों के लिप्त होने की बात कही गयी है ।

चूंकि न तो प्रेशर डिलीवरी कराया जाना और न ही किसी महिला की अस्वाभाविक मृत्यु होनी पायी गयी है, अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के दोषी होने अथवा उन्हें दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के तहसील हसनगंज एवं पुरवा के कतिपय ग्रामों तथा मार्कस नगर में जल प्रदूषण से उत्पन्न कथित बीमारी तथा रोकथाम की कार्यवाही

96—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद के तहसील हसनगंज के ग्राम दरियापुर में जल प्रदूषण के कारण कोढ़ियों की तादात लगातार बढ़ती जा रही है ? क्या इसी प्रकार पुरवा तहसील के ग्राम मवई के बटीबक्श खेड़ा गांव के सभी निवासी विकलांग हो गये हैं ? यदि हां, तो उक्त बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

97—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम मार्कस नगर के निवासी जल प्रदूषण के कारण विकलांग हो रहे हैं ? क्या सरकार की ओर से गांव के मध्य कुएं पर बोर्ड लगाया गया है कि इस कुएं का पानी पीना मना है ? क्या यह भी सच है कि जल निगम ने इसी कुएं से मिलाकर एक हैण्ड पम्प इंडिया मार्क-2 लगा दिया है ? यदि हां, तो इस हैण्ड पम्प का उपयोग क्या है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

उक्त ग्राम में कुछ विकलांग /रोगी हैं परंतु यह अध्ययन उपलब्ध नहीं है कि ग्रामवासी विकलांग हो रहे हैं ।

जी हां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की ओर से कुएं पर पानी न पीने की हिदायत लिखी गई है ।

जी नहीं, कुएं से कुछ दूर हटकर उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाया गया है । चूंकि हैण्ड पम्प से प्राप्त जल में विकलांगता उत्पन्न करने वाले तत्व उपस्थित नहीं है, अतः इसका जल पीने के लिए उपयोगी है, जबकि कुएं का पानी पीने योग्य नहीं है ।

98—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

99—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

[दिनांक 10-3-88 को अता0 प्र0 सं0 119 द्वारा उत्तरित]

सहकारी ऋण की वसूली के अंशदान को राजकीय कोषागार में जमा किया जाना एवं संग्रह कोष की आडिट

100—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी ऋण जिसका बतौर कलेक्टर से इजरा कराकर मालगुजारी वसूल किया जाता है, पर 10 प्रतिशत शुल्क राजस्व नियमों के अन्तर्गत वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो यह शासन के राजस्व प्राप्ति हेड में जमा न होकर जिला सहकारी बैंकों में क्यों जमा होता है ? क्या प्राप्त संग्रह शुल्क की जांच उत्तर प्रदेश के महालेखाकार द्वारा की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

संग्रह कोष नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित अंशदान राजकीय कोषागार में जमा होना है । जमा का लेखा शीर्षक निर्धारित कर दिया गया है और अब इस धनराशि को जमा कर दिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह कोष नियमावली 1982 के प्राविधानों के अनुसार संग्रह कोष का आडिट क्षेत्रीय लेखाधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ लेखाधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

101—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

[दिनांक 10-3-88 को अता0 प्र0 सं0 71 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में खेसारी की खेती पर प्रतिबन्ध एवं पुनः पैदावार की मांग

102—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के करईल क्षेत्र में बोयी जाने वाली मुख्य फसल खेसारी (लतरी) पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी खेसारी (लतरी) के बीज को दोषमुक्त करके इसकी पैदावार पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर पुनः बुआई कराने की अनुमति प्रदान करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

खेसारी की खेती सम्पूर्ण प्रदेश में निषिद्ध है ।

जी नहीं ।

अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका, शाहजहांपुर को सम्बोधित कथित शिकायती-पत्र

103—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-6-87, 20-9-87, 30-10-87 एवं 30-11-87 के प्रश्नकर्ता के पत्र, जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका शाहजहांपुर को सम्बोधित हैं एवं जिनकी प्रतियां जिला अधिकारी, शाहजहांपुर तथा आपको प्रेषित की गयी थीं, मिले हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-6-87, 20-9-87, 30-10-87 एवं 30-11-87 प्राप्त नहीं हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0 के निकाय के प्रतिनिधियों के निर्वाचन का स्थगन

104—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0 के निकाय के प्रतिनिधियों के नामांकन पत्र, दिनांक 30-1-88 को भरे जाने थे किन्तु उक्त तिथि को निर्वाचन अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां । निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु दिनांक 30-1-88 को नामांकन पत्र भरे जाने थे । दिनांक 29-1-88 को अचानक बिसवां, सीतापुर में छात्रों द्वारा शान्ति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30-1-88 को निर्वाचन अधिकारी के अचानक शान्ति व्यवस्था में व्यस्त हो जाने के कारण निर्वाचन अधिकारी दिनांक 30-1-88 की निर्वाचन कार्यवाही से अनुपस्थित रहे, जिससे दिनांक 30-1-88 की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी न हो सकी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सीतापुर केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार लि0 में कथित धन अपहरण की शिकायतों की जांच तथा कृत कार्यवाही

105—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सीतापुर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि0 में लाखों रुपयों के अपहरण की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो गबन करने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सहकारिता सेल के उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करायेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां । अपहरण के सम्बन्ध में श्री सूर्य प्रकाश सिंह प्रशासक, सीतापुर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, राजा बाजार ,सीतापुर का एक पत्र दिनांक 2-2-1988 प्राप्त हुआ था ।

जांच करायी जा रही है । जांच के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद व मेरठ में आलू की अगैती फसल के लिये सब्सिडी प्राप्त लोगों की संख्या

106—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद व मेरठ में आलू की अगली फसल के लिए 1987-88 में कितने लोगों को सब्सिडी दी गई है ? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस फसल की बुवाई के लिए एक्सपर्ट की कोई राय मांगी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

आलू की अगैती फसल के लिये वर्ष 1987-88 में गाजियाबाद जनपद में 1336 एवं मेरठ जनपद में 2201 लोगों को सब्सिडी दी गई है ।

इस फसल की बुवाई का कार्यक्रम ही तकनीकी अधिकारियों की राय से तैयार किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के खेकड़ा खण्ड में मण्डी बनाने की स्वीकृति

107—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के खण्ड खेकड़ा में मण्डी बनाना स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो यह मण्डी कब तक बन जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

योजना के प्रथम चरण का निर्माण कार्य वर्ष 1988-89 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

जनपद मेरठ के विकास खण्ड खेकड़ा के अन्तर्गत रटौल गांव व आसपास मैंगो बेल्ट घोषित करने की मांग

108—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विकास खण्ड खेकड़ा के अन्तर्गत गांव रटौल व आस-पास मैंगो बेल्ट घोषित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उपरोक्त मैंगो बेल्ट कब तक घोषित कर दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के साधन सहकारी समिति किशुनपुर द्वारा फर्जी वसूली के आरोप में शिकायती-पत्र पर जांच

109—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी की साधन सहकारी समिति किशुनपुर विकास खण्ड रामनगर द्वारा फर्जी कर्जे की वसूली करने व जनता को परेशान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-6-86 को उन्हें तथा सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां फैजाबाद डिवीजन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या किसी अधिकारी द्वारा जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

विकास खण्ड रामनगर के सहायक विकास अधिकारी (सह0) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया किन्तु उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही हो जाने के कारण पुनः अपर जिला सहकारी अधिकारी फतेहपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । अपर जिला सहकारी अधिकारी ने जांच का कई बार प्रयास किया किन्तु सचिव की अनुपस्थिति के कारण अभी तक जांच पूरी न हो सकी । सचिव को निलम्बित किया जा चुका है ।

श्रीमती मालती देवी पाण्डेय, सुपरवाइजर, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सुजानगंज, जौनपुर के वेतन का भुगतान

110—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मालती देवी पाण्डेय, हेल्थ सुपरवाइजर जो सी0 एम0 ओ0, जौनपुर के आदेश सं0 391-ई/स्वा0 ई0/85-86/402 (2), दिनांक 4-12-85 के अनुसार प्रा0 स्वा0 केन्द्र, डोभी (चन्दवक), जौनपुर से स्थानान्तरित होकर प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सुजानगंज, जौनपुर में कार्यरत हैं, के वेतन बकाया अंकन 9558.50 रुपया का भुगतान मु0 नं0 15177, सन् 1985 इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश दिनांक 20-12-85 एवं 14-5-86 के अनुसार करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो भुगतान न करने के कारण क्या है और उक्त महिला कर्मचारी को प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सुजानगंज, जौनपुर पर भी वेतन न देकर प्रताड़ित व अपमानित किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सन्दर्भगत श्रीमती मालती देवी पाण्डेय, हेल्थ सुपरवाइजर को देय रुपये 3324.40 का भुगतान दिनांक 30-10-86 को कर दिया गया है ।

श्रीमती पाण्डेय ने दिनांक 5-12-85 के स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में दिनांक 30-10-86 को प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सुजानगंज में कार्यभार ग्रहण किया वह दिनांक 5-12-85 से 29-10-86 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहीं । तद्नुसार उनका नवम्बर 1986 का ड्यूटी वेतन आहरित किया गया जिसे श्रीमती पाण्डेय ने नहीं लिया ।

श्रीमती पाण्डेय को प्रताड़ित व अपमानित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नगरपालिका, बांदा के रिटायर टैक्स मुहर्रिर के पेंशन आदि के सम्बन्ध में कथित शिकायती-पत्र

[111—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 27-7-87 का पत्र संख्या 273 बांदा जनपद के बांदा नगरपालिका के रिटायर टैक्स मुहर्रिर (श्री राम भरोसे अवस्थी) निवासी मुहल्ला छोटी बाजार (बांदा) के पत्र के साथ पेंशन आदि के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नकर्ता का कथित पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद के नगरपालिका अतर्रा के वार्ड नं0 1 के समस्याओं के निराकरण के संबंध में कथित शिकायती-पत्र

112—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ग, 021747, दिनांक 20-10-87 श्री स्वामी दीन आदि एवं श्री सुखदेव प्रसाद यादव के संलग्न पत्रों के साथ बांदा जनपद के नगरपालिका, अतर्रा के वार्ड नं0 1 के समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नकर्ता का कथित पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी समिति नहरी, बांदा द्वारा फर्जी ऋण वसूलने के संबंध में कथित आरोप

113—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 240, दिनांक 14 जुलाई, 1987 बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम सभा नहरी के मजार दिवली के श्री भइयादीन हरिजन के संलग्न पत्र के साथ सहकारी समिति, नहरी द्वारा फर्जी ऋण वसूलने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बांदा जनपद के नरैनी तहसील में भूमि के समतलीकरण हेतु चयनित क्षेत्र

114—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 17-7-87 का पत्र बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी में रंज नदी के पार ऊबड़-खाबड़ भूमि को समतल करके कृषि योग्य बनाने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

बांदा जनपद के तहसील नरैनी हेतु नेशनल वाटर शेड योजना की एक इकाई भूमि संरक्षण अधिकारी, नरैनी स्थापित कर दी गई है जिसका मुख्यालय अतर्रा में रखा गया है । यह इकाई रामगंगा करेली नाला वाटर शेड में कार्य कर रही है ।

चूंकि रंज नदी के किनारे का क्षेत्र चयनित जल समेट क्षेत्र के बाहर है अतः इस क्षेत्र में फिलहाल समतलीकरण का कार्य कराने की योजना नहीं है ।

जनपद फैजाबाद में ए0 एन0 एम0 एवं पूर्व में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियमित नियुक्तियां

115—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में ए0 एन0 एम0 एवं पूर्व में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों को अनियमित मानकर निरस्त करने का आदेश शासन द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो दोनों नियुक्तियों में क्या अनियमिततायें हैं ? क्या यह सही है कि जिन चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी की नियुक्तियों को अनियमित मानकर निरस्त किया है, वे कर्मचारी आज भी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों का वेतन अनियमित नियुक्ति करने के कारण संबंधित अधिकारी के वेतन से काटने का आदेश करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

कोई अनियमितता नहीं की गई ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम प्रशासन में अन्य सम्वर्गों से आये अभियन्ताओं के साथ भेदभाव की नीति अपनाये जाने का कथित आरोप

116—श्री रणजीत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित, प्रश्न कर्त्ता का पंजीकृत पत्र दिनांक 31-12-87 के पत्र की प्रति, जो कि उ0 प्र0 जल निगम में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के विद्युत्/यांत्रिक संवर्ग के अभियन्ताओं के प्रति जल निगम प्रशासन द्वारा बरती जा रही भेद-भाव एवं उपेक्षा पूर्ण उत्पीड़क-नीति तथा उक्त संवर्ग के अधिष्ठान पर बगैर कोई काम लिये, सालाना 7 (सात) करोड़ रुपये, जलनिगम प्रशासन द्वारा अपव्यय किये जाने के संबंध में था, आपके कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जल निगम प्रशासन द्वारा उक्त संवर्ग के साथ बरती जा रही भेदभावपूर्ण उत्पीड़क नीति को समाप्त करने तथा उक्त संवर्ग की कार्यदशा सुधारने के लिये श्री राजबिहारी सिंह समिति की संस्तुतियों को लागू कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये शासन स्तर से क्या आदेश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

विद्युत् एवं यांत्रिक सम्वर्ग में प्रोन्नति के अवसरों में वृद्धि करने तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में गठित समिति की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त शासन द्वारा तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग (अब जल निगम) को यह आदेश दिये गये थे कि वर्तमान मण्डलों तथा निर्माण शाखाओं में से कम से कम 20 प्रतिशत मण्डलों तथा निर्माण शाखाओं को विद्युत् एवं यांत्रिक मण्डलों एवं शाखाओं में परिवर्तित कर दिया जाये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया केन्द्र पर भण्डार गृह प्रभारी द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं के संबंध में शिकायती पत्र पर जांच

117—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया केन्द्र पर भण्डार गृह प्रभारी श्री जुगुल किशोर शाही द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कार्यों तथा कर्मचारियों को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1987 प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ एवं आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित आरोप क्या थे और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

माननीय विधायक श्री रणजीत सिंह का पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1987 निगम को प्राप्त हुआ है । दिनांक 15 सितम्बर, 1987 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

दिनांक 12-9-87 के पत्र में लाखों रुपयों का गोलमाल, जालसाजी, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप थे । जांच की जा रही है ।

जनपद देवरिया के साधन सहकारी समितियों के सचिवों के स्थानान्तरण की मांग

118—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के किन-किन साधन सहकारी समितियों के सचिव एक ही समिति में पांच साल या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं ? उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु आदेश दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां, देवरिया जिले की 93 साधन सहकारी समितियों में सचिव पांच साल या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं । इन समितियों की सूची माननीय सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं ।

रबी व खरीफ अभियान को दृष्टिगत रखते हुये प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण आदेश समय-समय पर निर्गत किये जाते हैं ।

श्री आर0 आर0 शर्मा, वरिष्ठतम अधिकारी की कृषि निदेशक के पद पर नियुक्ति

119—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठता सूची के अनुसार श्रेणी-1 में कौन अधिकारी वरिष्ठतम है ? वरिष्ठतम अधिकारी को कृषि निदेशक बनाने का आदेश शासन कब तक पारित करेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्रेणी-1 के वरिष्ठतम अधिकारी श्री आर0 आर0 शर्मा हैं, जो कृषि निदेशक के पद पर कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध चल रही सतर्कता जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

120—श्री रणजीत तथा मैनेजर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को सम्बोधित उप सचिव कृषि के पत्र संख्या 5609, दिनांक 12-1-86 द्वारा जिला कृषि अधिकारी, देवरिया श्रीकान्त उपाध्याय के विरुद्ध बैठायी गयी सतर्कता जांच पूरी हो गयी है? यदि हां ? तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं । उप सचिव, कृषि के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 5669/12—902-86, दिनांक 4-11-86 द्वारा प्रश्नकर्ता को यह सूचित किया गया कि देवरिया के जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) को सौंप दी गई है । प्रश्नगत मामले में विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) को सौंपी गयी जांच के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त जांच रिपोर्ट के संबंध में कृषि निदेशक की टिप्पणी मांगी गयी है ।

प्राप्त होने पर प्रश्नगत मामले में निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद जौनपुर में साधन सहकारी समितियों को फर्नीचर की आपूर्ति की जानकारी की मांग

121—श्री धनराज यादव—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में वर्ष 86-87 में साधन सहकारी समितियों को जो फर्नीचर आपूर्ति किया गया है, क्या उनकी खरीद औद्योगिक सहकारी समितियों से हुई है अथवा स्वयं सेवी संस्थाओं या पंजीकृत लघु उद्योगों द्वारा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या साधन सहकारी समितियों को एक ही फर्म ने फर्नीचर सप्लाई किया है अथवा कई फर्मों ने ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव की पुरवा तहसील में सहकारी बीज गोदामों के निर्माण में हुए घपले की जांच

122—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सहकारिता मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील में निर्मित अधिकांश सहकारी बीज गोदामों के निर्माण में हुए भारी घपले के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र जिसे मंत्री जी ने 1-8-87 पत्रांक 1318/वी0 आई0 पी0/87 के द्वारा स्वीकार किया गया है, पर हुई कार्यवाही की जानकारी देंगे ? क्या मंत्री जी को यह पता है कि सा0 स0 स0 बारा का भवन निर्माण माननीय मुंसिफ के स्टे के बावजूद वर्ष 86-87 में सिर्फ दो रातों में हुआ था इसलिये ईंटों की कोटि घटिया है, चुनाई ठीक से नहीं हुई है और सीमेन्ट मौरंग का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां, संदर्भित पत्र पर जांच कराने पर विदित हुआ कि उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील में निर्मित 12 सहकारी गोदामों में से मात्र 4 गोदामों के निर्माण में कुछ

कमियां थीं जिन्हें संबंधित ठेकेदारों के व्यय पर ठीक करा दिया गया । अतः उस पर अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी हाउसिंग डेवलपमेन्ट के अन्तर्गत कतिपय कालोनीज का निर्माण कार्य का पूरा न होने के विरुद्ध कार्यवाही

123—श्री अमिताभ अनिल दूबे—

क्या नगर विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी हाउसिंग डेवलपमेन्ट निर्माता, श्री एस0 एम0 सरीन द्वारा निर्माणाधीन इमलाक अनन्ता शीशमहल काशीराज एवं मिन्ट हाउस की अवधि 30-6-86 को समाप्त हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह कालोनीज तैयार हुई है ? क्या उक्त अवधि में कोई अभिवृद्धि स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो कब तक तैयार होगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

जी नहीं प्रश्नगत कालोनियां अभी तक पूर्ण रूपेण तैयार एवं विकसित नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

कालोनाइजर को प्रश्नगत कालोनियों में विकास कार्य पूर्ण न किये जाने के संबंध में नगर विकास अधिनियम 1973 की धारा 33 के अन्तर्गत दिनांक 7-2-1987 को नोटिस जारी की गयी है । इस प्रकार कालोनाइजर द्वारा विकास कार्य पूर्ण न कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

124—श्री अमिताभ अनिल दूबे—

क्या नगर विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी हाउसिंग डेवलपमेन्ट के निर्माता श्री एस0 एम0 सरीन द्वारा निर्मित इमलाक अनन्ता शीशमहल काशीराज एवं मिन्ट हाउस कालोनीज में रह रहे फ्लैट/शाप मालिकों को उनसे शाप/फ्लैट की पूरी कीमत लेने के बावजूद एग्रीमेन्ट के मुताबिक 24 घंटे पानी, पार्क, कम्युनिटी हाल, गारबेज आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों तथा उन्हें सुविधा कब तक प्रदान की जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नगत कालोनियों में रह रहे फ्लैट/शाप मालिकों तथा निर्माता के मध्य किस प्रकार का अनुबन्ध किया गया है तथा फ्लैट/शाप मालिकों द्वारा पूरी कीमत दी गयी है अथवा नहीं इसकी जानकारी विभाग को नहीं है । इस मामले का संबंध विकास प्राधिकरण से नहीं है अपितु मामला दुकान/फ्लैट मालिकों तथा कालोनाइजर के बीच का है जिसके लिये नियमानुसार वे ही कार्यवाही कर सकते हैं । कालोनी में वस्तु स्थिति यह है कि शापों फ्लैट मालिकों को कालोनाइजर द्वारा बिजली पानी एवं सीवर की व्यवस्था की गयी है । जहां तक विकास प्राधिकरण का संबंध है, प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत कालोनियों का पूर्णरूपेण विकास न करने हेतु कालोनाइजर को नगर विकास अधिनियम, 1973 की धारा 33 के अन्तर्गत दिनांक 7-2-87 को नोटिस जारी की गयी है और प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

125—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मथुरा जनपद में सहकारी प्राथमिक इकाइयों के चुनाव में हुई दुर्व्यवस्था

126—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री जी की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में 21 दिसम्बर, 1987 से शुरू होने वाले सहकारी प्राथमिक इकाइयों के चुनाव अधिकारियों के न पहुंचने के कारण अनेकों सहकारी समितियों में 21-12-87 को नामांकन नहीं हो सके थे ? यदि हां, तो कितनी समितियों में ? क्या यह सही है कि इस दुर्व्यवस्था के कारण इन सभी समितियों द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों को प्राथमिक समिति के बोर्ड व संघ के चुनावों से वंचित होना पड़ा ? क्या यह भी सही है कि रिक्त स्थान पर समितियों के प्रशासकों ने अवैध रूप से प्रतिनिधि नामिनेट कर संघ के चुनाव में सम्मिलित करा दिये गये ? यदि हां, तो क्या शासन ऐसे सहकारी संघों के चुनाव, संघों से संबंधित प्राथमिक समितियों के पुनः चुनाव कराने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

10 प्राथमिक समितियों में ।

संघ के चुनाव में पुराने प्रतिनिधि नियमानुसार तब तक उक्त समितियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जब तक उनके स्थान पर नये निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं । अतः वंचित रहने का प्रश्न ही नहीं है ।

इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है ।

अवशेष प्राथमिक समितियों एवं संघों के चुनाव रिक्त स्थान की पूर्ति निबन्धक, सहकारी, समितियां, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार 12 व 13 फरवरी, 1988 को सम्पन्न हो चुके हैं ।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज, रायबरेली के आपरेशन थियेटर में स्टाफ नर्स के स्थान पर ए0 एन0 एम0/बी0 एच0 डब्लू0 द्वारा कार्य लिए जाने का आरोप

127—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज, रायबरेली में विगत 5-6 माह से आपरेशन थियेटर में शल्य कार्य के समय स्टाफ नर्स के स्थान पर ए0 एन0 एम0/बी0 एच0 डब्लू से कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्टाफ नर्सों को बोर्डिंग भत्ते

128—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्टाफ नर्सों को बोर्डिंग भत्ता देय है ? यदि हां, तो क्या उसका भुगतान उन्हें किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

जी हां ।

नियमानुसार वर्षों से दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद के साधन सहकारी समितियों में सचिवों की संख्या में आरक्षित कोटा पूरा करने की मांग

129—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में साधन सहकारी समितियों में कुल कितने सचिव हैं उनमें कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं ? क्या वर्तमान अनुपात में अनुसूचित जाति के आरक्षण की पूर्ति हो जाती है ? यदि नहीं, तो कब तक आरक्षण पूर्ण होगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद के साधन सहकारी समितियों में कुल 80 सचिव हैं, जिनमें एक सचिव अनुसूचित जाति का है ।

अनुसूचित जनजाति का कोई सचिव नहीं है ।

जी नहीं ।

भविष्य में सचिवों के पद रिक्त होने पर आरक्षण की पूर्ति की जायेगी ।

130—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

स्व0 रामचन्द्र चड्ढा, स्वास्थ्य सहायक, अलीगढ़ की मृत्योपरान्त देय धनराशियों (पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, फण्ड आदि) का भुगतान

131—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 रामचन्द्र चड्ढा, स्वास्थ्य सहायक, अलीगढ़ की जनवरी, 1986 में मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसके समस्त लम्बित मामलों का निपटारा, देय धनराशियों (पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा फण्ड आदि) कब भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्वर्गीय श्री राम चड्ढा, स्वास्थ्य सहायक, अलीगढ़ की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहलता चड्ढा को निम्नांकित देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है :—

	रु0
1—अंतिम भुगतान निर्वाह भविष्य निधि	20,315.00
2—भविष्य निर्वाह निधि पर बीमा धनराशि	10,000.00
3—127 दिन के उपार्जित अवकाश की धनराशि	5480.85
4. सामूहिक जीवन बीमा	26,777.00
5—दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 8 जनवरी, 1986 तक का ड्यूटी वेतन	312.50

श्री चढ्ढा के परिवार को देय ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान उनकी पत्नी को भेजे गये समस्त निर्धारित प्रोफार्मा पूर्ण कर उनसे वापस प्राप्त न होने के कारण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजना सम्भव नहीं हो सका है ।

श्रीमती स्नेहलता चढ्ढा को कनिष्ठ लिपिक के पद पर बीमा चिकित्सालय, हाथरस में नियुक्ति भी प्रदान कर दी गयी है ।

भूमि प्रबन्ध समिति एवं प्राधिकरण, गाजियाबाद की भूमि पर हटाये गये अनधिकृत निर्माण

132—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड लोनी के अन्तर्गत गांव हसनपुर, मौवापुर व खोड़ा में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पुरानी आबादियों को बुलडोजर लगाकर धराशायी करवा दिया है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं । केवल भूमि प्रबन्ध समिति की भूमि तथा प्राधिकरण की अधिगृहीत भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माणों को हटाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा की नगर पालिका अतर्रा में सीवर लाइन बिछाये जाने की मांग

133—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 27-7-87 का पत्रांक 288/न0वि0-87, बांदा जनपद की नगर पालिका अतर्रा में सीवर लाइन बिछवाने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सीवर लाइन बिछवाने के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा अनुमानित प्राक्कलन क्या है तथा क्या सीवर लाइन बिछवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

अभी विस्तृत सर्वेक्षण तथा प्राक्कलन का विरचन नहीं किया गया है । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में सीवर योजना लागू किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

बांदा जनपद के नरैनी तहसील मुख्यालय में 25 शय्याओं का एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने की मांग

134—श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 27-7-87 का प0 280/स्वा-87, बांदा जनपद नरैनी तहसील मुख्यालय में 25 शैय्याओं का एलोपैथिक अस्पताल खोलने के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या भूमि की उपलब्धता को देखते हुए अविलम्ब अस्पताल खोला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

एतद् संबंधी दिनांक 27-7-87 का पत्र प्राप्त हुआ है । नरैनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का प्रस्ताव फरवरी, 1988 में शासन को प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है । शेष प्रश्न फिलहाल नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर के प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, जखोरा में विगत काल से चिकित्साधिकारी पद रिक्त होने के संबंध में शिकायती-पत्र

135—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 4-8-87 का पत्रांक ग,। 012305/स्वा0-87, जनपद ललितपुर के प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र जखोरा में लगातार दस वर्ष प्रभारी चिकित्साधिकारी पद रिक्त रहने एवं अनियमितताओं के संबंध में चन्दन सिंह भू0 पू0 विधायक के पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पेपर मिल कालोनी लखनऊ में आवंटियों द्वारा दो ब्लाकों के बीच की भूमि से अवैधानिक कब्जा हटाने की कार्यवाही

136—श्री मित्रसेन—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित पेपर मिल कालोनी में कितने ऐसे आवंटी हैं जिन्होंने दो ब्लाकों के बीच की भूमि पर बाउन्ड्री वाल तथा कमरे का निर्माण कराया है जिसके निर्माण से रास्ता अवरुद्ध हो गया है ? क्या यह निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनुमति से कराया गया है ? यदि हां, तो वह किस आधार पर ? यदि नहीं, तो प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण को हटाने हेतु कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

ऐसे आवंटियों की संख्या 45 है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जी हां ।

उक्त अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है ।

137—श्री मित्रसेन—

[उसे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गुरु तेज बहादुर नगर, इलाहाबाद के श्री जे0 एम0 मजूमदार उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से आरक्षित कोटे में भवन आबंटन की मांग संबंधी-पत्र

138—श्री विष्णु देव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें गुरू तेग बहादुर नगर,। इलाहाबाद में श्री जे0 एम0 मजुमदार पंजीकरण संख्या ए0 एल0 डी0/एग-650/6,।

दिनांक 30 अक्टूबर, 1979 को एम0 आई0 जी0 (ए) भवनों के आबंटन के विषय पर प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1985 व जनवरी, 1986 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्रों पर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से आख्या मांगी गई । प्राप्त आख्या के अनुसार श्री जे0 एम0 मजूमदार, उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् के छठें दौर के भूतपूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत पंजीकृत थे ।

दिनांक 11-11-83 को आयोजित आवंटन में इनका नाम सम्मिलित किया गया था । उक्त आवंटन में उनकी सहमति किस्त क्रय पद्धति पर भवन आवंटन हेतु प्राप्त हुई थी । नियमानुसार किश्त क्रय पद्धति पर एक भवन आरक्षित था जब कि उक्त दौर के 33 आवेदक आरक्षित कोटे के थे । इनके पक्ष में लाटरी ड्रा न होने के कारण इन्हें भवन प्रदिष्ट नहीं हो सका ।

यदि श्री मजूमदार परिषद् की झूंसी योजना इलाहाबाद, में भवनों/भूखण्डों के होने वाले आवंटन हेतु पड़ने वाली लाटरी ड्रा में सफल होते हैं, तो उनके पक्ष में भवन आबंटित कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विकास प्राधिकरण में विक्रय अधिकारी के कथित पद पर वेतन भुगतान की मांग

139—श्री विष्णु देव—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण में विगत तीन वर्षों से विक्रय अधिकारी के पद पर कौन कार्य कर रहा है ? क्या उसे विक्रय अधिकारी पद का वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और इस पद का वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विकास प्राधिकरण में विक्रय अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विकास प्राधिकरण में सहायक विधि अधिकारी द्वारा अपने कार्य के अतिरिक्त सक्षम अधिकारी का प्रतिनिधानित अधिकार

140—श्री विष्णु देव—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण में सहायक विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री देवी दत्त सांगुरी को बिना विधि संगत योग्यता के सक्षम अधिकारी के पद पर नियुक्त करने का क्या कारण है ? क्या श्री सांगुरी से दो पदों का कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या श्री सांगुरी दोनों पदों हेतु लोक सेवा आयोग से अनुमोदित है ? यदि नहीं, तो उक्त नियुक्ति का क्या आधार है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

श्री सांगुरी को सक्षम अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है बल्कि उनके वर्तमान पद के कार्य के साथ-साथ मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम 1962 की धारा 35 के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं के कर्तव्यों के निष्पादन हेतु अन्य अधिकारियों के साथ सक्षम अधिकारी का अधिकार प्रतिनिधायित किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री सन्त राम आभा की जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर तदर्थ एवं अस्थायी नियुक्ति

141—श्री विष्णु देव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण में श्री सन्त राम आभा को वांछित योग्यता एवं अर्हता न रखने के बावजूद जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है ? पदोन्नति में क्या श्री आभा से पहले किसी व्यक्ति का नाम था ? यदि हां, तो किसका और उसे छोड़कर श्री आभा को जन सम्पर्क अधिकारी बनाये जाने का क्या कारण है ? इस कार्य में कौन-कौन दोषी हैं और सरकार उनके प्रति क्या कार्यवाही करेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं । श्री संत राम आभा को उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित व्यवस्था होने तक पूर्णतया तदर्थ एवं अस्थायी रूप से कानपुर विकास प्राधिकरण में जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है ।

जन सम्पर्क अधिकारी का पद पदोन्नति का नहीं सीधी भर्ती का पद है अतः किसी को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1986-87 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैसर बाजार बस्ती के प्रभारी चिकित्साधिकारी डाक्टर आनन्द मोहन गुप्ता द्वारा किए गए कथित आपरेशन

142—श्री. सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 स्वा0 केन्द्र हैसर बाजार, बस्ती के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 आनन्द मोहन गुप्ता ने वर्ष 1986-87 में एवं 15-9-87 तक किन-किन प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर किसकी-किसकी नसबन्दी आपरेशन की है ? उनके नाम एवं पते क्या हैं तथा उनके प्रेरक कौन हैं ? उन केसेज का मूत्र परीक्षण किसने किया है ? क्या उनकी पश्चात्वर्ती सेवा की गयी है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और उनमें से किसको कम्बल वितरित किया गया है ? क्या नसबन्दी आपरेशन किये गये व्यक्तियों को इन्सेन्टिव मनी तथा प्रेरणा शुल्क जो दी गयी है वह प्रा0 स्वा0 केन्द्रों के कैश बुक में उसकी अलग-अलग प्रविष्टि की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैसर बाजार बस्ती में डा0 आनन्द मोहन गुप्ता नाम के कोई प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रश्नगत अवधि में तैनात नहीं थे ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के जहरीखाल ब्लाक ढढियाल साधन सहकारी समिति के सचिव द्वारा फर्जी ऋण देने की शिकायत पर कार्यवाही

143—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के जहरीखाल ब्लाक के अन्तर्गत ढढियाल नामक स्थान पर साधन सहकारी समिति के द्वारा श्री मोहन लाल पुत्र गयालु लाल निवासी ग्राम मठाली के नाम से माह जनवरी/फरवरी, वर्ष 1987 में तीन हजार रुपये का फर्जी ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज एडवोकेट द्वारा कानूनी नोटिस दिये जाने पर फर्जी मोहन लाल तथा समिति के सचिव द्वारा उक्त रकम समिति में जमा कर दी गयी थी ? क्या सरकार फर्जी मोहन लाल तथा समिति के सचिव के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही या न्यायिक जांच करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मार्च, 1987 में मु0 3000 रु0 का ऋण दिया गया था । समिति को अप्रैल, 1987 में शिकायत प्राप्त हुई थी कि श्री मोहन लाल के नाम से किन्ही श्री अमर सिंह ने फर्जी प्रमाण लगाकर ऋण ले लिया है ।

समिति द्वारा दिनांक 10-4-87 को श्री अमर सिंह को नोटिस दिया गया । श्री अमर सिंह ने दिनांक 13-4-87 को मु0 2000 रु0 समिति में जमा कर दिए शेष मु0 1000 रु0 ब्याज सहित पाना अवशेष है ।

सचिव को निलम्बित कर दिया गया है दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

इलाहाबाद शहर के अन्तर्गत अल्लापुर से हाशिमपुर रोड की ओर प्रवेश द्वार को चौड़ा करने की योजना

144—श्री अनुग्रह नरायन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि इलाहाबाद शहर के अन्तर्गत अल्लापुर के हाशिमपुर रोड की ओर स्थित प्रवेश द्वार को चौड़ा करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या जनहित में तत्काल प्रवेश द्वार का विस्तार कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

प्रस्ताव शासन को 19-9-87 को प्राप्त हुआ था जो विचाराधीन है चूंकि योजना की स्वीकृति अभी नहीं दी गई है अतएव योजना को पूर्ण किये जाने की अवधि बताया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सचिव, कृषि, मण्डी समिति, बरेली द्वारा 92 बोरी अवैध चावल से भरी ट्रक के विरुद्ध कार्यवाही

145—श्री नरेन्द्र पाल सिंह—

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, कृषि मण्डी समिति, बरेली ने 11-9-86 में एक ट्रक जिसमें 92 बोरी अवैध चावल पकड़ कर 12-9-86 में अभिग्रहीत कर न्यायालय में चालान कर दिया जिस पर जिला प्रशासन ने 3/7 की कार्यवाही करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उक्त चावल के मालिक का नाम क्या है एवं पकड़ने वाले सचिव तथा 4 अन्य मंडी कर्मियों को निलम्बित करने का कारण क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति बरेली द्वारा दिनांक 11-9-86 को 92 बोरी चावल से लदे एक ट्रक को पकड़ा गया तथा चावल के अभिग्रहण की कार्यवाही दिनांक 14-9-86 को की गई और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 केअन्तर्गत थाना इज्जतनगर में दिनांक 29-9-86 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ।

भारतीय खाद्य निगम ।

मंडी अधिनियम 1964 के अनुसार कार्य न करने के लिये संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

सुखरो देवी किसान सेवा सहकारी समिति लि0 कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल के सदस्यों की संख्या

146—श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

क्या सहकारिता मंत्री को मालूम है कि सुखरो देवी साधन सहकारी समिति लि0 कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल मे पूर्व वर्षों में संचालक मण्डल के सदस्यों की संख्या 10 थी ? यदि हां, तो अब उक्त समिति में संचालक मण्डल के सदस्यों की संख्या घटकर किस आधार पर हुई ? इसके लिए दोषी कौन है ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सुखरो देवी साधन सहकारी समिति लि0 कोटद्वार नाम की कोई सहकारी संस्था जनपद पौड़ी में नहीं है, वरन् सुखरो देवी किसान सेवा सहकारी समिति लि0 कोटद्वार है, जिसमें पूर्व वर्षों में संचालक मण्डल के सदस्यों की संख्या 10 थी और हाल के निर्वाचन में भी 10 संचालकों के निर्वाचन कराने की व्यवस्था की गयी थी, परन्तु 2 संचालक पदों के लिए कोई नामांकन पत्र प्राप्त न होने के कारण केवल 8 संचालकों का निर्वाचन ही हो सका, जिसके लिए कोई दोषी नहीं है ।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी के कतिपय मुहल्लों में मीठे पानी की आपूर्ति की मांग

147—श्री बदन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान फतेहपुर सीकरी में पहाड़ पर बसी हुई इन्दिरा घाटी, रोजेतल, नई बस्ती और शिवपुरी आदि सभी बसे मुहल्लों में खारी पेयजल की आपूर्ति अपूर्ण मात्रा में की जा रही है ? यदि हां, तो शासन वहां मीठे पानी की पूर्ण आपूर्ति क्यों नहीं करा रहा है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

मीठ पानी का स्रोत सीमित होने तथा धनाभाव के कारण वहां मीठे पानी की पूर्ण आपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

इलाहाबाद के अल्लापुर में निर्मित भवनों का विनियमितीकरण की कार्यवाही

148—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि सम्पूर्ण अल्लापुर इलाहाबाद में निर्मित भवनों के विनियमितीकरण हेतु पत्रांक संख्या एल0 एस0 जी0 डी0 लखनऊ-2018 ख/37-36(3) 25/66 दिनांकित 5-6-71 व 1981 में नगर विकास विभाग से शासनादेश संख्या 3014/27-2-81(38) (111) 25/66-81 जारी किया गया था ? यदि हां, तो इसके अनुसार सारे भवनों का विनियमितीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अब उपरोक्त नीतियों के अनुसार तत्काल विनियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

अल्लापुर इलाहाबाद में जिन निवासियों ने अनधिकृत निर्माण कर लिया है उनसे 6.90 पैसे प्रति वर्ग गज की दर से विकास शुल्क वसूल कराने के संबंध में राजाज्ञा संख्या-3014/37-2-81-36 (111)(25)/66 दिनांक 29 अप्रैल, 1981 जारी की गयी थी । वर्ष 1971 का प्रश्न में उल्लिखित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है चूंकि उसका पत्रांक सही प्रतीत नहीं होता ।

इस संबंध में जारी शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में इस सम्पूर्ण प्रकरण पर इलाहाबाद विकास प्राधिकरण अपनी बैठक में विचार करने जा रहा है । अब तक 2728 व्यक्तियों में से 272 व्यक्तियों के मामले नियमित किये जा चुके हैं ।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय स्थानों पर रेलवे डाट के पुल को चौड़ा कराने, विद्युत् शवदाह गृह बनवाने तथा जलभराव की समस्या के निराकरण संबंधी कार्यवाही की मांग

149—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा इलाहाबाद के अल्लापुर रेलवे डाट के पुल को चौड़ा करने, रसूलाबाद घाट पर विद्युत् शव दाह-गृह बनवाने तथा जार्ज टाउन टैगोर टाउन, अल्लापुर, एल0 आई0 सी0 कालोनी आदि में जल भराव दूर कराने हेतु कोई ज्ञापन दिनांकित 31 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई और कब तक कार्य पूरे हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार तत्काल प्रभावी कार्य कराने का कष्ट करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नकर्त्ता का कोई ऐसा ज्ञापन शासन को नहीं प्राप्त हुआ है ।

प्रश्न में उल्लिखित कार्यों के संबंध में वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

अल्लापुर इलाहाबाद में हासिमपुर के निकट स्थित प्रवेश द्वारा (रेलवे वाथा डाट नं0 171) को चौड़ा करने की योजना विचाराधीन है ।

2—रसूलाबाद घाट पर विद्युत् शव दाह गृह बनाने हेतु नियोजित स्थल के अध्यारन की कार्यवाही प्रगति पर है ।

3—जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, एवं एल0 आई0 सी0 कालोनी में जल भराव के जल निकासी की योजना विचाराधीन है ।

विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) क्षेत्रिय कार्यालय फैजाबाद द्वारा कृषकों के खाद के घपले से संबंधित कर्मचारियों के निलम्बन की मांग

150—श्री अवधेश प्रसाद—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले गुरुवार के तारांकित प्रश्न-2 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) के क्षेत्रीय कार्यालय फैजाबाद द्वारा उन्होंने लघु एवं सीमान्त कृषकों के खाद के घपले में जो जांच कराई थी, जिस पर जनपद फैजाबाद के थाना बीकापुर में अपराध संख्या 197/87 धारा 408/468/471 ए-120-बी राज्य बनाम सतीश कुमार जायसवाल सचिव दिनांक 24-6-87 दर्ज कराया था, उससे सम्बन्धित कर्मचारियों को क्या निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा के छपिया विकास खण्ड के कतिपय गांवों में सुलभ पेयजल हेतु शासन की योजना

151—श्री कौशिक रमाशंकर—

ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत आने वाले ग्राम बुकनापुर, सफदरपुर, हरखूपुर, शाहनगर, जमुनहा आदि गांवों में जहां हरिजन आबादी भी है, सुलभ पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामवार कितने सरकारी नल वर्ष 1985 से अब तक लगाये गये हैं ? क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम बुकनापुर, सफदरपुर, शाहनगर, हरखूपुर में हरिजनों को पानी पीने का कोई साधन सुलभ नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों में तत्काल सरकारी नल लगवाने के आदेश करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत ग्राम बुकनापुर में दो इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं, जिसमें से एक हरिजन आबादी के लिए लगाया गया है । शेष ग्राम सफदरपुर, शाहनगर, हरखूपुर में अभी इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं । जमनहा राजस्व ग्राम नहीं है । यह बदरहा ग्राम का पुरवा है । इस ग्राम में भी अभी इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं ।

ग्राम सफदरपुर, शाहनगर, हरखूपुर एवं जमुनहापुरवा में वर्ष 1988-89 में इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है ।

वाराणसी जनपद में वाराणसी से सिंधोरा क्षतिग्रस्त रोड के निर्माण की मांग

152—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी जनपद के अन्तर्गत वाराणसी से सिंधोरा जाने वाली रोड पर स्थित भोजूबीर तिराहा से नबलपुर बसही चुंगी आदि तक रोड काफी क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त रोड का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

प्रश्नगत रोड, सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु कार्यवाही चल रही है ।

रानीखेत के भेषज विकास योजना में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने एवं योजना को सुदृढ़ीकरण करने की मांग

153—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि रानीखेत में भेषज विकास योजना सन् 1949 से लागू है जिसके अन्तर्गत विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी आज भी अस्थायी हैं ? क्या शासन ने सन् 1985 में इस योजना को सुदृढ़ीकरण करते हुए डिप्लोमा डिग्री कोर्स के साथ प्रारम्भ करने का आदेश दिया है ? क्या इसी सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ उपरोक्त अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थायी कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

20 पदों पर कर्मचारी स्थायी हैं ।

जी नहीं ।

भेषज योजना के अन्तर्गत केवल 21 स्थायी पदों के विरुद्ध 20 पदों पर कर्मचारी स्थायी किये जा चुके हैं । भेषज विशेषज्ञ का केवल एक पद शेष रह जाता है जिस पर स्थायीकरण किया जाना है । उक्त पद पर कार्यरत अधिकारी की नियुक्ति अस्थायी रूप से की गयी है, अतः उक्त अधिकारी के स्थायीकरण पर अभी विचार नहीं किया गया ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से संबंधित आज मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या 7 था, जिस पर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि, उन्होंने जी0 ओ0 के बारे में कहा है कि जनपद फैजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर पर ही एक प्रसार शिक्षक ऐसे हैं, जो माह अप्रैल, 1987 से अपने गृह जनपद के गृह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत हैं । लेकिन वह अप्रैल, 1987 से नहीं पिछले 10वर्षों से अपने गृह जनपद में हैं । दूसरे माननीय मंत्री जी ने कहा किवर्ष 1988-89 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के दिशा निर्देश अभी जारी न किये जाने के कारण सम्प्रति प्रश्नगत कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । मान्यवर, इसमें माननीय मंत्री जी ने तथ्यों को छिपाया है । उन्होंने 7 तारीख को स्थानान्तरित करके भेज दिया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सदन को गुमराह करने के लिये विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दीजिये ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, एक दूसरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिये ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, दूसरा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

हो चुका । एक व्यवस्था पर तीन-तीन व्यवस्थाएं नहीं होंगी ।

श्री राजकिशोर सिंह—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप व्यवस्था कहकर प्रश्नों की बात उठाना चाहते हैं । आप बैठें ।

प्रदेश के बुनकरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधान सभा के सामने धरना देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत आज 19 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 7 सूचनाएं शलाका द्वारा स्वीकार की गयीं हैं जिसमें माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा, माननीय डा0 दिनेश जौहरी, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह, माननीय राम सजीवन, माननीय बलराम यादव, माननीय मो0 आकिल उर्फ मुन्ना मियां, माननीय शिव नारायण मिश्रा इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी ।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त लोकमहत्व सुनिश्चित विषय की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ।

जनता पार्टी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के कोने-कोने से आये हुये हजारों बुनकर आज विधान सभा के सामने धरना दे रहे हैं । बुनकरों की मांग है कि सूत का दाम पूरे एक वर्ष के लिये निर्धारित किया जाय, सूत और कपास का निर्यात बन्द करके बुनकरों द्वारा तैयार कपड़े का निर्यात किया जाय । सूत की मूल्य वृद्धि के अनुपात में बुनकरों द्वारा तैयार कपड़े का दाम बढ़ाया जाय । उ0 प्र0 हथकरघा निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाया जाय, ताकि गरीब बुनकर भी निगम से लाभान्वित हो सकें तथा आन्दोलन के दौरान जो मुकदमें चल रहे हैं, उन्हें वापस लिया जाय ।

मैं चाहूंगा कि प्रदेश के लाखों मजदूरों ने उनके असन्तोष को दूर करने के लिये सार्थक और प्रभावी कदम उठायें ।]

महानगर बरेली में नकटिया सेतु पर पथकर समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 दिनेश जौहरी—

[मान्यवर, बरेली महानगर में दिनांक 21-2-88 को राष्ट्रीय मार्ग पर नकटिया सेतु का निर्माण किया गया है । बरेली नगर से शाहजहांपुर की ओर आने जाने वाली हजारों वाहन यहां से गुजरते हैं । फरीदपुर, मोहनपुर व ठिरिया आदि क्षेत्रों से हजारों लोग प्रति-दिन नगर को आते हैं व इतने ही नगर से इन क्षेत्रों में व्यवसाय व काम के लिये जाते हैं ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कुछ लोगों को कई-कई बार आना जाना पड़ता है । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस सेतु पर से गुजरने वाले वाहनों से पथ कर लेना प्रारम्भ कर दिया है । पथ कर से एक तो नित्य आने जाने वालों पर आर्थिक भार बढ़ा है दूसरे मार्ग अवरुद्ध होता है व वाहनों को घंटों रुकना पड़ता है ।

यह सेतु महानगर की सीमा के अन्दर है तथा पुराना पुल के जर्जर हो जाने पर ही बनाया गया है इसलिये इस पर पथ कर लिया जाना उचित नहीं है । बरेली के नागरिक इससे चिन्तित हैं ।

अतः मैं मांग करता हूं कि नकटिया सेतु से पथ कर समाप्त किया जाय व इसकी वसूली तुरन्त रोकी जाये ।]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों एवं लाजों में सहकारिता द्वारा स्टूडेन्ट मेस एवं कामन किचन योजना चलाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[महोदय, छात्रावासों या लाजों में संगठित रूप से रहने वाले छात्रों, नौजवानों के कुपोषण को दूर करके सस्ता, पौष्टिक, भोजन उपलब्ध कराने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा स्टूडेन्ट मेस और कामन किचेन चलाने का प्राविधान किया गया है । देश के गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में इस तरह का भोजनालय सुचारु रूप से चल रहा है किन्तु दुःख की बात है कि उ0 प्र0 इस ओर से आंखें मूंदे पड़ा है । इलाहाबाद विश्वविद्यालय अध्ययन का केन्द्र रहा है । गंगानाथ झा छात्रावास, प्रभदाचरण बनर्जी छात्रावास, अमरनाथ झा छात्रावास, सरसुन्दर लाल छात्रावास, सरोजनी नायडू छात्रावास, इन्दिरा प्रियदर्शिनी छात्रावास, कालीप्रसाद यूनिवर्सिटी कालेज, हिन्दू छात्रावास, मुस्लिम बोर्डिंग हाउस, जैन छात्रावास, ईश्वरशरण आश्रम छात्रावास, राजेन्द्र छात्रावास, हालैण्ड हाल छात्रावास, प्रिंसटन व रे छात्रावास, ई0 सी0 सी0 डी0 सी0 लाज, चौधरी लाज राजापुर, गणेश लाज, आदि स्थानों पर हजारों छात्र निवासित हैं । महंगाई के इस भीषण दौर में पौष्टिक और सस्ता भोजन न मिलने से वह तमाम रोगों से ग्रसित हो रहे हैं । पिछले वर्ष खाने के पदार्थों में 13 प्रतिशत से 43 प्रतिशत महंगाई बढ़ने से अभिभावकों पर भी बुरा असर पड़ा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यान आकर्षित करके तत्काल इलाहाबाद में सहकारिता विभाग द्वारा स्टूडेन्ट मेसों को खुलवाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बांदा की करबी नगरपालिका के अन्तर्गत सड़क अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सजीवन—

[मान्यवर, बांदा जिले की चित्रकूट धाम नगर पालिका करबी में करबी कचेहरी के सामने कोठी तालाब के पास करबी राजापुर मार्ग की पटरी पर विगत वर्ष में आम जनता के

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लिये निर्मित शौचालय को तोड़कर गिरा दिया गया है और वहां की कीमती जमीन पर डाक्टर आभा नामक एक व्यक्ति को अवैध तरीके से अतिक्रमण करा दिया गया है और टिन सेड बनवा दिया गया है । जनता और जन प्रतिनिधियों द्वारा कई बार प्रभारी अधिकारी नगर-पालिका से शिकायतें की गयीं और अतिक्रमण हटाने की मांग की गयी किन्तु उक्त अतिक्रमण को हटाया नहीं गया । प्रभारी अधिकारी द्वारा अतिक्रमण को बरकरार बनाये रखने के लिये सारे घिनौने हथकण्डे अपनाये जा रहे हैं । उसके विरुद्ध अदालत में मुकदमा चला-कर मामला अदालत में विचाराधीन होने का बहाना किया जा रहा है, जिलाधिकारी से भी शिकायतें की गयीं किन्तु उन्होंने भी अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की । सचिव, नगर विकास ने भी अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट आदेश दिये थे किन्तु जिलाधिकारी ने उसका भी अनुपालन नहीं किया ।

जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी आदि की अतिक्रमणकारी से सांठ-गांठ है जिससे अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है और वहां पर शौचालय का निर्माण नहीं कराया जा रहा है । इससे जनता को बड़ा कष्ट है तथा भीषण रोष और असंतोष व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये अतिक्रमण तुरन्त हटाने की मांग करते हैं ।]

जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में भीषण वृष्टि के कारण हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलराम यादव—

[महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

गत वर्ष माह सितम्बर, 1987 में भयंकर तूफानी वृष्टि के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र अतरौलिया, जनपद—आजमगढ़ के सम्पूर्ण भाग में जल भराव के कारण भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । वहीं पर भयंकर तूफानी वर्षा के कारण तमाम मकान भी गिर कर ध्वस्त हो गये थे । विशेषकर छोटी सरजू नदी, मिकिया नदी, हुडिया ताल तथा कौडिया मदन पट्टी, आदि तालों के किनारे के गांव के मकान भयंकर रूप से प्रभावित रहे हैं । ग्राम वैशपुर, चतुरपुर, भरसानी, सिकन्दरपुर, भटपुरवा, धिरई पट्टी, मिऊरा, अगया सेल्हरापट्टी, शेखपुर, गोरधानी, मठिया, खीरीडीहा, बांसपुर, डंडवा महादेवपुर, कड़सड़ा, प्रतापपट्टी, करमैनी तथा अनन्सरपुर, मधई पट्टी, दहेलु विकास खण्ड अतरौलिया तथा लाला पट्टी इब्राहीमपुर बड़े गांव मुबारकपुर केशवपुर घनघटा जम्बारी, शेखा हुसेनपुर, पिपरी, भिडारी, सारंगपुर, मोदपुर, भीमाकोल, रामपुर, मदन पट्टी, भैरोदास, मल्ले-पट्टी ग्रामों में अधिकांश मकान गिर कर ध्वस्त हो गये थे । गरीब ग्रामीणों को इस भयंकर दैवी प्रकोप के कारण गिरे मकानों का पुनर्निर्माण तथा मरम्मत हेतु आज तक कोई भी अनुदान न मिलने से ग्रामीणों में काफी रोष व क्षोभ व्याप्त है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला मुरादाबाद की सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति अविलम्बनीय व लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 मुरादाबाद में मनमाने ढंग से किसानों के गन्ना मूल्य से जबरदस्ती 20 पैसे प्रति कु0 रोड फण्ड के नाम से कई वर्षों से काटा जा रहा है जबकि अन्य किसी भी गन्ना समिति में ऐसा नहीं हो रहा है। इस रोड फण्ड के नाम से एकत्र धन को उक्त समिति के कर्मचारी व अधिकारी आपस में बांट लेते हैं। इस समय गन्ना मूल्य का भुगतान बिना कमीशन लिये नहीं किया जाता। वर्ष 1977-78 का गन्ना मूल्य का लाखों रुपये का भुगतान अनपेड रजिस्टर से गुम हो जाने का बहाना करके विगत दस वर्षों से किसानों को नहीं दिया गया है। समिति पासबुक के नाम पर 5 रुपये प्रति पास बुक गत वर्ष की पास बुक का वसूला जा रहा है तथा दोबारा-तिबारा समिति हिस्सा वसूल कर रहे हैं। सचिव द्वारा धन लेकर सीजनल चपरासियों व पर्ची वितरकों की अनेकों नियुक्तियां की गई हैं।

अतः मैं 1977-78 का गन्ना मूल्य का अविलम्ब भुगतान कराये जाने तथा मिल द्वारा पेमेन्ट कराये जाने तथा पूर्ण प्रकरण की जांच कराने व दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं।]

जिला सुल्तानपुर के ब्लाक भदैया में भीषण ओलावृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव नारायण मिश्र—

[महोदय, दिनांक 11-3-88 को मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदा के अन्तर्गत ब्लाक भदैया, लम्बुआ, प्रतापपुर कमैचा में भीषण वर्षा एवं ओला से किसानों की फसल को भारी क्षति हुई है। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो गयी है। ब्लाक भदैया के अन्तर्गत एक किलोमीटर की चौड़ाई में लगभग आठ किलोमीटर की लम्बाई में इतने बड़े-बड़े पत्थर गिरे कि ग्राम पखरौली, हनुमानगंज, गोपालपुर, अगिया कला, सिपतापुर, लोदीपुर पुरवागराय, रामचन्द्रपुर, सातनपुर, भरथीपुर, नारायनपुर, मुद मुरारपुर, कन्धईपुर के फसल खेतों में ही जमीन में पौधे धंस गये। इन गांवों में मनुष्यों के जीविका उपार्जन की भीषण समस्या खड़ी है। मैं दिनांक 13-3-88 को मौके पर पहुंच कर देखा और किसानों से मिला। किसानों की हालत अत्यन्त दयनीय हो गयी है।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरसन से मांग करता हूं कि उक्त ब्लाकों एवं ग्रामों में यथाशीघ्र राहत कार्य चलाये जाय तथा पशुओं के चारे की व्यवस्था एवं किसानों की आर्थिक सहायता दिलाते हुए लगान माफ तथा सारी वसूली तत्काल स्थगित करायी जाय।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है, विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के बारे में, उनके पे स्केल के बारे में है। दूसरी माननीय हरीश जी की तीन साला डिग्री कोर्स बिना किसी योजना के

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लागू कर देने के बारे में है और तीसरी सूचना माननीय सूर्य प्रताप शाही, माननीय डा0 दिनेश जाहिरा और माननीय कुंवर मानवेन्द्र सिंह को उ0 प्र0 सहकारी अधिनियम, 1965 के बारे में है । जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का मामला है, विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों का मामला सदन में नहीं उठाया जा सकता है । माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आकर इस मामले पर विचार-विमर्श कर सकते हैं । जहां तक सूचना नम्बर 2 और 3 का प्रश्न है ये नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर,, जो संविधान में राज्य के कर्तव्य निर्देशित हैं, उनकी अवहेलना की गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

वह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, सुन लें तो आ जायेगा ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का नवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का नवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का दसवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री फजलुल बारी—

जब नियम 56 अ ना होता है, तो माननीय उपाध्यक्ष जी आप ही उस आसन पर पीठासीन होते हैं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत आज 18 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(1) श्री मित्रसेन की साकेत महाविद्यालय अयोध्या फैजाबाद के छात्रों पर परिसर में पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

(2) सर्वश्री विक्रमादित्य पाण्डेय, गौरी शंकर भइया, राम गोविन्द चौधरी, श्री शारदा नन्द अंचल, शिव मंगल सिंह, मैनेजर सिंह और श्रीमती विजय लक्ष्मी की बलिया जनपद के जिलाधिकारी द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।।

नोट—†छापे नहीं गये ।

(3) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की मेडिकल कालेज, लखनऊ की इमरजेन्सी वार्ड में सुई, पट्टा ए0 टी0 एस0 आदि की उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

(4) श्री अशोक बाजपेयी की प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थापित 10 मंडलीय विकास निगमों को सरकार द्वारा बन्द किये जाने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

(5) सर्वश्री रामचन्द्र बख्श सिंह, हृदय नारायण दीक्षित, फजलुल बारी, राजकिशोर सिंह दिवाकर विक्रम सिंह, शारदा प्रताप, कौशिक रमा शंकर और हरिशंकर तिवारी— एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर के निदेशक एवं कुलपति के उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

(6) श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष तथा अराजक तत्वों द्वारा विश्वविद्यालय के इंजीनियर की पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

(7) श्री पारस नाथ यादव की पुलिस के षड़यन्त्र से निर्दोष ग्राम प्रधान को फांसी की सजा दिलाने की साजिश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

(8) सर्वश्री डा0 दिनेश जौहरी, अवनीश कुमार सिंह, श्याम बिहारी सिंह, मयंकर सिंह, कु0 मानवेन्द्र सिंह और किशन लाल की प्रदेश से बड़े पैमाने पर युवतियों को खाड़ी देशों में निर्यात किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

(9) श्री बलराम यादव की दहेज के लिए श्रीमती लीला देवी, निवासी धुमनी बाजार, थाना—फजलगंज, जिला कानपुर की हत्या किये जाने पर पुलिस की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

(10) श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी की मेरठ के किसान आन्दोलन के उपाध्यक्ष कैप्टन भोपाल सिंह आदि किसानों की गिरफ्तारी के उपरान्त जेल में हो रहे अत्याचार के संबंध में है ।

(11) श्री काशी सिंह ऐरी की पर्वतीय विकास संघर्ष समिति एवं उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी आदि संगठनों द्वारा विधान भवन के समक्ष दिये जा रहे धरने के सम्बन्ध में है ।

(12) श्री शतरुद्र प्रकाश और श्री शफीकुर्रहमान वर्क की प्रदेश में बुनकरों की सूत की समस्या के फलस्वरूप उनके आर्थिक संकट के संबंध में बुनकरों द्वारा आज विधान भवन के समक्ष दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

(13) श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा

(14) श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की भी सूचनाएं इसी संबंध में है ।

(15) श्री अचल सिंह की जनपद फतेहपुर के ब्लाक मलवा और दयाभर्ई के गांवों में कुओं का पानी सूख जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

(16) श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी और श्री जगवीर सिंह की अलीगढ़ जनपद में ओला-वृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में है ।

(17) श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री किशन लाल और श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह की प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 119 बच्चों के लापता होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

(18) सर्वश्री रघुबर दयाल वर्मा, विजय सिंह राणा और मनोहर लाल की भयानक सूखे के कारण फिरोजाबाद क्षेत्र के अधिकांश गांवों में पानी का जल स्तर नीचे गिर जाने से उत्पन्न पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल देर तक हाउस चला था, इसलिए आज समय का ख्याल रखें। ग्राह्यता पर संक्षेप में ही बोलें। एक सूचना पर एक-एक आदमी ही बोले। मित्रसेन जी आपको अपनी सूचना के संबंध में क्या कहना है? संक्षेप में कहें।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, कल अयोध्या के साकेत महाविद्यालय के छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चार्ज किया गया। वहां के छात्र बस्ती-फैजाबाद रोड पर कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। बगैर किसी पुलिस अधिकारी के बगैर किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के उन पर पुलिस और पी0 ए0 सी0 ने लाठी चार्ज किया। इतना ही नहीं, मान्यवर, पुलिस ने कैम्पस में घुसकर और कैम्पस गेट को तोड़कर प्रवेश किया और उसके बाद छात्रों के कमरों में जाकर उनको बुरी तरह मारा। जो छात्र ऊपर की ओर जंगले आदि पर चढ़ गये थे, उनको भी घसीट-घसीट कर बुरी तरह मारा गया। तीन छात्रों को मैंने अस्पताल में जाकर देखा, जिनकी कमर की हड्डी टूट गई है और शायद वह कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पायेंगे, इस तरह उनकी पिटाई हुई है। इसी तरह 21 विद्यार्थियों को भी मैंने कोतवाली में देखा, जिनकी इतनी पिटाई हुई थी कि उनको मरहम पट्टी वगैरह वहीं कोतवाली में कराई जा रही थी। मान्यवर, इससे पहले कभी भी इस तरह का बर्बर लाठीचार्ज वहां नहीं हुआ था। वहां पर इतने लोग मारे गये हैं, जिससे सभी लोगों में आतंक व्याप्त हो गया है, इस पिटाई में प्रोफेसर्स को भी चोटें आई हैं, जो अपने बयान को देने में आशंकित हैं। मान्यवर, घटना के अनुसार वाराणसी से फैजाबाद आने वाली ट्रेन में कुछ छात्र यात्रा कर रहे थे, मजिस्ट्रेट चेकिंग के समय एक छात्र शिवराज मिश्रा नाम का भागा, उस छात्र को बाद में पकड़कर बहुत मारा गया और जब और छात्रों ने बीच में पड़ने की कोशिश की, तो उनको भी बुरी तरह मारा गया। मान्यवर, वहां छात्रों में इस घटना को लेकर अत्यन्त आक्रोश व्याप्त है और उनमें एक आन्दोलन की भावना पैदा हो गयी है। हमारा आपसे निवेदन है कि कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर या तो आप चर्चा करा दें या आप इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर गृह मंत्री जी का वक्तव्य दिला दें। ताकि शासन के जानकारी में भी यह मामला आ जाये। छात्रों के आन्दोलन से पूरे प्रदेश में इसका असर पड़ सकता है और जो बोर्ड की परीक्षायें चल रही हैं, उनमें भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

मान्यवर, घटना इस प्रकार है कि छात्र बिना टिकट ट्रेन में चल रहे थे। मजिस्ट्रेट चेकिंग के समय जो छात्र बिना टिकट थे, वह भागे, इस चेकिंग दल के साथ जो पुलिस बल होता है, उसने उनको रोका, लेकिन वह नहीं माने। इस दौरान और भी जो छात्र बिना टिकट चल रहे थे, उनको पुलिस ने पकड़ा, इतने में वहां और भी छात्र इकट्ठा हो गये और अपने साथियों को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जब उनको नहीं छोड़ा गया तो कुछ छात्रों ने जाकर सड़क पर रास्ता जाम कर दिया, जिससे वहां पर यातायात अवरुद्ध हो गया। यह देखकर वहां पर कुछ पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 के जवान आ गये और उन्होंने अवरुद्ध की जा रही सड़क को साफ करने का प्रयास किया, तो छात्रों ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे कुछ पुलिस के जवानों को भी चोटें आईं और तब मजबूर होकर पुलिस को वहां थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ा,

जिससे 7-8 छात्रों को भी चोटें आई हैं । इस वक्त वहां पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है । अतः इस पर चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, बलिया जनपद में पूरी तरह से विकास कार्य ठप्प पड़ा हुआ है, वहां का जिलाधिकारी न तो जन प्रतिनिधियों की बात को सुनता है और न ही जनता की कोई बात सुनता है । वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी कोई बात मानने को तैयार नहीं होता । उसका सारा ध्यान पुरस्कार लेने की तरफ लगा हुआ है, जो शासन ने नसबन्दी और एन0 एस0 सी0 के लिये घोषित किया हुआ है । विभिन्न विभागों की गाड़ियों को उसने अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए लगा रखा है और अपनी औरत को आंकाक्ष समिति का अध्यक्ष बनाकर हर प्रकार से शासनादेशों की अवहेलना की जा रही है । मान्यवर, उसने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की महिलाओं को इस कार्य में लगाकर पूरी तरह धन उगाही का काम शुरू कर रखा है । निर्माण कार्यों में जो पैसा लगाना चाहिये, वह नहीं लगाया जा रहा है । सभी शासनादेशों की अवहेलना करके जिलाधिकारी निरंकुश तरीके से दूसरी मदों में निर्माण कार्यों का पैसा खर्च कर रहे हैं और यही नहीं वह फर्जी नसबन्दी तथा एन0 एस0 सी0 के खातों को भरने के लिए भी उस पैसे को लगा देते हैं । जब जन प्रतिनिधि उनसे कोई शिकायत करते हैं कि हमारे यहां कोई अस्पताल नहीं बन रहा है, स्कूल नहीं बन रहा है, विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वह कहते हैं कि हम राष्ट्रीय कार्यक्रम में काम कर रहे हैं । मान्यवर, पूरी तरह से एन0 एस0 सी0 तथा फर्जी नसबन्दी के कार्य में जिलाधिकारी लगे हुए हैं । हरदेव जी यहां पर बैठे हैं, वह भी जानते हैं । वहां पर 70 वर्षीय दसों महिलाओं को जिलाधिकारी ने जबरदस्ती नसबन्दी करवा दिया और अपना फर्जी कोटा पूरा कर लिया है मान्यवर, यह चोरावा गांव की महिलाओं की जबरदस्ती नसबन्दी कर दी गई है । भूमि के बाबंटन में पैसा, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के भविष्य निधि का पैसा, जो लगभग 65 लाख रुपये हैं, एन0 आई0 ई0 पी0 का पैसा, आर0 एल0 जी0 पी0 का पैसा, जो सड़क निर्माण आदि पर खर्च होना चाहिये था, उस सारे पैसे को लेकर जिलाधिकारी ने एन0 एस0 सी0 में जमा करा दिया, कार लेने के लिए, टेलीविजन लेने के लिए और फ्रिज लेने के लिए । जिलाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है । आज पूरे बलिया जनपद में हाहाकार मचा हुआ है । श्री हरदेव जी ने नियम 51 के अन्तर्गत सूचना भी दी थी, किन्तु उसे आपने अस्वीकार कर दिया । आज बलिया के सभी विधायकों ने एक स्वर से जिलाधिकारी के इस निरंकुश कार्यवाही के लिये कार्य स्थगन दिया है । यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है । शासनादेश की अवहेलना यह जिलाधिकारी कर रहा है । लोक कल्याणकारी कार्यों को यह जिलाधिकारी बदनाम करने पर तुला हुआ है । इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पर 2 घंटे की चर्चा कराई जाय और इसका कोई समाधान निकाला जाय ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी स्थिति गम्भीर है । हम मानते हैं कि नसबन्दी व राष्ट्रीय बचत का कार्य एक राष्ट्रीय कार्य है, इसका सभी समर्थन करते हैं । आज एक राष्ट्रीय कार्य को बलिया का जिलाधिकारी विकृत कर रहा है । आज वहां पर जनता में रोष व क्षोभ व्याप्त है । वहां पर 70-80 वर्ष की विधवाओं की नसबंदी हुई है । माननीय हरदेव जी के क्षेत्र में 60 से लेकर 75 वर्ष का आयु वाली महिलाओं की

नसबन्दी हुई है । हरदेव जी के क्षेत्र में जिन विधवाओं की नसबन्दी हुई है, इन्होंने मुझे बयान दिया है कि इज्जत भी चली गयी और जमीन भी नहीं मिली । श्री हरदेव जी जब शिकायत करते हैं तो हमारे जिलाधिकारी कहते हैं, जानते नहीं, विधायक जी, अब राजीव जी हमसे सीधे बात करते हैं, आपका टिकट कट जायेगा, यदि आप हमारे कार्यक्रम का विरोध करेंगे । आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसलिये इस पर गम्भीरता से विचार करना है । राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम में सरकार के धन को जमा करने की शासन की क्या नीति है ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसे बताने का कष्ट करें । एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 जी0 पी0 व जी0 पी0 एफ0 के पैसे को उठाकर जिलाधिकारी राष्ट्रीय बचत खाते में जमा कर रहा है । इसके लिये उसे इनाम मिलना है । मैं कहना चाहता हूं कि आपको यह इनाम देने की प्रक्रिया को भी बदलना होगा । मैं निवेदन करता हूं कि आप इस विषय पर माननीय सदस्यों को 2-2 मिनट अवश्य सुन लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आदरणीय सदन में ह्विप देने की व्यवस्था तो है लेकिन किसी माननीय सदस्य को धमकाने की व्यवस्था नहीं है । अब आप देखें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने श्री हरदेव जी को बुलाया है और उन्हें धमका रहे हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि आप माननीय सदस्य को संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें ।

*श्री हरदेव—

मान्यवर, मैं दूसरे विषय पर माननीय मंत्री जी के पास बात करने आया हूं । मैंने तो नियम-51 में पहले ही यह सूचना दी थी और आपने उसे अस्वीकार कर दिया था । मैंने इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहा है और राजस्व मंत्री जी से भी कहा है । मैं तो स्वयं ही इस मामले में चिंतित हूं ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अलोकतांत्रिक, निरंकुश व जनतंत्र विरोधी, बलिया के जिलाधिकारी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । फेमिली प्लानिंग का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से बलिया का कलेक्टर फेमिली प्लानिंग में गलत काम कर रहे हैं, उससे वहां की जनता में असन्तोष है और आज स्थिति वहां पर विस्फोटक हो गई है । श्रीमन्, एन0 एस0 सी0 को पूरा करने के लिये बलिया के कलेक्टर ने प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का प्रावीडेण्ट फण्ड का 40 लाख रु0 जमा कर लिया, क्षेत्रीय निधि का पैसा भी एन0 एस0 सी0 में जमा कर लिया गया है, बलिया में विकास कार्य ठप्प पड़ा है । फेमिली प्लानिंग के कोटे को पूरा करने के लिए 80 से 85 वर्ष की बुढ़ियों की नसबन्दी करायी गयी है । इन सब अनियमितताओं को जिलाधीश के सामने प्रस्तुत किया था और यह अपेक्षा की थी कि वह कोई जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । मेरी मांग है कि बलिया की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए, जन असंतोष को देखते हुए और यह देखते हुए कि वहां पर सारे विकास कार्य ठप्प पड़े हैं, आप इस पर चर्चा करायें ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, जो मसला माननीय अंचल जी ने उठाया था, समर्थन किया मैनेजर सिंह जी ने, पुष्टि कर दी श्री हरदेव जी ने, इसी से यह साबित हो गया कि मसला गम्भीर है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर निर्णय मुझे लेना है, आप बैठें ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, दोनों माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं और जनपद के विधायक श्री हरदेव जी भी हैं । मैं आपका ध्यान एक अहम् मसले की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस बात को छोड़िए कि 90 वर्ष, 80 वर्ष और 70 वर्ष की महिलाओं की नसबन्दी करा दी गयी, इस बात को भी छोड़िए कि इनको कोई कार मिलने वाली है, सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का भविष्य निधि का सारा पैसा कलेक्टर ने कम्पेल किया कि एन0 एस0 सी0 में जमा करिये, इससे अध्यापक चिंतित हैं, हड़ताल कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है ।

सूखे के संबंध में माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि राशन की दुकानें खुली, मैं जानना चाहता हूं कि क्या बता सकते हैं कि सूखा स्वीकार करने के बाद बलिया में राशन की एक भी दुकान खोली गयी है ? कलेक्टर को क्या अधिकार है कि वह रसड़ा के चीनी मिल के प्रबन्धक की गाड़ी पर चढ़े और उससे अपनी लड़की और पत्नी को घुमायें . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री गौरी शंकर भइया—

उसको क्या अधिकार है इस बात का ? जब हम लोग मिलने जाते हैं तो कहता है कि हमारे आराम में खलल मत डालिये, हम इस समय आराम कर रहे हैं ।

हमारे जिले में माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये हैं, रोडवेज के सामने एक टैक्सी स्टैण्ड था, उसे 3 कि0मी0 दूर ले गये हैं, मैं श्री रामनाथ मुन्शी से मिला था कि कलेक्टर से कहिये. . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठ जायं ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, जो महत्वपूर्ण कार्य-स्थगन आज पेश हुआ है, माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसा तानाशाह अलोकतांत्रिक सरकारी अधिकारी किसी जिले में भेजने की क्यों जहमत उठायी आपने ? हमने सुना है कि अपने जीवन में पहली बार वह जिलाधिकारी के चार्ज पर गये हैं । हम लोगों ने उनसे कहा भी कि इतने दिनों तक जिले का चार्ज आपको नहीं दिया गया, हम चाहते हैं कि जिले का चार्ज आप ठीक से सम्भालें ताकि आपका कैरियर बने, लेकिन कलेक्टर तानाशाह बना हुआ है और तमाम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विकास का काम बलिया में शून्य है, एन0 एस0 सी0 में सारा पैसा जमा हो रहा है। जिलाधिकारी ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को लिखा है कि जितना भी ब्लाक में पैसा है, क्षेत्रीय समितियों में जो पैसा है, उसको बचत खाते में जमा कर दीजिये। 12-12 और 15-15 वर्षों से सड़क खुदाई और मुआवजे का जो पैसा जिला में गया, उसको किसानों को गरीब को न देकर सारा पैसा एन0 एस0 सी0 में जमा करा लिया गया है।

अभी जो माननीय मैनेजर सिंह जी ने और माननीय विक्रमादित्य पाण्डेय जी ने कहा है, यह बात सही है कि वहां पर 70 व 80 साल की आयु के लोगों की नसबन्दी करायी गयी है, इसके अतिरिक्त 10 लोग ऐसे हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई है और उनकी नसबन्दी डी0 एम0 ने करा दी है क्योंकि सरकार से शायद उसको कार इनाम के रूप में मिलने वाली है। मोहम्मद तुगलक की तरह से बलिया का जिलाधिकारी काम कर रहा है। वहां के जिलाधिकारी ने प्राइवेट बसों और टैक्सियों को शहर से चार-चार किलोमीटर दूर कर दिया है। अब कोई भी यात्री जब वहां पर आता है तो अपना बक्सा और बेडिंग खुद चार किलोमीटर तक टांग कर उसे ले जाना पड़ता है जिसके कारण कभी-कभी गलत घटनायें भी हो जाया करती हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होने का डर बना रहता है उस जिलाधिकारी की अदूरदर्शिता के कारण। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप बलिया में अमन-चैन कायम रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस तानाशाह को अलोकतांत्रिक और निरंकुश जिलाधिकारी को आप अपने सचिवालय में बुला लें और जो कोई दूसरा अधिकारी अपने काम में दिलचस्पी लेता हो उसको वहां का जिलाधिकारी बना कर भेजें। आप बलिया का चार्ज उसे दे दें जो कि अपने काम में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति हो।

अभी इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोगों की राय एक ही है क्योंकि वह जिलाधिकारी सारे विकास कार्यों को पीछे डाल रहा है। ऐसे अधिकारी को आप वापस बुला लें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं धमकी तो नहीं देता हूं। लेकिन फिर वहां की जनता कुछ भी करने को मजबूर हो जायेगी। अब वह बर्दाश्त के बाहर हो गया है इसलिए मैं इस प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, जहां तक परिवार कल्याण की बात है यह बात जरूर है कि वास्तव में जो लोग सीमा के अन्दर आते हैं जो नसबन्दी के पात्र हैं, उन्हीं की नसबन्दी होनी चाहिए। अगर यह ज्यादे आयु के लोगों की जाती है तो वह बिल्कुल गलत है इसको हम जांच करायेंगे और देखेंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं और जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

अब जहां तक अल्प बचत की बात है, यह एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है और इसमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग इसमें होना आवश्यक है क्योंकि इस योजना से सरकार को सहयोग मिलता है। अल्प बचत से जो धन इकट्ठा किया जाता है उसका दो तिहाई या 3/4 से अब हमें कर्जा मिलता है प्लान को चलाने के लिए। इसलिए इस पर ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। यदि हमें ज्यादा विकास का काम करना है तो इसकी आवश्यकता ज्यादा है। लेकिन इसके लिए ऐसी मदों को नहीं छूना चाहिये जिससे विकास के कार्य रुक जायं। बचत की भावना से ही बचत करना आवश्यक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितनी हम बचत करेंगे उससे सरकार को और जनता को फायदा होगा लेकिन जैसा कि अभी माननीय चौधरी साहब ने और माननीय अन्य सदस्यों ने कहा तो यह ठीक है कि विकास के कार्यों का पैसा जो खर्च किया जा रहा है अल्प बचत में यह नहीं होना चाहिए । पैसा वही इसमें लगाया जाना चाहिए जिससे हमारा विकास भी हो और अल्प बचत भी हो ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय राम गोविन्द चौधरी और अन्य माननीय समस्त सदस्यों ने जो यहां अपनी भावना व्यक्त की है नियम 56 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के विरुद्ध, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि ऐसा करना चाहिये, वैसा करना चाहिए । अरे, आपके आदेशों को सुनता कौन है ? आपने तो यहां सरमन दे दिया, लेकिन आपके इस सरमन का पालन कौन करेगा ? इस मामले में सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायकों का सवाल नहीं है, आज सभी विधायक उस तानाशाह जिलाधिकारी के बारे में कह रहे हैं कि सारा पैसा जो ब्लाकों में विकास के कार्यों के लिये दिया जाता है, सारी कार्यवाही कागजों पर ही हो जाती है दिखाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी, सारे नियम और कानूनों के बावजूद वह सारा पैसा अल्प बचत में जमा कर रहा है । जिससे सारे विकास के कार्य रुक गये । अगर माननीय सदस्यगण चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के कोई भी सुधार कार्य कराना चाहते हैं और उसके लिये यहां सुझाव देते हैं तो आप तानाशाही रवैये के तहत कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । हालांकि चौधरी साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वह आफिसर आपको इतना ही प्यारा है तो उसको सचिवालय में बुला लीजिये । इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि ऐसे जिलाधिकारियों को जो न किसी एम0 एल0 ए0 की न मंत्रीगण की और यहां तक न माननीय मुख्य मंत्री की सुन रहे हैं, एक हफ्ते के अन्दर मामले की जांच करा ली जाए और तथ्य साफतौर पर जब सामने आ जांए तो क्या ऐसे अधिकारी को तुरंत हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यहां कोई सवाल जवाब तो हो नहीं रहा है, माननीय चौधरी साहब ने और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, हमें जानकारी हुयी, लेकिन अगर कोई काम कहें, वह न हो किसी वजह से तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाये तो ऐसा करना उचित न होगा ।.... (कई सदस्यों द्वारा शोर करने व चर्चा की मांग करने से घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर चर्चा नहीं होगी, यह चर्चा का विषय नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री को ध्यान आकर्षित कराये जाने का विषय था, वह हमने करा दिया. . . (व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल—

चर्चा मान्यवर, इस पर करवाइये, पूरे आगरा के नागरिकों को मालूम है, जब यह अधिकारी वहां पर एस0डी0एम0 था, तब वहां [XXX] (घोर व्यवधान के मध्य भी मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शांति बनाए रखें । माननीय मैनेजर सिंह. . . . . .

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, केवल एक अधिकारी का सवाल नहीं है, शासन की नीतियों का सवाल है और जहां तक परिवार कल्याण कार्यक्रम की बात है, उसका तो मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन इसकी आड़ में गलत काम किए जायें और राष्ट्रीय कार्यक्रम को विख्याति प्राप्त करने के लिये और इनाम को प्राप्त करने के लिये मनमाने ढंग से जो चाहे किया जाय यह उचित नहीं है । फिर यह इनाम उस जिलाधिकारी को ही क्यों दिया जाये, कार्य तो दूसरे कर्मचारी करते हैं, वह क्या करता है माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह कार्य प्रदेश हित में है यह बात तो सही है लेकिन राष्ट्रीय बचत के नाम पर जितनी भी और योजनाएं चाहे वह एन0 आर0 इ0 पी0 हो या आर0 एन0 जी0 ई0 पी0 हो सभी योजनाओं का धन इसमें ही जमा करने की शासन की नीति नहीं है,, इसलिये मान्यवर इस पर आप चर्चा अवश्य करा दें ताकि समस्त बिन्दुओं पर विचार आ सकें ।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, इसी वजह से हम लोगों के क्षेत्रों में कोई काम नहीं हो रहा है, सारा का सारा काम बन्द पड़ा हुआ है, मान्यवर इस संबंध में इससे पहले भी कई बार कहा जा चुका है, इसलिये इस पर चर्चा अवश्य कराइये. . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं नहीं यह पहली बार हाऊस में बताया गया है, इससे पहले कभी हाऊस में नहीं आयी यह बात और ऐसा कोई तरीका भी नहीं है कि जो आप चाहेंगे, वही हो, जो बातें आप लोगों न कही., माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी सुनी और उस पर उन्होंने कहा भी, प्रशासन उनको चलाना है, उनके सामने आपने पूरी बात बता दी. . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, चर्चा करावें । इसमें क्या हर्ज है । सारा काम रुका हुआ है । एन0 एस0 सी0 और नसबन्दी के लिए बारगेनिंग करते हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

परम्परा तो यह रही है कि पहले आप सबको सुन लें और फिर निर्णय दें । अभी सुनने का प्रकरण चल रहा है उसके बाद जब निर्णय देना हो तो आप दे दीजियेगा ।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

समस्या ऐसी नहीं है जिसमें चर्चा की आवश्यकता हो जिन नीतियों को आप कह रहे हैं उनको बजट में कह सकते हैं ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें । मैं निर्णय बाद में दूंगा । राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी बोलें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

आपने व्यवस्था दी है, माननीय मुख्य मंत्री जी को शासन चलाना है, इसमें कोई एतराज नहीं है । आपका कहना सही है । लेकिन सदन आप चलाते हैं सदन की मर्यादा आपके ऊपर है । इतना बड़ा मामला बलिया के सारे विधायकों ने चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के हों उठाया है । जिलाधिकारी का सारा कार्य गैर कानूनी है, विकास को रोकने वाला है । जब तक आप इस पर चर्चा नहीं करायेंगे सारी बातें स्पष्ट नहीं होंगी इसलिए आप चर्चा कराने की अनुमति दें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

आपने क्या निर्णय दिया ?

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है कलेक्टर के कार्य से सभी दुखी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

और लोगों को भी सुन लूं ।

श्री शारदानन्द अंचल—

गलत कार्यों के लिए विकास का रुपया खर्च करता है । इस पर चर्चा हो जाय तो सारी बातें खुलकर रख दी जायेंगी । निर्माण कार्यों का पैसा एन0 एस0 सी0 में खर्च किया जा रहा है । अपात्र व्यक्तियों की नसबन्दी करायी जा रही है ।

श्री रघुबर दयाल शर्मा—

मान्यवर बलिया के विधायकों ने बड़ा गम्भीर मसला उठाया है और मुख्य मंत्री जी ने उस पर अपने विचार भी प्रकट किये । मैं चाहता हूं कि और सदस्यों को सुन लिया जाय और इस मामले पर सदस्यों को और संसदीय कार्य मंत्री को बुलाकर अपने कक्ष में बात कर लें । अभी आप अपना निर्णय सुरक्षित रखें और फिर आप अपना निर्णय बता दें यह मैं अपना सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सुन रहा हूं । अभी आप बोल लें । . . (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि निर्णय मैंने अभी नहीं दिया है । आप जबर्दस्ती कर रहे हैं. . . (व्यवधान) किसी को सुनने नहीं दोगे और खड़े हो जाओगे, यह कोई तरीका नहीं है ।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

आप मुख्य मंत्री जी से कहिये कि इस पर चर्चा करायें । इसमें किसी विरोध पक्ष की बात नहीं है । सत्ता पक्ष और विपक्ष सब लोग मिलकर यह कहे हैं । हरदेव जी ने भी आपको लिखकर दिया है आपने उसे मंजूर नहीं किया तब हमें मजबूर होकर इसे नियम 56 के तहत लाना पड़ा । हमारी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि

आप इसे स्वीकार करें और चर्चा करायें । चर्चा कराने में आपको क्या आपत्ति है, क्या कठिनाई है । शासन मुख्य मंत्री का चल रहा है और चलता ही है । लेकिन हाउस तो आपको चलाना है, उनको प्रशासन चलाना है । आप हाउस चलायें और हमारी चर्चा की मांग को स्वीकार करें । नहीं तो हम खड़े रहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप औरों को भी सुनने दोगे या नहीं ? मैं बाद में निर्णय दूंगा । मैं पहले निर्णय देने वाला नहीं हूं । राजेन्द्र कुमार गुप्त को सुनने के बाद निर्णय दूंगा ।

श्री सत्यपाल सिंह—

उपाध्यक्ष जी, सरकार तो अपनी जिद पर है ही लेकिन आप भी जिद क्यों कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कोई जिद नहीं कर रहा हूं ।

श्री सत्यपाल सिंह—

यह कुछ विधायकों का प्रश्न नहीं है बल्कि बलिया के लाखों लोगों का प्रश्न है । उन पर ज्यादती हो रही है । लिखित सबूत भी आपको दिया है । सरकार इस जिद पर है कि हम नहीं सुनेंगे । विधायक अपने क्षेत्र के बारे में यह कहता है कि हम लोग इस प्रश्न को विधान सभा में उठायेंगे, वहां इन्साफ पायेंगे और फिर उसे आप भी नहीं सुनेंगे तो वह कौन सी एजेन्सी है, जिससे विधायक अपनी बात कह सकें । अगर इन लोगों की जायज बात आप नहीं सुन रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा । कम से कम उस जिलाधिकारी के विरुद्ध गहन आरोप हैं, सबूत भी मौजूद हैं सदन के सामने वह बात आ गयी है तो फिर उसमें चर्चा क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं । जब चर्चा हो जायेगी तो सरकार भी जान लेगी, वह अधिकारी भी जान लेगा और जनता भी जान लेगी कि वह अधिकारी कैसा है । लेकिन आपने तो जिद ठान ली । इसलिए माननीय सदस्यों की राय है कि इस पर चर्चा करायी जाय । हम आपका संरक्षण चाहते हैं । आप जिद न करें और एक घंटे की चर्चा इसमें स्वीकार कर लें । इनकी हवा में बहने की कोशिश मत करें । आप इंसाफ करें ।

(श्री शारदा नन्द अंचल, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री रघुबर दयाल वर्मा के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

फिर आप खड़े रहिये । . . (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि आप लोग बैठ जायं । मैंने कोई निर्णय नहीं दिया है । मैं निर्णय सभी को सुनने के बाद देता हूं । मैं कभी ऐसा नहीं करता कि एक-एक पर निर्णय दे दूं । सबको सुनने के बाद निर्णय देता हूं । आप हाय-तोबा मचा रहे हैं कि पहले हमारे वाले में निर्णय दे दो । आप स्वयं अपना समय नष्ट कर रहे हैं । जब मैं सुन रहा हूं अभी और भी लोग बोलेंगे । इसके बाद मैं निर्णय दूंगा । पहले सबको सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, उनकी तरफ देखकर क्यों निर्णय देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रामगोविन्द जी आप आसन ग्रहण करें । मैं आपको देख रहा हूं आप बैठें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा कर न माननीय मुख्य मंत्री जी को देखें न हमें देखें केवल माता जी को देखते रहें मुस्तकिल तौर पर माता जी को देखते रहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय स्वास्थ्य अभी यहां पर विराजमान थे लेकिन ज्यों ही कार्यस्थगन प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हुई यहां से वह चले गये । मैंने जो सूचना दी थी उन्हें वह मिल गयी होगी । मैं जिस गंभीर मामले को कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह अत्यन्त हृदय विदारक है । उन्हें सुनने का साहस नहीं था । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं । यहां पर सरकार की ओर से कितनी ही जन कल्याण की घोषणा हो रही हों लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की पूरी चिकित्सा सेवायें आज पंगु हो गयी हैं । न अस्पतालों में दवायें हैं और न टीके लगाने के लिये सुईयां हैं और न टांका लगाने के लिये डोरा है । मैं सबूत के तौर पर एक घटना का उदाहरण स्वरूप उल्लेख करना चाहता हूं । यहीं लखनऊ मेडिकल कालेज में 16 ता0 की रात को 10.45 बजे एक रेवती सिंह नाम का आदमी एक विधायक की सिफारिश के साथ वहां इमरजेन्सी में जाता है अपना प्राथमिक इलाज करने के लिए । मैंने सारी पर्चियां आपकी सेवा में भेजी हैं आपने देखा होगा कि कितनी गंभीर चोटें लगी थीं, कितने गंभीर घाव हैं । वहां के डाक्टरों ने उससे कहा कि हमारे पास टांका लगाने के लिये सुई नहीं है, डोरा नहीं है, ए0 टी0 एस0 के इंजेक्शन नहीं हैं । डाक्टरों के हाथों से लिखा हुआ है कि यह डोरा ले आइये, यह निडिल ले आइये और ए0टी0एस0 के इंजेक्शन ले आइये । बाहर दुकान से खरीदे गये कैशमिमो इसके जिंदा सबूत हैं । तो यह हालत लखनऊ मेडिकल कालेज की ही जहां पर इमरजेन्सी में इलाज होता है । वहां पर टांका लगाने के लिए धागा नहीं, सुई नहीं, ए0टी0एस0 के इंजेक्शन नहीं । दूसरी तरफ सरकार कहती है कि निराश्रित का निःशुल्क इलाज किया जायेगा । इमरजेंसी में कोई घायल होकर जाता है या किसी चोट लगे व्यक्ति को पुलिस का आदमी अस्पताल ले जायेगा तो यह जरूरी नहीं है कि उसके पास पैसा हो । उसमें सरकार की व्यवस्था का परिणाम यह होगा कि यह सरकार जो लोक कल्याणकारी होने का दावा करती है ऐसे समय में वह व्यक्ति दवा से वंचित हो जायेगा ।

इस हृदय विदारक मामले में एक माननीय सदस्य ने वहां के पी0आर0ओ0 को टेलीफोन कर दिया कि ऐसा आदमी, चोट खाया आदमी आ रहा है । तो उस पी0 आर0 ओ0 ने शिष्टाचार के नाते भी इमरजेंसी में नहीं बताया कि इस तरह का रोगी आने वाला है । यह मैंने मेडिकल कालेज की बात एक प्रतीक रूप में बताई है यह स्थिति सभी अस्पतालों की है । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस गंभीर मामले पर कार्यस्थगन प्रस्ताव द्वारा चर्चा करायें जिस पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे और जानकारी देंगे और बतायेंगे कि ऐसे गंभीर मामलों में क्या व्यवस्था हो । इन शब्दों के साथ अपने प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बल देता हूं । इस पर आज जरूर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जिस घटना की ओर ध्यान आकृष्ट किया है वह वाकई में दुख की बात है और चिन्ता का विषय है खासकर इमरजेन्सी

में यह सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए थीं, क्यों नहीं थीं ? इसका पता लगायेंगे ? मैं डाइरेक्टर जनरल, मेडिकल एन्ड हेल्थ सर्विसेज को इसकी इंक्वायरी दूंगा और जांच कराऊंगा और सुनिश्चित कराऊंगा कि इमरजेन्सी में जहां-जहां दवाईयों की जरूरत है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, वहां सब मौजूद रहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने जो कहा वह मैंने सुना, यह तो एक प्रतीक स्वरूप घटना का जिक्र मैंने यहां किया लेकिन प्रदेश स्तर पर देखें तो तमाम होंगी, इसलिये मान्यवर, आप चर्चा करायें जिससे सारी जानकारी यहां आ जाय ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, सभी जगह के लिए कहा है, केवल एक मेडिकल कालेज के लिए नहीं कहा है ।

श्री अशोक बाजपेयी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रदेश के 12 मंडलीय विकास निगमों के बंद किये जाने के संबंध में लोक महत्व की एक सूचना दिया है । इस संबंध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 12 मंडलीय विकास निगमों को बंद करने का निर्णय सरकार ने एकतरफ ले लिया है जिससे 10-12 सालों से कार्यरत 1100 कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है । मान्यवर, इन निगमों में 12 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लगी है और संचित घाटा 8 करोड़ रुपये का अब तक हो चुका है और उसके बावजूद इन निगमों पर बिना विचार किये अब सरकार ने बन्द करने का निर्णय ले लिया है । पिछले तीन महीनों से इन कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है । इन निगमों की वित्तीय संशाधन स्थिति ऐसी नहीं है कि कर्मचारियों को टरमिनल बेनिफिट दिया जा सके । इसलिये आज हजारों निगम के कर्मचारियों के सामने गम्भीर समस्या खड़ी हो गयी है । इन मंडलीय विकास नियमों के समाप्त होने के बाद उद्योग धंधे जो चलाए जा रहे थे उनकी स्थिति दंडनीय हो जायेगी । आज सदन चल रहा है इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी को इस संबंध में एक प्रस्ताव लाना चाहिए था और पक्ष एवं विपक्ष की राय इस संबंध में जानना चाहिए था और तब लोकतान्त्रिक ढंग से निगमों को बंद करने की बात करना था । इसलिये यह तानाशाही निर्णय है और अविवेकपूर्ण निर्णय है जिसमें कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में नहीं रखा गया है । पहले तो बिना सोचे-विचारे इन निगमों की स्थापना कर दिया और जब घाटा देने लगे तो एकाएक उनको बंद करने का निर्णय ले लिया क्योंकि प्रदेश को 700 करोड़ रुपये का घाटा प्रतिवर्ष इन निगमों से उठाना पड़ रहा है और फिर भी हर नये वर्ष एक नया निगम स्थापित कर दिया जाता है । इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में यदि निगम स्थापित किया जाये तो विचार करके स्थापित किया जाये । जैसे इसी सत्र में मंत्रीजी ने घोषणा कर दिया कि पुलिस निगम की स्थापना की जायेगी और पुराने इन 12 मंडलीय विकास निगमों को बंद करने का निर्णय ले लिया । इसलिए 1100 कर्मचारियों की जो छटनी की जा रही है उनकी जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न की जाये तब तक ऐसा न किया जाये । इसलिए सारे काम रोककर इस पर चर्चा कराएं ।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, जैसा कि श्री अशोक बाजपेयी जी ने कहा, कि अधिकांश निगम घाटे में चल रहे हैं और यह सही भी है कि घाटे में चलने के कारण उनकी हालत ठीक नहीं है और कहीं-कहीं वेतन देने की भी दिक्कत पड़ रही है । लेकिन मान्यवर, यह सही नहीं है सरकार 12 मंडलीय निगमों को बन्द करने का निर्णय ले चुकी है । बन्द करने का निर्णय शासन

ने नहीं लिया है बल्कि जो प्रबंध निदेशक हैं इन निगमों के उनको यह निर्देश दिये गये हैं कि यह देखें कि किस तरह से इसमें सुधार किया जाय, किस तरह जो सरप्लस स्टाक है बहुत सी इकाइयां इन निगमों ने स्थापित किया लेकिन वह बंद हो गयीं। गोरखपुर विकास मंडल में कुछ खांडसारी की यूनिटें चलाई गयीं जो 1-2 साल चलीं लेकिन घाटे के कारण बंद हो गयीं, इनमें जो स्टाफ रखा गया था उनके लिये कोई काम नहीं है, इसलिये उनको वेतन निगम कहां से दे। इस पर शासन गंभीरता से विचार कर रहा है और निगमों को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया है बल्कि देख रहे हैं कि किस तरह से इनका घाटा कम किया जाये। इनको मुनाफे पर लाया जाए और जो सरप्लस स्टाफ है उसका किस तरह से समायोजन करें कि उनसे काम लें, और काम न हो तो इस सम्बन्ध में हम क्या व्यवस्था करें, इन तमाम विन्दुओं पर शासन विचार कर रहा है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर न केवल इस प्रदेश का बल्कि हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान रहा है, लेकिन इस वक्त वहां का दुर्भाग्य यह है कि वह लूट, घसोट और भ्रष्टाचार तथा एय्यासी का अड्डा बन गया है। यहां के डायरेक्टर, डा0 वशिष्ठ एक अयोग्य व्यक्ति हैं। जो इस पद के लिये योग्यता होनी चाहिए, वह इनमें नहीं है, उनमें इसका अभाव है। इसके बावजूद वह वहां से लाखों लाख रुपये का घोटाला प्रतिवर्ष कर रहे हैं, फर्जी प्रवेश कर रहे हैं, लगातार छात्रों और छात्राओं का तथा स्टाफ के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं और उनके द्वारा फर्जी यात्रा भत्ते धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं। यह बड़ा गम्भीर मामला है, इसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी हैं और जब उस शिक्षण संस्थान में जहां पर हमारे देश के भावी निर्माता इंजीनियर्स बनाए जाते हैं, वहां पर लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला किया जाता है, तो यही शिक्षा यह हमारे इंजीनियर्स को भी देकर संस्थान से निकालेंगे, तो उसका कुप्रभाव प्रदेश के हर विभाग पर भी और पूरे समाज पर भी पड़ेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस गम्भीर मसले पर चर्चा करायें। एक बात और है, कई माननीय सदस्यों ने इस सूचना पर हस्ताक्षर किये हैं, अतः एक-एक, दो-दो मिनट आप इन सभी को सुन लें।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, यह एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर का ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है और कानपुर महानगर में यही एक मात्र ऐसा तकनीकी शिक्षण संस्थान है। पहले यह अंग्रेजों के कब्जे में था, बाद में इसको हमारी सरकार ने ले लिया और इसके इस समय निदेशक हैं वशिष्ठ साहब, और हमारे मुख्य मंत्री इस संस्था के अध्यक्ष हैं और आज इस संस्थान पर हथियार बंद दादाओं का कब्जा है। वह जो चाहते हैं वहां कराते हैं। यहां पर कई बलात्कार काण्ड हो चुके हैं। यहां पर पढ़ने वाली लड़कियों के साथ दुराचार किया जाता है। वशिष्ठ जी ने 27 हजार के तो टायर्स खरीदे हैं और सरकारी खजाने से 85 हजार रुपया निकाला है। इतना ही नहीं एक बहुत अच्छी कार को नीलाम करवाकर अपने एक दोस्त को सस्ते दामों पर दिलवा दिया। इन वशिष्ठ साहब के लड़के नीरज भी चारों तरफ गुण्डागर्दी करते हैं, घूमते फिरते हैं और उनका सारा खर्च इस संस्थान को उठाना पड़ता है। इन्होंने इसको नरक बना दिया है और लड़कियों का पढ़ना मुश्किल हो गया है। इसके लिए पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस गम्भीर मामले पर आप सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा दें।

*श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, इसके निदेशक वशिष्ट ने इस मशहूर एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर संस्था को बलात्कार का अड्डा बनाकर रख दिया है । कामनाथ चोपड़ा काण्ड तो आप सब जानते हैं, प्रदेश भर में चर्चित रहा है । यह एक लाख 10 हजार रु0 सरकार और संस्थान से लेकर देश से विदेश तक यात्राएं करने में लगे हुए हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप चर्चा करवा दें, ताकि इसमें छुपे अन्य काण्ड प्रकाश में आ सकें ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, यह जो एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर नामक प्रसिद्ध संस्थान है, इसमें 3 हजार छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं और तमाम लेक्चरर्स और शिक्षण कर्मचारी हैं जो वहां पर कार्यरत हैं । इसके सम्बन्ध में मैंने 6 दिसम्बर, 1986 को सचिवालय प्रशासन विभाग को और माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा था । इस पत्र का जवाब भी मुझे श्री पी0 सी0 शर्मा, सचिव 9 दिसम्बर, 1986 को प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पर जांच करा ली जायेगी और उसके बाद श्री लालचन्द्र ओझा, विशेष सचिव को इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया । परन्तु आज तक आगे उस जांच का कहीं पता नहीं चलता है । मान्यवर, यह नहीं 1987 में शासन को धोखा देकर वशिष्ठ साहब ने 25 हजार रुपया शासन से विदेशी यात्रा के लिए लिया और 85 हजार रुपया संस्था से लिया । मान्यवर, जो कर्मचारी इनका साथ नहीं देते हैं उनको यह निकाल देते हैं और जो गलत काम में इनका साथ दे रहे हैं उनको यह तरक्की देते चले जा रहे हैं । मान्यवर, 13 नामों की मेरे पास लिस्ट है इसमें इनका लड़का नीरज वशिष्ठ भी शामिल है । श्री हर्ष कुमार जैन, श्री नगेन्द्र गोयल, श्री बलवीर सिंह यादव और अशोक कुमार, जो 1980-81 के हैं इनको इन्होंने हिमांचल प्रदेश का दिखाया है । श्री आर0 के0 सिंह, श्री टी0 आर0 सिंह को उन्होंने मणिपुर का दिखाया है । श्री मनोज कुमार मिश्र तथा श्री संजय जैन और नीरज वशिष्ठ जो कि इनका लड़का है इसको हिमांचल प्रदेश का दिखाया दिखाया है । अनिल कुमार सक्सेना, उमेश चन्द्र जैन को हिमांचल प्रदेश का दिखाया गया है और श्री आर0 पी0 सिंह और प्रमोद कुमार को भारत सरकार का नामिनी दिखाया गया है । जब यहां पर जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई तो वशिष्ठ साहब ने नीरज वशिष्ठ की पत्रावली गायब करवा दी ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, शासन के अधिकारी और कर्मचारी उनसे भुगतान पाते हैं वह सब उनसे मिले हुए हैं । रमाशंकर चौधरी, अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग का ट्रांसफर हुआ अब ए0 के0 साहू, अनुभाग अधिकारी वहां हैं वह कंचन लाल श्रीवास्तव, जो प्रधान लिपिक हैं और ए0 एन0 शर्मा, कुल सचिव एवं निदेशक भी हैं उनसे भी दोस्ती हो गई है, तो वह इस मामले को बराबर दबा रहे हैं । तो मान्यवर, यह महत्वपूर्ण मामला है इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, एच0 बी0टी0आई0 के बारे में सम्मानित सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं बहुत से चार्जेज का जिक्र किया गया । जहां तक एडमीशन का मामला है उसमें जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं उनका कम्बाइन्ड एक्जामिनेशन होता है उसके जरिए लोगों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिया जाता है । इसमें हम सचिव, प्राविधिक शिक्षा द्वारा जांच करायेंगे । सम्मानित सदस्यों ने अलग-अलग बातें कहीं । माननीय बारी साहब ने कुछ ऐसी बातें कहीं, कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जिसके वह स्वयं विशेषज्ञ हैं । तो कोई बात जब किसी विशेषज्ञ की तरफ से कही जाती है तो उसकी जांच अवश्य होती है, तो इसमें भी जांच होगी । मैं इसमें माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा कि इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

अभी संसदीय कार्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे । उसमें उन्होंने जो सबसे अहम् बात कही वह एडमीशन के बारे में कही, लेकिन जो प्वाइन्ट था उस पर जवाब नहीं दिया । मान्यवर, इसमें, स्पष्ट दिया गया है कि धन का दुरुपयोग किया गया, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो एडमीशन की टेक्नीकल्टी है वह बता दी, लेकिन और बातों के बारे में नहीं कहा । मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो धन का दुरुपयोग हुआ है क्या मंत्री जी इसमें कार्यवाही करवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जिस वक्त मैं इस संबंध में कह रहा था मैं समझता हूं कि दिवाकर विक्रम जी कहीं और मगन थे । मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी चार्जेज हैं उसकी जांच प्राविधिक शिक्षा सचिव के द्वारा करायी जाय । आप कार्यवाही देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वही कहा है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह जो पत्र लिखा गया है उसमें जो बातें हैं उसकी जांच करायी जायेगी और कार्यवाही की जायगी ।

श्री राजकिशोर सिंह—

जांच के लिये तो पहले भी लिखा गया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, इस पर चर्चा कराएं । लाल चन्द्र ओझा पहले जांच अधिकारी नियुक्त किये गये थे लेकिन सन्86 से मामला अब पड़ा हुआ है । मामले को दबा दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर जांच होगी ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, इस पर चर्चा करायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

चर्चा के बाद भी तो जांच की ही बात आयेगी ।

श्री पारसनाथ यादव—

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी थी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है ।

श्री पारसनाथ यादव—

मान्यवर, सुन लीजिए । लोग आतंकित हैं । ध्यानाकर्षण से कोई काम नहीं चलेगा ।

श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, किसान बहुत आतंकित हैं ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए, मैं खड़ा हुआ हूं । एक बात सुन लीजिए । अगर आप चाहते हैं कि जितनी सूचनाएं आयी हैं सबको सुन लिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है । मैं तो आपकी व्यवस्था करने के लिए ही यहां बैठा हूं । समय आपका ही जाता है । अगर आप बोलेंगे तो बजट पर समय कम रह जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि इस सदन के दो आदरणीय सदस्य श्री जनार्दन प्रसाद ओझा और रवीन्द्र नाथ तिवारी आज सवेरे अपने जनता पार्टी के कार्यालय से जब निकले इस सदन में आने के लिए तो वह गिरफ्तार कर लिए गये और पुलिस लाइन में उनको रोक रखा गया है वह यहां पर कार्यवाही में भाग लेने आना चाहते थे, उनकी सूचनाएं थीं लेकिन उनको, जैसे ही वह कार्यालय से निकले पकड़ लिया गया और पुलिस लाइन ले जाया गया । संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि उनको तुरन्त सदन में पहुंचायें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय दिवाकर विक्रम जी ने जो सूचना दी है मैं इसकी तुरन्त जानकारी करा रहा हूं कि माननीय सदस्यों को कहां और क्यों ले जाया गया है । आपके माध्यम से सारी जानकारी मैं अभी दूंगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

(व्यवधान के मध्य)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, बुनकरों का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर दो मिनट सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बुनकरों का जो मामला है, इसमें चर्चा लगी हुई है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

कल उसका बजट भी है मान्यवर ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, फर्रूखाबाद केन्द्रीय कारागार में जो जुल्म हो रहे हैं, इसका मामला माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने उठाया है, इस पर अवश्य सुन लें तथा बुनकरों की समस्या जो है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी मान्यवर सुन लें ।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, फतेहपुर के ब्लाक मलवा और द्योमई के गांवों में कुआं का पानी सूख गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कुएं के पानी की ऐसी समस्या नहीं है । (व्यवधान)

*श्री पारसनाथ यादव—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और दरोगा जी हैं, वह गवाहों को प्रताड़ित कर रहा है । मान्यवर, इस पर दो मिनट सुन लें । मान्यवर, दरोगा जनता को प्रताड़ित कर रहा है । मान्यवर, इसे नहीं सुनेंगे, तो मैं सदन नहीं चलने दूंगा ।

(श्री पारसनाथ यादव सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी सीट पर जाइये । मैं सबको सुन रहा हूं, तब आप क्यों डायस तक आ गए ? आप अपनी सीट पर वापस जायं ।

(श्री पारस नाथ यादव अपनी सीट पर चले गये)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

यह सरकार पूरे प्रदेश में आज किसानों पर जुल्म और ज्यादती कर रही है । मान्यवर, किसानों की जायज मांगों को मानना तो दूर रहा, उन जायज मांगों के समर्थन में भी कोई व्यक्ति आगे आता है, तो उसे भी प्रताड़ित किया जाता है । मान्यवर, मेरठ आन्दोलन इतना दिन चला मगर किसानों की जायज मांगें न तो सुनी गयीं और न कोई रियायतें ही दी गयीं । वहां के 400 किसान गिरफ्तार करके सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ में बन्द किये गये । इनमें किसान यूनियन के उपाध्यक्ष कैप्टेन भोपाल सिंह यहां पर हैं । अभी जो ओला पड़ा, उसमें उन्हें खुले आकाश के तले रखा गया, बैरकों के अन्दर नहीं रखा गया, बरसात होती रही, ओले पड़ते रहे, आंधी चलती रही, और वे सब बाहर ही भीगते और ओले से पुटेल होते रहे । उनके लिए पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं कराया गया । पत्रकार लोग मिलने गये, उनको मिलने नहीं दिया गया । वहां पर जब हाहाकार मचा, तो जेल से कुछ लोगों ने पर्चियां भेजी कि यहां पर पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, रहने के लिए बैरेक्स नहीं दी जा रही हैं, भोजन की दिक्कत है, समाचार पत्र भी पढ़ने के लिए इन किसान सत्याग्रहियों को नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने स्वयं जाकर सेन्ट्रल जेल में उन व्यक्तियों से सम्पर्क करने की कोशिश की, तो हमें मिलने नहीं दिया गया । उनके ऊपर 14 तारीख को बरबर लाठी चार्ज किया गया और उसके बाद जब उनसे सम्पर्क करना चाहा, तो किसी को मिलने नहीं दिया गया । मान्यवर, इन किसानों को सुनने वाला कोई नहीं है, किसानों को सुविधा देने की बात तो दूर रही । अब यह कांग्रेस सरकार उनके ऊपर लाठी चार्ज कराती है और इन पीड़ित किसानों की वेदना और पीड़ा को पूछने के लिये जब कोई जाता है, तो उनसे मिलने नहीं दिया जाता है । आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूरे उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलित हो रहा है । अभी तक तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में और मुरादाबाद में ही किसान आन्दोलन चला है, जिसमें कई लोग मारे गये और मर रहे हैं, किन्तु अब यह आन्दोलन सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण मध्य उत्तर प्रदेश में भी बुरी तरह से फैल रहा है । सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ की इस घटना से आस-पास के जनपदों के किसानों ने यह तय किया है कि वे किसान भाइयों के समर्थन में सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ का घेराव करेंगे।

मान्यवर, स्थिति बहुत विस्फोटक हो रही है मान्यवर, उन किसानों को केवल जेल में ही नहीं बन्द किया जा रहा है बल्कि उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनको पानी तक पीने नहीं दिया जा रहा है । ऐसे ही उसकी ओला वृष्टि से पीठ छिल गयी है । मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इसलिए इस सदन की कार्यवाही स्थगित करके बल देता हूं कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री पारस नाथ यादव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने आज कार्य-स्थगन के रूप में जो सूचना आपको दी है वह थाना मुगराबादशाहपुर से संबंधित है । मान्यवर, पुलिस ने साजिश करके और झूठा षड़यन्त्र करके ग्राम प्रधान और एक व्यक्ति को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का षड़यंत्र रचा । मान्यवर, राजपत पटेल एक भट्ठा मालिक हैं तथा राम आधार सरोज उनका मुन्शी है इसको पुलिस पकड़ ले गयी और रात भर तक थाने में बिठाये रखा और जेल भेज दिया तथा पटेल के घर पर कुर्की का आदेश लेकर दारोगा ने लूटपाट की । मान्यवर, एक व्यक्ति मिठाई लाल नाम का 26-3-87 को गायब हो गया तो उसके पिता ने उसके गुमशुदगी की सूचना थाने में दी । इस पर पुलिस थाना मुगराबादशाहपुर ने राम आधार जो उस भट्ठे का मुन्शी है, को पकड़ ले गयी और रात भर थाने में बिठाने के बाद धारा 302 और 201 का मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया । इस व्यक्ति को रात भर पुलिस ने पीटा भी इस पर प्रतापगढ़ के एक विधायक ने एक प्रार्थना-पत्र पुलिस महानिदेशक को दिया । पुलिस महानिदेशक ने सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 के एस0 पी0 को आदेश दिया कि वे इस पर कोई कार्यवाही न करें और 30 दिन के अन्दर यह जांच पूरी की जाय लेकिन वहां के दरोगा ने साजिश करके 90 दिन के अन्दर चार्जशीट लगा दिया । इस तरह से आदेशों की अवहेलना हो नहीं हुई. 90 दिन के अन्दर चार्जशीट लगाने से उसे 7 माह की जेल की यातना भी भोगनी पड़ी । मान्यवर, दिनांक 11-11-87 को वह आदमी पुनः जिन्दा वापस आ गया जिसकी हत्या की बात हुई थी । पुलिस ने अपनी हिरासत में उसका मेडिकल कराकर उसके घर पर छोड़ दिया । लेकिन मान्यवर, आज भी वह मुकदमा पेन्डिंग है और वह दरोगा महिमा प्रसाद राय वहां मौजूद है । और गवाहों को धमका चमका रहा है तथा यातना दे रहा है । मैं मांग करता हूं कि सम्पूर्ण कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें यह बहुत गंभीर मामला है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए जो माननीय पारस नाथ यादव जी ने बताया । मान्यवर, इसकी सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराई जा रही है, अभी विवेचना जारी है । जब इसकी जांच पूरी हो जायेगी तो सारे तथ्य सामने आ जायेंगे । प्राइमाफेसी तथ्य गम्भीर लगा इसलिए सी0 आई0 डी0 की जांच का आदेश हुआ है ।

श्री पारस नाथ यादव—

मान्यवर, वह दारोगा आज भी वहीं मौजूद है मेरी मांग है कि उसको तत्काल वहां से हटा दें । क्योंकि वह गवाहों को धमका चमका रहा है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसकी निष्पक्ष जांच करायी जायेगी और जो भी अवरोध जांच के बीच में होंगे, यदि कोई होगा, तो उसको दूर किया जायेगा और जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, यह बात तो बिल्कुल साफ हो गयी कि एक आदमी को जेल के अन्दर बेगुनाह रखा गया और जिसका कत्ल हुआ वह आदमी जिन्दा होकर आ गया । जिस आदमी को तंग किया है, जेल में रखा है उसके लिए अम्मार साहब एक साल का कितना कम्पनसेशन दिलायेंगे । उसके घर कुर्की हुई, उसके घर बच्चे भूखे मरे, परिवार के लोगों ने मुकदमे की पैरवी की इसका कितना कम्पनसेशन दिलायेंगे ? सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी तो होती रहेगी । यहां एक आदमी को एक साल तक जेल में रखा गया है और आपका दरोगा वहीं विराजमान है फिर आप कह रहे हैं कि सी0 आई0 डी0 की जांच करायेंगे । आप दरोगा को तत्काल निलम्बित करावें और उस पर मुकदमा चलावें ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच सी0 आई0 डी0 से कराई जा रही है । क्या जांच कराएंगे । पहले जो सी0 आई0 डी0 जांच हो रही है, उसमें सी0 आई0 डी0 इन्सपेक्टर ने स्वयं अन्तरिम रिपोर्ट में लिखा है कि इसी मध्य जानकारी प्राप्त हुई है कि वर्तमान थानाध्यक्ष मुंगराबादशाहपुर श्री महिमा प्रताप राय जिनका चरित्र इस मामले में अत्यधिक संदिग्ध पाया गया है, उन्होंने दिनांक 16-11-87 को न्यायालय अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद जौनपुर के न्यायालय में इसी मामले की अग्रिम विवेचना की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है । श्रीमन् सी0 आई0 डी0 इन्सपेक्टर ने लिखा है कि इस दरोगा का चरित्र संदेहास्पद है, जिस आदमी की मृत्यु की रिपोर्ट की गयी, जिस मामले में उस व्यक्ति को जेल में रखा गया, वह सशरीर पुलिस की मौजूदगी में उपस्थित हुआ हत्या का जो केस दर्ज हुआ था, वह अनुचित किया गया था, इस मामले में दरोगा को मुअत्तल होना चाहिये । उसको मुअत्तल करके दरोगा के बारे में जांच होनी चाहिये, जो मुकदमा लम्बित हो गया है, उसके लिये जो अनुमति दी गयी थी, उसको न्यायालय से वापस लेना चाहिये, क्योंकि जिस मृतक की हत्या की शिकायत की गयी थी, वह सशरीर मौजूद है । इसमें दरोगा के खिलाफ जांच होनी चाहिये और उसको तत्काल मुअत्तल करके उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये । यह बात मा0 संसदीय कार्य मंत्री स्पष्ट करें ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मा0 उपाध्यक्ष जी, यह विषय जो मा0 यादव जी ने उठाया है, इसको सुनने की भी आप अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर आपने सुन लिया मेरा आपसे यह कहना है कि इससे बड़ी सरकार की असफलता और क्या होगी कि एक तरफ एक आदमी जिसको जेल में रखा गया ? वह आदमी सशरीर प्रकट हो गया । इससे प्राग्दर्शन में यह साबित हुआ है कि उस दरोगा ने कितना बड़ा अपराध किया है । वह आदमी एक साल तक जिन्दा जेल में बंद रहा, उसके घर की कुर्की हो गयी । उसके परिवार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । मा0 संसदीय कार्य मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सी0 आई0 डी0 की जांच करवा लेंगे । सी0 आई0 डी0 की जांच

के आदेश पहले ही हो गये, लेकिन जब तक वहां पर वह दरोगा मौजूद है, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच करा लेंगे, कैसे करा लेंगे ? जब दरोगा वहां पर मौजूद है । हर समय हठधर्मिता के लिये नहीं होता । इसमें प्राइमाफेसी में साबित है कि इस दरोगा ने बहुत बड़ी गलती की है, उसको निलम्बित होना चाहिये । मान्यवर, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो इसकी गम्भीरता को देखते हुए आप सरकार को आदेश करें, मजबूर करें कि सदन में इस पर चर्चा हो । सारे प्रदेश में दरोगा राज चल रहा है । सारे प्रदेश में से बड़ी ज्यादती पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन सरकार हर बात को ओझल किये जा रही है । यहां पर संसदीय कार्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं । मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में कहा, स्वास्थ्य मंत्री नहीं सुनते हैं । गृह मंत्री कोई बात नहीं सुनते हैं । मान्यवर, इस दरोगा के खिलाफ मा0 संसदीय कार्य मंत्री बहकाने की कोशिश कर रहे हैं । इस दरोगा को निलम्बित करायें ताकि वहां पर सही और निष्पक्ष जांच हो सके ।

श्री अम्मार रिजवी—

उपाध्यक्ष जी, इसमें न तो कोई हठधर्मी है, न सदन को गुमराह किया जा रहा है । क्योंकि यदि सही तथ्य नहीं बताया जायगा तो कहेंगे कि गुमराह करते हैं । मैंने पहले ही कहा है कि सी0 आई0 डी0 जांच कर रही है, क्योंकि प्राइमाफेसी केस गम्भीर था, इसी वजह से सी0 आई0 डी0 जांच हो रही है । मान्यवर, इसमें कहना कि सदन को गुमराह किया है मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल की बातों का, जहां तक हो सकता है, हम लोग पालन करते हैं । मैं उनको आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसा वह चाहते हैं कि जांच जो हो वह इम्पारशियल हो, निष्पक्ष हो, वैसे ही जांच होगी । मान्यवर, वे तो निलम्बन की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि अगर जांच में दोष साबित हो जाता है तो खाली निलम्बन ही नहीं जो और भी सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही होगी, की जायेगी । उसमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं होगी ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, जांच की अंतरिम रिपोर्ट भी इनके पास आ गयी है जिसमें कहा गया है कि इसका चरित्र संदिग्ध है । तो, फिर क्या बात रह जाती है । पहले उसका निलम्बन करें फिर बाकी जांच कराते रहें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर,, माननीय मैनेजर सिंह जी ने किसी अन्तरिम रिपोर्ट का जिक्र किया है, इस मामले को हम दिखवा लेंगे, जो भी उचित कार्यवाही होगी, करेंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर,, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच हो जायेगी और अगर जांच में दोष साबित होगा तो हम निलम्बन करेंगे । जांच रिपोर्ट आप सी0 आई0 डी0 से मंगवा रहे हैं, उसकी एक अंतरिम रिपोर्ट भी आपके पास आ गयी है । अब ऐसी स्थिति में मेरा कहना यह है कि आप तत्काल उसे हटा दीजिये । शाम तक आप इस रिपोर्ट को देख लें, शाम को आप निलम्बन का आदेश कर दीजिये, इस वक्त आप उसे हटाने की बात कह दीजिये ताकि निष्पक्ष जांच हो जाये ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जो सी0 आई0 डी0 जांच की अंतरिम रिपोर्ट है उसके कुछ अंशों को आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूंगा । मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, अगर इसकी प्रतिलिपि माननीय वर्मा जी ने आपको दे दी हो तो जरूर सुन लें ।

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि पत्रावली मंगाकर देख ली जायेगी और जो भी कार्यवाही होगी, की जायेगी, यह बात मैं बड़ी नम्रता के साथ माननीय नेता विरोधी दल के सामने कहना चाहता हूं । इसके बाद क्या बात रह जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी जो आप अंतरिम रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसकी प्रतिलिपि आपने यहां भेज दी है ? उसकी प्रतिलिपि पहले भेजें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उस दरोगा का चरित्र संदिग्ध है और उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये, उन्होंने ऐसी संस्तुति की है । मान्यवर, यह सी0 आई0 डी0 जांच रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के पास भी होगी अब उसके बाद भी उस पर कार्यवाही करने में क्या कठिनाई है ? अब हटाने और निलम्बन की कार्यवाही करायें । रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही का निर्देश देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आ गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इनके पास पहले से आ गयी है । अभी हमारे पास नहीं आयी है । इन्होंने बताया है, हमें पत्रावली मंगा लेने दीजिये, हम उसे देख लेंगे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, इस रिपोर्ट की प्रति को हम आपके पास भेज देंगे ।

(डा0 दिनेश जौहरी तथा श्री बलराम यादव के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें । डा0 जौहरी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

श्री बलराम यादव—

मान्यवर, यह बड़ी ही लोमहर्षक घटना हुई है । मान्यवर, आप यह पोस्टर देखें और यह सारे पर्चे छपे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको दिखाने से पहले, आपको इसकी प्रति यहां भिजवानी चाहिये थी । आप उसकी कापी पहले यहां भिजवाते नहीं, वहां से दिखाते हैं ।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, बड़ी अविलम्बनीय और लोकमहत्व के विषय की ओर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बड़े पैमाने पर यहां से युवतियों को खाड़ी के देशों में भेजा जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

डा0 जौहरी आप बैठें । माननीय मित्रसेन की सूचना पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं । माननीय विक्रमादित्य पाण्डेय और गौरीशंकर भइया आदि की जो सूचना थी, उस पर मैं विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं मैंने उस पर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर भी दिया है । श्री बलराम यादव, श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की सूचनाओं पर भी मैंने मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है । शेष सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (जारी)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)—

मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 1,49,09,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 7,57,12,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से आज मुझे सिचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग का बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । हमारा उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है और हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में सिंचाई विभाग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है । यही कारण है कि आज हमारा यह प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है और हमारे प्रदेश में इतना अनाज पैदा हुआ है कि इस शताब्दी का सबसे भीषण सूखा पड़ने पर भी हमारे प्रदेश में खाद्यान्न की कमी नहीं हुई और जहां भी आवश्यकता पड़ी, खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है । मान्यवर, हमारे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 294.41 लाख हेक्टेयर है । इसमें से कृषि योग्य क्षेत्रफल 203.30 लाख हेक्टेयर है । हमारे प्रदेश में जितने क्षेत्रफल में खेती की जाती है, वह सम्पूर्ण बोया जाने वाला क्षेत्रफल 250.67 लाख हेक्टेयर है और शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्रफल हमारे प्रदेश का 172.73 लाख हेक्टेयर है । हमारे प्रदेश में सिंचाई के जो साधन हैं, उसमें राजकीय साधन है और निजी साधन भी हैं । सबको मिलाकर के हमारे प्रदेश में 121.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है । मान्यवर, वर्ष 1984-85 में सिंचाई 56.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती थी सन् 1985-86 में 55.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र रहा है । सन् 1986-87 में यह क्षेत्र बढ़कर 57.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हो गया ।

इस तरीके से हर साल सिंचाई का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, जो यह साबित करता है कि हमारा सिंचाई विभाग जो संसाधन जुटा रहा है और उससे सिंचाई क्षमता का जो सृजन हो रहा है, वह हर साल बढ़ता जा रहा है । मान्यवर, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की संरचना की गई थी, उस समय सिंचाई विभाग ने यह नीति बनाई थी कि जो हमारे चालू परियोजनायें हैं, उनको पूरा करके अधिक से अधिक सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा और दूसरी यह नीति बनाई गई थी कि जो सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा, उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जायेगा । तीसरी बात यह निर्धारित की गई थी कि प्रदेश में जहां कहीं भी पिछड़ापन है, वहां की असमानता को दूर किया जायेगा । इन तीन बिन्दुओं को लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना की संरचना की गयी थी और उसी के अनुसार यह सिंचाई विभाग प्रदेश के अन्दर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने का बराबर प्रयास कर रहा है ।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर सीमित संसाधन हैं, इसलिए जो हमारी बृहद् योजनायें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारा प्रयास है कि हम बाहर से भी सहायता लेंगे और इन परियोजनाओं को पूरा किया जायेगा, जिससे हमारे प्रदेश में, जो हमारी नीति है, सिंचाई क्षमता के सृजन में बराबर बढ़ोत्तरी हो । मान्यवर, हमारे प्रदेश में सिंचाई की एक प्रणाली नहर प्रणाली है । हमारे प्रदेश में 65 हजार 600 किलोमीटर की नहरें हैं । दूसरी प्रणाली है राजकीय लघु सिंचाई की है, जिसमें नलकूप, छोटी-छोटी नहरें, पर्वतीय नहरें आदि इसके अन्तर्गत आती हैं । इस समय हमारे प्रदेश में चालित नलकूपों की संख्या 24 हजार 739 है और परित्यक्त तथा असफल नलकूपों की संख्या 2285 है, अर्थात् जो बन्द हैं । मान्यवर, वृहद एवं मध्यम परियोजनायें जो हमारे प्रदेश में चल रही हैं, उनमें छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1924 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया और उससे जो सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है वह 62.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का हुआ । 7वीं योजनाकाल में इसमें 1420 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया और सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य 6.37 लाख हेक्टेयर हो गया । मान्यवर, 7वीं योजना, जो पहली अप्रैल, 1985 से शुरू हुई, उसके प्रथम 2 वर्षों में इसमें 432 करोड़ रुपए खर्च किये गये हैं और उससे 96 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वह उससे बढ़कर 1.02 हजार हेक्टेयर हो गया ।

वर्ष 1987-88 में बजट में 254.30 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया था और सिंचन क्षमता का लक्ष्य 116 हजार हेक्टेयर का रखा गया था, लेकिन प्रदेश में भीषणतम सूखा पड़ने की वजह से संसाधनों की कमी हुई, जिसकी वजह से परिव्यय 234.49 करोड़ रु0 क्क सीमित करना पड़ा और सिंचन क्षमता का लक्ष्य 94 हजार हेक्टेयर निर्धारित किया गया । 1987-88 का जो चालू वर्ष चल रहा है, जो 31 मार्च को इसी महीने में समाप्त होगा, इसमें चालू परियोजनाओं को यथासम्भव पूरा करने का प्रयास किया गया और सिंचन क्षमता को पूरा करने का प्रयास हुआ । इस वर्ष हमारी जो बेवर शाखा है, उसका आधुनिकीकरण और माधो टाण्डा (सिंचाई योजना को पूरा करने का लक्ष्य है ।

(व्यवधान)

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । इतना महत्वपूर्ण विभाग है, सिंचाई का बजट रखा जा रहा है, लेकिन न माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं न दूसरे मंत्रीगण हैं । कृपया निर्देशित करें ।

*हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, सभी मंत्री बैठे हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

यह तो "मंत्राणी" है, मंत्री नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

संसद में कोई "मंत्राणी" नहीं है, सभी "मंत्री" हैं ।

(हंसी)

श्री सीताराम निषाद—

ढेकवा बांध तथा उमरहठ पम्प नहर को पूरा किया जा चुका है, लाइनिंग का काम हो रहा है । अगले वर्ष 88-89 के लिये 310 करोड़ रु0 का परिव्यय निर्धारित किया गया था और 147.50 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन का लक्ष्य रखा गया था, किन्तु सीमित संसाधनों की वजह से वह परिव्यय अब केवल 242.49 करोड़ रु0 का रखा गया है और सिंचन क्षमता सृजन करने का जो लक्ष्य है, वह 100.26 हजार हेक्टेयर रखा गया है ।

इस वर्ष बकहर-मड़िहान फीडर योजना, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण, फर्रूखाबाद शाखा का आधुनिकीकरण, सजनम बांध, आखला बैराज, धोबा पम्प नहर, शहजाद बांध परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।

चालू वृहद् यजिनाएं और मध्यम योजनाएं, कई महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे प्रदेश में चल रही हैं, जिसमें टिहरी बांध, लखवाड़ ब्यासी बांध, पूर्वी गंगा नहर परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण, जो कि विश्व बैंक से पोषित है, शारदा सहायक परियोजना, नारायणपुर पम्प नहर की क्षमता वृद्धि, जमानियां पम्प नहर, ज्ञानपुर पम्प नहर, कुवानो पम्प नहर की क्षमता वृद्धि, सरयू नहर परियोजना, मौदहा बांध, शहजाद बांध, सजनम बांध, चम्बल लिफ्ट सिंचाई परियोजना, किशनपुर पम्प नहर, बेवर फीडर और उमरहट पम्प नहर यह महत्वपूर्ण वृहद एवं मध्यम योजना चालू योजनाओं में है जिन पर हमारी सरकार पैसा खर्च कर रही है और उनको चालू करने का प्रयास कर रही है जिससे हमारे प्रदेश में सिंचाई के अतिरिक्त साधन मिल सकें ।

दूसरी सिंचाई प्रणाली राजकीय लघु सिंचाई हमारे प्रदेश में है इसमें छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 630 करोड़ रुपया खर्च किया गया था और उससे 33.43 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया । सातवीं पंचवर्षीय योजना में 483.15 करोड़ रु0 के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है । सिंचन क्षमता सृजन करने का लक्ष्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

7·03 लाख हेक्टेयर का रखा गया है । सातवीं योजना के प्रारम्भ के दो वर्षों में 209·37 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और उससे 2·76 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की गयी है ।

वर्ष 1987-88 में 1·15 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, 500 नलकूपों का छिद्रण किया जाना और 1100 नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जाना प्रस्तावित है जिससे 1·10 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की वृद्धि होगी । इसके विरुद्ध अब तक 442 नलकूपों का छिद्रण और 698 नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है । वर्ष 1987-88 में आपको जान कर प्रसन्नता होगी कि इण्डोनीदरलैण्ड की सहायता से जो कार्यक्रम मांगे गये थे सिंचाई के लिये उसमें 750 नलकूपों के निर्माण की परियोजना के कार्यक्रम को शुरू करने की स्वीकृति मिल गयी है और इस नये वित्तीय वर्ष में पहली अप्रैल से यह कार्य प्रारम्भ हो रहा है, नये वित्तीय वर्ष में यह कार्य शुरू कर दिया जायेगा । वर्ष 1987-88 के वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपया भी उसमें व्यय करने का प्रस्ताव है । यह इण्डो नीदरलैण्ड के जो 750 नलकूप हैं उसमें नलकूप निगम से 450 नलकूप तथा सिंचाई विभाग के द्वारा 300 नलकूप लगाये जायेंगे ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि सिंचाई विभाग का आज बजट है और सिंचाई विभाग की अनुदानें आज यहां पेश हो रही हैं और वह जो मा0 मंत्री जी हैं, यह कैबिनेट स्तर के मंत्री नहीं हैं बल्कि राज्य मंत्री हैं । सिंचाई विभाग के बारे में यदि कोई माननीय सदस्य नीतिगत शंकायें प्रकट करेंगे तो हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री जी की अनुपस्थिति में वह राज्य मंत्री होने के नाते, सब बातें उनको मालूम न हों क्योंकि सारी बातों की जानकारी राज्य मंत्रियों को नहीं होती है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप निर्देश दें कि संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं यानी कि माननीय मुख्य मंत्री जी, जिनके पास यह विभाग है, वह भी यहां उपस्थित हों ।

श्री अधिष्ठाता—

संयुक्त उत्तरदायित्व के नाते कोई भी मंत्री आपको जवाब दे सकता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह सही नहीं है कि कोई भी राज्य मंत्री उन बातों का जवाब दे सके, जिनका जवाब कैबिनेट स्तर का मंत्री दे सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह बहस का विषय नहीं है । एक निर्णय दे दिया गया है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि सिंचाई विभाग का आज की, उनका विखण्डन हो रहा है । आप उस पीठ पर बैठे हैं, उस पीठ पर बैठ कर आप कुछ ऐसी मर्यादायें कायम करें, आप उस पीठ से कुछ ऐसी परम्परा डालें जिससे वह प्रतीक बन कर सम्पूर्ण भारत में चमके ।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसी कोई बात नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो विपक्ष के लोगों ने शंका प्रकट की है, वह निराधार है। हमारे राज्य मंत्री जी सिंचाई का बजट पेश कर रहे हैं, मुझे पूरी आशा है कि आपकी जो भी शंकायें होंगी उनका जवाब देने के लिये वे पूरी तरह से सक्षम हैं एवं पूरी कैबिनेट की ओर से हम लोग यहां बैठे हैं, और जब हम बैठे हुए होते हैं तो आप लोगों को नजर नहीं आते। (हंसी) इसलिए अब हम खड़े हुए हैं।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के स्वयं निर्णयों का पालन तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन यह दूसरे विभागों के बारे में किस प्रकार से निर्णय ले रही है (हंसी)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मा0 अधिष्ठाता महोदय की व्यवस्था हो चुकी है, अब कार्यवाही प्रारम्भ होनी चाहिए, माननीय राज्य मंत्री जी अपना भाषण प्रस्तुत करें।

श्री सीताराम निषाद—

वर्ष 1987-88 में लघु डाल नहरों बंधियों तथा पर्वतीय नहरों पर 14 करोड़ रु0 व्यय करने का प्रस्ताव हुआ और पर्वतीय नहरों से 3500 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचन क्षमता तथा बंधियों से 1500 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन किया जाना लक्ष्य है। वर्ष 1988-89 के लिए जो कार्यक्रम लघु सिंचाई के निर्धारित किये गये उसके अन्तर्गत श्रीमन् 116.95 करोड़ रु0 व्यय करके 127 हेक्टेयर क्षेत्र के सिंचन क्षमता सृजन का प्रस्ताव है इसके अन्तर्गत 1200 नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जायेगा। और 120 हजार हेक्टेयर क्षेत्र अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन की जायेगी और मान्यवर यही नहीं लघु डाल नहरों, बंधियों तथा पर्वतीय नहरों की योजना पर 13.30 करोड़ व्यय किया जावेगा उससे 7 हजार हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन की जायेगी पब्लिक नलकूपों को लगाने का भी निर्णय किया गया है। पब्लिक नलकूपों को लगाने का प्रथम फेस 1980 में प्रारम्भ किया गया था जो 31 मार्च, 1983 में समाप्त हुआ था उसके अंतर्गत 559 पब्लिक नलकूपों का निर्माण किया गया और 0.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचन क्षमता का सृजन किया था और मान्यवर, इसका दूसरा फेस 1983 में शुरू हुआ जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में 2330 पब्लिक नलकूपों का निर्माण कार्य हुआ और 300 पुराने नलकूपों का आधुनिकरण, 450 नलकूपों को स्वतंत्र फीडर से जोड़ने की योजना भी उसमें सम्मिलित थी और फरवरी 1988 तक की प्रगति अनुसार 2237 नलकूपों का ऊर्जीकरण हुआ और 158 पुराने राजकीय नलकूपों का आधुनीकरण हुआ है और 129 पुराने नलकूपों को स्वतंत्र फीडर से जोड़ा जा चुका है और इन कार्यों से यह भी फायदा हुआ कि 2.3 लाख सिंचन क्षमता का सृजन हुआ और जनवरी 1988 तक 138.66 करोड़ रु0 इस द्वितीय फेज में खर्च हुआ है। इस योजना में 136.30 यू0 एस0 एस0 मिलियन डालर्स प्राप्त हुए और इन डालर्स में हुई मूल्य वृद्धि के कारण विश्व बैंक से हमें यह फायदा हुआ कि एक हजार अतिरिक्त नलकूपों के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। उसमें इस वर्ष 1987-88 में 200 नलकूप लगाने की स्वीकृति जारी की गयी शेष के सम्बन्ध में प्रयास किया जा रहा है। इन्डोडच परियोजना के अन्तर्गत 750 नलकूप लगाने का निर्णय हो गया है, उसमें 125 नलकूपों का आधुनिकीकरण किया जायेगा, 200 नलकूपों को स्वतंत्र फीडर से जोड़ने का प्राविधान है। इस परियोजना का कार्य 1 अप्रैल, 1988 से शुरू होगा। इसमें 20 करोड़ रुपये का

प्राविधान वर्ष 1988-89 के लिए किया गया है । जनपद योजना जो बनायी जाती है, उसमें जो धन आवंटित किया जाता है उसके लिए जिला योजना के अन्तर्गत इसमें 70 प्रतिशत धनराशि जो पुराने काम हैं उनको पूरा करने में और 30 प्रतिशत धनराशि से नये नलकूप लगाये जाते हैं । वर्ष 1987-88 में जिला योजना के अन्तर्गत 159 नलकूपों को छिद्रित किया गया है । नलकूपों के परिचालन के लिये और खेतों तक पानी पहुंचे इसके लिए नालियों के सुधार के लिए और नलकूपों के सुधार के लिए 4000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति नलकूप की व्यवस्था की गयी है, लेकिन अब यह धनराशि बढ़ा कर प्रति नलकूप प्रतिवर्ष 5000 रुपये कर दी गयी है ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी सिंचाई सचिव बैठे हुए थे परन्तु जैसे ही माननीय मंत्री जी ने बजट पेश करना शुरू किया वे चले गये ।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी नजर सरकारी दीर्घा में क्यों जाती है ?

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बाढ़ प्रबन्धन कार्य पर 206.6 करोड़ रुपये व्यय किये गये और उससे 13.67 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से बचाया गया सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में 164.5 करोड़ रुपये बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर व्यय करने का निर्णय लिया गया है । 250 किलोमीटर सीमान्त बांध और 400 जलोत्सारण योजनायें बनायी गयी हैं । 5 नगरों के सुरक्षा कार्य और 3 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सुरक्षित करने का प्राविधान किया गया है । 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 2 वर्षों में बाढ़ सुरक्षा कार्य पर 37.19 करोड़ रुपये व्यय होंगे और उससे 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र जो बाढ़ से डूबता था उसको बचाने का काम किया गया । वर्ष 1987-88 में 16.64 करोड़ रुपये खर्च करके बीस किलोमीटर लम्बा बांध बनाया गया चालीस किलोमीटर लम्बा जलोत्सारण कार्य किया गया उससे 22 हजार अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया गया है, 16 किलोमीटर लम्बा बांध बनाया गया है और 15 किलोमीटर जलोत्सारण का कार्य का निर्माण हो चुका है । 3 करोड़ रुपया औद्योगिक जल निकासी के लिये भी प्राविधान किया गया है । केन्द्र से वर्ष 1987-88 में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिये 5.06 करोड़ रुपया मिला है । इससे इस प्रदेश के पूर्वांचल के जो बाढ़ग्रस्त जिले हैं उनके लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए इस धन का आबंटन किया गया है । वर्ष 1988-89 में बाढ़ सुरक्षा का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अन्तर्गत 19.64 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । 20 किलोमीटर लम्बा बांध बनाया जायेगा और 40 किलोमीटर लम्बे जलोत्सारण के कार्य किये जायेंगे तथा 22 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को बाढ़ से सुरक्षा का काम किया जायेगा । इसके अलावा विभाग द्वारा 3 करोड़ रुपये और खर्च करके औद्योगिक जल निकासी का काम भी किया जायेगा । मान्यवर, इस प्रदेश के अधिकांश जिले बाढ़ से हर साल प्रभावित रहते हैं । पर्वतीय जिले, बुन्देलखण्ड के 5 तथा मिर्जापुर आदि जिलों को छोड़कर 43 ऐसे जिले उत्तर प्रदेश में हैं जो बाढ़ एवं जल-प्लावन से प्रभावित हुआ करते हैं । उन्हें बाढ़ से बचाने के लिये एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है जिससे स्थायी रूप से उन्हें जल प्लावन की समस्या से बचाया जा सके । मान्यवर,

यह ड्रेनेज प्लान, यह मास्टर प्लान 43 जिलों के लिये बनाया जा रहा है। इससे इस बाढ़ एवं जल प्लावन समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए प्रयास किया जायेगा।

मान्यवर, कुछ नदियां ऐसी हैं जो हमारे प्रदेश और अगल-बगल के प्रदेशों से भी संबंध रखती हैं। उनके संबंध में कुछ ऐसी योजनायें हैं जिनसे दोनों प्रदेशों से आपसी विचार-विमर्श करके उनका हल निकाला जाता है। उसमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार मुख्य रूप से हैं जहां समय-समय पर पानी के सम्बन्ध में जो भी विवाद उठते हैं उनको हल करने का प्रयास किया जाता है। राज्यों के बीच अनुबन्ध के अनुरूप तथा समय-समय पर विचार विमर्श के द्वारा राज्यों के बीच में उनका पालन करके पनी के उपयोग की परियोजनायें चलायी गई हैं। बुन्देलखन्ड को लाभान्वित करने के लिये बेतना नदी पर राजघाट पर एक बांध बनाया जा रहा है जिसको संचालित करने के लिये केन्द्र स्तर से एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम बेतवा रखा गया है। इसी तरह से सोन नदी से मिर्जापुर तथा इलाहाबाद के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिये मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध बनाया जा रहा है और इसको संचालित करने के लिये केन्द्र स्तर से एक बाण सागर बोर्ड का गठन किया गया है। मान्यवर, इन बोर्डों की समय-समय पर बैठकें हुआ करती हैं जिसमें दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री बैठकर निर्णय लेते हैं। पिछली बैठक 6 फरवरी को दिल्ली में हुई थी जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी भी सम्मिलित हुये थे और उसमें इस प्रदेश के हित में फैसला लिया गया। मान्यवर, जमुना नदी के बारे में भी हमने दिल्ली हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ समय-समय पर विचार किया। किन्तु अभी तक जमुना नदी के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में केन्द्रीय स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन समय समय पर इस पर विचार होता रहता है।

मान्यवर, हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके बगल में नैपाल देश है और वहां से नदियां बह कर हमारे यहां आती हैं। उनके संबंध में भी योजना बनाई गयी है जैसे काली नदी जिसे हमारे यहां शारदा नदी कहते हैं और करनाली नदी जिसे हमारे यहां घाघरा कहते हैं यह दोनों नदियां बनाने के लिये बातचीत का दौर बंद हो गया था। लेकिन गत वर्ष नैपाल राज्य से केन्द्र शासन के साथ करनाली परियोजना के निर्माण के संबंध में वार्ता चालू हुई है और इसके निर्माण का निर्णय लिया गया है जिसकी लागत 13,500 करोड़ रु0 है। नैपाल राज्य इस करनाली परियोजना को बनायेगा इसमें विश्व बैंक से भी सहायता ली जा रही है। इस परियोजना में भारत की मुख्य रूचि पीकिंग पावर की है।

इस शताब्दि का सबसे भयंकर सूखा हमारे प्रदेश में पड़ा था लेकिन उस सूखे का मुकाबला हमारे सिंचाई विभाग ने बड़ी तत्परता से रात दिन मेहनत से काम करके सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शासन की नीति के अनुसार और माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में काम किया और पूरा प्रदेश जो सूखे से पीड़ित था उसे बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मान्यवर, भयंकर सूखे की स्थिति में जहां जलाशयों का जलस्तर कम हो गया, नदियां सूख गयी थी वहां पर नहरों को पूर्ण क्षमता से पर्याप्त दिनों तक चलाना बड़ा मुश्किल काम हो गया था लेकिन इस भयंकर सूखे की स्थिति से निपटने के लिये और इस प्रदेश की जनता को अन्न मिले, प्रदेश की जनता भूख से न मरने पाये इसके लिये सिंचाई विभाग ने बड़ी मेहनत से काम कर महत्वपूर्ण कदम उठाये और शासन द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से नहरों को, नलकूपों को चलाकर अधिक से अधिक पानी खेतों तक पहुंचाने का काम किया। यह जो व्यवस्था की गयी है उसमें युद्धस्तर पर काम करके

खेतों को पानी दिया गया, खरीफ की फसल जिसकी बिलकुल उम्मीद नहीं थी उसको बहुत कुछ बचाया गया । खरीफ के मौसम में पानी न बरसने से पानी की कमी के कारण नहरों को बड़े परिश्रम से पूरी क्षमता से चलाया गया । हमारी नहरें ऊपरी गंगा नहर, गंडक नहर, केन नहर, बेतवा नहर, निचली गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, शारदा नहर शारदा सहायक नहर आदि इन सभी को पूरी क्षमता से चलाने का प्रयास किया गया और सबसे महत्वपूर्ण काम जो हुआ है वह यह है कि टेल इंड तक पानी पहुंचाने का भरसक प्रयास किया गया है । उसके लिये सिल्ट की सफाई, जो नहरों में जमा हो गयी थी उस पर ज्यादा प्रयास करके सफाई की गयी और नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया गया । रबी की फसल के लिये सिंचाई विभाग ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके रोस्टर बनाया जिसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया गया और उसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों, ब्लाक स्तर एवं किसानों के बीच में उसकी जानकारी कराई गयी जिससे उस रोस्टर के अनुसार हमारे किसान अपने खेतों में फसल बोयें और उसका लाभ उन्हें मिले । मान्यवर, सिल्ट सफाई के लिये जो हर साल नहरों के रख-रखाव मरम्मत के लिये जो पैसा दिया जाता है उसमें इस वर्ष नहरों की मरम्मत व रख रखाव के मद में प्राविधानित 31 करोड़ रुपये में से 7.75 करोड़ रुपये निर्धारित कर दिया गया था कि यह केवल सिल्ट सफाई में खर्च किया जायेगा और उसके अलावा सूखा राहत के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि 2.5 करोड़ रुपया अलग से दिया गया सिल्ट सफाई के लिये । इस धन से इस प्रदेश की 32 हजार किलोमीटर नहरों की सफाई की गयी जिससे सूखे के प्रभाव को कम किया गया । इस वर्ष 22.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई नहरों से की गयी जबकि गतवर्ष जब सूखा नहीं था उस समय 20.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गयी थी लेकिन सिल्ट सफाई करके और व्यवस्था को सुधार करके सूखे की स्थिति में 22.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की गयी । यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही है ।

मान्यवर, नलकूपों ने सूखे की स्थिति में बहुत अच्छा काम किया है । नलकूपों के बारे में जो शिकायत रहती थी कि नलकूप बंद रहते हैं, उस बंदी को दूर करने का भरसक प्रयास किया गया, उसके लिये आवश्यक कदम उठाये गये और बंदी का प्रतिशत घटाकर 6.5 प्रतिशत किया गया । इसके लिये सूखा की स्थिति में जो सूखा राहत कमेटियां न्याय पंचायत स्तर, ब्लाक स्तर तहसील स्तर व जिला स्तर पर बनायी गयी थीं उनके माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों ने विशेष दिलचस्पी इसमें ली थी कि हमारे ट्यूबवेल बराबर चलें, उनकी नालियों में पानी जाये तो इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है । इसमें 2.45 करोड़ रुपये इस बात के लिये खर्च किया गया है कि शिकायत रहती थी कि नलकूपों में मोटर नहीं हैं या पम्पसेट नहीं हैं जिसके कारण नलकूप कई महीनों तक बंद रहते थे तो सरकार ने निर्णय लिया और 1203 मोटर और 500 पम्पसेट खरीदे गये और उन बंद रहने वाले नलकूपों को लगातार चलाने का प्रयास किया गया । 2.5 करोड़ रुपया खर्च करके 19700 नलकूपों की पक्की गूलों की विशेष मरम्मत कराई गयी । यह बड़ा महत्वपूर्ण काम नलकूप विभाग ने किया है कि नलकूपों की विशेष मरम्मत कराकर खेतों में पानी पहुंचाया गया 259 लाख रुपया खर्च करके 286 किलोमीटर पक्की गूलों का निर्माण किया गया उस पैसे को जिलों में भेजा गया और वहां पर जिन नलकूपों पर पक्की गूल नहीं थी, वहां पर पक्की गूल बनाने का काम किया गया है । मान्यवर, 2.5 करोड़ रुपया ग्राम्य विकास विभाग से सूखा राहत के अन्तर्गत नलकूप विभाग को मिला था, जिससे कच्ची गूलों और बरहा का निर्माण कार्य किया गया । इससे किसानों के खेतों में पानी पहुंच सके । इससे बहुत बड़ा फायदा यह हुआ है कि हमने अपने नलकूपों को 29-2-88 तक 150.1 लाख घंटे चलाया है । यह बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि रही है । जिन नलकूपों के बारे में लोग शिकायतें करते थे, उनके घंटे बढ़े हैं । पिछले वर्ष इसी अवधि

में 103.5 लाख घंटे नलकूप चले थे, लेकिन इसी अवधि में मान्यवर, इस वर्ष में 150.1 लाख घंटे नलकूप चलाए गये हैं। इस तरीके से 47 लाख घंटे अधिक नलकूप चलाए गये हैं और उससे लाभ यह हुआ है कि 34 प्रतिशत अधिक हमारी सिंचाई हुई है। यह बहुत बड़ा लाभ हुआ है।

इसी अवधि में पिछले वर्ष 5 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की गई थी, जबकि 6.57 लाख हेक्टर क्षेत्र में इस वर्ष सिंचाई की गई है। यह बहुत बड़ी बढ़ोत्तरी की गई है। 1.57 लाख हेक्टर अधिक क्षेत्र में सिंचाई करके 34 प्रतिशत बढ़ाकर के यह बड़ा भारी कीर्तिमान, मान्यवर, स्थापित किया गया है। लघु डाल पम्प की जो हमारी सिंचाई प्रणाली है, उनकी भी बहुत अच्छे ढंग से चलाया गया है और उससे इस साल सिंचाई प्रणाली है, उनको भी बहुत अच्छे ढंग से चलाया गया है और उससे इस साल क्षेत्र की सिंचाई हुई थी। इस प्रकार इस साल ज्यादा सिंचाई हुई है। मान्यवर, अगले साल के लिए हम अभी से विचार कर रहे हैं। हमारा सिंचाई विभाग अगले साल की खरीफ और रब्बी या फसलों की सिंचाई के लिए रोस्टर तैयार कर रहा है और वह रजिस्टर. .

श्री मनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, मंत्री जी को पढ़ने में कष्ट हो रहा है और जो लिखित है उसको . . . .

श्री सीताराम निषाद—

आंकड़े हैं, पढ़ नहीं रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मनेजर सिंह—

वह सारा आपके भाषण का भाग हो जाए, तो अच्छा रहेगा और आप अपने अनुभव वाली बात भाषण में कह दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

आंकड़े के लिए कागज का सहारा लिया जा सकता है।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारीगण अभी से खरीफ और रबी की फसलों के लिए, कृषि विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श करके रजिस्टर तैयार कर रहे हैं और वह इसी मार्च माह में तैयार करके किसानों और सर्वसाधारण की जानकारी के लिए व्यापक प्रचार प्रसार हेतु बांट दिया जाएगा। मान्यवर, केन्द्रीय सहायता भी हमारे प्रदेश को मिली है। 28 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश की दीर्घकालिक स्तर पर सूखे से निपटने के हेतु भारत सरकार द्वारा वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के लिए दिया गया है, जिससे उन्हें जल्दी पूरा किया जा सके। उसके लिए भारत सरकार ने सहायता दी है। इसके अलावा मान्यवर, 180.65 लाख रुपया जो हमारी बंधियां और नाले हैं उनके लिए निर्माण एवं पुनरोधार कार्य हेतु, सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन मद में पैसा दिया गया है, तो इस प्रकार से मान्यवर, सिंचाई विभाग की जो नीति है कि हमारी जो परियोजनायें हैं उनको जल्दी पूरा किया जाए, सिंचन क्षमता को बढ़ाया जाए, सिंचन क्षमता का अधिक

उपयोग किया जाए, जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनको दूर किया जाए, ऐसा हमने प्रयास किया है । हमारी सिंचाई विभाग की जो नीति है वह सातवीं पंचवर्षीय योजना की संरचना के समय में निर्धारित की गई है हम उसी नीति पर चल रहे हैं और हम इस प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए इस भीषण सूखे की स्थिति में भी हमारे सिंचाई विभाग ने अच्छा काम करके इस प्रदेश के किसानों का भला किया है इससे हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहूंगा सिंचाई विभाग, जिसे मान्यवर योजना आयोग ने सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है इसका बजट वर्ष 1988-89 के लिए आज प्रस्तुत किया हूं । मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन से कहना चाहता हूं कि यह विभाग प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है इसलिए इसके संबंध में जो सुझाव दिये जायं वह रचनात्मक सुझाव दिए जाएं ताकि जो हमारी सिंचाई विभाग की नीति है उन नीतियों को हम पूरा कर सकें । जो परियोजना हमारी चल रही है उनको पूरा करने और इस प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं जिसमें खेती होती है उन सब खेतों को पानी दिया जा सके इस संबंध में जो बहुमूल्य सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा इस सदन में प्राप्त होंगे उसका स्वागत करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ आप सिंचाई विभाग का जो बजट प्रस्तुत करने का आपने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं ।

(मेजों की थपथपाहट)

*श्री रामशरण दास—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, पहले तो मुझे बड़ा खेद है और वह इस बात का खेद है, श्रीमन् मुझे ही नहीं शायद आपको भी हो तथा जो इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं तथा जो उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं उनको भी खेद होगा । मान्यवर, यह सिंचाई विभाग जो है यह इस साल से ही नहीं पिछले एक दो सालों से यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है सूखे के कारण । सूखा क्योंकि प्रदेश में पड़ा हुआ है इसलिए इसकी अहमियत सबसे ज्यादा बन जाती है । लेकिन मान्यवर, जो साहित्य विभाग की तरफ से आया है उसमें एक किताब जो मुझे मिली है वह रात में मिली है और जो दूसरी किताब है मान्यवर, जिसमें से इन्होंने आंकड़े पढ़े हैं वह सुबह जब मैं 10-11 बजे आया तब मिली है । तो मान्यवर, यह जो किताब है और यह जो लिट्रेचर है, यहां के सिक्रेटरी के आदेश हैं कि सभी विभाग इसे समय पर वितरित कर दिया करें । 4 दिन पहले पहुंच जाय तो हम पटल कार्यालय से समय पर ले लें और इन्हें पढ़ लिया करें और इनकी कमी या अच्छाई देख लिया करें तब यहां बहस में हिस्सा लें । हम बिल्कुल अंधे की तरह आज बोल रहे हैं । मैं आभारी हूं अपने 2-3 सदस्यों का, विजय सिंह राणा, सूर्य प्रताप शाही, बलिया वाले पांडेय जी का, इन लोगों की सहायता से अपना भाषण किसी तरीके से तैयार किया है । यह अच्छी बात नहीं है, लिट्रेचर समय से मिलना चाहिये । जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया है अगर इस किताब को पढ़कर सुना दें, एक पेज पढ़कर सुना दें तो मैं उनकी तारीफ करते नहीं थकूंगा । न इसके शब्द ही गलत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं बल्कि इसके अक्षर भी पढ़े नहीं जाते । "अ" की जगह "म" छपा है और तमाम गलतियां हैं निषाद साहब से कहना बेकार है दूसरे विभाग के लोकपति जी बैठे हुए हैं, सीनियर मेम्बर हैं अगर यह नहीं सुनेंगे तो उनको सुनाना बेकार है । चूंकि मुझे पता है कि इनके भी दिन बहुरने वाले हैं, लोकपति जी के । इनका नम्बर आने वाला है चूंकि हमारे यहां के सीनियर मेम्बर हैं वैसे भी यहां से ठाकुर हटेगा, तो बाभन बनेगा, बाभन हटेगा तो ठाकुर बनेगा । तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो कार्यकलाप चल रहे हैं इसे आप रोकिये । अगर आप पढ़ें तो फाड़कर फेंक देंगे लिट्रेचर को । इस प्रदेश के मुख्य मंत्री साहब हमारे वीर बहादुर सिंह जी पिछले 8 वर्षों से सन् 1980 से इस महकमे के ऊपर चिपके पड़े हैं । यह महकमा नहीं गया सब चले गये, इसको उन्होंने नहीं छोड़ा ।

एक सदस्य—

क्यों ?

श्री राम शरण दास—

यह जानते हैं या आप जानते हैं, आपके पड़ोस का मामला है । मुख्य मंत्री साहब को आज यहां रहना चाहिये था । हमारे निषाद साहब, भोला शंकर मौर्य, सरस्वती अम्माल, चेतराम गंगवार, मुख्य मंत्री जी उनको तो कभी यह महकमा ट्रांसफर कर देते हैं कभी वह महकमा ट्रांसफर कर देते हैं । यह तो बेचारे हैं । इनसे अच्छे तो अफसर हैं । सिंचाई विभाग के अफसर इनसे बेहतर हैं उनका ट्रांसफर वीर बहादुर नहीं कर सकते इनका कर सकते हैं । पहले सिंचाई विभाग भोलाशंकर के पास था और पी0 डब्लू0 डी0 निषाद साहब के पास लेकिन अब म्युचुअल ट्रांसफर कर दिया है । क्या राज है यह मेरी समझ में नहीं आता है । इसको आप समझ सकते हैं आप पुराने आदमी हैं मेरे अच्छे मित्रों में हैं । यह राज है इसकी गुत्थी कहीं न कहीं सुलझनी चाहिये । मान्यवर, यह भारत देश, हिन्दुस्तान, इसका मुख्य धंधा खेती है । 80 परसेन्ट लोगों की जीविका खेती पर चलती है । श्रीमन् इस महकमें का यह हाल है कि उसके कैबिनेट मंत्री, मुख्य मंत्री जी यहां सदन में नहीं हैं । कोई जरूरी नहीं कि हम सब सुझाव देंगे । आप लोग भी सुझाव देंगे और अपने अपने जिलों की बात रखेंगे । पहले तारीफ करेंगे फिर बुराई करेंगे कि यह नहीं किया वह नहीं किया, आप दूसरे तरीके से कहते हैं हम लोग सीधे-सीधे कह देते हैं । तो मुख्य मंत्री जी आज यहां पर रहना चाहिये था । अब मैं मान्यवर, आपके सामने निवेदन करता हूं कि सिंचाई विभाग इतना इम्पोर्टेन्ट है, इतना जरूरी है, इतना महत्वपूर्ण है कि इससे आज इस युग में जैसे एक आदमी को शरीर में खून की आवश्यकता होती है, ऐसे ही फसलों के लिए, अन्न के लिए, हमारी जिन्दगी आगे चले, उसके लिए पानी की आवश्यकता है और अगर हम पानी को इग्नोर करेंगे, तो इस देश में क्या होगा, माननीय अम्मार साहब, माननीय लोकपति जी बैठे हैं, ये विचार कर लें, क्या होगा ? अगर हम इसकी समुचित व्यवस्था न करें । अब तक तो ये इसकी समुचित व्यवस्था नहीं कर पाये । तीन-चार पानी के सोर्स हैं, जिससे हम सिंचाई करते हैं, पहले जमाने की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसान घराने से आता हूं, मेरा ताल्लूक भी किसान घरानों से है और मैं किसान हूं, मैंने गूल भी चलाई है, हल भी चलाया है और अगर मौका लग जाय, आज भी अगर कोई गैरहाजिर हो, तो मैं घर जाकर सब काम करता हूं । मान्यवर, सिंचाई के हमारे साधन नहरें हैं, नलकूप हैं, निजी नलकूप हैं, रहट हैं, ढेकुली हैं, ताल हैं और चरस हैं, जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं । मान्यवर, पूरे देश की कृषि भूमि 940.63 लाख हेक्टेयर है और हमारे प्रदेश की कृषि भूमि 203 लाख हेक्टेयर है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम शरण दास जी, ये किताब के आंकड़े नहीं हैं ।

श्री अमर चन्द—

मान्यवर, माननीय राम सरण दास जी ने अभी जो आंकड़े पढ़ा, उसमें उन्होंने आधा अंग्रेजी में पढ़ा और आधा हिन्दी में पढ़ा । मैं चाहता हूं कि माननीय राम शरण दास जी अंग्रेजी आंकड़े को हिन्दी में कर दें ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, जो आंकड़े हमने पढ़े, उसमें मैंने जो प्वाइंट शब्द पढ़ा, उसका आशय आप चाहें दशमलव लगा लें या आशारिया लगा लें या बिन्दु लगा लें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम शरण दास जी आप प्वाइंट की जगह पर आशारिया या बिन्दु शब्द कहिये ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, 1950 में उत्तर प्रदेश में 28.67 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता थी । 1982-83 में टोटल सिंचन क्षमता 98.44 लाख हेक्टेयर थी, 1983-84 में बढ़कर 99.65 लाख हो गयी । 1984-85 में बढ़कर 101.33 लाख हेक्टेयर हो गयी । 1985-86 में बढ़कर 102.88 लाख हेक्टेयर हो गयी । अगर आप 00000 तुलनात्मक देखें 1982-83 से 1983-84 में 1.29 लाख की वृद्धि हुई है । मान्यवर, वर्ष 83-84 से 84-85 में 1.68 की वृद्धि हुई है यह है इनकी रफ्तार । मान्यवर, यह जो इन्होंने अपने आंकड़े दिये हैं यह तो एक साल का है उसमें 1.55 की वृद्धि हुई है, यह जो आपके सरकारी साधन हैं उसका ही नहीं है इसमें किसानों के निजी साधन भी लगे हुए हैं । ऐसा नहीं है कि आपके सरकारी नहरों ने या आपके जो सरकारी नलकूप हैं उनकी वजह से वृद्धि है ।

मान्यवर, अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि 66.600 कुछ नहरों की लम्बाई आज इन्होंने बताया । मान्यवर, पिछले 10 वर्षों में 2250 कि0मी0 नहरों की वृद्धि हुई है और नहरों का यह हाल है कि अभी हमारे अलीगढ़ के साथी थे जगबीर सिंह जी । यह अभी कह रहे थे माननीय मंत्री जी कि हमने नहरों को पर्याप्त पानी दिया है तो हमारे साथी जगबीर सिंह आये और उन्होंने मुझे बताया, मैं वही 2 बातें आपको बताना चाहता हूं, इस समय आपके अधिकारी सुन रहे होंगे वह भी नोट कर लें और आप भी नोट कर लें । 2 रजबहे हैं एक जैबर रजबहा है और दूसरा बाजोता रजबहा, इनमें एक बूंद पानी नहीं चला है । मान्यवर, यही नहीं जगबीर सिंह ने यह भी बताया कि मुख्य मंत्री की मीटिंग में भी अवगत कराया था । तो मैं तो वही बात कहूंगा जिसकी जानकारी हमें सदस्यों से मिलती है । यह जो किताबें मिली हैं जो पोथन्ना है, डा0 लोहिया ने कहा था कि 5 साल प्लान मूर्ख विद्वानों के कागजों का पुलिन्दा है । आप तो हमारे साथी रहे हैं । यह 5 साल का प्लान मूर्ख विद्वानों का बनाया हुआ कागजों का पुलिन्दा है । यह जो बजट और आंकड़े आपके अधिकारी पेश करते हैं और आप उसी पर डिपेन्ड करते हैं । निषाद साहब, कभी जाकर दौरा करें नहरों पर, रजबहों पर, ट्यूबवेलों पर तो आपको पता चल जायेगा कि कितना पानी दे रहे हैं ।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

बैठों, यह कोई नौटंकी नही है जिसमें गाना है । मान्यवर, मैं न तो मुर्गी पर बोल रहा हूं, न सुअर पर बोल रहा हूं, न कोई और अनुदान पर बोल रहा हूं, मैं तो सिंचाई विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोल रहा हूं । इन्हें यह पता नही है ।

इस देश में दो किस्म के पंडित हैं, लोकपति जी आप सुनें । इस देश में दो किस्म के पंडित हैं । आप बुरा न मानें आप नहीं आते हैं । उसमें एक समाज के पंडित और एक सरकार के पंडित होते हैं । समाज का पंडित दान खाता है और सरकार का पंडित अनुदान खाता है, यह अनुदान वाले बैठे हैं मेरे सामने ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, इन्हें क्या मतलब सिंचाई से बजावें ढोल और खायें कमायें ।

मान्यवर, यह जो ट्यूबवेल है अब मैं इनके ऊपर आना चाहता हूं । मान्यवर, चौथी योजना काल के अन्त में 12,447 नलकूप थे और वास्तविक सिंचाई क्षेत्रफल 12.25 लाख हेक्टेयर था पांचवी योजना के अन्त तक 14,560 नलकूप हो गये और 10 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हो गया । 1985-86 तक 23,226 नलकूप हो गये और सिंचित क्षेत्रफल हो गया 8.10 लाख हेक्टेयर । तो नलकूप की संख्या बढ़ती गई और सिंचित क्षेत्रफल घटता गया । पढ़ो, इन्हीं किताबों में से निकाला है । यह मेरे गांव नहीं छपी है, मेरे घर पर नहीं छपी है । तो यह नलकूपों की स्थिति है । मान्यवर, इनकी योजनाएं हैं 71, इनमें से 10 छठी योजना में पूरी होंगी, 12 बड़ी हैं, 25 मध्यम और 6 आधुनिकीकरण की हैं और पता नहीं क्या-क्या है । ये हैं इनकी योजनाएं ।

सुनो भाई । टेहरी परियोजना, बरार साहब कहां गये । पहाड़ के लोग बैठे हैं कि गये । बचोगे कि मरोगे । सजवाण भी मरेंगे । यह मैं नहीं कह रहा, यह रूस के एक वैज्ञानिक ने कहा है । यह हमारे विधान परिषद् में मामला उठ चुका है । पर हमारे राजेन्द्र गुप्ता जी का सवाल था, इस पर रूस के वैज्ञानिक एलेक्जेंडर फिंच ने कहा है कि अगर भूकम्प आ गया तो टेहरी बांध उसको झेल नहीं पाएगा । इसी तरह पहले भी हो चुका है । सजवाण यहां बैठे हैं । पहली सदी में हो चुका है । टेहरी, सरजू परियोजना, मेरे पड़ोस में बहराइच में, यह बैठे हुए हैं, काल साहब और मयंकर सिंह भी बैठे हैं । मैं मान्यवर, मुझे यह बता दो कि यह जो सरजू परियोजना है, मान्यवर, गण्डक परियोजना भी है, मान्यवर, यह खोद-खोद कर भाग गये । करोड़ों करोड़ों रुपये खा गये । इधर के लोग बैठे हैं, उधर के लोग बैठे हैं, मिनिस्टर साहब बैठे हैं, कोई बतादे कि एक इंच जमीन की भी सिंचाई हुई हो तो बता दें, मैं कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा । यही नहीं भ्रष्टाचार पर बाद में आना चाहता था, भूल जाऊंगा । वहां के एक जूनियर इंजीनियर का कहना है कि मैं यहां तरक्की करते-करते एस0 ई0 भी हो जाऊं तो भी यह परियोजना पूरी नहीं होगी । गण्डक भी पूरी नहीं होगी । हर्षवर्धन जी इसकी पोल खोलेंगे । बीसियों करोड़ रुपये खा गये ।

यह जो आपकी परियोजना है, निषाद साहब, मैं तो 12 साल में मर जाऊंगा, 21वीं सदी शायद बारह साल में आएगी, मैं तो शायद न रहूं, क्या होगा उम्मीद नहीं, लेकिन इतना मैं बता दूं कि यह परियोजना 25 साल पहली सदी के खा गयी और 25 साल अगली सदी के खा जायगी । आपकी सरकार के राजीव गांधी तो जाएंगे नहीं 21वीं सदी में, लेकिन यह योजना चली जायगी । इसमें हर साल करोड़ों रुपये बढ़ा दिये जायेंगे । मैं तो राजीव जी का शुभचिन्तक हूं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता है । मैं कोई मछली पालन पर बोल रहा हूं ।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

मान्यवर, 21वीं सदी में राजीव जी को हम सबको जाना है ।

श्री हरदेव—

हमें भी जाना है, हम भी नहीं मरेंगे ।

श्री राम शरण दास—

ये दोनों जाएंगे, लेकिन सड़क पर घूमते हुए जाएंगे ।

ठीक कह रहे हो, मान्यवर, यह जब जायेंगे, उस समय यह दोनों ओर से सड़क पर रहेंगे, कुर्सी पर नहीं रहेंगे, हम अर्थी पर चले जायेंगे हमें उसका डर नहीं है । मैं कह रहा था कि आपकी जितनी परियोजनायें हैं, यह 21वीं सदी तो क्या आगे 25 साल तक चलती ही रहेंगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता ।

मान्यवर, "बा" हंसिये नहीं, सुनिये मैं क्या कह रहा हूं । मान्यवर, हमारे यहां ब्रिटिश टाइम में एक अच्छा परिवार था, ताल्लुकेदार थे, 20—25 गांव के मालिक थे । वे तीन भाई थे । बीच वाले भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया, मुकदमा चला । मुकदमें में जज ने तारीख दी । जो उनका तीसरा छोटा भाई था, वह हंसता फिर रहा था कि मेरे भाई को कत्ल के जुल्म में काले पानी की सजा होगी, मैं भी हाई कोर्ट के फैसले को सुनने के बहाने इलाहाबाद देख आऊंगा । उसे इलाहाबाद देखने की ललक थी । यही हालत इनकी है, जैसे हमारे यहां के चौधरी परिवार के लड़के की थी कि भाई को काले पानी की सजा होगी, तो हाई कोर्ट के बहाने इलाहाबाद देख आऊंगा । मान्यवर, होता क्या है इस प्रदेश में कहीं बाढ़ आ गयी अब यह हवाई जहाज से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे । बांटते-बांटते कुछ नहीं है, केवल हवाई जहाज में बैठकर स्थिति का जायजा लेंगे । अब शक्ल न सूरत, हवाई जहाज और हेलीकाप्टर से सर्वेक्षण करेंगे ।

सुन लीजिये मैं यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारे अधिकारी मनाते हैं कि हे भगवान हर साल प्रदेश में बाढ़ आती रहे, सूखा पड़ता रहे । बाढ़-सूखा पड़ेगा तो जितना रु0 आप आबंटित करोगे राहत आदि के लिए उसमें से आधे से अधिक पैसा इन अधिकारियों की जेबों में जायेगा । बुरा न मानियों मंत्री लोग, मैं नाम नहीं लूंगा कुछ पैसा रात को 12 बजे 1 बजे इन मंत्रियों की जेबों में भी आ जाता है । मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लेकर किसी से फौजदारी नहीं करता । लेकिन कहता हूं कि यह मनाते हैं कि बाढ़ आवे, सूखा आवे । मान्यवर, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हरियाणा में अगर बाढ़ की स्थिति को देखें तो हमारे यहां से इन प्रांतों ने ज्यादा कंट्रोल कर लिया है, यह कंट्रोल नहीं कर पाये हैं । मान्यवर, औसत सुन लें, बिहार 42 लाख हेक्टेयर, पश्चिमी बंगाल 39 लाख हेक्टेयर, पंजाब 39 लाख हेक्टेयर, हरियाणा 33 लाख हेक्टेयर और हमारा 73 लाख हेक्टेयर, उ0 प्र0 का 73 लाख हेक्टेयर । यहां का देखें ज्यादा है । यह कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, बाढ़ की रक्षा का काम । मान्यवर, मैं सूर्य प्रताप शाही जी का भाषण पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि हर साल इस विपदा से 5-5 सौ करोड़ रु0 की क्षति उठानी पड़ती है । तो मान्यवर, यह बाढ़ का हाल है । आगे मैं इस पर सुझाव दूंगा अभी तो केवल टोक ही रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम शरण दास जी आपको अपनी बात कहने का आगे भी मौका मिलेगा, बहुत सारे सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं । आप समाप्त करें ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, थोड़ा वक्त दे दें । अभी तो मैं सुझाव भी दूंगा और इनके विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की बातें भी कहूंगा । मान्यवर, मैं किसी माननीय सदस्य का हक नहीं मारना चाहता, मैं तो चाहता हूं कि इस पर सभी बोलें । आप थोड़ा सा वक्त और दे दें । मान्यवर, यह किस तरह से हर साल खा रहे हैं, इसका मैं आंकड़ा आपको बता दूं । वर्ष 1983-84 में 464 करोड़ और वर्ष 1984-85 में 1185 करोड़ रुपये हर साल बरबाद इन्होंने किया है । इसको इन्होंने बाढ़ में खाया है । एक बात मैं और कहना चाहता हूं । श्रीमन् उत्तर प्रदेश सिंचाई की दरों में सबसे आगे है और हम तो डा0 लोहिया के नजदीक भी रहे हैं वह कहते थे कि सिंचाई मुफ्त होनी चाहिये, वह कहते थे कि सिंचाई का कर समाप्त कर देना चाहिये । उस समय सन् 1954 में एक नहर आन्दोलन चला था, उनका कहना था कि सिंचाई की वसूली को खत्म कर देना चाहिये, इससे किसानों का उत्साह बढ़ेगा और वह जादा उत्पादन करेंगे । इन्होंने इसका उल्टा कर दिया । मान्यवर, मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं सिंचाई की दरों के । तामिलनाडु में सिंचाई की दर 23.64 रुपये प्रति हेक्टेयर, पंजाब में 27.07 रुपये प्रति हेक्टेयर, हरियाणा में 56.04 रुपये प्रति हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 49.53 रुपये प्रति हेक्टेयर, बिहार में 58.92 रुपये प्रति हेक्टेयर और हमारे उत्तर प्रदेश में यह 67.09 रुपये प्रति हेक्टेयर है ।

इन्होंने इस मामले में टाप कर दिया और यह सबसे आगे है । अरे मंत्री जी आपने भी गरीब घर में पैदा होकर भी गरीबों पर टैक्स लगा दिया । मान्यवर, जब हम सन् 1942 में पढ़ते थे, उस समय आन्दोलन चल रहा था और जवाहर लाल नेहरू का भाषण मैंने सुना है । हमने बड़े-बड़े नेताओं के भाषण सुने हैं और मुझे बड़ा शौक था, उस समय बड़ी लगन हुआ करती थी, नेताओं के भाषण सुनने की । गाजीपुर वाले विधायक जी के दादा थे, यह उस समय नारा लगाया करते थे "अंग्रेज बदमाश बेईमान हमारी गंगा और जमुना माताओं का पानी बेचकर अपना लंदन का खजाना भर रहे हो, जब हमारा राज आयेगा तो हम दूध की नदियां बहा देंगे । मान्यवर, इन्हें डूब मरना चाहिये, मंत्री जी तुम भी डूब मरो, तुम इतनी भी व्यवस्था नहीं कर पाये । मान्यवर, अब मैंने यह बातें कही हैं, अब मैं कुछ और निवेदन करूंगा और बाद में सुझाव दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम शरण दास जी, कुछ बाद में भी बोल लीजियेगा ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, इनके भ्रष्टाचार की बात मैं अभी कह दूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सुझाव मैं बाद में ही दूंगा मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर के भ्रष्ट अभियंता श्री सुरेश गिरी के काले-कारनामों और लाखों रुपए के घोटालों पर मुख्य मंत्री चुप क्यों ? सिंचाई व बिजली परियोजना में समय व धन की बर्बादी, लाखों रुपए बरबाद हो रहे हैं नलकूपों के नाम पर फर्जी मरम्मत के नाम पर सिंचाई शारदा खण्ड में लाखों का गोलमाल, प्राथमिकता वाली 108 सिंचाई परियोजनाओं की लागत बढ़ी और शारदा सहायक नहर अभिशाप बनी आदि कई अन्य भ्रष्टाचार के मामले हैं । हमारे एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि बस्ती जिले में सिंचाई विभाग के कुछ लोगों का ट्रान्सफर 8-8 व 9-9 साल से हो रहा है, परन्तु फिर रूक जा रहा है । इस प्रश्न के संबंध में एक लम्बी लिस्ट भेज दी गई है और उसमें अन्त में यह कहा गया है कि प्रशासनिक आधार पर रोका गया । मैं कहता हूं कि एक दफा रोको, दो दफा रोको, कब तक आप प्रशासनिक आधार पर रोकते रहोगे । इन लोगों ने अपने ठेकेदार वहां बना रखे होंगे और आप लोगों को भी देते होंगे, इसलिए मेरा आपसे

निवेदन है कि इस पर आप गम्भीरता से विचार करें और अपने विभाग से भ्रष्टाचार को दूर करें ।

आज इस भ्रष्टाचार की वजह से हम लोगों को और इस प्रजातंत्र को खतरा पैदा हो गया है । कोई विधायक यदि कोई काम करता है तो अखबार में निकलता है विधायक ने यह काम किया, जिसमें हम सभी आ जाते हैं, उसी प्रकार एक इन्जीनियर भ्रष्टाचार करेगा तो अखबार में निकलेगा इन्जीनियर, यदि एक मिनिस्टर गलत काम करेगा तो अखबार में निकलेगा मिनिस्टर, जो सभी पर लागू हो जाती है । इस वक्त अगर देश में किसी के मजे हैं तो वह इन्जीनियर हैं । चाहे वह पी0 डब्लू0 डी0 का इन्जीनियर हो, सिंचाई का हो या विद्युत का हो, इन सबने देश की हालत खराब कर दी है । इन्हीं इन्जीनियरों की वजह से परियोजनायें ठप्प पड़ी हैं । आप इन्जीनियरों के परिवार के लोगों की जांच करा लें, सारा सीमेन्ट और सारा मैटीरियल व धन इन लोगों के बंगलों में लगा हुआ है । इन्जीनियर काम करेगा, गोरखपुर में बंगला बनेगा, लखनऊ में इन्जीनियर काम करेगा देहरादून में बंगला मसूरी में । ऐसा मालूम पड़ता है कि इन्जीनियर खुदा बन गया है । 10-10 लाख रुपए इनको दहेज चाहिए, हर मिनिस्टर अपनी लड़की इनको देने के चक्कर में पड़ा रहता है । क्यों न आप अपनी लड़की किसी गरीब को दे देते हो, उसे क्यों न 10 लाख रुपए आप दे देते । ये इन्जीनियर तो डकैत हैं । इस भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा नहीं तो देश नहीं चलेगा । अब मैं बाद में, जब सबको सुन लूंगा, तब कहूंगा ।

(समय 3 बजकर 30 मिनट)

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने जो आज सिंचाई का बजट सम्पूर्ण आंकड़ों के साथ पेश किया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है, जिस पर प्रदेश के कुल बजट का 40 प्रतिशत खर्च होता है । सिंचाई विभाग की जितनी प्रशंसा की जाय, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों और मन्त्री जी की जितनी प्रशंसा की जाय, वह कम है । सिंचाई विभाग के अथक परिश्रम से, सिंचाई की बढ़ोत्तरी से जो देश में आज अन्न की उपज बढ़ी है और देश आत्मनिर्भर हुआ है, वह सारी चीजें सिंचाई विभाग की देन है । देश में जब सिंचन क्षमता नहीं थी, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि किसान चाहे जितनी मेहनत करे, एक बीघा खेत में 4-5 मन से ज्यादा अन्न पैदा नहीं होता था, लेकिन जब से इस जनप्रिय सरकार ने देश की सत्ता को अपने हाथ में लिया और भारत के निर्माता (बनाने वाले) स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कृषि की तरफ ध्यान दिया और सर्वप्रथम सिंचाई को प्राथमिकता दी, सिंचाई क्षमता बढ़ी, जिससे देश की उपज बढ़ी । आज देश में सिंचाई की वजह से इतनी उपज बढ़ी है कि देश आत्मनिर्भर है, पी0 एल0 480 के तहत अन्न के लिये मोहताज नहीं होना पड़ रहा है । आपने सुना होगा कि देश और प्रदेश में अन्न की इतनी कमी थी कि हम गरीबी में कराह रहे थे, उस समय देश और हमारा देश-विदेशों की तरफ अन्न के लिए देख रहा था । मैंने सुना है कि इंगलैंड और अमेरिका में पादरी गण हाथ में कटोरा लेकर यह कहकर भीख मांगते थे कि भारत की मदद के लिए, उन्हें भूख से बचाने के लिये मदद दो जो देश के लिए शर्म की बात थी । लेकिन आज सिंचाई क्षमता के बढ़ने की वजह से देश में इतनी अन्न की उपज बढ़ी है कि 4-5 मन की जगह पर एक बीघा में 30-35 मन धान और 20-25 मन गेहूं पैदा हो रहा है ।

आज हमें पी0 एल0 480 के तहत अपमानित होने की आवश्यकता नहीं है । देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो योगदान दिया है, साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो योगदान दिया है, उसके लिये उनको बधाई देता हूं । अभी-अभी बाढ़ के संबंध में राम शरण जी कह रहे थे कि लाभ के लिये अधिकारी चाहते हैं कि बाढ़ आये ताकि उनकी कमाई हो सके । मैं नदी के किनारे का रहने वाला हूं, खासकर गंगा तीरे का रहने वाला हूं । हमें याद है कि जब देश में सिंचाई के साधन नहीं थे तो गंगा के तीरे के किसान नदी के किनारे बैठकर मनौती करते थे कि बाढ़ आये और रबी की अच्छी फसल हो । बाढ़ वहां तक मिट्टी ले आवे जिससे रबी की फसल अच्छी उपजे, यह मनौती करते थे लोग, लेकिन आज सिंचाई विभाग की यह देन है, आज हमारी सरकार की यह देन है कि हमारी सिंचाई की क्षमता बढ़ाने की वजह से अब हम यह चाहते हैं कि बाढ़ के क्षेत्र में भी बाढ़ न आवे, वहां भी ट्यूबवेल और दूसरे साधनों से लोग दुगनी उपज करें ।

मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं जो कि सिंचाई विभाग की दृष्टि से कुछ कार्य शेष बच गये हैं, मैं वहां की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । श्रीमन्, जब पूरा प्रदेश सूखे से परेशान था उस समय हमारे क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मेहनत से काम कर रहे थे उसी के कारण से थोड़ो-बहुत फसल हुई, लेकिन दैवी प्रकोप से जब बहुत ज्यादा पानी बरसा तो कर्मनाशा नदी में बाढ़ आ गयी जिससे हमारे यहां की सारी फसल बरबाद हो गयी । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने इस सदन में एक सूचना दी थी कि हमारे दो माननीय सदस्यों को, माननीय रवीन्द्रनाथ तिवारी जी को तथा माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी को जब ये लोग जनता पार्टी के कार्यालय से सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये यहां आ रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको पुलिस लाइन पर रखा गया था । शासन ने भी कुछ प्रयास किया होगा । अब दोनों सम्मानित सदस्य सदन में उपस्थित हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों उनको सदन में आने से रोका गया था, मैं चाहूंगा कि इन सारी बातों पर आप उनको सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता—

बजट भाषण के बाद यदि आप कोई बात लायेंगे तो देख लेंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, जो सदस्य भाषण दे रहे हैं, उनको आप सुन लें उसके बाद आप इन सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका दे दें ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, सिंचाई विभाग का महत्वपूर्ण बजट चल रहा है, इस पर यहां अभी चर्चा हो रही है, यह उचित नहीं प्रतीत होता है कि बजट की चर्चा के बीच में बाधा डाली जाय और किसी अन्य बात पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं वही कर रहा हूं । मैं देख रहा हूं कि कैसे उनको मौका दिया जाय ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

(क्रमागत)

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि हर साल हमारे क्षेत्र में बाढ़ आती है, इसके लिये शासन ने कुछ विचार कर रखा है उसके रोकथाम के लिये । मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्यवाही की जाय ताकि हमारे क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सके । दूसरी बात के लिये भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जमनिया कैनाल से नहरें बन कर तैयार हैं, लेकिन पम्प हाउस बनकर तैयार नहीं है । पैसे के अभाव में वह बन नहीं पाया है, शासन से मेरा अनुरोध है कि उस पम्प हाउस को भी जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाय जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोग उससे फायदा उठा सकें । हमारे क्षेत्र में गंगा बीचो बीच में बहती है, उसी के बीच में एक करण्डा ब्लाक भी है, वहां पर जमुआंव बंधे का निर्माण कार्य शुरू किया गया था परन्तु किन्हीं कारणों से वह रोक दिया गया है । शासन से अनुरोध है कि तत्काल उसे बनवाया जाय जिससे क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सके । एक बात का अनुरोध और करूंगा कि विश्व बैंक की स्कीम में जो ट्यूबवेल आये हैं उनमें से एक बेल्ट हमारे क्षेत्र जमानियां में भी लगवाने का कष्ट करें जिससे कि इस क्षेत्र की सिंचाई पूरी हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो डा0 राम शरण दास जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, नियमों के अंतर्गत उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, परन्तु इस समय एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, इस चर्चा के बाद ही इस पर विचार किया जा . . . . (व्यवधान के मध्य)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

(तेज आवाज में) मान्यवर, विधान सभा की कार्यवाही . . . .

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, दो सम्मानित सदस्य विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहे थे, उनको बीच में ही पुलिस बल द्वारा रोका गया, मैंने इसकी सूचना आदरणीय सदन को सुबह दी थी, यद्यपि शासन के हस्तक्षेप से ही दोनों माननीय सदस्य अब यहां आ सके हैं, इन्हें आखिर क्यों रोका गया, सदन की कार्यवाही में भाग लेने में व्यवधान क्यों डाला गया और इन्हें बलात रोका गया ऐसी स्थिति में उनको अपनी बात कहने का मौका तो अवश्य दिया ही जाना चाहिए । . . . (शोर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं यह कहां कह रहा हूं कि इनको अपनी बात करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जायेगा ▫ ▫ ▫ ▫

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय नैतिकता के कर्तव्य को निभाते हुए आपको तो स्वयं ही इन माननीय सदस्यों से पूछना चाहिए कि आप लोग क्यों गिरफ्तार किये गये थे, यह प्रश्न हम लोगों द्वारा उठाने का नहीं था, यह तो स्वयं आपको ही पूछना चाहिये था, एक इन्सानियत के नाते ▫ ▫ ▫ ▫ (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, सवेरे आज जब चर्चा शुरू हुयी थी तभी माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने पीठ के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया था उसी समय मान्यवर, मैंने भी कहा कि मैं तुरन्त मामले की जानकारी करवा रहा हूं वह जानकारी अभी मुझे प्राप्त हुयी है कि माननीय रवीन्द्र तिवारी व माननीय जनार्दन प्रसाद आभा सम्मानित सदस्य बुनकरों का कोई एजीटेशन था, उसमें भाग लेने के लिए गये हुए थे, जिसमें 111 लोगों की गिरफ्तारियां हुयी हैं और उसी में आप लोगों ने भी कोर्ट अरेस्ट दिया। उस पर मान्यवर, मैंने फौरन सुनिश्चित किया कि इन माननीय सदस्यों को आज की सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए और जैसा कि अभी माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कहा कि वह दोनों सदस्य अब आ गये हैं, सत्य है।

*श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहूंगा जैसा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने कोर्ट अरेस्ट दिया, निराधार सूचना है और बिल्कुल सत्य से परे है या जो भी जानकारी इन्हें दी गयी है, वह सही नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि यह सही है कि जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के बुनकरों का धरने का आयोजन हुआ था और उसमें हम लोगों को भी बुलाया गया था सम्बोधित करने के लिये तो हम लोग उनको सम्बोधित करके वापस आ रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से कि पुलिस ने आकर बेरीगेटिंग गाड़ी हम लोगों के सामने खड़ी कर दी। माननीय आभा जी ने उन लोगों से कहा भी कि हम आज सुबह ही नियम 56 की सूचना देने यहां आया था, और इसी के लिए यहां आना चाहता था लेकिन लोग विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने जा रहे हैं उन लोगों ने कहा कि वहां आप नहीं जा सकते हैं, ऊपर के आदेश हैं। मान्यवर, इस पूरे प्रकरण में हम लोगों ने केवल एक ही गलती की कि हाथापाई नहीं की और जब उन लोगों ने कहा कि आप लोग वहां नहीं जा पायेंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से हमने कहा कि ठीक है फिर जहां आप कहिए वहां चलें, उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में बैठिए. . . . (व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

(श्री नेक चन्द पाण्डेय बैठे ही बैठे बोलने लगे) मान्यवर, यह आपकी व्यवस्था के विपरीत बोल रहे हैं। मान्यवर, क्या आपने इन्हें बोलने की इजाजत दे दी है ? . . (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि . . . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री मैनेजर सिंह—

आप उस पीठ पर बैठे हैं । यह कई बार टोक चुके हैं, बैठें, बैठें ।

[x x x]

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

यह नियमों के विपरीत है ।

श्री मैनेजर सिंह—

आप जब तक रहेंगे, कार्यवाही नहीं चलने देंगे ।

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद झोझा—

[x x x]

(शोर)

श्री मैनेजर सिंह—

[x x x]

(विपक्ष के सारे सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये तथा श्री सुखपाल प. . . य व विजय सिंह राणा सहित कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं सुन रहा हूं, जो बातें कही हैं, तिवारी जी ने जो बात कही है, उसको सुन रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

आप उनको सदन से निकालें ।

(श्री हरेन्द्र सिंह द्वारा नारे लगाने पर)

[x x x]

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने अगर कोई ऐसी बात कही है तो . . . . .

(शोर)

श्री अचल सिंह—

नहीं सुनेंगे ।

नोट—[× × ×] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता—

मैनेजर सिंह जी आप बैठें, सुन लीजिये । अगर कोई गलत शब्द कहे होंगे तो मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

(कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर जोर-जोर से नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।]

श्री अचल सिंह—

आपके रहते सदन नहीं चलेगा ।

[x x x]

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी बोल रहे थे, उनको बोलने दिया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह—

हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, कुर्सी छोड़ो . . . .

(श्री शम्मार रिजवी के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग अपने स्थान पर चले जायं . . . . . .

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

हम नहीं सुनेंगे ।

श्री अचल सिंह—

[x x x] । हम नहीं सुनेंगे ।

(कई सदस्य "कुर्सी से हटिये, कुर्सी से हटिये" का नारा लगाते हुये डायस की ओर बढ़ने लगे)

श्री अधिष्ठाता—

मैं हाउस को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 40 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी । 3 बजकर 55 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है । तदोपरान्त 4 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां आपस में टीका-टिप्पणी होती है, तो यह पहले भी हुई है, लेकिन अनुचित बातों को कार्यवाही से निकाल दिया जाता है, इसलिये यदि अनुचित कोई बात होगी तो उनकी मैं कार्यवाही देखकर निकलवा दूंगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, इस सिलसिले में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह परम्परा सदन की रही है कि कभी भी चेयर को सम्बोधित करके, खड़े होकर अपनी बात कही जाती है, मेरी आपत्ति माननीय सदस्य के व्यवहार पर थी कि एक बार खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाया और आपने मुझे बोलने के लिये कहा, लेकिन वह सीट पर बैठकर टीका-टिप्पणी करते रहे, यह निश्चित रूप से कंटेम्प्ट आफ दि हाउस है और यह कंटेम्प्ट सदन के सामने हुआ है, मैं नहीं कहता कि इसको इसी समय लें, लेकिन कंटेम्प्ट सदन के सामने हुआ है, इसलिये या तो माननीय सदस्य खेद प्रकट करें, अन्यथा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विशेषाधिकार हनन सदन के सामने, आपके संज्ञान में हुआ है, इसलिये और बिजनेस लेने के पहले इस विशेषाधिकार के प्रश्न को पहले ले लें, मेरा यह निवेदन है ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूं । मान्यवर, पूर्व में एक व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया था और उसके बाद माननीय विद्वान और वरिष्ठ सदस्य श्री तिवारी जी, उनकी आपत्ति है उस समय पीठ से व्यवस्था मांगने के बजाये, डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल मेरे पास में बैठे थे उनसे लगातार बात कर रहा था, ऐसा होता भी है, इसलिये मेरी कोई मंशा नहीं थी कि बैठे-बैठे टोकने का प्रयास करूं, इसलिये मैंने टोकने का प्रयास नहीं किया और इसके बावजूद भी जो विशेष आपत्ति उठ रही थी और उनकी आत्मा को कोई ठेस लगी हो तो उसके लिये मैं क्षमा मांगता हूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से, संसदीय कार्य मंत्री जी से यह निवेदन कर रहा था कि जैसा कि मैंने देखा—बुनकरों के सात सूत्री मांग पत्र था, वह उसके बारे में आगे जो नोटिस उन्होंने दिया था वह दिखाया, वह धरना शांतपूर्ण ढंग से करना चाहते थे, उनकी एरेस्ट करवाने की कोई मंशा नहीं थी, न प्रदर्शन करने की । उन्होंने जो बताया था 5 लोगों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने वाला था इसी सिलसिले में वह डेलीगेशन जाने वाला था, उनका सात सूत्री कार्यक्रम आपके पास भेज देता हूं, आप देख लें, मैं निश्चित मत का हूं और सत्ता दल के माननीय सदस्य उसको देखेंगे तो उससे सहमत होंगे, सरकार को मानने में कठिनाई हो सकती है लेकिन सरकार भी असहमत नहीं हो सकती है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार का धरना, प्रदर्शन या अहिंसक सत्याग्रह के हमारे अधिकार को छीना जायेगा तो लोकतंत्र कहां जायेगा । हमने कहा था कि हमारे साथ कोई बदसलूक या हमको घसीट कर नहीं ले गये लेकिन शुरू में जैसा कहा कि उन्होंने कहा था कि यहां से आगे नहीं जाने देंगे, श्री ओझा जी ने उन लोगों से कहा कि हम लोगों को सदन में जाना है तो उन लोगों ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे । तो सिवाय हमारे इसके चारा कोई नहीं है कि हम लोग गाड़ी में न बैठें, और गाड़ी में बैठाकर हम लोगों को पुलिस लाईन ले

गये । इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार को आप निर्देश दें और सरकार की तरफ से घोषणा हो कि माननीय सदस्यों को सदन में आते समय किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डाली जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा वह सबसे बड़ी फोरम है, सबसे बड़ी अदालत है, जहां से हम अपनी बात कह सकते हैं और इस लिए मैं चन्द बातों की ओर इस आदरणीय सदन में आपके माध्यम से इशारा करना चाहता हूं । श्रीमन्, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि जनता पार्टी के तत्वा-धान में प्रदेश का बुनकर आज धरना देगा और शायद तिवारी जी ने नियम 56 में कामरोको प्रस्ताव भी दिया था । जब आज मैं घर से चलने लगा तो पार्टी आफिस से एक दावतनामा हमारे पास आया, जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आया था कि आप पार्टी कार्यालय आएं और यहां आए हुए बुनकरों को सम्बोधित करें । इन्होंने यह शासन को लिखा है कि हम बुनकर लोग धरना देने के लिए जी0 पी0 ओ0 पार्क जाना चाहते हैं । हम और तिवारी जी पार्टी कार्यालय चले गये और हमने वहां बुनकरों को सम्बोधित किया और तथ्यों के समक्ष में मैं यह कहना चाहता हूं कि कल बुनकरों के मामले को लेकर मैंने सदन से वाक आउट किया था, क्योंकि सरकार का जवाब इतना नाकाफी और असन्तोषजनक था कि हमारे जैसे आदमी को जो बहुत कम ऐसा करता है, वाक आउट करना पड़ा और एक औचित्य का प्रश्न देना पड़ा । उनको भाषण देकर हम दोनों लोग आ रहे थे, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रदेश की धरती पर सड़क पर चलना भी क्या कोई जुर्म है, अपराध है ? हमारे पास कार होती तो चला आता, कोई नहीं रोकता । कार नहीं थी, पैदल आ रहा था, तो यह कितने शर्म की बात है कि प्रदेश के जो जन-प्रतिनिधि थे, जिसको एक लाख लोगों ने चुनकर भेजा है अपनी बात कहने के लिये, उनको किसी तरह यहां पर न आने दिया जाये सरकार द्वारा ।

पुलिस इतनी बेलगाम हो गई है, मैं नहीं जानता कि सरकार की मंशा क्या है, लेकिन यही उद्देश्य है तो शासन का इससे ज्यादा जनतंत्र विरोधी कोई काम हो नहीं सकता है और फिर इस विधान सभा की सीमा क्या थी ? मैं यहां एक घटना की ओर इशारा करना चाहता हूं इस संबंध में । मैं सन् 48 में पढ़ता था, उस समय सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एक किसान मार्च हुआ । आचार्य नरेन्द्र देव, डाक्टर राममनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायण जी सरीखे नेता उस समय सोशलिस्ट पार्टी के साथ थे और इन सब लोगों के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होना था, जिसमें करीब दो लाख लोगों की संख्या थी । उस समय स्वर्गीय पन्त जी चीफ मिनिस्टर थे । किसान मार्च के लोग मेमोरेन्डम लेकर वहां से चले, किसी ने वहां हमको नहीं रोका । उस समय लोकनायक जयप्रकाश जी सबसे बड़े देश के राष्ट्रीय नेता थे, वह 48 में जेल से छूटकर आये थे, सारे लोग उनके साथ मेमोरेन्डम लेकर आये थे और उसे इसी आद-रणीय सदन की दीवाल पर उन्होंने चस्पा किया था और फिर वापस गये थे । पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि इसको रोक दे ।

इसके अलावा इमरजेंसी के पहले भी यहां एक विशाल प्रदर्शन हुआ था और बड़े धैर्य से हम चले आये थे, कोई रोक नहीं हुई, किन्तु अब कितना डिटरोरेशन हो रहा है और इसका परिसर कितनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है ? लगता है कि

कुछ दिन बाद पूरा प्रदेश इसकी परिधि में आ जायेगा और किसी का भी चलना दूभर हो जायेगा । मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह शुद्ध रूप से विशेषाधिकार हनन का मामला है और यदि पुलिस का कहना सही है तो शासन को इस बात की जानकारी थी कि मैं बुनकरों के बारे में प्रश्न उठाता और कल जो इन्होंने गलत जवाब दिया था उसके बारे में कहता । इस तरह उन्होंने जान-बूझकर रोकने का प्रयास किया है या इनकी पुलिस इतनी निरंकुश और आततायी हो गई है कि उसके सामने कोई मर्यादा नहीं रह गई है । जनतंत्र और प्रजातंत्र की बात तो छोड़िये, सर्व साधारण सी मर्यादा नहीं रह गई है, यह बड़ा गम्भीर मामला है । यह मामला बहुत ही गम्भीर मामला है । मान्यवर, यह आझा और रवीन्द्र नाथ तिवारी जी का ही मामला नहीं है, यह आदरणीय सदन में बैठने वाले सब लोगों का मामला है । सत्तापक्ष के लोगों को भी काम करना पड़ता है । विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होने के पहले यह भी कार्यालय जाते होंगे, तो क्या हमको इस बात की इजाजत नहीं है कि हम यहां आ सकें ? अपने कार्यालय से इस आदरणीय सदन की कार्यवाही में शरीक हो सकें ? मान्यवर, बुनकरों के बारे में जो माननीय सदन संसदीय कार्य मंत्री जी को पत्र दिया गया है, उसको आप देख लें, उसमें कहीं यह नहीं है कि प्रदर्शन किया जायेगा या जुलूस निकाला जायेगा, केवल धरने पर बैठने की बात है । 10 लाख प्रदेश में बुनकर हैं उनकी समस्याओं के लिए कुछ लोगों को धरने के लिए बैठना था । मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है । यह गम्भीर इस संदर्भ में है कि इन्होंने हमारे अधिकारों पर सीधा-सीधा हमला किया है, सीधा-सीधा प्रहार किया तो मान्यवर, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने और माननीय आझा जी ने आज सबेरे जो गिरफ्तारियां हुई, जुलूस के बारे में बुनकरों को संबोधित करने के बारे में जो कहा उसके बारे में कहने से पहले जो सूचना दी थी, उसमें संशोधन करना चाहूंगा । यह लिखित रूप से सूचना प्राप्त हुई है कि इनको गिरफ्तार किया गया । कोर्ट अरेस्ट नहीं किया गया । जो माननीय आझा जी ने कहा कि हर व्यक्ति को इस सड़क पर चलने का अधिकार है, तो यह सही बात है कि विधान सभा आने जाने में अवरोध नहीं होना चाहिये । मान्यवर, जो रास्ता लालबाग का है, वहां एक दायीं तरफ को रास्ता जाता है तथा एक रास्ता सीधा जाता है, जो सीधा रास्ता जाता है वह विधान सभा को आता है, बांयी तरफ जी0 पी0 ओ0 है उधर रास्ता चला जाता है । मान्यवर, आपको याद होगा 1978 में इसी तरह से हम लोग भी जुलूस बना कर आ रहे थे, तो बांयी तरफ जी0 पी0 ओ0 के पास हम लोगों पर लाठी-चार्ज हुआ था वह तो अलग बात है, तो मान्यवर, जब लोग आते हैं तो विधान सभा की तरफ आते हैं इसमें यह प्रक्रिया है, यह उसूल है कि विधान सभा के आसपास किसी प्रकार का जुलूस किसी प्रकार का धरना नहीं दिया जायेगा ।। यह बात बहुत दिन से चली आ रही है । 1977 से 1980 के बीच भी यही प्रक्रिया थी । जो स्थान बताया गया है कि वहां पर रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की और आझा जी की गिरफ्तारी हुई यह बात सदन में उठाना उचित था । सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि कोई बात उठाने से रोका जाये । आप वह फिर उस बात को उठा सकते हैं । उद्योग का कल बजट है, उसमें आप कह सकते हैं । मान्यवर, दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जब ध्यान आकर्षित कराया, तो पूरा प्रयास किया गया कि सम्मानित सदस्य जल्दी से जल्दी इस सदन में आ जायें ।

श्री मंजूर सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दो बातें बताईं जिस स्थान से दो रास्ते जाते हैं। जिस स्थान पर पुलिस रोकती है, उस रास्ते से बहुत पहले माननीय तिवारी जी को और आभा जी को गिरफ्तार किया गया। इस बात को आप जांच करा लें। मैं मानता हूं कि शासन का मंशा नहीं था लेकिन यह जो गिरफ्तारी की गयी है इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आज इतनी उच्छृंखल हो गयी है, उद्दंड हो गयी है कि वह कुछ भी कर सकती है। जानबूझकर विधायकों को सुनियोजित तरीके से अपमानित करने का षड़यंत्र चल रहा है। इसी के तहत पुलिस ने यह काम किया है। रोज पुलिस के खिलाफ मामले उठते हैं। स्वयं आभा जी ने कहा कि वह सदन में जाना चाहते हैं तो वह भीड़ को रोक देते और इनको जाने देते। यह सारी भीड़ को जाने देने के लिये नहीं कह रहे थे। आप आई0 जी0 या0 डी0 आई0 जी0 से इसकी जांच न करायें। वह चोर-चोर मौसेरे भाई हैं, आप खुद इस बात की जांच करिये। अंग्रेजों के राज्य का पटर्न कि एक अधिकारी के ऊपर दूसरा अधिकारी निगरानी करता था, आज उसका उल्टा हो गया है। आज एक दूसरे के पोषक हो गये हैं, एक दूसरे से खून का रिश्ता हो गया है, एक दूसरे की रक्षा करने की बात हो गयी है, चाहे सिपाही हो या डाइरेक्टर जनरल। आप जाइये और हुकुम सिंह जी को ले जायें और जांच करें। अगर आप संतुष्ट हो जायें कि गिरफ्तारी उचित थी, तो आकर आप हमसे कहें, तिवारी जी से कहें हम पहले ही गलती मान लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण की जांच संसदीय कार्य मंत्री जी आप खुद करें और हम लोगों को आश्वस्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं केवल एक मिनट लेना चाहता हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि सिंचाई का महत्वपूर्ण बजट है, उसको समय दिया जाना चाहिये। माननीय सदस्य ने जो बिंदु उजागर किये हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे गंभीर बात पैदा हो गयी है। हम रोज ही सत्याग्रह करेंगे, हमको प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे लेकिन जिस ढंग से पुलिस उसका सामना करती है, वह अनुचित है। मामला विस्तार से आपके सामने आ चुका है। विशेषाधिकार की सूचना आपको दी गयी है तो मैं चाहता हूं कि आज उस पर आप निर्णय मत दीजिये। कल औचित्य के प्रश्न के समय पर हम निश्चित सूचना देंगे जिस पर सब बिंदुओं पर विस्तार के साथ चर्चा होनी चाहिये और तब कोई व्यवस्था आप दें। आज बजट को ले लें।

*श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न मैं आदरणीय सदन के समक्ष उठाना चाहता हूं, जो आज तक मुझे देखने में नहीं आया था। परम आदरणीय तिवारी जी ने बैठकर टोकने पर आपत्ति कर दी और उन्होंने खेद प्रकाश कर दिया। सब कुछ हो गया लेकिन अभी तक किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि पीठासीन अधिष्ठाता का नाम लेकर मुर्दाबाद का नारा लगाना क्या सदन की अवमानना नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सब कुछ हो लेकिन विधान सभा की गरिमा बनाये रखिये। आप लोग इसकी तरफ से खेद प्रकाश कीजिये। यह परंपरा गलत है। नियम के विरुद्ध होता है तो आप उठा सकते हैं लेकिन जब पीठ पर कोई बैठा हो तो उसका नाम लेकर मुर्दाबाद का नारा लगाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बहुत अशोभनीय है । (शेम-शेम की आवाजें) इसलिये आप लोगों की ओर से खेद प्रकाश होना चाहिये । इस पर निर्णय दे दें । धन्यवाद ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यहां जो भी हुआ है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा अब इसके बाद इस अध्याय को समाप्त कर देना चाहिये । जो भी हुआ है अशोभनीय हुआ है सब लोगों का यह प्रयास होना चाहिये हम लोग एक दूसरे की इज्जत करें और संसदीय गरिमा के अनुकूल ही यहां पर कार्यवाही चलनी चाहिये ।

एक सदस्य—

माफी मांगिये ।

श्री मैनेजर सिंह—

हमारे लायक सदस्य, हमारे दोस्त के लड़के हैं और उन्होंने सही उठाया । यह व्यवस्था का सवाल, लेकिन यह उस आसन की भी मर्यादा, उस आसन से ही मर्यादित होती है, यह मैं कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि यह मसला प्वाइंट आफ आर्डर की ओर से आया है, तिवारी जी का, ओझा जी का मामला माननीय दिवाकर विक्रम जी की जानकारी पर दिया है और माननीय मैनेजर सिंह जी ने जांच की बात कही है, वह जांच कर ली जाय । नियम के अन्तर्गत जो कल वह लाना चाहते हैं, वह ले आयें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों ने इस मसले पर सारी बात कह दिया, अब इसको मान्यवर समाप्त किया जाय और अब सिंचाई के बजट पर चर्चा प्रारम्भ की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग निर्माण कार्य (क्रमागत)

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय राम शरण दास जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो सिंचाई का बजट है, जो हमारे माननीय सीताराम निषाद जी ने रखे हैं, इससे स्पष्ट है कि किसानों, गांवों, खेतों की खुशहाली के मामले में वह अपरिपक्व हैं । जहां तक देखता हूं मिर्जापुर जनपद में गंगा नहर हो, या जमुना नहर हो, या टोंस नहर हो या बेंतवा नहर हो या सरयू नहर हो या घाघरा नहर हो, यह जो के0 एल0 राव को लिफ्ट कैनाल स्कीम के अन्तर्गत है, आप तक उसकी मेंटीनेन्स नहीं होती है । सीताराम जी जिस वर्ग में पैदा हुये हैं, कोलम्बस और वास्कोडिगामा के खानदान के वह हैं, वह एकलव्य खानदान के भी हो सकते हैं । कोलम्बस और वास्कोडीगामा ने जिस प्रकार से नई दुनिया की खोज की थी, उसी प्रकार से सीताराम निषाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जी जब से सिंचाई मंत्री हुए हैं, तब से बहुत कोशिश कर रहे हैं, इनसे नये खोज की अपेक्षा है। इससे पहले भोला शंकर मौर्य थे, तो उन्होंने पानी की जगह पर शराब नहर के बगल में बैठ कर पिया करते थे, तो पानी का इन्तजाम कहां से हो और इसी-लिये प्रदेश में उनकी नियत के कारण सूखा पड़ गया। मिर्जापुर में बाण सागर परियोजना जिसको उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिल कर हल कर, ताकि वाराणसी और मिर्जापुर के किसान लाभान्वित हों और पानी की किसी भी हालत में कमी नहीं पड़ेगी।

मान्यवर, कनहर परियोजना करोड़ों रुपये लागत लगाकर लोकपति त्रिपाठी जी और वीर बहादुर सिंह जी की स्पर्द्धा में एस खटाइ पड़ा हुइ है। 40 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन मिर्जापुर में सन् 1990 तक संभावित है जो पूरे देश की आपूर्ति कर सकता है। मिर्जापुर में सिंचाइ के मामले में बहुत अनदेखी होती है। उत्तर प्रदेश में 57 जिले और 3 जिले और जोड़ दिये गये, कुल 60 जिलों में मिर्जापुर के पास अद्भुत जलस्रोत है, मैन पावर है और कोयला इत्यादि रा-मैटीरियल है, मिर्जापुर के बारे में पुनः मैं कहना चाहता हूं कि 40 हजार मेगावाट का उत्पादन का लक्ष्य जो 1990 तक संभावित है, उसके लिए पूरा किया जाय, जो सिंचाई और उद्योग के लिए आधार है। 250 मेगावाट यदि ओबरा की एक इकाई नहीं पैदा कर पाती, तो पूरा प्रदेश जो है, वह अंधकूप में हो जाता है। 80-90 मेगावाट लखनऊ जनपद और 80-90 मेगावाट वाराणसी जनपद और चुनार तहसील, तो मात्र 4 मेगावाट काफी होगा। मान्यवर, ग्राउन्ड वाटर समाप्त हो रहा है, जब ग्राउन्ड वाटर समाप्त हो जायगा, तो ओबरा थर्मल पावर बिना शक्तिनगर और सिंगरौली, आनपारा जिसके लिए पानी आवश्यक है, रिहन्ड जलाशय से नहीं पूर्ति हो सकती है। रिहन्द जलाशय बाण सागर परियोजना और कनहर परि-योजना जो ठप पड़ी है, यदि उससे रिहन्ड में पानी आपूर्ति नहीं करेंगे, तो सभी थर्मल पावर यूनिट जो हैं, रुक जायंगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इन पर विचार नहीं किया गया, तो बिजली उत्पादन और नहरों से आपासी में लगा अरबों-अरबों रुपया जो है, वह सब बर्बाद हो जायगा और उत्तर प्रदेश की भारी क्षति होगी। मान्यवर, आप इसको समझ लें और पूरे उत्तर प्रदेश की सभी नहरों के नहरीकरण में आप लाइनिंग करायें। मान्यवर, जलाशय के लिए जमीन तो किसानों की ली गयी है, यहां के किसानों की लेकिन उसका पानी बनारस और इलाहाबाद पहुंच जाता है। इससे वहां का किसान लाभान्वित नहीं हो रहा है। मान्यवर, मिर्जापुर में गंगा नहर का पानी बनारस और बिहार की तरफ चला जाता है, जिससे वहां के किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि नारायनपुर गंगा नहर का पचौरा माइनर तक विस्तार किया जाय। मान्यवर, बघेरी लिफ्ट कैनाल जो बार्ज पर है, कटान पर है, इसलिये इस नारायनपुर गंगा नहर से उसको जोड़ दिया जाय और बार्ज को हटाकर उसको चुनार के पास समदपुरा से लगाकर जरगो जलाशय में फीड करें। इसके लिए मैं सिंचाई सचिव से भी मिला, रमाशंकर वार्ष्णेय से मिला, पहले के सिंचाई मंत्री से मिला और मुख्यमंत्री वीर बहादुर जी से भी मिला लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः सदन के माध्यम से मैं इसे बता रहा हूं इस पर सदन के माध्यम से कार्यवाही की जाय। मान्यवर, सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार इस लेबिल का हो चुका है, जिसकी जांच आवश्यक है अतः इसकी उच्चस्तरीय जांच करें, सिंचाई सलाहकार समिति को और भी पुष्ट करें और सोचें, समझें। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और चाहता हूं कि माननीय सीताराम निषाद सिंचाई मंत्री जी जरूर इस बात की कोशिश करें, जो मैंने बातें बताई। एक तो मान्यवर, आरोहा जलाशय की कोई आवश्यकता नहीं है इसको तो

मछली पालन के लिए रख लेना चाहिए और जरगो जलाशय नरायनपुर गंगा नहर से ही पूरे चुनार क्षेत्र की आवपाशी हो जाती है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, के0 एल0 राव केन्द्र में सिंचाई मंत्री रहे, इंजीनियर रहे, उन्होंने सभी लिफ्ट कनाल की योजना दी थी, जिसमें नारायनपुर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी गंगा कैनाल है, यह 40 करोड़ की योजना है । मैं कहना चाहता हूं कि इस नारायनपुर गंगा नहर से बधेरी लिफ्ट कैनाल को जोड़ दें । इस बारे में पुनः जोर दे रहा हूं । मान्यवर, लखनऊ और रुड़की में सिंचाई अनुसंधान हो रहा है इस पर बजट बढ़ाकर उस अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाय क्योंकि सिंचाई विभाग में अनुसंधान की अतीव आवश्यकता है । मान्यवर, लोकपति त्रिपाठी जी बनारस में बाढ़ रोक रहे हैं, गाजीपुर में बाढ़ रोक रहे हैं । यह बाढ़ मिर्जापुर की गरई नदी और चन्द्र प्रभा नदी से आती है, जिससे बनारस और गाजीपुर प्रभावित रहता है । अतः मिर्जापुर में पहले बाढ़ रोकने की जरूरत है, जब तक हेड को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक टेल से बाढ़ नहीं रुक सकती है । ये हाथी की पूछ पकड़कर हाथी को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसे काम चलेगा । अतः मेरा सुझाव है कि गरई नदी पर रेगुलेटर सहित तटबन्ध बनाये जायें । इसी के साथ-साथ बड़ोला ताल का पानी की निकासी कर दिया जाय, इससे 65 गांव प्रभावित होते हैं । ताकि इन गांवों को बचाया जा सके । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री नरेन्द्र देव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं । मैं सर्वप्रथम इस सदन में जब आज सिंचाई विभाग के ऊपर कटौती का प्रस्ताव सुनने आया था तो मैं सोच रहा था कि बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएं, बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव हमारे माननीय सम्मानित विद्वान बुजुर्ग सदस्य की ओर से मिलेंगे । लेकिन उन्होंने पहले ही सदन को सूचना दे दी कि उन्हें सूचना प्राप्त न होने के कारण वह पूरी तरह से कटौती का प्रस्ताव नहीं रख पाये । मान्यवर, सालाना योजना के बारे में जब उन्होंने बात की तो खामखां मुझे उनके रूलिंग पार्टी की बात याद आ गयी और इस तरह से जब पूरे कटौती बजट को मैं सुनता रहा तो मुझे लगा कि सिंचाई विभाग जैसे बजट पर आज प्रदेश के विपक्ष के लोग गंभीर क्यों नहीं हैं । किसानों के समस्याओं के प्रति आज विपक्ष के लोग इतना भी गम्भीर नहीं है कि वह कटौती के प्रस्ताव पर तैयारी करके आयें । कोई बेहतर योजना दें, कोई बेहतर प्रोजेक्ट रक्खें, कोई बेहतर सुझाव दें । मान्यवर, मैं सीधे-सीधे अपनी बातों पर आना चाहता हूं । आज उत्तर प्रदेश में अन्न उत्पादन इस सूखे के बावजूद अगर कायदे से हुआ है तो इस सावाशी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक बधाई सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश को मिलनी चाहिये और उत्तर प्रदेश सरकार को मिलनी चाहिये जिसने कड़ाई से सूखे का सामना किया है और खेतों को पानी दिया है । मैं यह बात कहना चाहूंगा कि जहां तक मिर्जापुर का सवाल है, मिर्जापुर पहाड़ी इलाका है, सारे लोग जानते हैं । हमारे यहां मद्धुपुर रजबहा है, जो पूरे मिर्जापुर में सर्वाधिक राजस्व देता है । वहां पर रेगुलेटर लगाने का सुझाव देता हूं । उसके पास के हेड से दो किलोमीटर से

एक हेड लगाने का सुझाव देता हूं । घोरावल से शिवद्वार चलते समय सिंचाई विभाग द्वारा छोड़े गये पानी से 4 महीने तक यातायात बन्द होने का खतरा है, वहां पर सिंचाई विभाग को पुल बनवाना चाहिये । इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि बाणसागर बांध, जिसकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने की है, मुझे सूचना है कि बाणसागर बांध जब बनकर तैयार हो जायगा, उस वक्त हमारे पास वहां से पानी लाने के लिये नहरें नहीं होंगी । हम अपना शेयर तो दे चुके । हम रुपया तो उत्तर प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश सरकार को दे चुके हैं, लेकिन वहां से पानी उस समय नहीं ले पायेंगे क्योंकि अभी तक ऐसी कोई योजना जमीन पर वहां नहीं है । दूसरी बात मैं पालिसी की कहना चाहता हूं । मान्यवर, अगर किसानों को न्याय देना है, माननीय अधिष्ठाता जी, तो जिलेदार जो हैं, जो जल-कर का निर्धारण करते हैं, उसको अधिशासी अभियन्ता के नियंत्रण से मुक्त किया जाय । इसलिये कि अधिशासी अभियंता जो आंकड़े देते हैं, उससे जिलेदार मुक्त रहेंगे तो सही आंकड़े दे पायेंगे और इसमें किसानों के फायदे की बात होगी और अभियन्ताओं की कम से कम पोल खोल सकेंगे । आखीर में मैं सिंचाई विभाग को बधाई देना चाहता हूं और इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए विदा लेना चाहता हूं । धन्यवाद ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 19 मार्च, 1988 शनिवार को सदन की बैठक न हो और वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान के आगामी कार्यक्रम में नियमों को निलम्बित करते हुए निम्नलिखित परिवर्तन कर दिये जायं :—

दिनांक 18 मार्च, 1988 शुक्रवार

1—ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान,

2—उद्योग विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।

दिनांक 21 मार्च, 1988 सोमवार

1—कृषि विभाग से संबंधित अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान,

2—सूचना, खेल, विज्ञान एवं पर्यावरण और सांस्कृतिक कार्य विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान (1.30 घंटा)

दिनांक 22 मार्च, 1988 मंगलवार

1—शिक्षा और मुस्लिम वक्फ विभागों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान,

2—प्राविधिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान ।

दिनांक 23 मार्च, 1988 बुधवार

1—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान,

2—कार्मिक, गोपन, नागरिक उड्डयन, नियुक्ति, नियोजन, निर्वाचन, न्याय, प्रशासनिक सुधार, राष्ट्रीय एकीकरण, वित्त, विधान परिषद् सचिवालय, विधान सभा सचिवालय, संस्थागत वित्त सचिवालय प्रशासन, सतर्कता और सार्वजनिक उद्यम विभागों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विवाद नहीं होगा ।

दिनांक 24 मार्च, 1988 गुरुवार

1—आवास एवं नगर विकास विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान,

2—हरिजन एवं समाज कल्याण और सैनिक कल्याण विभागों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।

दिनांक 25 मार्च, 1988 शुक्रवार

1—पर्वतीय विकास विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान,

2—पर्यटन विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान (एक घण्टा) ।

मान्यवर, जो 22 तारीख का कार्यक्रम है, वह 23 तारीख को कर दिया गया है और जो 23 तारीख का कार्यक्रम है, वह 22 तारीख को कर दिया गया है । यह परिवर्तन कर दिया गया है ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, इन्होंने कार्यक्रम बदल दिया, इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं कहना है । लेकिन मान्यवर हमारी एक कार्य मंत्रणा समिति है, उसमें मैं भी मेम्बर हूं, दिवाकर विक्रम सिंह जी मेम्बर हैं, आप भी मेम्बर हैं और विभिन्न पार्टियों के लोग भी इसमें मेम्बर हैं, यह पहले कार्य मंत्रणा समिति में आना चाहिये था । यह तो नियमों का उल्लंघन है । कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री और कुछ चाहें तो फिर यहां पर प्रस्ताव कराके परिवर्तन करा लेंगे, यह बात ठीक नहीं है । अगर यहां यह प्रस्ताव रख दिया, पास तो हो जायेगा, लेकिन इसे अगर पहले कार्य मंत्रणा समिति से पास करा लेते तो इसमें आपका ज्यादा बड़प्पन था । इसमें कोई बड़प्पन की बात नहीं थी । हम सभी लोग चाहते हैं कि शनिवार को हाजरा नहीं होना चाहिये । मान्यवर, यह मेरी आपत्ति है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राम शरण दास जी से निवेदन करूंगा कि आज यह प्रस्ताव आ गया है, इसे पास हो जाने दें । आगे जो भी इस तरह का परिवर्तन होगा, तो वह पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आयेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा यह था कि इसका वहां से आना हो । अब यह प्रस्ताव आ गया है, इसलिए अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

आपने माननीय राम शरण जी की बात पर क्या व्यवस्था दी ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कह दिया कि अच्छा यह था कि वहां से होकर आये । अब यह प्रस्ताव आ गया है, इसलिये प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है, यह सदन उससे सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्त वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) . . . . (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य समय का ध्यान रखकर 5-5 मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

श्रीमन्, मैं सिंचाई विभाग के प्रस्तुत बजट पर माननीय राम शरण दास जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने लम्बे-चौड़े भाषण में अपनी उपलब्धियों का बड़ा बखान किया । इन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया कि सिंचाई विभाग में इनके मंत्रित्व काल में बड़े ही सुचारु रूप से कार्य चल रहा है । श्रीमन्, मुझे दो-तीन बातें माननीय मंत्री जी से कहना है । मान्यवर, बीस सूत्रीय कार्यक्रम का जो पहला प्वाइंट है, उसमें सिंचाई में वृद्धि की बात है । मान्यवर, हमारे यहां के जो प्रभारी मंत्री थे, वह बगलिया गये हुए थे 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग में बड़ा हल्ला हुआ कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम में बलिया जनपद उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है । मैंने स्पष्टीकरण चाहा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम में पहला प्वाइंट है सिंचाई में वृद्धि, आपकी जो वृद्धि हुई है यह कागज पर वृद्धि हुई है या खेतों में सिंचाई में वृद्धि हुई है ? श्रीमन्, होता क्या है नहर खुद गयी, माइनर बन गया, पुल बन गयी, लेकिन कितनी ऐसी माइनर हैं, जिनमें आज तक पानी नहीं पहुंचा है । आपने काफी प्रयास किया, सिंचाई विभाग ने काफी प्रयास किया, उसके लिये बधाई के पात्र हैं सिंचाई विभाग के लोग, लेकिन जो वास्तविक बात है, उसमें भिन्नता है । माइनर में पानी नहीं दिया जा रहा है । कितनी लम्बी माइनर विभाग ने खुदवायी, उतनी लम्बी माइनर के हेड को जोड़कर कागज में दिखाया जाता है कि इतनी भूमि का सिंचन करने जा रहे हैं ।

ट्यूबवेल को ले लीजिये, एक ट्यूबवेल का रकबा 300 एकड़ रखा गया है सिंचाई करने के लिये । मैं माननीय मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में एक भी ट्यूबवेल का सर्वे कराकर आप बतायेंगे कि एक भी ऐसा ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश में है जो 300 एकड़ की सिंचाई करता है । आज मान्यवर, एक ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश में 50 एकड़ से ज्यादा सिंचाई नहीं कर पा रहा है । कहीं-कहीं तो यह उससे भी कम होकर 35-40 एकड़ ही रह गया है । इसका कारण है, समय से बिजली का न मिलना, ट्यूबवेलों का खराब होना आदि ।

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो कागज पर 300 एकड़ की सिंचन क्षमता दिखाते हैं, वह केवल कागज पर ही है और असलियत में 50 एकड़ से ज्यादा कोई भी ट्यूबवेल सींच नहीं रहा है । इस प्रकार कागज में और असलियत में बहुत अन्तर है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यहां पर केवल वास्तविकता को लावें, कागज में सिंचन क्षमता को बढ़ाकर सदन को संतुष्ट न करें, इनकी बात केवल कागज में ही सही है । मैंने पिछले सदन में सिंचाई पर अपना कटौती प्रस्ताव रखा था, और तब मैंने स्पष्ट कहा था कि ट्यूबवेल की सिंचाई क्षमता घटा दीजिये, या फिर इतनी बिजली की व्यवस्था कर दें कि यह ट्यूबवेल सही तरीके से चल सकें । लेकिन मान्यवर, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । मैं बलिया जनपद से चुनकर आता हूं । बलिया जनपद में सिंचाई के तीन हिस्से हैं, इसमें बाढ़, नहर और

ड्रेन भी हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में ड्रेन और बाढ़ की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और इसके लिये कोई काम नहीं किया जा रहा है । मान्यवर, वहां के सिंचाई विभाग को पैसा नहीं दिया जाता है और जिला योजना वाले ड्रेन के लिये पैसा नहीं दे पाते हैं । हमारा बलिया जनपद तीन तरफ से बाढ़ से घिरा हुआ है । एक तरफ गंगा-घाघरा दोनों मिल जाती हैं । उसके बीच में कई ड्रेनें हैं, इन ड्रेनों से वहां पर बाढ़ की समस्या हो जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर ड्रेनों के लिये अलग से पैसा दिया जाये । अब मान्यवर, मैं इस विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की बात कहना चाहता हूं । मान्यवर, मुजफ्फरनगर के गंगा नहर के अधिशासी अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र गिरि ने 10-10 हजार रुपये के झूठे मस्टर रोल जिलेदारों से प्रमाणित कराकर फर्जी भुगतान करा दिया ।

मान्यवर, मैंने इस अधिशासी अभियन्ता के भ्रष्टाचार का मामला नियम 301 में भी उठाया था, जिसका माननीय मंत्री जी ने गलत उत्तर दिया है, उसने तमाम भ्रष्टाचार कर रखा है, जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं । मान्यवर, उस अधिशासी अभियन्ता गिरि का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह उस पर मेहरबान हैं, तब तक उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता । साथ ही गिरि के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के पुत्रों का "दून स्कूल" की पढ़ाई का खर्चा भी गिरि ही उठाते हैं इसलिये मुख्यमंत्री, गिरि पर इतने मेहरबान हैं और श्री गिरि के खिलाफ कार्यवाही की बात तो दूर, वह उनको स्वयं संरक्षण देते आ रहे हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, कि वह इस अधिशासी अभियन्ता को वहां से हटावें और भ्रष्टाचार को समाप्त करें । मान्यवर, इस अधिशासी अभियन्ता ने वहां पर करोड़ों रुपये की लूट की है और वह अभी तक वहां बैठा है ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री राम गोविन्द जी, अब समाप्त करें ।

श्री लाल चन्द्र निषाद—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर हो रही चर्चा में बोलने का मौका दिया । मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई के लिये बहुत सी योजनायें बनाई गई हैं जो धनाभाव के कारण पूरी नहीं हो पा रही हैं । मान्यवर, हमारे पूर्वान्चल में एक सरयू नहर परियोजना है, उसमें 9,200 किमी0 लम्बी नहर का जाल बिछा दिये जाने की योजना है । मान्यवर, हमारे यहां घाघरा और राप्ती के बीच में और राप्ती तथा रोहिन के बीच में काम करके सिंचाई क्षमता बढ़ाने की योजना है, लेकिन धनाभाव के कारण उस योजना को भी पूर्ण नहीं किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण बात की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें । इस योजना से गोरखपुर, बस्ती और गोण्डा, बहराइच आदि तमाम जिले लाभान्वित होंगे । लघु सिंचाई के अन्तर्गत 116.95 करोड़ रुपये व्यय करके 127 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त सिंचन क्षमता प्रदान करने का प्राविधान है । इसके अन्तर्गत 1,200 नलकूपों का छिद्रण एवं 1,200 नलकूपों के ऊर्जीकरण का प्राविधान है । इससे 120 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त सिंचन क्षमता प्राप्त होगी । लघु डाल नहरों, बंधियों तथा पर्वतीय नहरों पर 13.30 करोड़ रुपये व्यय करने का प्राविधान है, इससे 7 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त सिंचन क्षमता उपलब्ध कराने का प्राविधान है । बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 1988-89 में 19.64 करोड़ रुपये के परिव्यय से 20

कि0 मी0 वाले सीमान्त बांध एवं 40 कि0 मी0 जलोत्सारण कार्यों का निर्माण प्रस्तावित है इससे 22,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जायेगी ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, 27-1-1982 को प्रश्न संख्या-77 के माध्यम से एक सवाल आया था मलौनी बांध को पक्का किये जाने के संबंध में । इस हाउस में आश्वासन दिया गया था, किन्तु मुझे खेद है कि 1982 से 1988 तक आज तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस पर अविलम्ब कार्य शुरू करने की कृपा करें । दूसरा, आमी नदी का जो तट बंध है, इस पर कार्य नहीं चल रहा है, मैं चाहूंगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाय । हमारे यहां आइमा, कतरारी, कड़जही आदि गांवों में एक तरफ राप्ती नदी है तो दूसरी तरफ तटबन्ध है, बाढ़ के दिनों में ये गांव टापू से बन जाते हैं, बाढ़ से इनकी सुरक्षा की जाय । नौसड़ कलानी बांध अधूरा पड़ा हुआ है, इसे जल्दी से जल्दी पूरा करा लिया जाय । हमारे यहां दो ब्लाक हैं, कौड़ीराम व पिपराईच । यहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण, किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए दोनों ब्लाकों में एक क्लस्टर ट्यूबवेल दिया जाय । मजपुर, सोहगौरा, मरवालिया, लहसड़ी आदि दुहिया गांव के जो तमाम कटान हैं, उन कटानों को बरसात से पूर्व पूरा करा लिया जाय, जिससे लोगों को राहत मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री मयंकर सिंह—

मान्यवर, हमारे विद्वान साथी श्री राम शरण दास जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं । बहराइच जनपद में सरयू नहर योजना में काम चल रहा है । इस पर उत्तर प्रदेश शासन ने 280 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस पर केवल 80 करोड़ रुपये खर्च किया गया, शेष 200 करोड़ रुपये को इनके अधीक्षण अभियन्ता से लेकर जूनियर इंजीनियर खा गये । मैं उस अधीक्षण अभियन्ता के बारे में बताना चाहता हूं । कुछ समय पूर्व देहरादून में ये अधीक्षण अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता थे । खारा प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इनके विरुद्ध एक जांच समिति बैठाई गई । उसने सिफारिश की कि इनको निलम्बित किया जाय । मैं कहता हूं कि अगर मंत्रि मण्डल में शक्ति है तो वह फाईल मुख्य अभियन्ता व सचिव के बीच कहीं फाईलों में दबी रह गई है, हो सकता है सम्भवतः वह वहां से गायब कर दी गई है । आप उन सिफारिशों को लागू कर इन अधीक्षण अभियन्ता श्री माजिद अली सिद्दीकी को निलम्बित करें । दूसरे नम्बर पर हैं एक टी0 ए0 खान, अवर अभियन्ता । हम तो मुख्य मंत्री जी को मुख्य मंत्री कहते हैं लेकिन वह उन्हें वीरू भाई कहते हैं । पता नहीं उनके इस रिश्ते में कितनी सच्चाई है, लेकिन यह सही है कि उनके स्थानान्तरण को रोकने के लिए मुख्य मंत्री जी ने टेलीफोन किया । आज इससे बड़ा स्तर गिरा है । तीन-तीन वर्ष तक अनुबन्ध रुके रहते हैं । 28-10-86 को पाण्डे एण्ड सिंह कम्पनी द्वारा सूचना संख्या 006/82-83, दिनांक 22-6-83...

(व्यवधान के मध्य)

मुख्य अभियन्ता ने आदेश दिया कि काम बन्द कर दिया जाय लेकिन पाण्डे एण्ड सिंह कम्पनी से ढाई लाख रुपया मांगा जा रहा है, डेढ़ वर्ष से अनुबन्ध रुका है, लागत जब बढ़ेगी तो शासन को वहन करनी होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डिवाटरिंग पूरे सर्किल में ठेकेदारों द्वारा करायी जानी चाहिये । एक महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहूंगा, सूचना संख्या 006/82-83, दिनांक 22-3-83 के द्वारा क्रास रोड के निर्माण के लिये ठेकेदारों को क्रमशः 55 हजार और 75 हजार रुपये की निविदा की गयी । वाटरिंग करायी, जो काम 55 हजार रु0 में ठेकेदार कराता, वह 5 लाख रु0 में कराया गया, 2 लाख रु0 का काम 20 लाख रु0 में कराया गया ।

(शोर)

इसी तरह सरयू नहर परियोजना को नंगा कर दिया गया है । इस सदन के माध्यम से इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि आज बहराइच के जनपद तबाह हो रहे हैं, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है । 1 लाख 60 हजार रु0 एक श्री पी0 ए0 खान द्वारा फर्जी मस्टर रोल पर खा लिया गया है । 1 लाख 60 हजार रु0 का कोई हिसाब नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का विकास किसानों के विकास पर निर्भर है और किसानों का विकास सिंचाई विभाग पर निर्भर है । यों कहा जाय कि किसानों की मेरुदण्ड, किसानों के विकास की नींव का पत्थर सिंचाई विभाग है । मुझे खुशी है कि माननीय सिंचाई मंत्री एवं माननीय मुख्य मंत्री जी, जिन्होंने एक लम्बे अरसे तक सिंचाई विभाग को सम्भाला और आज भी उस विभाग के मंत्री हैं । मैं उनको बधाई देती हूं कि उन्होंने सिंचाई विभाग को सुदृढ़ बनाया है और इसे विकसित करने के लिये तमाम ऐसी योजनायें दी हैं, जो एक दिन पूरी होंगी और उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से चलेगा ही नहीं दौड़ता हुआ आगे बढ़ेगा । सूखे की विषम स्थिति में सिंचाई विभाग के योगदान से, उनके नहरों और नलकूपों के अच्छे संचालन से पानी देने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी फसल हुई है । पिछले 10 वर्षों से 20 प्रतिशत से कम ही जल की आपूर्ति सिंचाई विभाग ने की है लेकिन उसकी पूर्ति 10 प्रतिशत नलकूप द्वारा अधिक पानी देकर की है । इसके लिये मैं उन्हें बधाई देती हूं । पूर्वी जिलों ने इस वर्ष अच्छी फसल देकर प्रमाणित कर दिया है कि वह स्वयं में अच्छी प्रगति कर रहे हैं और काफी आगे चल रहे हैं । माननीय मंत्री जी का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश पर है और 8 जिले जो अत्यंत पिछड़े हुए हैं, वहां पर इण्डो-गल्फ परियोजना के अन्तर्गत 750 नलकूप लगाने का प्राविधान किया है, इसके लिये मैं उनको बधाई देती हूं । इसलिये मैं मंत्री जी को बधाई देती हूं ।

मैं इसलिये भी माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने 125 नलकूपों का आधुनिकीकरण करा दिया और 200 नलकूपों को स्वतंत्र फीडर से जोड़ने की योजना दी है । जैसा कि कटौती का प्रस्ताव, भाई माननीय राम शरण दास जी ने रखते हुए भ्रष्टाचार के बारे में कहा है, मैं इस तरफ भी शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि हमारे जिले में हर साल बाढ़ आती है । हमारा जिला अत्यन्त पिछड़ा हुआ है, वहां नलकूप और पम्प हैं, इस ओर काम और तेजी से हो रहा है, लेकिन मान्यवर जितने भी सरकारी काम होते हैं वहां गड़बड़ी का हो जाना स्वाभाविक है । इसी तरह से बस्ती के उप खण्ड (3) में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, इसकी जांच करायी जाय । दूसरे बंजरहा बांध की भी जांच करायी जाय कि यहां एक साल हो रहा है जांच को बैठाये हुए लेकिन आज तक एक साल के बाद भी उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आयी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि बस्ती के उपखण्ड (3) की मोर बंजरहा बांध के प्रति जांच की कार्यवाही अवश्य करें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और भाई माननीय राम शरण दास जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

(समय 5 बजकर 10 मिनट)

*श्री पारस नाथ यादव—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है और इसका सीधा संबंधी किसानों से जुड़ा हुआ है और यह हमारे प्रदेश के किसानों से सीधा संबंध रखता है, जहां 85 प्रतिशत जनता खेती पर ही अपना जीविकोपार्जन करती है । यह दुर्भाग्य है कि आजादी के 40 वर्षों के बाद भी आज जैसी सिंचाई के साधनों की व्यवस्था होनी चाहिये थी, वैसी व्यवस्था आज तक नहीं हो पायी है ।

सिंचाई के लिये हमारे प्रदेश में कई तरह के साधन उपलब्ध हैं—ट्यूबवेल, नहरें आदि जिससे हमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है लेकिन आज उनकी बहुत दुर्दशा है । मान्यवर, ट्यूबवेल्स के जितने भी इंजीनियर्स हैं, वैज्ञानिक हैं उनके कहने के मुताबिक एक ट्यूबवेल का जीवनकाल 25 से 30 वर्ष तक का होता है । हमारे प्रदेश में जो ट्यूबवेल प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगाये गये थे उनको लगे हुए आज 30 से 35 साल तक हो गये हैं लेकिन उनकी जगह दूसरे ट्यूबवेल लगाने की कोई व्यवस्था अभी नहीं की गयी है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में जो प्रदेश में ट्यूबवेल लगाये गये थे उनका जीवन-काल पूरा हो गया है, उनको रिप्लेस करने के लिये आपने क्या व्यवस्था सोची है ? उसे रिप्लेस करने के लिये आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

दूसरी बात जो सिंचाई के ट्यूबवेल हैं उनकी क्षमता घट रही है, उनकी क्षमता कम हो गयी है । जब अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एक ट्यूबवेल तीन से चार सौ एकड़ तक सिंचाई करता है । आज उन्हीं ट्यूबवेल की क्षमता घट कर केवल 50 एकड़ की रह गयी है । जिन नालियों से पानी खेतों में जाता है, आज वे बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं, उन नालियों को मरम्मत कराने की आवश्यकता है । हमारे क्षेत्र बरसठी (जौनपुर) की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं । वहां पर सारे ट्यूबवेलों की नालियां ध्वस्त हो चुकी हैं, नालियों की मरम्मत हो सके आशा है कि माननीय मंत्री जी इसकी समुचित व्यवस्था करायेंगे ।

इसके अतिरिक्त एक बात और है कि जो नहरें सिंचाई के लिये हैं, उनका पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है और पानी का बीच में ही दुरुपयोग होता है । हमारे यहां शारदा सहायक खण्ड 39 में नारायणपुर रजबहा है जो कि निर्माणाधीन है दस सालों से लेकिन आज तक पूरा नहीं हो सका है, उसे तत्काल बनवा कर नहर की टेल तक उसमें पानी दिया जाय । इसके साथ ही जितनी नहरें हैं, माईनर हैं, वे बीच में ही रोक दी गयी हैं, उनको टेल तक पहुंचाया जाय । एक बात और कहना चाहता हूं कि जिनकी जमीन नहरों में ले ली गयी है, उनका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है और किसान परेशान हैं । जिला योजना में इस मुआवजे को दूसरी मदों में खर्च किया जाता है । जिन किसानों की जमीनें ले ली गयी हैं, उनको पानी नहीं दे पाते हैं, मुआवजा नहीं दे पाते हैं, कोई भी सुविधा नहीं दे पाते हैं । मान्यवर, हमारे क्षेत्र बरसठी में सिंचाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के साधन बहुत कम हैं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करें, जिससे किसानों को लाभ हो सके। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सिंचाई बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय सरदार सिंह जी और अन्य सदस्यों ने इस बात का अनुरोध किया है कि बजट बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत कम है इसलिये समय थोड़ा बढ़ा दिया जाये। इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट का समय 2 घन्टे और बढ़ा दिया जाये। सवा पांच बजे समाप्त होना था, इसे सवा सात बजे तक कर दिया जाये, जैसा कि सरदार सिंह जी ने कहा है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सिंचाई बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का जो प्रस्ताव पेश किया है, प्रश्न यह है कि यह सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) . . . . . (क्रमागत)

श्री भगवती प्रसाद चौधरी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मौजूदा बजट पेश किया है और मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और राम शरण जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। यह विभाग बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग है, यह किसानों के हित के लिये है, चाहे किसानों को बाढ़ का मुकाबला करना पड़े चाहे सूखे का मुकाबला करना पड़े। जो यह दोनों दैवी आपदायें हैं, उनसे यह विभाग मुकाबला करता है और किसानों को राहत देता है। एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि सिंचाई के लिये जो रोस्टर बनाया जाता है वह रजबहे का बनाया जाता है, तो मेरा सुझाव है कि रोस्टर माइनर का बनाया जाना चाहिए। रजबहे के माध्यम से जल की आपूर्ति होती है, लेकिन सिंचाई का मुख्य साधन माइनर है। इससे किसान सन्तुष्ट होगा और उनको सिंचाई की सुविधा मिलेगी। जो स्थानीय अधिकारी हैं, उनको रोस्टर में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, जिससे किसानों को दिक्कत होती है। किसानों की दिक्कत को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुये और उनकी भावना को देखते हुये, स्थानीय अधिकारियों को रोस्टर में परिवर्तन करने का अधिकार और समय बढ़ाने का अधिकार दिया जाना चाहिये, जिससे किसानों को आवश्यकतानुसार पानी मिल सके। मान्यवर, हमारे जिले में मेजा डैम है, लेकिन उसका पानी मिर्जापुर के कृषकों को नहीं मिलता है। वहां पर त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेजा डैम का पानी मिर्जापुर के किसानों को दिया जाये। हमारे जिले में धान के विकास खण्ड में लिफ्ट के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तीन लिफ्ट कार्यरत हैं, लेकिन उनसे वहां का किसान सन्तुष्ट नहीं

है क्योंकि वह सही तरीके से काम नहीं करती है । वह पूरी क्षमता से कभी नहीं चलती है । इसके साथ ही साथ मान्यवर जो नलकूप खराब हो जाते हैं उनकी सूचना जिला स्तर पर नहीं पहुंच पाती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर नलकूप सुझाव सूचना केन्द्र इन्टीरियर में बनाये जायें, जिससे वहां की सूचना शीघ्र उपलब्ध हो सके और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच सके । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री सरदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय जो आपने माननीय राम शरण दास जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है क्योंकि यहां की 85 फीसदी आबादी खेती का काम करती है, इसलिये इस सरकार को चाहिये तो यह था कि हर खेत को पानी मिलता और यहां के लोग अपने खाद्यानों में आत्मनिर्भर ही न होते बल्कि यहां से दूसरे देशों को अनाज जाता, लेकिन आज 40 साल की आजादी के बाद भी वहीं के वहीं रहे, इसका एक मुख्य कारण यही रहा कि इस सरकार की नीतियां व नियोजन त्रुटिपूर्ण रहे, इसी वजह से आज हमारे खेत पानी के लिये तरस रहे हैं, नदियों में पानी नहीं रह गया इसलिए कि वाटर लासेस की ओर यहां ध्यान ही नहीं दिया जाता है, हमारा पड़ोसी प्रदेश जो इस प्रदेश से काफी छोटा है हरियाणा प्रदेश लेकिन उसने इस ओर काफी तरक्की की है, उसकी सारी नालियां और गूलें पक्की हो गयी हैं और सिंचाई की हर जगह कुशल व्यवस्था हो गयी है, यहां भी उसी प्रकार से किया जाना चाहिये जिससे यहां भी सिंचन क्षमता आगे बढ़े । सिंचाई क्षमता यहां की न ठीक होने के जहां और कारण हैं, वहां विद्युत की कमी की वजह भी है, और इस ओर अधिकारियों की अच्छी देख-रेख की कमी की वजह भी है, आये दिन बिजली बंद रहती है, जिससे किसानों को पूरी तरह से पानी नहीं मिल पाता है और जहां तक टेहरी प्रयोजन की बात है, करोड़ों रुपयों की योजना है, जिसमें त्रुटिपूर्ण रवैया अपनाया गया और भ्रष्ट अधिकारी नियुक्त कर दिये गये, जिससे वह योजना भी अभी तक पूरी नहीं हो सकी है ।

साथ ही मान्यवर, एक बात मैं मथुरा के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा कि यहां पानी की बहुत कमी है, राजकीय नलकूप भी नहीं हैं और जहां-जहां नहरें हैं भी, उनका संचालन ठीक नहीं है, इसलिये हमारे यहां पानी का अभाव बहुत है, दूसरे हमारे यहां पानी के खारा होने की वजह से भी ज्यादा नलकूप नहीं लगाये जा सकते हैं । इसलिये आपसे अनुरोध है कि मथुरा के विशेष पानी की व्यवस्था लोगों के पीने के लिये और खेती के लिये करें । दूसरे मान्यवर, गोकुल बैराज के बारे में कहना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने इसके लिये कई बार पैसा भी दिया, फिर भी वहां कार्य पूरा नहीं हो सका है क्योंकि जो आफिसर वहां पर तैनात हैं, उनको इस समय इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर होना चाहिये था, उनको पदोन्नत किया जाना चाहिये न किये जाने के वजह से व और भी त्रुटिपूर्ण कार्यवाहियों से यह कार्य भी अभी खटाई में पड़ा हुआ है, जिससे पेयजल की समस्या बहुत ज्यादा वहां के लोगों को उठानी पड़ रही है, मान्यवर, इस ओर शीघ्रता से ध्यान देकर कार्य को पूरा कराया जाये जिससे सिंचाई व्यवस्था सही हो सके और लोग पूरी तरह से लाभान्वित हो सकें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बद्री सिंह—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का मौका दिया और मान्यवर माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का मैं समर्थन करता हूं और माननीय राम शरण दास जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं और मैं इनसे यह उम्मीद करता था कि यह बजाये कटौती के प्रस्ताव को रखने के धनराशि को और बढ़ाये जाने का प्रस्ताव रखेंगे। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बजट में सिंचाई के लिये ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराये हैं, जिससे निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के हर किसान को प्रसन्नता होगी। जहां तक प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का सवाल है, वह 294 लाख हेक्टेयर है, जिसमें कृषि योग्य भूमि 203 लाख हेक्टेयर है और प्रदेश में कुल बोया गया क्षेत्रफल 251 लाख क्षेत्रफल हेक्टेयर है। साथ ही मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में राजकीय व निजी क्षेत्रों का सिंचित क्षेत्रफल 121 लाख हेक्टेयर है तथा राजकीय नहरों व नलकूपों से लगभग 56.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हुई है इस प्रकार मान्यवर, यह तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार और माननीय मंत्री जी इसके लिये बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, इस समय प्रदेश में तीन नहर प्रणालियां हैं। एक शारदा सहायक, दूसरी राम गंगा तथा तीसरी गंडक नहर। 26 जनपदों के 345 विकास खण्डों में इनसे सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। नवम्बर 1987 तक लगभग 36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का कार्य निष्पादित किया जा चुका है।

मान्यवर, राजकीय लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सन् 1987-88 में 442 नलकूपों का छिद्रण किया गया एवं 618 नलकूपों का उर्जीकरण हो चुका है। वर्ष 1988-89 में 1200 नलकूपों के छिद्रण एवं 1200 नलकूपों के उर्जीकरण का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1988-89 में लघु सिंचाई के अन्तर्गत 127 हजार हेक्टेयर क्षेत्र नलकूपों को अतिरिक्त सिंचन छमता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये निश्चित तौर पर हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र से आता हूं। यह क्षेत्र दोनों ओर से नदियों से घिरा है। एक ओर से बेतवा है और दूसरी ओर जमुना है। मेरे क्षेत्र में सैकड़ों गांव नहर के टेल पर पड़ जाते हैं। जहां सिंचाई नहीं हो पाती है। इसलिये मेरे क्षेत्र में दो पम्प केनाल—एक बेतवा नदी पर ग्राम परासन पर और दूसरी यमुना नदी पर ग्राम पाल पर बनायी जाय जिससे उस क्षेत्र में सिंचाई हो सके। यह दो पम्प कैनाल बनाने से वहां के सैकड़ों गांव जो असिंचित रह जाते हैं, उनकी सिंचाई हो सकेगी। दूसरी बात यह है कि वहां पर ट्यूबवेलों की बहुत कमी है। इसलिये वहां पर वर्ल्ड बैंक के 25 ट्यूबवेलों का एक क्लस्टर मेरे क्षेत्र में हमको दिया जाय, तथा मेरे क्षेत्र को 25 स्टेट ट्यूबवेल और अलहदा से दिये जायं। वहां पर हजारों एकड़ जमीन असिंचित पड़ी है ग्राम लोना, नरहान, डाणा, परासन, इटौरा, जकसिया आदि गांवों में इन ट्यूबवेलों को लगाया जावें।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त नहरों की सफाई होना बहुत जरूरी है। उसके लिये आप हमें अतिरिक्त धन की व्यवस्था करें। तरसौल रजबहा, जखा माइनर, मगौर, आटा, पिपरयां, जगतपुर, गुलौली, मवई नहरों की सफाई की जाय।

मेरा एक और निवेदन है। यह देखा गया है कि खांदी होने पर जनरल तामान जो पूरे गांव के काश्तकारों पर लगाया जाता है वह नहीं लगाया जाना चाहिये बल्कि जो खांदी

करने के दोषी हैं उनकी जांच की जाय और उन पर तामान लगाया जाना चाहिये । सामान्य काश्तकारों पर तामान नहीं लगाया जाना चाहिये ।

मान्यवर, ट्यूबवेल की आबवासी घंटों के हिसाब से लगाई जाती है उसे एकड़ के हिसाब से लगाया जाय जिससे ट्यूबवेल आपरेटर्स को जो बेइमानी करने का मौका मिलता है, वह न मिल पाये । इस तरह से घंटों के हिसाब से पानी देने से जितना पानी बरबाद हो जाता है उसका पैसा भी किसानों को देना पड़ता है । इसलिये यह एकड़ के हिसाब से लगाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री राम सजीवन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो बातें कहा उनसे स्पष्ट हो गया कि बुंदेलखण्ड प्रदेश का सबसे अधिक अकाल पीड़ित क्षेत्र है । इसके लिये कोई सिंचाई की व्यवस्था मंत्री जी ने अपने बजट में नहीं की है । मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं और शायद मंत्री जी को भी इसकी जानकारी नहीं है कि बुंदेलखण्ड में जितने भी ट्यूबवेल हैं वे सब असफल रहे हैं । वहां पर लिफ्ट योजनाओं या बांध के जरिये सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है । लिफ्ट योजनाओं पर आपने प्रतिबन्ध लगा रखा है । बड़ी लिफ्ट योजनाएं आप नहीं बनाते हैं । आपकी सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है क्योंकि जो जमुना नदी का पानी लिफ्ट योजना के जरिये बुंन्देलखण्ड को दिया जा सकता है उस पर बंगलादेश के डिस्प्यूट के कारण आपने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । इस तरह से बड़ी योजनाओं को आपने रोक दिया । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपको यह भी पता नहीं होगा कि बुंदेलखण्ड में छोटी लिफ्ट योजनाओं पर भी आपकी सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया था । आप सदन में यह बता दें कि कितने क्यूसेक पानी की छोटी लिफ्ट योजनाएं लगाने पर आपने प्रतिबन्ध लगाया है, तब मैं स्वीकार कर लूंगा कि मंत्री जी वहां पर सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये व्यग्र और उत्सुक हैं । वहां पर छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाएं छोटी-छोटी नदियों और नालों से ही सम्भव हैं । उन पर भी आपने प्रतिबन्ध लगा दिया है । माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें वहां के सारे विधायक और सांसद मौजूद थे । कई बार यह सवाल उठाया गया कि आप बड़ी योजना नहीं लगाते और छोटी योजना भी नहीं लगाते तो कैसे काम चलेगा, बुंदेलखण्ड को आप तबाह करना चाहते हैं । इससे वहां असन्तोष हो रहा है । वहां पर यह भावना उभर रही है कि बुंदेलखण्ड को अलग राज्य बनाया जाय । हम चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश के साथ रह कर विकास के साथ भागीदारी करता हुआ आगे बढ़े लेकिन आप पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करते हैं जिसके कारण वहां की जनता में, पूरे क्षेत्र की जनता में आक्रोश ही नहीं बल्कि यह स्थिति पैदा हो रही है कि मंत्री जी कभी बांदा जायेंगे तो तब देखेंगे कि इसके चलते आपके साथ कैसा सलूक होता है । हालांकि अच्छा भी सलूक हो सकता है लेकिन अच्छा काम करेंगे तब ।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने बुन्देलखंड के विकास के लिए वहां की सिंचाई के लिये पयस्वनी बांध बनाने की योजना बनाई थी जिसमें 5 करोड़ 63 लाख खर्च खर्च होने की बात थी जो 1973 में योजना बनी थी जिसको आज 15 साल हो गये हैं पंडित लोकपति त्रिपाठी सिंचाई मंत्री रहे, वीर बहादुर सिंह जी सिंचाई मंत्री रहे, मौर्या साहब मंत्री रहे और आज आप विराजमान हैं लेकिन तब से वह बनने में ही है उस 5 करोड़ 63 लाख की

योजना को आप नहीं बना रहे हैं । आप आसानी से कह देते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ कुछ झगड़ा है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप विराजिये ।

श्री राम सजीवन—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे एक मिनट और दे दें । मैं यह बताना चाहता हूं कि उसमें कोई झगड़ा नहीं है आप जानबूझ कर उसे नहीं बनाना चाहते हैं इसलिये कि बुन्देलखण्ड के लिये आवंटित धन को दूसरे क्षेत्रों में ले जा सकें । पक्षपातपूर्ण ढंग से आप चाहते हैं कि आपके हित साधन हो जायं और बुन्देलखण्ड चाहे मरे चाहे सूखे, चाहे तबाह हो जाय । इसलिये आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार नहीं बनाने देना चाहती है । मैं सुझाव देता हूं कि आप बुन्देलखण्ड के सारे सांसदों और विधायकों की संयुक्त बैठक बुलाइये यदि आप इसमें अक्षम हैं उसको हल करने के लिये । सभी दलों के लोग चाहे कांग्रेसी हों या गैर कांग्रेसी हों उनकी बैठक बुलाइये और उस समस्या का हल कराइये । हम लोग अपनी सद्भावना व सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

समय ज्यादा हो गया है ।

श्री राम सजीवन—

आप इसको हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और बुन्देलखण्ड को तबाह कर रहे हैं । इसलिये मैं इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मैं सोचता हूं विपक्ष से कटौती प्रस्ताव रखने वाले राम सरन दास जी को अगर कहीं मनोरंजन के बजट में कटौती रखने के लिये रखा गया होता तो ज्यादा बेहतर होता और इधर से उसकी प्रस्तावक कोई महिला होती । इसलिये मंत्री जी को आज वाकओवर मिल गया है । इसमें अभी हमारे राम सजीवन जी बोल रहे थे बहुत महत्वपूर्ण बात वह बोल रहे थे । अगर इसमें कटौती प्रस्ताव वह रखे होते तो ज्यादा सूझबूझ होती । इतने महत्वपूर्ण विषय पर केवल कहने के लिये वह कटौती रखना चाहते हैं । हमारी सरकार तो कल्याणकारी कामों को करने के लिये कृतसंकल्प है । हमारी सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हैं और गांव-गांव तक विकास की योजनाओं को पहुंचाया है । सरकार ने बड़ी मेहनत से ऐसे लोगों को रखा है जिनका किसानों से सम्बन्ध है इसी तरह से केन्द्र में और यहां पर भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने ऐसे लोगों को काम सौंपा है जो इस काम के योग्य हैं उसके लिये हम सरकार को बधाई देते हैं । विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से सहायता लेकर शारदा सहायक जैसी परियोजनाओं को चलाने का प्रयास सरकार कर रही है और किसानों तक जहां सूखा पड़ता है वहां तक ताकि पानी पहुंच जाय । नलकूपों की व्यवस्था सरकार कर रही है । मान्यवर, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसानपुर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पम्प जिसका स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शिलान्यास किया था एक कच्चे पम्प के रूप में चलाया जा रहा था, बीच में बन्द था, लेकिन इनके पूर्व मंत्री श्री भोला शंकर मौर्य के समय में कुछ प्रगति आयी थी और सरकार ने संकल्प किया था कि पम्प पक्का बनाकर टेल तक पानी पहुंचायेंगे, और आश्वासन दिया गया था कि दो सालों में पक्का पम्प बना दिया जायेगा, इसीलिये मैं चाहूंगा कि इसको शीघ्रातिशीघ्र पक्का पम्प बनाया जाये ।

मान्यवर, हमारा जो लिटरेचर है उसमें कुछ अधिकारियों की उदासीनता के कारण पिछले लिटरेचर की नकल करना भी वह सही ढंग से नहीं सीखे और नकल करके गलत सूचना दिया है, इसलिये इसको सही करें । पिछले साल के लिटरेचर में दिया गया है— किशनपुर पम्प जिसमें सिराथू और मंझनपुर के लिये व्यवस्था की गयी है दिखाया है जबकि मंझनपुर और चायल उससे लाभान्वित होंगे और सिराथू से कोई मतलब नहीं है । इसलिये इस तरह जो गैर जिम्मेदार अधिकारी लिख देते हैं उस पर मंत्री जी ध्यान दें ।

मान्यवर, नलकूप मेरे क्षेत्र में लगाये जायें क्योंकि शासन की नीति के अनुसार मेरे क्षेत्र में कलस्टर प्वाइंट है । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री हर्ष वर्धन—

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को आज एक चीज में आगे होने का अवसर प्राप्त है और वह है भ्रष्टाचार । संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वह जितना सिंचाई विभाग में व्याप्त हो गया है उतना किसी दूसरे विभाग में नहीं है । मान्यवर, साधारणतः सिंचाई विभाग में वर्किंग डिवीजन में 80 लाख से एक करोड़ रुपये के बीच का काम कराया जाता है और मेन्टीनेन्स डिवीजन में 60 से 80 लाख के बीच परन्तु इन मानकों को छोड़ कर प्रदेश के लगभग 30 खण्ड ऐसे हैं जहां पर 3 से 4 करोड़ रुपये के बीच में कार्य कराया जाता है । इसी प्रकार 12 से 15 सहायक अभियन्ता ऐसे हैं जिनके द्वारा एक करोड़ रुपये से ऊपर का कार्य कराया जाता है । ऐसी स्थिति में जो बजट एलाटमेन्ट होता है उस पर कमीशन लेने का कार्य यहीं सचिवालय से शुरू हो जाता है । और यदि पिछले तीन सालों का आंकड़ा वित्तीय नियंत्रक से मंत्री जी निकलवा लें तो स्पष्ट हो जायेगा कि कुछ गिने हुये अधिकारी हैं जिनके अधीन 3 से 4 करोड़ रुपये का कार्य कराया जाता है और कुछ गिने हुए सहायक अभियन्ता हैं जो एक करोड़ से अधिक का कार्य प्रतिवर्ष कराते हैं । यह निश्चय ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं । इसी का नतीजा है कि बस्ती जिले में 7 जनवरी, 1988 को डिनेज खण्ड के बड़े बाबू श्री राम चन्द्र गुप्ता की हत्या कर दी गयी । इसके पीछे भ्रष्टाचार है जिसका संरक्षण राजनेता देते हैं । जो सहायक अभियन्ता नियुक्त हैं उनका ट्रान्सफर तीन-चार बार हुआ लेकिन वह उसको रुकवा लेते हैं क्योंकि वह कुछ राजनीतिक नेताओं का संरक्षण पाकर वहीं बने हैं ।

मान्यवर, इसी प्रकार इनके यहां जो नियमित अधिशासी अभियन्ता हैं व सर्वे डिजाइन आदि में हैं और जो सहायक अभियन्ता (इंचार्ज) को क्रियाशील खण्डों का इंचार्ज बनाकर उनसे धन दोहन का कार्य किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में मंत्री जी ज्यादा जानते हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और मैं तो कहता हूं कि जो अब मुख्यमंत्री जी बने हैं, जो पहले सिंचाई मंत्री थे, वही भ्रष्टाचार के लिये सबसे ज्यादा उत्तरदायी हैं। लखवाड़-व्यासी बांध के सम्बन्ध में जब कल मंत्री जी बोल रहे थे इस सदन में तो उन्होंने बताया था कि 10 करोड़ रुपया 2 साल में बढ़ गया है। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं, वह आंकड़े से बताते हैं कि 185 करोड़ रुपये का कुल टेन्डर था सन् 85 में और वृद्धि जो होती गई दो साल के विलम्ब के कारण, उसके लिये कहा कि वह तकरीबन 10 करोड़ होगी और इसमें उन्होंने 10 परसेन्ट लेबर कम्पोनेन्ट बताया है, और पांच परसेन्ट सीमेन्ट आदि पर बताया है। दो साल में, कुल जमा, इनके हिसाब से 10 करोड़ रुपया मात्र बढ़ा। यानी ढाई परसेन्ट की बढ़ोत्तरी प्रति साल में हुई है। यह आंकड़े सत्य से परे हैं। उसके पीछे केवल मात्र एक कारण भ्रष्टाचार का है। अभी जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक खण्ड में एक असिस्टेन्ट इंजीनियर ने लाइनिंग का कार्य 75 लाख रुपये का कराया था। वह मंत्री जी का स्वजातीय है, जो लाइनिंग कार्य हुआ है, वह सारा का सारा बह गया है। इसका कारण मंत्री जी क्या बतायेंगे, बतायेंगे या नहीं, यह मैं नहीं समझ पाता हूं। इस विभाग से सम्बन्धित जयप्रकाश एसोशिएट नाम की एक फर्म है, जिसको काम देने के लिये यहां के अधिकारी और मंत्री होड़ लगाये रहते हैं। क्योंकि इस विभाग के पुराने, रिटायर्ड इंजीनियर इसमें सर्विस के बाद नौकरी पा जाते हैं और इस कम्पनी के मैनेजिंग बोर्ड में वही लोग बैठाये गये हैं, जो विभाग के निकाले हुये भ्रष्ट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और जे0 ई0 हैं। लखवाड़ा-व्यासी बांध का जिसने ठेका लिया है, उसमें भी इसी विभाग के सब पुराने इंजीनियर कार्यरत हैं, वह लोग उसी फर्म में नौकरी पा जाते हैं।

अब मैं थोड़ी अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, वहां पर एक बत्सर-रिजौली बांध है, इसको बने 13 साल हो गये हैं, किन्तु इसकी जमीन का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा तीन साल के अन्दर की पोजीशन देख कर मंत्री जी सच्चाई से बता दें कि विश्व बैंक की सहायता से इन तीन सालों में जितने नलकूप लगे हैं, उसमें कितने इस तरफ बैठे विधायकों के क्षेत्र में लगे हैं और कितने उस तरफ सत्ता पक्ष में बैठे विधायकों के क्षेत्रों में लगे हैं। श्रीमन् इसमें आप बड़ा भेदभाव और पक्षपात पायेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस भाई-भतीजावाद और गोदीवाद को बन्द कीजिये। इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री निसार हुसैन—

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस सूखे की स्थिति में जिस तरह से सिंचाई विभाग ने और विभाग के अधिकारियों ने नहरों की सफाई और राजकीय नलकूपों के मरम्मत व देखभाल का कार्य और पब्लिक नलकूपों की देखभाल का सराहनीय कार्य किया है। इसके लिये उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं और अपनी मरकजी सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार को सूखा राहत के अन्तर्गत 28 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया, जिसमें से 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का और 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार का अंशदान है।

इसके बाद मान्यवर, मैं आपका ध्यान रामपुर जनपद की कुछ समस्याओं की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां पर लगभग 80 किलोमीटर नहरें हैं, जिससे लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होती है और इन बड़ी नहरों के लिये उसे केवल 15 लाख रुपया

मिलता है । किन्तु नहरों के लिये, नहरों की सफाई के लिये और पुलों के लिये 25 लाख रुपये की जरूरत है । तो मेरा आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से यह अनुरोध है, विशेषकर मंत्री जी से कि वह रामपुर जनपद के जो पुल हैं, जो नहरें हैं, जो रियासत के जमाने में सैकड़ों साल पहले के बने पुराने हैं, उनकी मरम्मत के लिये कम से कम 25 लाख रुपया देने की संस्तुति करें । मान्यवर, मेरे क्षेत्र स्वार टांडा में घूघा नदी पर एक कच्चा पुल बनता है, जो हर साल वर्षा ऋतु में या ज्यादा पानी से वह टूट जाता है । उससे कई नहरें निकलती हैं, तो जब वह टूट जाता है तो नहरों को पानी नहीं मिल पाता है । इसके लिये सिंचाई विभाग ने एक करोड़ 20 लाख की योजना प्रान्तीय सरकार को भेजी है उसको तुरन्त स्वीकार किया जाये । मान्यवर, लालपुर में कोसी नदी पर प्रोजेक्ट बनाकर भेजा गया है जो दस करोड़ का है उसको भी स्वीकार किया जाये । इसी तरह से मान्यवर रामपुर जनपद को हल्द्वानी जोन से मिलाया गया है, तो जो पैसा रामपुर जनपद को मिलता है वह पहाड़ों पर खर्च कर दिया जाता है । तो रामपुर जोन को हल्द्वानी जोन से काट कर मुरादाबाद जोन में मिला दिया जाय और मेरे क्षेत्र में विश्व बैंक योजना द्वारा 50 राजकीय नलकूप लगाने की व्यवस्था करें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अब बैठ जायें (व्यवधान) ।

श्री निसार हुसैन—

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं ।

*श्री बदन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग पर कटौती के प्रस्ताव पर जो माननीय रामसरनदास जी ने रखा है, उस पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के विषय में इस माननीय सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं । मेरा क्षेत्र जो है वह ऐसा क्षेत्र है जहां सिंचाई के साधनों का बहुत ज्यादा अभाव है । फतेहपुर सीकरी राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है । मान्यवर, जनता पार्टी के समय में राजकीय नलकूप लगवाये गये थे । अब तक वहां 12 राजकीय नलकूप लगवाये गये हैं, लेकिन वहां के जल में नमक की अधिकता है । खारापन अधिक है इसलिये उन नलकूपों के प्रयोग में जो पाइप हैं वह छन जाते हैं और कट जाते हैं और खराब हो जाते हैं । 22 नलकूप जो हैं इनमें से नौ नलकूप खराब हो गये हैं । 6 नलकूप इस प्रकार के हैं जो खराब होने वाले हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि फतेहपुर सीकरी में नलकूप लगाये जायें और पी0 वी0 सी0 के पाइप से लगवाये जायें । जितने नलकूप खराब हो गये हैं उनके स्थान पर नये नलकूप लगाये जाने चाहिये । इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फतेहपुर सीकरी में सात गांव ऐसे हैं जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत क्लस्टर ट्यूबवेल लगाये जायें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई गई उनको तत्परता से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चलाने के लिये, काम न करने के कारण, लागत और खर्च उन योजनाओं का बढ़ गया । प्रदेश में छोटी-छोटी नदियां हैं अगर छोटे-छोटे बन्धे वहां बनवा दिये जाते तो सिंचाई का बहुत काम पूरा हो सकता था । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में खारी नदी है यह धीरे-धीरे गहरी होती जा रही है वहां जमीन के श्रोत कट-कट कर नदी में बह रहे हैं । मान्यवर, अकोला, चेंकोरा, खेड़ा वाकन्दा, मोरी जेंगारा, जैरांकला, रैठोरा, आदि जो गांव हैं जहां पर नदी में जमीन के श्रोत कट-कट कर बहने के कारण नलकूप असफल हो जाते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खारी नदी के ऊपर अकोरा, जैगोरा और मैकोरा में छोटे-छोटे बांध बनाये जायं और पानी को रोका जाय जो नलकूप सफल हो सकते हैं और खारी नदी के पानी का क्षेत्र मीठे पानी में परिवर्तित हो सकेगा । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा को पानी आगरा कैनाल से जाता है । यह नहर हरियाणा से होकर मथुरा तथा आगरा आती है । हरियाणा में पानी की चोरी होती है । हमारे प्रदेश के इंजीनियर्स रिश्वत लेकर पानी को हरियाणा को बेच रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें ।

(श्री भृगुनाथ भट्ट को पुकारे जाने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री भृगुनाथ भट्ट—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे...

श्री अधिष्ठाता—

भट्ट जी जरा रुक जायं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि त्रिभुवन प्रसाद नये सदस्य हैं । बराबर वह खड़े ही रहे हैं । कांग्रेस दल में रहते हुए कांग्रेस दल की नीतियों के खिलाफ बोलना चाहते हैं । वह बराबर खड़े हो रहे हैं उनको समय मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

हमारी सब पर बराबर की दृष्टि है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[× × ×] जो लोग नहीं बोले हैं वह चाहे सत्तापक्ष के हों या विरोध पक्ष के हों उनको समय मिलना चाहिये ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

जरूर मौका मिलेगा ।

*श्री भृगुनाथ भट्ट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह देश कृषि प्रधान देश है । खाद्य समस्या के समाधान के लिये सिंचाई और बाढ़ पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है । यह सरकार के प्रयास का ही फल है कि हमारा देश खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है । सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का काम हमारी सरकार ने अच्छी तरीके से किया है । हमारे विरोध पक्ष को इस बजट पर कटौती का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिये ।

मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं । मेरा क्षेत्र मनीराम क्षेत्र (गोरखपुर) एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और राप्ती तथा रोहिन नदी के बीच का क्षेत्र है । मैं राप्ती नदी के कारण हुये कटान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मीरपुर, तुर्कवलिया गांव के पास नदी तेजी से कटाव कर रही है । यदि यहां पर बांध नहीं बनाया गया तो कटान को नहीं रोका जा सकता है । बांध न बनाने से किसी दिन भयंकर स्थिति हो सकती है । दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि रोहुआ, भौरामल, डोमिलगढ़ राप्ती नदी के कारण कट गये थे यहां के निवासी बंधे पर छप्पर डालकर बसे हुये हैं । मेरा निवेदन है कि इनके लिये भूमि अधिगृहीत करके इनको बसाया जाय और बंधे को खाली कराया जाय । लोगों के कारण इस बंधे की मरम्मत नहीं हो सकती है इसलिये यह किसी दिन बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं । दूसरी समस्या यह है कि हमारे क्षेत्र में महराजगंज में नहरें अधूरी हैं, रजबहे अधूरे हैं जिनको पूरा कराया जाय । इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई बजट पर बल देता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री अचल सिंह—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया । मान्यवर, बड़े खेद का विषय है कि 40 साल देश आजाद होने के बाद भी और इस सरकार के पास हुकूमत आने के बाद भी केवल अभी 55.25 प्रतिशत सिंचित क्षमता आप उत्तर प्रदेश में पैदा कर पाये । मैं फतेहपुर का आंकड़ा केवल दूंगा । फतेहपुर में कृषि योग्य भूमि 348 हजार हेक्टेयर है, जिसमें से 193.2 हजार हेक्टेयर ये सिंचन कर पाये हैं । केवल आंकड़े के हिसाब से 437 ट्यूबवेल अभी ये फतेहपुर में लगाये हैं, उनमें से 80 फीसदी ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं, जैसे टिकरा, भैंसौली, मिराई, आशापुर, चक्की आदि किसी भी ट्यूबवेल में स्टार्टर और मेन स्विच नहीं है । अगर वह बिना स्टार्टर और मेन स्विच के चलता है, तो वह जल जाते हैं और उससे सिंचन क्षमता भी घटती जायेगी । यह स्थिति मौहार, परसदपुर, आशापुर, मिराई आदि ट्यूबवेलों की है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गलाथा पम्प कनाल है, जो कि तीन साल के अन्दर उसने एक बूंद भी पानी नहीं दिया, जिससे सिंचन क्षमता इनके आकड़ों के हिसाब से और भी कम हो गया है। इसलिए ये जो आकड़े दिये जा रहे हैं, ये बिल्कुल भ्रामक हैं। अमौरा ग्राम के लिये सिंचाई का कोई सुविधा नहीं है। वहां पर सिंचाई के लिये एक माइनर की बहुत दिनों से मांग चली आ रही है। दूसरा मान्यवर, कोटिया माइनर है, जो खोदी जा चुकी है, उसमें पानी टेल तक नहीं पहुंचता है। मलवां में एक झील बनना आवश्यक है और बिना चीफ इंजीनियर के आदेश के झील नहीं बन सकती है। यही नहीं, अगर कोलाबा लगाना हो, तो भी चीफ इंजीनियर से आदेश कराना होगा, जिससे एक परेशानी पैदा होती है। घाटमपुर रजबहा में 10 साल से पानी नहीं आया, चूंकि वह एरिया नहरों के कमांड में रहती है, लेकिन पानी नहीं पहुंचता है। कमांड में होने की वजह से दूसरे सिंचाई के साधन ट्यूबवेल आदि नहीं लग पा रहा है। मान्यवर, जब एक ट्यूबवेल लगाने की बात आती है, तो यह होता है कि यह एरिया नहरों के कमांड में है। 10 सालों से पानी न आने के बावजूद भी इस कमांड से अलग नहीं किया जा रहा है। इसी तरह की मैंसोली माइनर, आदमपुर माइनर आदि हैं, इनकी टेल तक पानी नहीं पहुंचता है, तो उनको कमांड क्षेत्र से अलग कर दें, एक तो ट्यूबवेल दे नहीं पा रहे हैं, यदि ट्यूबवेल मिलें तो, उन क्षेत्रों का विकास हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राम शरण दास जी द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री देवता दीन—

अधिष्ठाता महोदय मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। हमारे क्षेत्र में यह सरयू पम्प कैनाल जो चल रही है, उस संबंध में मैं जानकारी दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, आपके अधीन जो पतरौल होते हैं, वे सिंचाई जो होती है, उससे अधिक खेतों की सिंचाई लिख देते हैं और इस तरह से सिंचाई की वसूली गलत तरीके से की जाती है। उस सम्बन्ध में है। उस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के काफी काश्तकारों ने इस संबंध में तमाम प्रार्थना-पत्र दिये, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के काफी काश्तकारों ने इस कटता नहीं है। मान्यवर, ऐसी कौन सी चीज है, जो गलत अगर लिख दी जाती है, तो वह काटी नहीं जा सकती है। अगर मान्यवर, कोई झूठ लिख दिया जाय, तो वह वैसे ही बनी रहेगा, उसे सही किया ही नहीं जायगा। दूसरी बात मान्यवर, मैं सरयू परियोजना की जो हमारे क्षेत्र में खुदाई हो रही है, उसके सम्बन्ध में मैं आपको जानकारी दिलाना चाहता हूं।

वहां के मौजूदा जो मजदूर हैं, गरीब हैं उनको न लगाकर दूसरे लोगों को काम पर लगाया जाता है और काम कराया जाता है। इस सम्बन्ध में हमारे पहले के सिंचाई मंत्री मौर्य जी भी जानते हैं और यह मौके पर भी गये थे उन्होंने अधिकारियों से कहा था लेकिन उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और मौजूदा मजदूरों को नहीं लगाया गया। मैं पूंछना चाहता हूं कि जिस आदमी के खेत निकल गये हैं क्या वह काम करने का हकदार नहीं है? मैं कहना चाहता हूं कि इसकी आप जांच करायें। मेरे पूरे क्षेत्र में सरजू योजना का काम हो रहा है इसमें हमारे यहां के लोगों को काम मिलना चाहिए। मान्यवर, अब अपने क्षेत्र के ट्यूबवेल के बारे में बताना चाहता हूं हमारे

क्षेत्र में जो ट्यूबवेल हैं वह अधिकतर खराब हैं उस सम्बन्ध में कई बार शिकायत हुई, माननीय राजस्व मंत्री जो बैठे हैं यह 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, जब-जब बहराइच जाते हैं तो शिकायत होती है तो मैं चाहता हूं कि ट्यूबवेलों के सम्बन्ध में जांच करवाई जाय। जो भी इसमें दोषी पाये जायें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय सिंचाई क्षमता 44 प्रतिशत थी। अभी माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि वह सिंचन क्षमता प्रदेश की 59 प्रतिशत हो गयी है। 59 प्रतिशत सिंचन क्षमता को बताकर उन्होंने यह जताने का प्रयास किया कि सिंचन क्षमता बढ़ रही है। लेकिन मान्यवर, सिंचन क्षमता घटी है। मान्यवर, जो आकड़े इन्होंने दिये हैं उस आंकड़े से साफ जाहिर हो जाता है कि नहरों से सिंचाई का काम 33 प्रतिशत होता है और ट्यूबवेल से 56 प्रतिशत होता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जितने भी हमारे ट्यूबवेल हैं उनकी वह स्वयं जांच करें और देखें कि कितने ट्यूबवेल इस उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं और उसमें से कितने कार्य करते हैं? जहां तक मेरी जानकारी है आधे से अधिक ट्यूबवेल काम नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में ट्यूबवेल से जो 56 प्रतिशत सिंचाई होती है वह घटकर 28 प्रतिशत रह जाती है। मान्यवर, सिंचाई व्यवस्था की पोल इस वर्ष के सूखे ने खोल दी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ट्यूबवेल के पास न नाली है न गूल है न मोटर है तो सिंचाई कैसे करते हैं, श्रीमन् ट्यूबवेल को चलाने के लिए विद्युत की जरूरत है और वह हमारे उत्तर प्रदेश में मात्र 4-5 घंटे ही प्रतिदिन मिल पाती है। ऐसे में हम पूरी क्षमता के साथ ट्यूबवेल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे यहां माइनर इरीगेशन से फ्री बोरिंग का कार्य होता है। उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि हम सिंचाई कार्य को ठीक से नहीं कर पाते और लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो ट्यूबवेल हैं उनमें से आधे से अधिक में ट्यूबवेल के चालक नहीं हैं और बिजली भी कम मिलती है तो ऐसी स्थिति में ट्यूबवेल की पूरी क्षमता का उपयोग कैसे कर सकते हैं? अतः इसको देखते हुये जो 56 प्रतिशत का सिंचित आंकडा दिया गया है वह बिल्कुल गलत है। मान्यवर, सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार भी सबसे अधिक है। अतः इसे रोकें।

(इस समय 6 बजकर 3 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

मान्यवर, बलिया के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसा हुआ है। हमारे यहां सुरहा पम्प कैनाल है उससे सिंचाई होती है। शारदा कैनाल को बलिया तक पहुंचाया गया लेकिन इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। एक पम्पिंग सेट है जिससे सिंचाई का कार्य चलता है और वह भी ठीक से काम नहीं करता है। राज्य से जो ट्यूबवेल का एलाटमेन्ट होता है उसमें बलिया को वही हिस्सा दिया जाता है जो अन्य जनपदों को दिया जाता है, यह अपर्याप्त है। मान्यवर, बलिया जैसे पिछड़े जनपद में जहां पर कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बलिया में विश्व बैंक के ट्यूबवेल की व्यवस्था करें। हमारे क्षेत्र में गंगा के उस पर दियरा में जबहीदियर, शिवपुर दियर स्थित मिनी स्टेट ट्यूबवेल लगाकर इसकी व्यवस्था करायें।

मान्यवर, जहां तक बाढ़ का सवाल है, हाथी कमीशन ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बलिया सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा प्रयास करें जिससे हमारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित न हो और बाढ़ से प्रतिवर्ष होने वाली जान-माल की क्षति न हो। बाढ़ आयोग की नियुक्ति करें जो इसका समाधान खोज सकें। मान्यवर, रेपुरा जमदारी बांध जिसके निर्माण का प्रस्ताव है जिससे पचासों गांव बाढ़ से बच सकते हैं। जिसकी आबादी लगभग एक लाख है उसे बाढ़ से बचाने के लिये रेपुरा बांध निर्माण तत्काल करावें। अन्त में "सिंचने समृद्धि भवति" यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हनुमान प्रसाद कुरील—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जो सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, यह तो हाउस में एक रास्ता बन गया है कि चाहे जितना अच्छा बजट पेश करें, लेकिन खाना पूरी के लिये विरोध पक्ष की ओर से कटौती का प्रस्ताव जरूर आता है। यद्यपि सिंचाई विभाग ने बहुत तरक्की की है पूरे प्रदेश में तमाम नहरों का जाल बिछा रखा है, ट्यूबवेलों का जाल बिछा रखा है। उसकी क्षमता इतनी बढ़ी है कि कोई जगह बिना पानी नहीं रह गयी है। हमारी उपज अच्छी हुई है। हम किसी से हाथ फैलाकर मांगने नहीं जाते हैं। मान्यवर, ये आंकड़े देखना मुनासिब नहीं समझते। हमारा प्रदेश उपज में काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए कि सिंचाई के साधन अच्छे हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र बिल्हौर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सिंचाई से सम्बन्धित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कई इन्सपेक्शन हाउस हैं, जो बहुत पुराने हैं और नहर विभाग के बनाये हुए हैं। इन इन्सपेक्शन हाउस का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सब बेकार पड़े हैं और धीरे-धीरे गिरते जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि ये इन्सपेक्शन हाउस जो बेकार हो रहे हैं, इनका सही इस्तेमाल किया जाय और अच्छा होगा कि इन इन्सपेक्शन हाउस को बेसिक शिक्षा विभाग को दे दिया जाय, ताकि वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिये भेजा जा सके। दूसरी बात मान्यवर, बहुत सी ऐसी नहरें हैं, 5-6 नहरें हैं वहां पर, जो धाधिया हो जाती हैं। लोग अपने-अपने ट्रैक्टर, लढ़िया और तमाम गाड़ियों को चलाते हैं। सर्विस रोड पर दूसरे कोई यातायात का साधन नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि जहां पर नहरों को काट लेते हैं और तमाम नुकसान होता है और मेन्टीनेन्स पर शासन का तमाम पैसा खर्च होता है, इसलिये अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह से पंजाब और चंडीगढ़ में नहरों के किनारे सड़कों को पक्का कर दिया गया है, नहर विभाग की ओर से सर्विस रोड्स को पक्का कर दिया जाय ताकि खानिया काटने से बचा जा सके। जगह-जगह जो लोग पानी काट लेते हैं, उससे बचत होगी और सरकार मेन्टीनेन्स पर तमाम पैसा खर्च करने से बच जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र बिल्हौर में 32 ट्यूबवेल लगे हुये हैं और उनमें से 18 ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। पिछले दिनों 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग हुई तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमने यह प्रश्न उठाया कि उनको ठीक कराया जाय, लेकिन दुख की बात है कि अधिकारियों की ओर से यह जानकारी हुई कि संसाधन सरकार की ओर से नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण इन ट्यूबवेलों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है । मैं अनुरोध करूंगा कि ट्यूबवेलों को ठीक करने के लिये संसाधन मुहैय्या कराये जायं ताकि ट्यूबवेल ठीक हों तो सिंचाई की व्यवस्था हो सके । मान्यवर, मेरा क्षेत्र पिछड़ा है । बीस साल तक वहां एक ऐसे माननीय सदस्य रहे जिन्होंने कुछ नहीं किया । वहां पर रसूताबाद ब्लाक में कई ट्यूबवेलों पर नाली की व्यवस्था नहीं है । मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सरकार उस इलाकों में कम से कम चार ट्यूबवेलों की व्यवस्था कर दी जाय और इसी प्रकार से मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ककवन में जो दो ट्यूबवेल हैं, उनमें से एक खराब रहता है, उसको ठीक करा दिया जाय । उसका आपरेटर कहीं चला जाता है, उसकी जगह किराये का आपरेटर रख दिया जाता है । किराये का आपरेटर गलत तरीके से चलाता है । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नये लोगों को बुलवा रहा हूं ।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय राम शरण दास जी द्वारा सिंचाई विभाग के प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जो बजट अनुदानें हैं सिंचाई विभाग की निर्माण और अधिष्ठान की उसका किस तरह से खर्च किया जा रहा है, उसके संबंध में कहना चाहूंगा । मैं 1982-83 के आंकड़े आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष रख रहा हूं । 1982-83 में सिंचन क्षमता राजकीय नलकूप की 2529 हजार हेक्टेयर थी, और उपयोगिता कितनी थी इसको देखें, 1300 हजार हेक्टेयर । निजी नलकूपों की 8091 हजार हेक्टेयर थी और सौ फीसदी इसकी उपयोगिता रही । 1985-86 में क्या दशा हो गयी इसको भी देखें, सिंचन क्षमता सृजित की लघु सिंचाई राजकीय में 2872 हजार हेक्टेयर और उपयोगिता घटकर 1282 हजार हेक्टेयर हो गयी । जबकि निजी लघु सिंचाई की बरकरार रही जिनकी क्षमता 10638 हजार हेक्टेयर थी । वृहद और मध्यम जो सिंचन क्षमता सृजित की वह 6253 हजार हेक्टेयर और उपयोगिता कितनी रही 5595 हजार हेक्टेयर । 1987-88 में यह और घट गयी । माननीय मंत्री जी इसको आप समझने की कोशिश कीजिये, इन्जीनियरों का भरोसा रखेंगे तो यह बेवकूफ बनाकर रखेंगे यही कारण है कि अरब-अरब रुपये की अनुदान ले जाते हैं, और उसका 1/3 भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है । सारी नहरें टपक रही हैं, उनमें रिसाव हो रहा है उसके लिए कोई उपाय नहीं है । ट्यूबवेलों की नालियां ध्वस्त हो गयी हैं, वे आज तक नहीं बन पायी हैं । इंजीनियर से कहते हैं तो वह कहता है कि हमको एक हजार रुपये मेन्टिनेन्स का मिलता है । एक हजार में उसने दिया ठेकेदार को, मुश्किल से 300 रुपये खर्च किया और 10 मीटर नाली बनी । बड़ा ढोल पीटा कि सूखे के समय में सारी नलियां ठीक करा दी जायेंगी । मान्यवर, इसी तरह से बनारस तहसील के 60 ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, न उनकी मरम्मत का कार्य हो रहा है । हमारे यहां ज्ञानपुर लिफ्ट कैनाल है, 14-15 साल से उस पर काम हो रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया । न ट्यूबवेलों की मरम्मत हो रही है, और न नहर को मुकम्मल किया जा रहा है, पानी नहीं मिल रहा है । गाजीपुर में दवेकली लिफ्ट कैनाल है, उससे गर्मियों में पानी कभी नहीं दिया जाता

है । जब उस पर सवाल पूंछा जाता है तो यहां से उत्तर आया है कि यह मामला केन्द्र सरकार के अधीन है जबकि यह उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत है यह नहर । इन्होंने कहा कि योजना आयोग ने यह कह दिया कि पानी का लिफ्ट न किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजकिशोर सिंह जी अब आप समाप्त करें ।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, बस एक मिनट और लूंगा । मान्यवर, गाजीपुर की क्षेत्र की जनता को गन्ने के लिये पानी नहीं दिया जाता है, जिससे गन्ने की सारी की सारी फसल चौपट हो जाती है । सिंचाई में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह तो जगजाहिर है । मान्यवर, यह एक पर्चा हमको देखने को मिला है यह मुजफ्फरनगर के शैलेन्द्र शर्मा ने निकाला है कि मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर के अधिशासी अभियन्ता श्री सुरेश गिरी ने लाखों-लाख रुपये कमायें हैं, वहां भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है तमाम शिकायतें उसकी हुई लेकिन आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई । इसी तरह से सिंचाई विभाग में हर इंजीनियर पैसा कमा रहा है भ्रष्ट तरीके से । माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इन सब चीजों की जानकारी रखें और उसका अध्ययन करें, नहीं तो यह सारे इंजीनियर इसका सारा पैसा डकार जायेंगे । जब ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर रुकवाने के लिये आपके पास आयेंगे और कहेंगे कि मंत्री जी इतना पैसा ले लीजिये हमको वहीं रहने दीजिये हमारा ट्रांसफर न करिये । मान्यवर, यह इंजीनियर लोग पैसा बटोरते ही जायेंगे, अगर इन पर कड़ी नजर न रखी गयी, इनकी बला से देश जहन्नुम में चला जाय, किसान जहन्नुम में चला जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राम शरण जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री जनार्दन प्रसाद आभा तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा के गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को एक सूचना दे दूं, फिर माननीय सदस्य अपनी बात कहें । नगर मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के पत्र दिनांक 16 मार्च, 1988 जो इस सचिवालय में आज दिनांक 17 मार्च, 1988 को अपराह्न 4.05 बजे प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा (जिला गोरखपुर) को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 113 के अन्तर्गत निर्गत वारन्ट के आधार पर दिनांक 14 मार्च, 1988 को रात्रि लगभग 9.00 बजे उनके मोहद्दीपुर स्थित आवास पर गिरफ्तार किया गया था, और उन्हें नियमानुसार दिनांक 15 मार्च, 1988 को सायं 5.00 बजे न्यायालय द्वारा रिहा किया गया । माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना दिनांक 16 मार्च, 1988 को सदन में दी जा चुकी है ।

नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ के पत्र दिनांक 17 मार्च, 1988 जो इस सचिवालय में आज दिनांक 17 मार्च, 1988 को अपराह्न 4.30 बजे प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री जनार्दन प्रसाद आभा, सदस्य, विधान सभा (जिला गोरखपुर) तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा (जिला फैजाबाद) को धारा 151/107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आज दिनांक 17 मार्च, 1988 को लगभग 12.15 बजे नूर मंजिल तिराहे पर गिरफ्तार किया गया था और उनको लगभग 3.00 बजे दिन में आज ही दिनांक 17मार्च, 1988 को धारा 151/107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त व शान्ति भंग की संभावना न होने के कारण मुक्त कर दिया गया ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या—76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या—77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) . . . . . (क्रमागत)

श्री मिट्ठी लाल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सिंचाई विभाग के बजट पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की ओर सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों की इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने सारे प्रदेश में इतने भीषण सूखे के बावजूद जो राहत पहुंचाई है, जिससे आज सभी ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है । मान्यवर, मेरा क्षेत्र दो तहसीलों का क्षेत्र है खुलापहाड़ और चरखारी । इन क्षेत्रों में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है और न ही ट्यूबवेल लगे हुये हैं । वहां पर अर्जुन सहायक परियोजना का बजट मिलना चाहिये और चरखारी बांध का इस वर्ष का बजट मिलना चाहिये । मान्यवर, वहां के किसानों की खेती की पैदावारी 1 मन, 2 मन या 3 मन का बीघा होती है । वहां के सभी किसान लखनऊ, मेरठ, बुलन्दशहर, दिल्ली आदि जिलों की तरफ मजदूरी करने को पलायन करते हैं, क्योंकि वहां पर गरीबी छाई हुई है । वहां की गरीबी को हटाने के लिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि यह वहां पर पानी दिलवाने की व्यवस्था करें, तभी वहां की गरीबी दूर हो सकती है । इसी के साथ मान्यवर, मैं विरोधी दल द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं, जयहिन्द ।

श्री दीपचन्द्र सोनकर—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, , मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान जनपद जौनपुर की तरफ आकर्षित करते हुये यह अनुरोध करता हूं कि जनपद जौनपुर में वर्ष 1981 तथा 1985 में इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई थी, उस वर्ष 1981 में उस वक्त इस प्रदेश में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे और तब मुख्यमंत्री जी ने जाकर मौके पर, वहां की बाढ़ विभीषिका को देखा था । उस समय वहां पर हालत यह थी, कि वहां के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था और खरीफ की फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी थी, मकान, पशु आदि बाढ़ में समागम हो गये । भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जौनपुर को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जायेगी, आज 5-6 साल का अरसा बीत चुका है लेकिन आज तक बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिये वहां पर कोई योजना नहीं बनाई गई है । माननीय मंत्री जी जब बजट पेश कर रहे थे तो सोच रहा था कि वह जौनपुर बाढ़ पर कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि उन्होंने जौनपुर के लिए कुछ नहीं कहा । मेरी मंत्री जी से मांग है कि वहां पर बाढ़ से सुरक्षा के लिये कोई बृहद् योजना क्रियान्वित की जाय, जिससे बाढ़ से करोड़ों की क्षति रोकी जा सके । मान्यवर, मैं अपने विधान क्षेत्र शाहगंज की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23 व 2 के अन्तर्गत आजमगढ़ से दो योजनायें चल रही हैं । भरौली माईनर का वर्ष 1978 में नहर की खुदाई हुई, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है, जिससे लोगों में बड़ा आक्रोश व्याप्त है । सिंचाई खण्ड-2 बबरवा माइनर पर साइफन का कार्य निर्माणाधीन है, उसमें 2-3 बच्चे मर गये हैं, इसे भी जल्दी पूरा कराने की कृपा करें । शारदा सहायक खण्ड-23 के अन्तर्गत तालगंज रजबाहा जो मेरे विधान क्षेत्र में इटौरी से क्यार को गुजरती है,

जिसमें मेरे क्षेत्र के पचासों गांव आते हैं, वहां के लोगों को इस नहर की पटरी के अलावा आने जाने का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन वर्ष 1985-86 के बजट भाषण के दौरान मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि उस नहर की पटरी पर सोलिंग व पीज करा दी जाय, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, जिससे वहां की जनता को आने जाने में काफी असुविधा तथा कालेज के बच्चों को भी सबसे ज्यादा असुविधा होती है, इसलिये मांग करता हूं कि इस पर अविलम्ब कार्य शुरू कराया जाय । शारदा सहायक खण्ड-36 मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पोरइकला ड्रेन के बारे में मैंने 1986-87 में बजट भाषण के माध्यम से मांग की थी कि लखीमपुर पर पुल हेतु धन आवंटन किया जब धन आवंटन के आज 2 वर्ष बीत गए हैं, कार्य नहीं पूरा हुआ । ए0 के0 वर्मा सहायक अभियन्ता व पी0 एन0 सिंह, सहायक अभियन्ता और उपाध्याय के धृष्टता व लापरवाही के कारण आज तक विकास का कार्य पूरा नहीं हो सका जिसे टी0 ए0 सी0 द्वारा इसकी जांच कराई जाय और धन आवंटित कर अन्य पुलों को शीघ्र बनाया जाय सलारपुर, शक्करपुर मदैनी आदि गांव केनाल कमान्ड में आ गये हैं, लेकिन माईनर के लिए जो प्रस्तावित स्थान है, आज तक वहां पर खुदाई नहीं हो सकी है, जिससे सिंचाई के लिए बहुत ही असुविधा हो रही है, इसलिए वहां पर धन आवंटित कर इसे अविलम्ब कराया जाय । शारदा सहायक समादेश के तहत पाराकनाल, लेदरही असहटा, रफीपुर, अरन्द सबरहद भारौली आदि गांवों में गूल नाले बनाये गये हैं, उनका न तो अभी तक किसानों को मुआवजा दिया गया है और जो नालियां भी बनाई गई हैं, वे टूट गई हैं, इन ग्रामों के किसानों को वसूली की नोटिसें दे दी गई हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि उनके लगान को माफ किया जाय और नोटिसें वापस ली जायं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री त्रिभुवन प्रसाद—

मान्यवर, आपने सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया इनके लिए मैं आपका आभारी हूं । कृषि के क्षेत्र में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्थान है । श्रीमन् मैं आपका ध्यान पूर्वी क्षेत्र में बहराईच जनपद की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर मात्र 410 ट्यूबवेल्स हैं, जबकि बनारस में 1305, इलाहाबाद में 1021, बस्ती में 872 व गोरखपुर में 823 हैं । इस प्रकार बहराइच जनपद का पूर्वी मण्डल में बारहवां स्थान है । यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे तो काश्तकार का उत्थान कैसे होगा । बहराईच जनपद हमेशा बाढ़ से प्रभावित होता है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी पूरे बहराईच जनपद का सर्वेक्षण करा लें और जहां पर नाले की जरूरत हो, वहां पर नाले बनाये जायें, बन्धे बनाये जायें । एक निश्चित योजना बनाई जाय ताकि बाढ़ की बिभीषिका से बचा जा सके । सरकार ने हरिजनों के आरक्षण की जो नीति बताई है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने अनदेखा कर दिया है । आज "क" श्रेणी में 894 पद हैं, 814 पद भरे गये हैं, उसमें से मात्र 37 पद अनुसूचित जाति के हैं इस प्रकार यह 4-5 परसेन्ट निकलता है, "ख" श्रेणी में 2975 पद हैं, 2245 भरे गये हैं, उसमें से मात्र 76 पद अनुसूचित जाति के हैं जो 3.47 परसेन्ट हैं, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम वह 6 महीने में हरिजनों के कोटे को पूरा कर दें ।

यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो आन्दोलन सरकार के खिलाफ करना होगा और सरकार को उसके परिणाम भुगतने होंगे । मैं सरयू परियोजना के लिए धन की मांग करता हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने माननीय द्विवेदी जी को बुला लिया है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

मैं इस विभाग में व्याप्त बेईमानी भ्रष्टाचार की कोई चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि सिंचाई विभाग की वह बुनियाद बन चुकी है और उस सन्दर्भ में मैं यह चाहता हूं कि सिंचन क्षमता का उपयोग और उसकी वृद्धि उन क्षेत्रों में पहले की जाय जिससे उत्पादकता अधिक बढ़ सके । मैं फर्रुखाबाद से आता हूं । वह ऐसा जनपद है जो उत्पादन में न केवल सफीसियेण्ट है अपितु दूसरे जनपदों के लिये भी चाहे आलू हो, गेंहू हो या तम्बाकू हो या अन्य फसल उनका सरप्लस उत्पादन करके प्रदेश की खाद्यान्न समस्या को हल करता है । विचारणीय बात यह है कि उसका एक विकास खण्ड राजेपुर ऐसा है, जहां सिंचाई की दृष्टि से कोई सुविधा नहीं है । वहां की भौगोलिक परिस्थिति के कारण नहरें बनायी नहीं जा सकती हैं । एक ही साधन है कि स्टेट ट्यूबवेल्स बनाये जायं । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के बाद 5 पंचवर्षीय योजनायें निकल गयीं, लेकिन राजेपुर विकास खण्ड में कोई भी नलकूप नहीं लगाया गया । जनता पार्टी सन् 1977 में आई, राजेपुर का सौभाग्य जाना, जब प्रथम बार परीक्षण के तौर पर वहां एक नलकूप लगाया गया, आज वहां के अधिशासी अभियन्ता ने ही स्वीकार किया है कि पूरे जनपद में अगर कहीं पर नलकूप सर्वाधिक सफल हैं तो राजेपुर में सफल हैं, लेकिन पूरे के पूरे राजेपुर क्षेत्र में 6 या 7 नलकूप से अधिक नहीं लगे हैं । इसीलिये मैंने 17 दिसम्बर को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलाहाबाद में मीटिंग की थी, उस समय भी जोर दिया था कि विश्व बैंक की ओर से नलकूपों का जो "क्लस्टर" हैं, राजेपुर विकास खण्ड के लिये स्वीकार किया जाय ।

दूसरा एक सुझाव और देना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण विभाग भी आता है । दुर्भाग्य है कि गंगा और रामगंगा की भीषण बाढ़ से फर्रुखाबाद का अहित होता है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण की वहां कोई कांस्ट्रक्शन डिवीजन नहीं है । उसके लिए अलीगढ़ देखना पड़ता है, एटा देखना पड़ता है । इस समय राजेपुर में बलापट्टी स्थान है, जहां कटाव हो रहा है और जो गंगा और रामगंगा कन्नौज में मिलती हैं, ऐसा न हो कि कटला झील के पास ही मिल जायं । गत वर्ष मैंने चिल्ला-चिल्लाकर कहा कि इनके अभियन्ता काम तब प्रारम्भ करते हैं जब बाढ़ आ जाती है । एक-दो—दस ट्रक मिट्टी डालकर कह देते हैं कि बाकी पानी में बह गई इसलिये मैंने कहा था कि कार्य जल्दी प्रारम्भ कराया जाये । जब तक बाढ़ नहीं आयी है उस समय तक यह कार्य पूरा करा दिया जाय, लेकिन हमसे कहा गया कि योजना स्वीकृत हो गयी है । जब मैंने इस बारे में छानबीन की तो पता चला कि अभी इस संबंध में टी0 ए0 सी0 की तो मीटिंग ही नहीं हुई है, इस कारण से यह अभी स्वीकृत नहीं हो पायी है, जब मीटिंग ही नहीं हुई तो योजना कहां से स्वीकृत होती ?

मान्यवर, पिछले 6 महीने से बाढ़ नियंत्रण की दिशा में प्रदेश के अन्दर कोई प्रगति नहीं हुई है और यह प्रगति इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि 6 महीने से टी0 ए0 सी0 कोई मीटिंग नहीं हो सकी है । बड़ी मुश्किल से अब पता चला है कि अब सम्भवत: कोई मीटिंग होने वाली है । तो इस मीटिंग में जब सुप्रिन्टेन्डिंग इंजीनियर की नियुक्ति हो जायेगी तब काम चालू होगा । और यह तब होगा जब नदियों में उफान आ जायेगा जब नदियों में उफान आ जायेगा तब इंजीनियर्स अपनी मनमानी करेंगे क्योंकि उन्हें अपने मन की करने का अवसर मिल जायेगा और चाहे एक ट्रक या दो-तीन ट्रक वहां डाले, कोई देखने वाला नहीं होगा । मान्यवर, खर्च करना बुरा नहीं है लेकिन जो खर्चा किया जाय वह रेजल्ट ओरियेन्टेड होना चाहिये ।

पलीपट्टी योजना में अब केवल 82 मीटर ही गंगा रह गयी है । मुख्य सड़क से । वहां पर गंगा और रामगंगा मिल गयी तो सारे कार्य पर पानी फिर जायेगा । करोड़ों रुपये की लागत का घटियाघाट पुल और रामगंगा पर करोड़ों रुपये की लागत का बिछ-पूरिया का भारी पुल ध्वस्त हो जायेगा । हमारा इलाका बार्डर से लगा हुआ है जिसके एक ओर ग्वालियर, भिंड, इटावा और फतेहगढ़ से लेकर बरेली पिथौरागढ़ और लीपूलेह की छावनियां हैं, जहां चीनी सेना के मुकाबले के लिए भारतीय सेना सामने खड़ी है । वहां तक पहुंचने के लिये जो राजमार्ग है, वह भी बेकार हो जायेगा ।साथ ही फर्रुखाबाद से बदायूं मुरादाबाद और चन्दौसी को जाने वाला मार्ग भी समाप्त हो जायेगा, क्योंकि यह गंगा नदी की धारा मुख्य मार्ग से मात्र 82 मीटर दूर रह गयी है, इसलिए तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दें ताकि वहां पर हो रहे कटान को रोका जाए ।

श्री भीखा राम—

मान्यवर, सिंचाई विभाग का बजट जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और विरोध पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह सिंचाई विभाग प्रदेश के जन मानस के लिये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । मान्यवर, इस वर्ष सारे प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा । परन्तु इस विभाग द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गये उससे सारे प्रदेश के किसानों की खेती-बाड़ी पर कोई असर पड़ने नहीं दिया । अब मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में शारदा कैनाल ब्रांच की आजमगढ़ ब्रांच की खण्ड 2, तथा खण्ड 23 नहरें हैं, हमारे क्षेत्र में तीन नदियां बहती हैं उसमें वेसो नदी की सफाई करना आवश्यक है और कई छोटे तालाब आदि भी हैं फिर भी हमारे वहां के किसानों को पूरी तरह से पानी नहीं पहुंच रहा है जिससे किसानों को बड़ी कठिनाई हो रही है । ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि विश्व बैंक की ओर जो ट्यूबवेल योजना लागू है वह हमारे क्षेत्र में भी लागू की जाए साथ ही मान्यवर. . . .व्यवधान ।

श्री उपाध्यक्ष—

भीखा राम जी बैठिए आपका समय समाप्त हो गया । कृपया शान्ति बनाए रखें ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

[x x x]

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

नहीं मान्यवर, मैं कई बार उठ-उठ कर बैठ चुका हूं और आप समय मुझे नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्यों उठ रहे हैं, जब मुझे बुलवाना होगा, तो स्वयं आपको बुलवा लूंगा । .....व्यवधान ।

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, आज 40 साल के बाद भी इस सरकार ने बाढ़ को नियंत्रित नहीं कर पायी है और न ही सूखे पर ही नियंत्रण कर पायी है । मान्यवर, एक देश इजराइल है, जहां पर न कोई नदी है और न कोई बर्फ का पहाड़ है, लेकिन फिर भी कुल बरसात का पानी पूरे देश में सिंचाई के लिये एकत्र कर लिया जाता है, पूरे साल भर के लिये एकत्र कर लिया जाता है, पीने के पानी की व्यवस्था कर ली जाती है । यहां के इन्जीनियर और टेक्नालाजी विफल हो गयी है, उनका न बाढ़ पर कन्ट्रोल है और न सूखे पर कन्ट्रोल है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आगरा अपर कैनाल का विस्तारीकरण करने के लिए इसकी क्षमता 2200 क्यूसेक से 4000 क्यूसेक की क्षमता बढ़ाने के लिए प्राविधान किया गया है और 1987-88 में इसके लिये 50 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । यह धनराशि बहुत ही कम है । अगर इसी प्रकार से रुपया दिया गया तो 21वीं शदी तक इसकी क्षमता नहीं बढ़ पायेगी ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोआबा के क्षेत्र में लगभग 46.24 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है और अगर इसी जमीन की पूरी सिंचाई का प्रबन्ध कर दिया जाये तो अकेले दोआबा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्ध करा सकता है, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 42 प्रतिशत सिंचाई होती थी, लेकिन आज उल्टे बढ़ने के बजाय सिंचाई की क्षमता घटी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश की सिंचाई की क्षमता बढ़ी है । आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में 70 प्रतिशत सिंचाई होती है । मैं कहना चाहता हूं कि मध्य गंगा कैनाल मांट ब्रांच से आगे यमुना नदी पर एक्वीडिट बनाकर अपर आगरा कैनाल में मिला दिया जाये, तो मथुरा में जो खारे पानी की समस्या समाप्त हो जायेगी । मान्यवर, छाता क्षेत्र में गन्ना व धान अधिक पैदा होता है, इसलिए इसको धान व गन्ने का क्षेत्र घोषित कर दिया जाये, तो किसानों को लाभ पहुंचे । इसके अलावा मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं मान्यवर, सहार रजबहा का सिवाल पर पुल टूटा है, नन्दगांव, शेरगढ़ सहार, कोसी, रजबहों की पटरी ठीक कराई जाये और इनको ठीक कराने के लिये अतिरिक्त धन दिया जाये । सिंचाई विभाग की अज्ञानता के कारण जल स्तर बिलकुल नीचे चला गया है । सभी नदियों पर 20—30 किलो मीटर बांध बनाये जायं और इन्होंने नदियों के प्रारम्भ में ही बांध बना दिए हैं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

सिंचाई विभाग पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री खान गुफरान जाहिदी—

सिंचाई का बहुत बड़ा विभाग है, इसलये मैं चाहता हूं कि आधा घन्टा का समय और बढ़ा दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव तो सवा सात बजे के लिये है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

यह तो था, लेकिन अभी बहुत से लोग बोलने के लिये रह गये हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, साढ़े सात बजे तक के लिये कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

सवा सात बजे का प्रस्ताव है और आप साढ़े सात बजे तक रहे हैं । जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा लें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

आज पूरी बहस हो जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, मैं 8 बजे तक के लिये बढ़ाये दे रहा हूं ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)...(क्रमागत)

*श्री पुरुषोत्तम लाल—

मान्यवर, आपने सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है, जो मानव समाज की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है । इस विभाग का सम्बन्ध जल से है और जल मानव समाज के लिए कितना महत्व रखता है । यह रहीम जी की पंक्तियों से स्पष्ट है—

रहिमन पानी राखिये, बिनु पानी सब सून ।
पानी गये न ऊबरे, मोती मानस चून ।।

सिंचाई विभाग ऐसा विभाग है जो पूरे प्रदेश की जल की समस्या, जो मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है, जल जीवन देने वाला होता है आज मनाव समाज सिंचाई विभाग का ऋणी है । आजादी के 40 साल के बाद इस विभाग ने काफी तरक्की की है और इसने हमें खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता दी है । निश्चित रूप से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ । मैं जनपद इलाहाबाद के सिराथू निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं । सिराथू गंगा और यमुना के दोआब में बसा हुआ है । सिराथू मुगलों के समय में भारत की राजधानी रहा है । आज वह क्षेत्र सिंचाई के मामले में उपेक्षित है । पूरे जनपद में केवल 65 राजकीय नलकूप हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां एक राइस चैनल लिफ्ट योजना प्रस्तावित है । मैं समझता हूं कि इसके लिये सिंचाई विभाग को ज्यादा खर्च भी नहीं करना है । केवल 1.2 किलोमीटर गंगा से पम्प करके नहर में मिलाकर जोड़ देना है । यह योजना वहां की खरीफ की और धान की फसल के लिये बहुत उपयोगी है । इस योजना में 3754 रुपये का खर्च आयेगा जब कि आपके ट्यूबवेल में 20 हजार से लेकर 25 हजार तक का खर्च आता है ..... (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया समाप्त करें ।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

मान्यवर, इस योजना से दुगना-तीगुना लाभ हो सकेगा । अतः इस लाभ देने वाली योजना को मैं चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी इसी बजट में ले लें । और इस राइस चैनल लिफ्ट योजना को क्रियान्वित कर दें ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें ।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

मैं आरक्षण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं...

श्री पुरुषोत्तम लाल—

यह पूरे प्रदेश का मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा । बैठ जायं ।

(श्री पुरुषोत्तमलाल बोलते रहे)

श्री पुरुषोत्तम लाल—

[× ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा, आप बोलते रहिये . . . . (व्यवधान)

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

[× ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

मैं माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय राम शरण दास जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो माननीय सदस्य किसी डिपार्टमेन्ट की कटौती पर बोल चुके हैं उनको पूरा टाइम मिल चुका है और जो कहीं नहीं बोले हैं उन्हें आपको टाइम देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कह रहा हूं कि आप दो-दो मिनट में अपने-अपने क्षेत्र की बात कह दें ।

श्री विजय सिंह राणा—

कोई सुझाव दे तो दो-चार मिनट लग सकते हैं । सुझाव 4-5 हो सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो आप अपनी लिस्ट बनाकर दे दें, उसके अनुसार ही बुलवा लूंगा ।

विजय सिंह राणा—

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले बारी साहब बोलेंगे । सबका नम्बर आ जायेगा ।

*श्री फजलुल बारी—

श्रीमन्, जहां तक सिंचाई विभाग का मसला है वह ऐसा है कि इसने भ्रष्टाचार की नहर तो बढ़ा दी लेकिन सिंचाई वाली नहर सूखी रखी . . . .

मान्यवर, मैं माननीय रामशरण दास द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । आपने केवल दो मिनट का समय दिया केवल दो सुझाव ही दे पायेंगे । बहुत समय से सुन रहा हूं कि सरजू नहर परियोजना शुरू की जा रही है लेकिन उसका बनना मुश्किल है । मुझे इत्तला मिली है कि उस नदी पर नैपाल गवर्नमेन्ट वर्ल्ड बैंक की सहायता से 350 मिलियन डालर की सहायता से एक प्रोजेक्ट बना रहा है । जब वह प्रोजेक्ट बन जायेगा तो हमारे यहां पानी आना बन्द हो जायेगा और अगर आयेगा भी तो वह पुरा नहीं होगा । तो उसकी वजह क्या है कि हमारे यहां भ्रष्ट अधिकारियों ने परियोजना बनाई और बगैर इन्टरनेशन एग्रीमेन्ट के काम शुरू कर दिया । जब नैपाल में यह

[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रोजेक्ट बन जायेगा तो हमारे यहां पानी नहीं आयेगा । हम मान लेते हैं कि पानी आयेगा । तो उस संबंध में बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया उसमें एक बात सामने आई कि जब सिंचाई ज्यादा होगी तो उससे वाटर लेबुल ऊंचा हो जायेगा और सेलेटी डेवलप हो जायेगा और जमीन ऊसर हो जायेगा । उसके लिये फिर डीप बोरिंग ट्यूबवेल बनाये जायेंगे । तब पानी को निकाल कर वाटर टेबुल को नीचा किया जायेगा और उसके लिये ट्यूबवेल लगाये जायेंगे । मेरा सुझाव है कि बाद में ट्यूबवेल बनाने से पहले ही आप उनको बना दें फिर नहरें बनें ।

गोण्डा में एक मि0 सिद्दीकी असिस्टेन्ट इन्जीनियर हैं वह इस समय वहां शराब की नहरें बहा रहे हैं और आप पानी की नहरें बनाना चाहते हैं ।

आखिर में मैं एक बात कहूंगा हमें आजाद हुये 40 साल हो गये लेकिन हम बाढ़ और सूखे पर कन्ट्रोल नहीं कर पाये हैं । आपको चीन से सबक लेना चाहिए । चीन ने पुरी हांगहो नदी को कब्जे में कर लिया है और उससे बाढ़ और सूखे को रोक दिया है । वहां यह सब इसलिये हुआ है कि वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है । हमारे यहां तो भ्रष्टाचार के सिवाय और कोई काम नहीं है सारा बोफोर्स सिंचाई में है । इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि आप देश को बर्बाद कर रहे हैं ऐसा न करें और गद्दी छोड़ें और हमें उधर आने दें हम वहां आकर अच्छा काम कर सकें । हम सूखे और बाढ़ में राहत पहुंचा देंगे ।

श्री राम चन्द्र शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मेरा क्षेत्र गंगा और गड़ई नदी से घिरा हुआ है गंगा नदी के कटान से वहां कई गांव विलीन हो गये हैं । गंगा नदी के कटान से कुण्डाकला, कुण्डा खुर्द, सुलतानीपुर, हमजापुर भवई आदि गांव कट गये हैं । इनके कटान से जिसमें कुण्डाकला, सुलतानपुर, हमजापुर गंगा नदी में विलीन हो गये हैं और वहां की कृषि योग्य भूमि बराबर कटती जा रही है । इसे रोका जाय । गड़ई नदी में अहरौरा बांध का पानी छोड़ा जाता है जिससे बरसात के पानी से और बांध के पानी से भयंकर बाढ़ वहां आ जाती है जिससे हजारों मकान गिर जाते हैं और इससे कुछ भाग मिर्जापुर का और बनारस जनपद की चंदौली तहसील बरबाद हो जाती है । इस ओर तत्काल ध्यान दिया जाय ।

हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुण्डा कला पम्प कैनाल है जो साढ़े 7 क्यूसेक की है । उसे रिवाइज करने के लिए मैंने कई बार रिवाइज्ड इस्टीमेट बना कर शासन को भेजे हैं लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी उसमें आब्जेक्शन लगाकर वापस कर देते हैं । इस समय उस फाइल का पता नहीं कहां है माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहां पर बैठे हैं इनको पता है मैंने कई बार जब यह सिंचाई मंत्री थे दिया था, आज तक उसमें काम नहीं हुआ है । इस पम्प कैनाल से लगभग 3 हजार एकड़ में सिंचाई की जा सकती है । मेरी मांग है कि बरसात में इसे 20 क्यूसेक पम्प कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम चन्द्र शर्मा—

माननीय सिंचाई मंत्री मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं . . . . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ । अब मा0 सुखपाल पांडे ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं । (व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मुझे बोलने का समय दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको मैंने अभी देखा है । मैंने सुखपाल पांडे को बुला लिया है ।

श्री राम चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, धूस नोनार ड्रेन, गौरी ड्रेन, चन्दरखा ड्रेन, रमदा ताल ड्रेन और सरने ड्रेन का काम शीघ्रातिशीघ्र पूरा करा दिया जाये, यह मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में लगभग 10 ट्यूबवेलों की आवश्यकता है, कृपाकर तत्काल वहां ट्यूबवेल देने की मंत्री जी महती कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब शर्मा जी आप बैठ जायं ।

*श्री सुखपाल पांडे—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि बहुत समय बाद आपकी नजर हमारे ऊपर गयी । मान्यवर, सिंचाई विभाग के प्रस्तुत बजट पर कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सिंचाई विभाग के बजट पर अपनी समस्याएं रखने का आपने मुझे अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान बस्ती जिले के सिंचाई विभाग की तरफ आकर्षित करते हुए अपने जिले की कुछ समस्याएं रखना चाहता हूं । हमारे जिले में ट्यूबवेलों की संख्या 812 है और इनमें नालियों की हालत बहुत ही जीर्णशीर्ण है । पहले से जो ट्यूबवेल बने थे उनकी हालत यह है कि उनका जो पानी का अनुपात है वह घट गया है और नालियां पूरी नहीं हैं । मान्यवर, 812 ट्यूबवेलों में 400 आपरेटर नहीं हैं । मंत्री जी कहेंगे कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है । मंत्री जी पानी का नारा देते हैं सूखा पड़ने पर और मैं यह भी सदन में बताना चाहता हूं कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सिंचाई मंत्री जी हैं जो हमेशा वहां आते रहते हैं और वहां की समस्यायें देखते रहते हैं, उनसे मैं क्या कहूं चूंकि यह तो लावारिस हैं, इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इनके बड़े अधिकारी मुख्य मंत्री जी हैं जो इनको हमेशा ऐसी दृष्टि से देखते हैं जिसके बारे में मैं आपसे क्या कहूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, बस्ती जिले में जो सिंचाई विभाग का गण्डक का 15वां दफ्तर है वह गोरखपुर में है जिससे सिंचाई विभाग से मतलब नहीं है, उस दफ्तर को बस्ती जिले में लाने के सम्बन्ध में डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ और कलेक्टर, बस्ती ने लिखा लेकिन उस पर कुछ नहीं कार्यवाही की गयी । सचिव पत्रावली लेकर दौड़ते रहे कि दफ्तर का ट्रांसफर कर दिया जाये लेकिन कुछ नहीं हुआ । ऐसा इसलिए हुआ कि गोरखपुर में जो भ्रष्टाचार का गढ़ बना है, कुनबापरस्त लोग ठेकेदारी करते हैं उससे बस्ती में भण्डाफोड़ हो जायेगा ।

मान्यवर, एक निवेदन और है कि घाघरा की कटान हमारे यहां ऐसी समस्या है कि हर साल ठोकर बह जाती है और जितना पैसा स्वीकृत होता है वह पूरा नहीं लगता है चूंकि अधिकारी खा जाते हैं, इस पर ध्यान दिया जाये और बानेपुर में जहां दो ठोकर बनना गत वर्ष पी0 ए0 सी0 से पास हुआ था लेकिन अधिकारीगण वहां से ठोकरें हटवा रहे हैं क्योंकि वहां ठोकरें बनेंगी तो भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो जायेगा, इसलिये इन ठोकरों को दूसरे क्षेत्र में ले जा रहे हैं । 58 इन्जीनियर्स ऐसे हैं जो सहायक अभियन्ता पद पर कार्यरत हैं और उनको अधिशासी अभियन्ता बनाया गया है । इसलिए वह भ्रष्टाचार कर लाखों लाख रुपया कमाते हैं । वह कहते हैं कि हम 10 लाख रुपया भ्रष्टाचार का ऊपर देते हैं, इसलिए मेरे स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति नहीं हो सकती है । मैं यह नहीं कहता कि वह यहां पर मुख्य मंत्री को देते होंगे, लेकिन वह अवश्य ऊंचे पद वाले को देते होंगे । तभी तो मनमानी करते हैं और वहां जमे हुए हैं । मैंने इस संबंध में लिखकर सेक्रेटरी को और मंत्री जी को दिया था कि यह भ्रष्ट अधिकारी 10 लाख रुपया किसको देते हैं जिसके स्थान पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं । वहां पर डिवीजन-4 के कोई गुप्ता जी हैं और एक श्री के0 डी0 सिंह हैं जिन्होंने कहा है कि मेरे स्थान पर कोई नियुक्तियां नहीं होंगी और उनके नाम का प्रस्ताव . . . (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जाएं । आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप बैठें ।

(शोर)

श्री सुखपाल पांडे—

उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और ऐसे भ्रष्टाचारी का भण्डाफोड़ करने के लिए मुख्य मंत्री जी सख्ती करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

पाण्डे जी, अब आप समाप्त करें, मेरे बार-बार रोकने के बावजूद आप बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सिंचाई बजट का समर्थन करता हूं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र विकास खंड नेवादा, तहसील चायल, जनपद इलाहाबाद में तिल्हापुर लिफ्ट योजना का सर्वे हो चुका है, वह प्रस्तावित है, किन्तु धनाभाव के कारण उस पर कार्य नहीं हो रहा है । आपके माध्यम से . . .

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) ।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पर तुरन्त कार्य शुरू किया जाए ताकि किशुनपुर नहर में टेल तक पानी पहुंच सके ।

विकासखण्ड मूरतगंज के ग्राम महगांव में एक नाला प्रस्तावित है, जिसका सर्वे हो चुका है । इसका पांच लाख रुपये का इस्टीमेट बना है, इस पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाए । इसके अन्तर्गत नेवादा ब्लाक के अन्तर्गत उमरवल गांव कैनाल का धन जो स्वीकृत है, इस पर कार्य तुरन्त कराया जाए ।

किशुनपुर पम्प नहर समय से तैयार होने में सरकार का पूर्ण योगदान समयानुसार होना चाहिए । अभी मुझे सूचना मिली है कि अभियन्ताओं ने जानकारी दी है कि धन के अभाव के कारण कार्य रुका हुआ है, अतः समय पर धन उपलब्ध कराकर समय पर कार्य पूर्ण कराया जाए ।

विकास खण्ड नेवादा तथा मूरतगंज में आने वाले गांव, जो गंगा और यमुना के किनारे हैं, वहां पर सूखा पड़ा हुआ है । सिंचन व्यवस्था वहां पर बिल्कुल नहीं है । मान्यवर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मांग करता हूं कि कृपया विश्व बैंक के नलकूप का वहां पर नया क्लस्टर दिया जाए ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 30 परसेन्ट इस समय नलकूप खराब पड़े हैं, जिसमें 80 प्रतिशत नलकूपों के स्टार्टर नहीं हैं तथा नाली और गूल मरम्मत की भी आवश्यकता है । वह सभी कार्य कराये जायं ।

मान्यवर, मेरे जनपद में सरकारी एवं विश्व बैंक के नलकूपों के आपरेटरों की नियुक्तियों में बड़ी धांधली हुई है । इसलिए कृपया इसका मानक बनाकर सही तरीके से आपरेटरों की नियुक्तियां की जाएं ।

इसके साथ-साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र विकास खण्ड चायल, मूरतगंज एवं नेवादा में माननीय कृषि मंत्री जी के प्रयास से फल पट्टी घोषित की गई है, किन्तु वहां पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है । फल पट्टी को ध्यान में रखते हुए इन ब्लाकों में सिंचाई की पूरी व्यवस्था की जाए । अन्त में मैं मंत्री जी के बजट का पुनः समर्थन करते हुए श्री रामशरण दास जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पूरी उम्मीद रखें, जितना समय आपका है, वह आपको मिलेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, कटौती का प्रस्ताव इधर से रामशरण दास जी ने रखा है तब वह कमला साहनी जी उधर पीछे बैठी थीं, और जब उनको इधर बुलाया गया तो वह इधर आ गईं । सीधे कहा जाए तो वह पीछे से नहीं सामने से आ जाएं । (व्यवधान)

श्रीमती कमला साहनी—

भाई के प्रति मोहब्बत तो रहती ही है । इनके सामने बैठ गई तो क्या हर्ज है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मोहब्बत के बिना तो दुनियां नहीं चलती ।

(समय 7 बजे अपरान्ह)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, जो मंत्री जी झूठे आंकड़े रखकर अभी बोल रहे थे उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि—

"नक्शों को न जांचों, मौके पे जाकर देखो
क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है ।"

मान्यवर, मेरे जनपद सीतापुर में सीपेज का इलाका है उसके संबंध में इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि हर वर्ष सीतापुर 10 करोड़ रुपया शारदा सहायक को सीपेज को दूर करने के लिए, लाइनिंग पर खर्च किया जाएगा । मान्यवर, जो वर्ष बीत गया है उसमें पूरा रुपया नहीं मिला और इस वर्ष एक साजिश के तौर पर जितने लोकल लोगों को काम दिया गया था एग्रीमेन्ट कर दिया गया था लेकिन एक साजिश के तौर पर बड़ी कम्पनी एम0 सी0 सी0 प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर में है उसको मान्यवर, दो करोड़ का ठेका दिया गया, लाखों रुपया निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु लिया गया । मुख्य मंत्री जी के बार-बार लिखने के बाद भी छोटे-छोटे टुकड़े नहीं किये गये । कम्पनी के लोग कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी से घनिष्ठ संबंध है । इस साल फिर साजिश की जा रही है । 70 करोड़ का ठेका एक कम्पनी को देकर उनसे काम कराने का प्रयास किया जा रहा है । दूसरी बात यह है कि पिछली बार लाइनिंग हुई थी उसमें शिकायतों के आधार पर जांच कराई गई खराब काम भी पाए, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है मामले को दबा दिया गया । मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में सूखा पड़ गया । इसमें सबसे ज्यादा कार्य सिंचाई विभाग को करना था लेकिन शासन नीति के अनुसार कोई सलाहकार मीटिंग सीतापुर जनपद में नहीं बुलाई गई अनेक बार लिखने के बाद एक वर्ष में एक मीटिंग हुई है जबकि सूखा पड़ा है । मान्यवर, 80 प्रतिशत ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं । लिफ्ट इरीगेशन बन्द पड़ी है इसको कायम रखने के लिए फर्जी आंकड़े भेज दिये जाते हैं, जिससे विभाग न खत्म हो जाये । कागजों पर फर्जी आंकड़े दर्शाये जाते हैं और उन्हीं को पढ़-पढ़कर सुना दिया जाता है ।

मान्यवर, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । लिफ्ट इरीगेशन है इसको समाप्त कराकर सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था करा दी जाए । सफाई नहरों की जो होती है वह ज्यादातर फर्जी दिखाई जाती है अगर कहीं सफाई होती भी है तो दाहिनी तरफ और बायीं तरफ 500 किलोमीटर तक जहां तक केवल निगाह जाती है सफाई कर दी जाती है । टेल तक पानी नहीं पहुंचता है । यह कागजों में दिखाते हैं लेकिन कार्य नहीं होता है, जिससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है, 2 वर्ष पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसके आधार पर 20 करोड़ की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि

घोषणा के आधार पर लाइनिंग का पूरा कार्य हो सके । मान्यवर, सीतापुर के नाम से रुपया दिया जाता है लेकिन लखनऊ के आस-पास और लखीमपुर के आस-पास काम लगा दिया जाता है । यह इसलिए किया जाता है ताकि बड़े ठेकेदार जो हैं उनके द्वारा उनके निजी स्वार्थों की पूर्ति हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

अंसारी जी अब आप बैठें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, इस बार अधिशासी अभियन्ता, लखीमपुर द्वारा सीतापुर में ड्रेनों की कोई योजना नहीं भेजी गई है । जो ड्रेनें बनायी गयी हैं उसके रख-रखाव की धन व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से पानी का जमाव होता है पानी की निकासी नहीं हो पाती है, लिहाजा वहां पानी निकास की व्यवस्था कराई जाये और पुलियों का निर्माण कराया जाये । इसके कारण गांववासी अपने खेतों पर नहीं जा पाते हैं ।

श्री अवधेश राय शास्त्री—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं सिंचाई विभाग पर रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव आपके माध्यम से रखना चाहता हूं । मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जो स्वप्न था कि हर खेत का पानी दिया जायगा । आजादी के 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है । शेरपुर हमारा गृह गांव है वहां पर आजादी की लड़ाई में 11 लोग शहीद हुए थे । आज भी वहां 99 परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हैं । वहां पर 11 हजार एकड़ जमीन ऐसी है जहां आज भी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर गहमर एक गांव है जिसका 3/4 शेरपुर की तरफ पड़ता है वहां की 5.5 हजार एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है । 30 दिसम्बर, 1986 को गाजीपुर के अधिशासी अभियन्ता ने सिंचाई के संबंध में सर्वे किया था और कहा था कि 6 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई की जरूरत है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि अब तक एक भी ट्यूबवेल वहां पर नहीं लग पाया है । इसके साथ ही साथ आपसे आग्रह है कि 25-10-1987 को मुख्य मंत्री जी ने भी आदेश दिया कि वहां पर ट्यूबवेल लगाये जायं लेकिन नहीं लगाये गये । मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले की सिंचाई व्यवस्था गड़बड़-सड़बड़ चल रही है इसको ठीक कराया जाय क्योंकि अधिकारीगण जो रिपोर्ट देते हैं वह बड़ी भ्रामक होती हैं । जैसे कि इस पुस्तिका में बताया गया है कि हमारे जनपद में 718 ट्यूबवेल चालित हैं जिसमें से 83 परित्याग हैं एवं मौके पर इतने ट्यूबवेल चालित बताये गये हैं जो उचित नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री अवधेश राय शास्त्री—

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मित्र सेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका मैं आभारी हूं जो आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं 2-3 सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि भाषण देने का समय नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हमारे जनपद फैजाबाद में टांडा क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं इसलिए वहां पर स्टेट सेक्टर से 15 ट्यूबवेल दिये गये। चन्द दिन चुनाव के पहले 15 ट्यूबवेल स्टेट सेक्टर से दिये गये हैं। मात्र चुनाव को जीतने के लिए यह सब किया जा रहा है। जबकि इन्जीनियर ने कहा है कि हमारे यहां इतनी जगह नहीं है इनको कहां पर लगायें। तो यही आपकी नीति है।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 3 डीप ड्रिलिंग मशीनें हैं जिसमें से तीनों मशीनें जबसे उत्तर प्रदेश में आयी हैं अमेठी क्षेत्र में ही हैं किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में उनको नहीं भेजा गया है। मैं चाहूंगा कि प्रदेश में जो दूसरी जगहों पर डीप बोरिंग होनी हैं उनको वहां पर भी भेजा जाय। हमारे यहां फैजाबाद में धाड़वल और दवगांव न्याय पंचायत में 11 गांव आते हैं वहां पर ट्यूबवेल लगाने के लिए डीप ड्रिलिंग मशीन बाहर से मंगायी गयी है जबकि मशीन अपने प्रदेश में अमेठी में उपलब्ध है। मान्यवर, 27/28 नवम्बर, 1984 को एक फैसला तकनीकी सलाहकार समिति ने किया कि हमारे क्षेत्र में पूरे लाल खां, करमपुर तथा बोड़ियान में नदी से कटान होती है जिसके लिए ठोकर बनायी जाय जिसके लिए 14 लाख 11 हजार रुपये सैंक्शन हुये। सैंक्शन हुए इतने दिन बीत गये हैं लेकिन आज तक रुपया नहीं भेजा गया है। वह गांव कटने के कगार पर आ गये हैं। मान्यवर, इनके विभाग में 300 अधिशासी अभियन्ता ऐसे हैं जिनकी पदोन्नति होनी चाहिए लेकिन दूसरे विभाग के लोग पदोन्नति पा गये हैं और इनके यहां लोग 11-14 साल से लोगों की पदोन्नति नहीं हुई है। पूरे विभाग में क और ख वर्ग में जितना आरक्षण का कोटा है, वह 4 प्रतिशत से अभी आगे नहीं बढ़ पाया। अधीक्षण अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं, उनकी प्रोन्नति नहीं हुई है और 300 अधिशासी अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं, 13-13, 14-14 वर्ष से सहायक अभियन्ताओं को प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है। अधिशासी अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं, इनकी प्रोन्नति नहीं की जा रही है। बाराबंकी जनपद में शारदा सहायक पोषक नहर का पश्चिम का क्षेत्र सीतापुर डिवीजन से नियंत्रित होता है। अब बाराबंकी के लोगों को सीतापुर जाना पड़ता है, इससे बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए यह डिवीजन बाराबंकी में खोला जाय। शारदा पोषक नहर में ठीक किनारे जनपद लखनऊ के गुग्गौर समेत 10 गांव डल्लू खेड़ा समेत 15 गांव 10 हजार एकड़ भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित हैं। अधिशासी अभियन्ता ने सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अधीक्षण अभियन्ता ने अनुमोदन कर दिया है, लेकिन मुख्य अभियन्ता के स्तर पर लम्बित है। शारदा सहायक नहर के पूर्व बाराबंकी जनपद में कल्याणी नदी दीवार बनाकर खड़ी है, इसका अभी तक कोई हल न किये जाने के कारण बाराबंकी की 50 हजार एकड़ जमीन बाढ़ में प्रभावित हुआ करती है। 15 नलकूप स्टेट सेक्टर से फैजाबाद—टांडा कांस्टीटुयेंसी के लिए आवंटित किया गया है। चूंकि वहां चुनाव होने वाला है, लेकिन टांडा पूरे इलाके का नहरीकरण हो चुका है, इसलिए वहां नलकूप लगाने के लिए जगह नहीं है, फिर भी नलकूप आवंटित किये गये हैं, जबकि फैजाबाद जनपद को किसी वर्ष इनके राज्य में पूरे जनपद को इतने नलकूप कभी नहीं आवंटित किये गये हैं। मेरा सुझाव है कि इसे पूरे जिले के विधान सभाई क्षेत्र के आधार पर आवंटित कर दिया जाय।

श्री फूल सिंह सांवाई—

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, पानी जितना जीवन के लिए जरूरी है, उतना ही खेतों और उद्योगों के लिए जरूरी है । यह प्रदेश हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है । इसकी सिंचाई के लिए सिंचाई विभाग ने नहरों का जाल बिछाया है । वृहद् योजना, मध्यम योजना और अल्प सिंचाई योजना चलाकर सिंचन क्षमता हमारी सरकार ने बढ़ाई है । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का और अधिकारियों तथा कर्मचारियों का आभार प्रकट करता हूं । जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, मेरे जिले में हिन्डन कृष्णा एक पम्प नहर का निर्माण हो रहा है, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसका निर्माण जल्द से जल्द किया जाय, ताकि वहां साढ़े 8 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सके और किसानों का भला हो सके । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में बरला, तजलहेड़ा, छपार, रामपुर, अरनाच, पिपलशा, छपार कासमपुर तथा चरथावल के बीच की भूमि में सिंचाई का साधन नहीं है । यहां सरकारी ट्यूबवेल लगा दिये जायं ।

मेरे क्षेत्र के गांव सिसौना में रावड़े में टक्कर थी, जो हटा दी गयी, जिसके कारण कृषकों को पानी नहीं मिलता, वह टक्कर दुबारा लगा दी जाय । बिर्जापुरा, रावजहा से रडू गांव टेल पर होने के कारण पानी नहीं मिलता, किसानों से आबपासी ली जाती है, इसकी खुदाई करके उन्हें पानी दिया जाय या उनसे आबपासी लेना बन्द किया जाय । लौहारी राजवाहे में चरथावल के किसानों को पानी देने के लिए टक्कर लगाना जरूरी है, उसे लगा दिया जाय । जमुना नहर के कल्लरपुर स्केप जो बिरालसी गांव के बीच में होकर जाता है, पर पुल टूट गया है, गांवों को खतरा है, वह पुल बना दिया जाय । मान्यवर, राजबहा खिदंडया रख-रखाव न होने के कारण टूट गया, किसानों के खेत बरबाद हो गये और उन्हीं पर तावान लगा दिया गया, तो उसकी मरम्मत की जाय और तावान माफ किया जाय । मान्यवर, नहरों की खुदाई और रख-रखाव किसानों के हित में ठीक प्रकार से लिया जाय और रखरखाव न होने से जो राजवाहे टूट करके पानी खेतों में चला जाता है, उसका तावान किसानों पर न लगाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, इस विभाग का संबंध गोरखपुर से है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री गोरखपुर से शुरू होती है । यह पूरा विभाग भ्रष्टाचार से ही डूबा हुआ है । मैं केवल 2-3 सुझाव और 2-3 शिकायतें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जब मंत्रिमंडलीय परिषद् की बैठक गोरखपुर में हुई थी तो मैंने आरोप लगाया था कि करीब 50 लाख रुपये का भ्रष्टाचार वाराणसी से छितौनी पत्थर ले जाने के संबंध में गत 2 वर्षों में किया गया है । छितौनी रेल हेड है लेकिन पत्थर कप्तान गंज पहुंचाकर ट्रक द्वारा छितौनी दिखाया गया है । वास्तविकता यह है कि पत्थर गिरा ही नहीं है, यह टोटल भुगतान फर्जी है । मैं चुनौती देना चाहता हूं कि इसके लिए जांच करायें और यदि आरोप सही न पाये जायं तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं । मान्यवर, इसी प्रकार का आरोप सन् 76 में इमरजेंसी से पहले मैंने वाई0एन0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता पर लगाया था तो मेरी बात नहीं मानी गयी लेकिन बाद में जब जांच में साबित हुआ तो वह प्रदेश का पहला अधिकारी था जिसको मीसा में बन्द किया गया था ।

मान्यवर, गोरखपुर ट्यूबवेल डिवीजन में 50 लाख का भ्रष्टाचार है उसमें फर्जी भुगतान दिखलाया गया है । मेरी मांग है कि समस्त अभिलेखों को जब्त कर पूरे मामले की जांच कराई जाय । मैं साक्ष्य देने को तैयार हूं । मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र और माननीय मुख्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र को जोड़ने वाला चन्दन चाफी रसूलपुर अंधिया जोड़ने वाले पुलों को बनाने का आदेश माननीय मुख्य मंत्री ने वर्षों पहले किया था । उस पर उनके कहने के बावजूद भी पुल नहीं बना है । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन गोरखपुर में क्यों नहीं हो रहा है । इसी प्रकार से भटकोवा ड्रेन पर भुवना गांव के पास पुल बनवाने का आदेश का पालन नहीं हुआ है । मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव अमोढ़ा, भखलिया, कुकरभिड़ा के बीच अधूरे ड्रेन की खुदाई अभी तक पूरी नहीं हुई है जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन डूब जाती है । मैं चाहूंगा कि बरसात के पहले इसकी खुदाई कर ली जाय । मान्यवर, हमारे अपने गांव कुकरभिंडा के पास एक ड्रेन प्रस्तावित है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है । इस गांव की चकबन्दी भी हो गयी है अगर इसकी खुदाई की गयी तो लोग भूमिहीन हो जायेंगे । मेरी मांग है कि इसकी खुदाई रोक दी जाय । इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विभाग की सफलता बहुत ही अच्छी रही है और नहरों ने सूखे के दौरान पूरी क्षमता के साथ जल उपलब्ध कराया है । मैं अपने जनपद के बारे में कह सकता हूं कि व्यापक सूखे का असर नहरों में पानी की उपलब्धता से नहीं रहा । इसके लिए हमारे अधिकारी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, मैं 1948 के दिनों की याद दिलाना चाहता हूं जब खाद्यान्न की इतनी सख्त जरूरत थी, यही नहीं दुनिया के लोग कहते थे कि भारत वर्ष खाद्यान्न में सफल हो जाय, आत्मनिर्भर हो जाय तो एशिया में सबसे बड़ी सफलता होगी । अभी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के प्रेसीडेन्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हुए कहा था "इक्सप्लासेन ईज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया" । इक्सप्लासिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है । कहने का मतलब है कि भारतवर्ष ने पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है खाद्यान्न में ।

मान्यवर, यही नहीं सारे भारतवर्ष में और हमारे प्रदेश में नहरों का जाल बिछा हुआ है और नहरों के माध्यम से सिंचाई क्षमता इतनी अधिक बढ़ी है कि खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो गये हैं । इसी के साथ-साथ मेजर इरीगेशन, मिडियम इरीगेशन और माइनर इरीगेशन के माध्यम से तथा प्राइवेट नलकूपों के द्वारा लघु सिंचाई के माध्यम से, लिफ्ट कैनाल से, परिसियन व्हील के तरीके से सिंचाई की व्यवस्था की गयी है । श्रीमन्, इसमें संदेह नहीं है कि बहुत सा एरिया अभी सिंचित नहीं है लेकिन कोशिश की जा रही है कि सारा का सारा एरिया सिंचित हो जाय और सब को पानी मिले । माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो घाघरा पर, सरजू पर, यमुना पर और गंगा पर बांध बनाने की योजना है उसको जल्दी पूरा किया जाय । इससे बाढ़ की विभीषिका दूर होगी और जो पानी की कमी है, वह भी दूर हो जायेगी । बेहतर नहरें होंगी, बेहतर ड्रेनेज होगी और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी । मान्यवर, हमारे यहां ग्राउन्ड वाटर का बड़ा महत्व है इसके लिये प्रदेश में एक ग्राउन्ड वाटर संस्थान कायम है जो 50 जिलों में काम कर रहा है । आगे आने वाले दिनों में भारतवर्ष का कोई खेत और इस प्रदेश का कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खेत नहीं बचेगा जहां सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं हो जायेगी । मैं चाहता हूं कि इसमें सहयोग की जरूरत है । आइये हम सब लोग सहयोग करें और अपने देश को आगे बढ़ाकर खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनावें और सन् 2000 तक इस लक्ष्य को पूरा करें ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मा0 लाल प्रताप सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं । पुराने सदस्य हैं । मैं जानना चाहता हूं कि लघु सिंचाई क्षेत्र सिंचाई के क्षेत्रफल में आता है । यह बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भी बोलेंगे तो समय और बढ़ जायगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राम शरण दास जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर उत्तम खेती के लिये, कृषि के लिये उत्तम सिंचाई का होना आवश्यक है । इस विभाग के भ्रष्टाचार को सभी जानते हैं । मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में देश की आजादी के 40 सालों के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो क्षेत्रफल था, वह घटा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़कर 72 परसेन्ट हो गया है । मान्यवर, यह लोग जो सिंचाई के आंकड़े सदन में रखते हैं, वह फर्जी हैं । ये उसमें 4 तरह से घपला करते हैं । सबसे पहले शामिल बरहा है जिसमें किसान अपने निजी ट्यूबवेल से नहर की नाली से पानी लेकर सिंचाई करते हैं, लेकिन उसको रजबहा द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में दिखाते हैं । इसके अलावा दुफसला होती है जिसमें एक ही खेत में एक साथ खड़ी हुई दो फसलों जैसे चना गेहूं आदि को, दोनों में अलग-अलग सिंचाई दिखाते हैं और सिंचाई का रकबा बढ़ा देते हैं । यह अनुचित है । तीसरी पलेवा में जिन्स बदल कर जो सिंचाई होती है, उसे अलग-अलग दिखा देते हैं, जो गलत है । स्थिति यह है कि पलेवा में 15 रुपये, गेहूं में 60 रुपये और सरसों की 14 रुपये सिंचाई की दर है । इसमें गेहूं की फसल को सरसों या पलेवा में दिखाकर भ्रष्टाचार करते हैं । इसलिये सुझाव देना चाहूंगा कि इस तरह से किसानों की लुटाई न हो ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में खतौली स्कीम नाम से एक योजना वर्ल्ड बैंक ने चलाई है । जिसमें लाखों रुपये का घोटाला है । मा0 मंत्री जी इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करा लें । इसी के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चोगम्मा नहर परियोजना मुख्य परियोजना है । उसमें यमुना नहर से पानी देना चाहते हैं, जबकि यमुना में पानी नहीं है । हेड जो पुराने जमाने का है, उसका आधुनिकीकरण आज तक नहीं किया गया है । उसका आधुनिकीकरण किया जाय । चोगम्मा नहर के लिए राजबहा भोराकलां को चौड़ा करके साख लोई में मिलाया जाय तथा इसमें ऊपर में कल्लरपुर से गंगा नहर में पानी डाला जाय और इसमें से एक माइनर मुडभर ग्राम की ओर तथा एक माइनर मोमनपुर गढ़ी की नवाबाद की ओर निकाली जाय । साख देवबन्द में उसकी पूर्ण क्षमता से कम पानी आ रहा है जिसका मुख्य कारण एक पुल का खराब होना है । इसको किसानों के हित में बनाया जाय । इसी प्रकार से चनसीना को बढ़ाकर इन्फोली माइनर निकाली जाय ।

मान्यवर, हमारे जनपद में नदियों का लंबित घटता जा रहा है । यह हमारे क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उपज वाला क्षेत्र है, वहां पर वाटर लेबिल को उठाने के

लिये युद्ध स्तर पर कार्य किया जाय नहीं तो 10 साल में वहां पर रेगिस्तान की स्थिति हो जायगी । मेरा सुझाव है कि हिन्डन व कृष्णा में एक-एक किलोमीटर पर पत्थर डाल-कर ठोकर बनाई जाय ताकि वाटर लेबिल अच्छा हो सके । मान्यवर, हमारे यहां किसानों से फर्जी आबपासी वसूल की जाती है, रजबहा में पानी नहीं भेज रहे हैं । किसानों की फसल बर्बाद हो रही है लेकिन उनसे फर्जी तावान वसूल कर रहे हैं । वहां के रजबहा की पटरी को पक्का बनाया जाय और टेलों में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की हो । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक की योजना के तहत प्रत्येक विकास खण्ड में 6 ट्यूबवेल के दो-दो क्लस्टर लगाये जायं ताकि सिंचाई की समस्या का समाधान हो सके । इसके अलावा साख देवबन्द में कुलाबा नम्बर 198 से आगे पड़ते किसी भी कुलाबे में पानी नहीं निकल रहा है उसका कारण यह है कि वहां पर रजबहा ज्यादा गहरे हो गये हैं, उनके पाइप ऊपर रह गये हैं । संबंधित अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया है और किसानों से आबपासी वसूली जा रही है । इसके अलावा साख देवबन्द से गढ़ी बहादुरपुर के पुल से बसी दीतावी मार्ग तक खड़ंजा लगाया जाय ताकि नहरों का निरीक्षण हो सके । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री बद्री प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में ट्यूबवेल नहीं हैं । पुराने दो तीन हैं लेकिन उनसे सिंचाई नहीं होती है ।

(शोर)

साथ ही साथ मान्यवर जो मजदूरी का रेट है वह बालू सफाई के लिये पर्याप्त नहीं है । मान्यवर, उन्नाव में बजट बहुत ही कम दिया जाता है, इसलिये वहां काफी बजट दिया जाय, जिससे नहरों की सफाई करायी जाय और उससे पुलिया बनायी जायं, साथ ही साथ नहरों के किनारे की सड़कें बिल्कुल खराब हो गयी हैं, उन सड़कों को पक्का कराया जाय । जो मजदूरी का रेट है, उसे जरूर बढ़ाया जाये । मान्यवर, उन्नाव जिले में जो गूले हैं, उनकी सही सफाई नहीं हो रही है, गूलों से पानी नहीं पहुंचता है । मान्यवर, मैं बस बैठ रहा हूं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके माध्यम से जो अनुसंधान होता है, उसी अनुसार हमें उन्नत बीज मिलता है और खाद मिल रही है उससे हम भरपूर फसल ले सकें । लेकिन, हमें भरपूर फसल लेने के लिये पांच पानी की आवश्यकता होती है । मान्यवर, प्रदेश में जितने भी हमारे डेम बने हुए हैं, वह डेम तीन पानी के लिये पर्याप्त बने हुए हैं । मान्यवर, जो इन डेमों की डिजाइन हो रही है, जो पूरे प्रदेश में एक ही डिजाइन प्रचलित है तथा उसी अनुसार बांध बने हैं । यह उन्नत फसल के लिये पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह सिर्फ तीन पानी ही उपलब्ध करा सकते हैं । इसको देखा जाना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं । मान्यवर नहरों में रिसाव हो रहा है, नहरें पूरी कच्ची हैं, इनकी सफाई नहीं होती है । इन्हें पक्का किया जाना चाहिए । टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच पाता है । जो पांच दफा पानी फसल के लिये किसानों को मिलना चाहिये वह एक दफा या दो दफा ही मिल पाता है । मान्यवर इसके बाद सिर्फ एक दफा पानी कृषकों को दिया जाता है और तीन दफा सिंचाई शुल्क की वसूली की जाती है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, एक मिनट सुझाव दे रहा हूं बस समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, हमारे यहां जैसे गोविन्द सागर डेम है ललितपुर में, वहां के अधिकारियों की वजह से टेल के एंड तक पानी नहीं पहुंच पाता है जिसका कारण डेम के हेड पर सीजनल कुलाबों को दिया जाना जो कि वर्ष भर चलते रहते हैं यह कुलाबे अधिकांशतः अधिकारियों के बंगलों के फ्लोरों में बोने वाली फसल के लिए होते हैं । इसको देखा जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें, माननीय चेतराम को बुला लिया है ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं एक मिनट दे दें । मान्यवर, पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में सैकड़ों नलकूप लगे हुए हैं, हमारे ललितपुर में मात्र एक नलकूप लगा हुआ है । आज तक शासन ने कोई ऐसी भी व्यवस्था नहीं की कि जिस जगह पानी नहीं पहुंचता है, उस जगह के लिये नलकूप दिया हो । ललितपुर जनपद में बांधों की बाढ़ कर दी है, मान्यवर चाहे टेहरी बांध हो या लखवारी बांध हो, जो पहाड़ी क्षेत्र में बन रहे हैं, उसके एवज में हमारे यहां की भूमि वनीकरण के लिये दी गयी है, वहां कृषि योग्य भूमि नहीं बची है, विकास कार्यों के लिये जो जमीन होनी चाहिये, वह ग्राम सभाओं में नहीं बची है जिसके विकास कार्य लगभग बन्द हो गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें । आपको पूरा-पूरा मौका दे दिया गया, चेतराम जी खड़े हुए हैं ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, प्रदेश में सूखा राहत के नाम पर जो कार्य चल रहे हैं, उनमें काफी धांधली है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां तालाबों को गहरा कराया जाय,

अभी तक जो तालाबों को गहरा कराने की योजना थी उस पर बहुत नाम मात्र का काम हुआ है । तालाबों को गहरा कराया जाय, नहरें निकाली जायं । बुन्देलखंड में जो पानी की मूल समस्या है, उसको दूर किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री चेतराम—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिये अवसर प्रदान किया । मैं बजट का समर्थन करता हूं तथा विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की कतिपय समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, यह बड़े हर्ष की बात है कि मेरे क्षेत्र की तहसील पुवांया अन्न उत्पादन में उ0 प्र0 में प्रथम है । परन्तु, खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां इतना अधिक अन्न उत्पादन किसान करता है, लेकिन सिंचाई साधनों का काफी अभाव है । मान्यवर, हमारे यहां के किसान अपने निजी ट्यूबवेलों के माध्यम से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं । मान्यवर, मैं दूसरी समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र पुवाया की ब्लाक बम्हा के अंतर्गत लुहिचा से भवर खेड़ा होते हुये माइनर बनाया गया है । अधूरा पड़ा हुआ है ,इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कई बार दिला चुका हूं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने माध्यम से मंत्री जी को निर्देशित करें कि वह किसी उच्च अधिकारी द्वारा इसकी जांच करा लें और यह अवगत करा दें कि वह माइनर आज तक क्यों अधूरा पड़ा हुआ है और उसमें आगे क्यों काम नहीं शुरू किया जा रहा है । मान्यवर, इस माइनर के न बनने से किसानों का काफी नुकसान हो रहा है । मान्यवर, एक ब्लाक हमारे यहां खूटार छूटहा है, जहां सिंचाई के साधनों का काफी अभाव है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इस समस्या को भी शीघ्र सुलझवा दें, इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये सिंचाई के बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जवाहर सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट चर्चा में बोलने का मौका दिया । मैं श्री राम शरण दास जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सूखे में इस सरकार की पोल खुल गई है । प्रकृति जब किसानों का साथ देती है, तो यह सारा श्रेय अपने ऊपर ले लेते हैं और जब किसी वर्ष बाढ़ या सूखा पड़ जाता है, तब इनकी सारी असलियत सामने आ जाती है । मान्यवर, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जल भराव की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है, उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है ।

इसके अलावा बड़ी नहरों के आस-पास तमाम बाग और पेड़ सूख रहे हैं । एक तरफ वन विभाग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और दूसरी तरफ सर्वनाश की जड खोदी जा रही है, नहरों के द्वारा जलभराव को दूर न करके । यही कारण है कि बड़ी नहर जहां भी बनती है, वहां बड़े-बड़े पेड और बाग सूखने लगते हैं, इसलिये मेरा सुझाव है कि बड़ी नहरों के समानान्तर में नाले खोदे जायं, जिससे जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो और जो बड़े-बड़े जलाशय बन गये हैं, उनके पानी की निकासी का प्रबन्ध किया जाये । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 5 हजार एकड़ जमीन ऐसी है, जहां पर लगातार 20 साल से जल-भराव की समस्या है । यह क्षेत्र सेमरा, बिरभानपुर आदि है । मान्यवर, वहां पर बड़ी

नहर के कारण पानी के निकास की सुविधा नहीं है और साइफन आदि बनाकर नाले भी नहीं बनाये गये हैं। हमारे यहां 3-4 नहरें ऐसी हैं, जो पिछले 5-7 साल में खोदी तो गई हैं लेकिन उनमें पानी आज तक नहीं पहुंच सका है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, हमारे यहां सोरांव, फूलपुर, हंडिया आदि तहसीलों में जिन काश्तकारों की जमीनें नहर बनाने के लिये आज से 10—15 साल पहले ली गई थीं, उन किसानों को आज तक उनका मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे किसानों में बड़ा आक्रोश व्याप्त है, इन परिस्थितियों को देखते हुये मान्यवर, जो वहां के ट्यूबवेल हैं, उनमें जो पाइप डाले जाते हैं, वह जल्दी ही रिसने लग जाते हैं, अतः मेरा सुझाव है कि उन पाइपों के स्थान पर जो आपने प्लास्टिक के पाइप लगाने शुरू किये हैं, उसको आप बदलवा दें तो यह समस्या हल हो जायेगी।

*श्री प्रेमपाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात तीन मिनट में समाप्त करूंगा, आपने मुझे जो इस बजट पर बोलने के लिये मौका दिया है, उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं और सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं। वर्तमान वर्ष मान्यवर, चुनौतियों का वर्ष रहा है और इस भयंकर सूखे को देखते हुये, जो शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा था, इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने जो सूखा राहत देश में दिया है, और हमारे मुख्य मंत्री तथा सिंचाई मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जो सूखा राहत कार्य किया है, उसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं। मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री ने इन विषम परिस्थितियों में चट्टान की तरह खड़े रहकर अपने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया है, और इस अभूतपूर्व सूखे के बावजूद हमारे सिंचाई मंत्री जी ने हर खेत को पानी पहुंचाया है नलकूप दिये हैं, इसके लिए हमारी सरकार की जितनी तारीफ की जाय, कम है। मेरे एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर में जेरा ड्रेन के निर्माण का एक प्रोजेक्ट अनुसन्धान एवं नियोजन खण्ड, एटा द्वारा आरिन्द नदी, आवा नदी व सिरसा उर्फ सेंगर नदी को चैनेलाईज करके जेरा ड्रेन में मिलाने का प्राविधान है। यह कार्य अधीक्षण अभियन्ता ऊपर गंगा नहर/आधु0 विश्व बैंक द्वारा किया जाना है, इसलिए इस कार्य को अविलम्ब प्रारम्भ करवा दिया जाय। मीर नाला व कुसबा नाला अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करा दिया जाय। रोइन्ना मिर्जापुर व सोना माईनर अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करा दिया जाय। मेरे यहां 1—20 तक के ट्यूबवेल खराब पड़े हैं उनको ठीक करा दिये जाय। गंथिवा, सोना, लोधीपुर, उड़ेरी रजावली, पाँडली इशोली व फिरोजाबाद रजवाहों पर पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है, इसकी भी व्यवस्था की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि 1983-84 में उनकी सिंचन क्षमता 46 परसेन्ट थी जो अब 48.45 हो गई है। माननीय मंत्री जी आपमें जरा भी ईमानदारी है, तो आप एक जांच सच्चाई से करा दें मैं आपको केवल विश्वास दिला दूं कि देश का कल्याण हो जायगा आपके 4 सिंचाई के तरीके हैं जिससे फर्जी आंकड़े तैयार होते हैं पहला, द्विफसली सिंचाई को आप अलग-अलग क्षेत्रफल को एक में जोड़ देते हैं जैसे 10 बीघा रबी और 10 बीघा खरीफ, तो इन दोनों को जोड़कर आप 20 बीघा दिखा देते हैं। दूसरा, है सामिल वराह, इसमें जो नहरों की गूलों में होकर यदि किसान के नलकूप का पानी चला जाय तो उसे भी नहरों की आसपास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में जोड़ देते हैं आप इसे निकाल दीजिए, तीसरा जिन्स बदलकर, इसमें आप गेहूं की सिंचाई 40 रुपये प्रति बीघा लेते हैं और पलेवा में केवल 14 रुपये प्रति बीघा होता है, परन्तु आप गेहूं की सिंचाई को पलेवा में दिखाते हो, आपाशी उतनी ही आती है, और क्षेत्रफल बढ़ जाता है इसे आप निकाल दें, चौथा जो फर्जी सींच होती है । यदि आप इन चारों को निकाल दें, तब आप अपने आंकड़े बतायें सच्चाई सामने आ जायेगी । आज पूरा प्रदेश इस बात के लिए त्रस्त है कि जमीन के नीचे का पानी आज बहुत नीचे चला गया है । आपके जो इन्जीनियर इंग्लैण्ड से पढ़कर आते हैं और जिनका जहन अंग्रेजियत हो जाता है उन्होंने कभी इस बात को सोचा नहीं कि पानी का लेवल क्यों नीचे जा रहा है । इसका एक कारण यह है कि आज कहीं भी जल भराव नहीं हो रहा है, मेरा कहना यह है कि जो हमारी छोटी-छोटी नदियां हैं, उन पर 40-40 व 50-50 कि0 मी0 की दूरी पर बांध बनाये जायं, जिससे उनमें पानी का भराव हो और वाटर लेवल ऊपर आयें । यदि ऐसा नहीं किया गया तो 10 साल के अन्दर आगरा और मथुरा में पानी नहीं रहेगा । मध्य गंगा केनाल को जो हाथरस बांध तक जा रही है, मेरा कहना यह है कि इसे आगरा केनाल से जोड़ दिया जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इसके लिये आदेश कर दिये हैं कि जोड़ दिया जाय, इसके बाद भी आपका विभाग इस पर काम करने को तैयार नहीं है । इसका एक कारण यह भी है कि आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई भी सिंचाई मंत्री नहीं बना है, जो भी मंत्री हुए हैं, वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हुए हैं, जिसके कारण सिंचन क्षमता पूरबी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पहले जो सिंचाई के साधन थे, आज भी वही हैं । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर कोई नहर सिंचाई हेतु नहीं बनाई गई, केवल मध्यगंगा केनाल शुरू हुई है यह हमारा इतना बड़ा शोषण किया है कि कह नहीं सकता ।

अन्तिम बात यह है कि आगरा और मथुरा के पानी का जबर्दस्त शोषण हो रहा है । हरियाणा पानी का 65 प्रतिशत ले लेता है, 300 क्यूसेक पानी रोज दिल्ली ले रहा है, एक करोड़ रु0 से ऊपर राजस्थान के ऊपर बकाया है हमारे पानी का, उसकी वसूली नहीं कर पा रहे हैं । हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जो पानी का दोहन कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है । मिल रहा है तो केवल यही कि दिल्ली की "मसीं" पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं । यह जो शोषण हो रहा है, इससे मुक्ति दिलायें । इसके साथ ही मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

श्री उपाध्यक्ष जी बोलने की इजाजत देने के लिए धन्यवाद । मान्यवर, माननीय राम शरण दास जी ने सिंचाई बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं हमेशा उनकी बात बहुत ध्यान से सुनता हूं । आपके माध्यम से मैं इस सदन को और विशेष रूप से माननीय राम शरण दास जी को जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 1978 में जनता पार्टी के राज में ही जब टिहरी बांध का कार्य शुरु हुआ था, तो वहां के लोगों ने भारी विरोध किया था और काफी लोग गिरफ्तार भी हुए थे, और जेल भी गये जिसमें 56 महिलायें थीं, आज ये ऐसी बात करते हैं । जिन लोगों ने विरोध किया था, वह लोग तो सुप्रीम कोर्ट में रिट किये बैठे हैं । देखिये क्या होता है । मान्यवर, मेरा चुनाव क्षेत्र का हिस्सा डूब रहा है । इसमें कुछ विस्थापित को भांडियावाला, पथरी और रायवाला में उनको दो-दो एकड़ जमीन दी गयी है लेकिन कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं जिससे उनको बहुत कष्ट है । उनकी कोई हैसियत नहीं है । मेरी मांग है कि उनके नाम पर भूमिधरी राइट्स दिये जायं और उनको राजस्व गांव घोषित किया जाय । योजना का पैसा 197 करोड़ रु0 से बढ़कर 2000 हजार करोड़ रु0 हो गया है । अगर दाम बढ़े हैं तो विस्थापितों को दो एकड़ के बदले में 40 हजार रु0 क्यों दिया जा रहा है, यह धनराशि बढ़ायी जाय क्योंकि कहीं पर भी दो एकड़ भूमि इस धनराशि में उपलब्ध नहीं होती है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में 28 जल विद्युत बहुउद्देशीय परियोजनायें काम कर रही हैं या उन पर अनुवेषण अनुसंधान हो रहा है। मेरी मांग है कि ये योजनायें ऐसी बनायी जायें जिससे लोगों को विस्थापित न होना पड़े और किसानों की जमीन न डूबे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा "श्री राम शरण दास" का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरदेव—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है आपने पूरे सदन से सिंचाई के बजट पर चर्चा करायी और यह न्यायसंगत होता कि जो 7 आदमी बाकी रह गये हैं, उनको भी मौका देते। मैंने इसलिये कहा कि सिंचाई जीवन से और फसलों की जिन्दगी से जुड़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, अब मैंने राम शरण दास जी को बुला लिया है।

श्री हरदेव—

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं आभारी हूं दोनों पक्ष के साथियों का।

(श्री हरदेव के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय हरदेव जी, आप बैठिये, क्यों खड़े हैं ?

श्री हरदेव—

मान्यवर, मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मुझको आप आदेश देंगे बैठने के लिये या हमारे साथी लोग हमसे बैठने के लिये हमको निर्देशित करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे बैठने के लिये कह रहा हूं, और कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे।

श्री हरदेव—

हमने आपसे सवाल कर दिया है और आप हमसे बैठने के लिये कह रहे हैं। आपकी ओर से सदन में निर्देश होना चाहिये कि सदन की मर्यादाओं का पालन किया जाय। हमारे क्षेत्र की भी समस्यायें हैं, शारदा सहायक की नहर है उसकी भी कुछ समस्यायें हैं इसलिये मैं कहना चाहता हूं।

नोट—[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष—

अब कुछ नहीं, आप बैठिये, मैंने मा0 राम शरण दास जी को अब बुला लिया है। आप बैठें।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं आभारी हूं दोनों पक्ष के साथियों का विरोध पक्ष से तो खुल्लम-खुल्ला हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन हुआ है। उधर के लोगों ने पहले तो दो लाइन में सरकार की बड़ाई की सत्ता पक्ष में होने के नाते, लेकिन बाद में अपनी हैसियत पर आ गये जब उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखना शुरू किया। तो मान्यवर, आपके माध्यम से कुछ बातें मैं माननीय मंत्री जी को नोट कराना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी यह जो सीपेज का मामला है, शारदा सहायक नहर जिस पर रोजाना एजीटेशन होता है गांजर मार्ग के नाम पर सीतापुर में अभी सीतापुर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसका उन्होंने कोई समाधान नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि जो आपका सीपेज का नहर एरिया हो जाता है, वहां साईड पर कहीं न कहीं ट्यूबवेल लगाकर देखें कि जिससे वहां का जल स्तर नीचे चला जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके जितने ट्यूबवेल्स हैं वहां जल का स्तर नीचे चला गया है, इस ओर भी आप ध्यान दें और यदि सम्भव हो सके तो नहरें निकाल दें, इससे वहां का जल स्तर ऊपर आ जायेगा और दोनों का काम चलेगा। जहां सीपेज का मामला है, वहां ट्यूबवेल लगा कर, नहरें निकाल कर छोटी-बड़ी इस समस्या का आप समाधान करें, मुझे इस संबंध में यही कहना था।

दूसरी बात यह कि नहरों की सफाई कतई नहीं होती है। जो आप के यहां रिपोर्ट आती है, वह बिलकुल झूठ है, असत्य रिपोर्ट आती है। सफाई कहीं नहीं हुई है और ठेकेदारों के गलत बिल बन कर पास हो जाते हैं। मैंने देख रखा है। मैंने सहारनपुर में कलेक्टर को बताया भी कि यह होता रहता है। मैं इस संबंध में आपसे भी बात करूंगा। आपके जो नलकूप हैं, मा0 श्याम सूरत जी चले गये, जब वे मिनिस्टर नहीं थे, ग्राम्य विकास मंत्री नहीं थे, मा0श्रीपति मिश्रा जी मुख्य मंत्री थे यह जो सामान्य प्रशासन की इंजीनियर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें मैं भी था और वे भी थे। मैंने उसमें स्वयं कहा था कि इलाहाबाद में 40 परसेन्ट ट्यूबवेल फेल हैं, कहीं 50 परसेन्ट फेल हैं, कहीं 20 परसेंट फेल हैं। ज्यादातर वे ट्यूबवेल फेल ही रहते हैं, उनकी भी आप कुछ व्यवस्था करें। श्रीमन् इसको चेक करें अगर समय रहते इसको नहीं देखा गया तो छोटे-छोटे जो किसान 1-1 और 2-2 एकड़ वाले हैं, अगर वह ट्यूबवेल लगाते हैं तो उनके ऊपर कर्जे का बोझ लाद देते हैं और जब वह कर्ज अदा नहीं कर पाते हैं तो उनकी जमीन नीलाम होती है, इसलिए ऐसे स्थानों पर राहट की व्यवस्था करवा दी जाए और यदि वह कर्ज लेंगे रु0 10 हजार तो वह कर्ज कभी भी वापस करने की स्थिति में हो नहीं सकते हैं क्योंकि वह कर्ज की राशि आपकी 6 हजार से 26 हजार तक पहुंच जाती है। तो यह सारी प्रोब्लेम्स हैं, इस ओर अवश्य ध्यान दें। दूसरे मान्यवर तालाबों की हालत भी आज बहुत खराब है, वह भी बिल्कुल अंड़े पड़े हुए हैं, गंदगी से भरे पड़े हैं और पानी इधर दो वर्षों से ठीक से बरस नहीं रहा है, जो वह भर सकें, इसलिए इनकी

खुदाई कराएं, यदि यह व्यवस्था ही ठीक हो जाए तो हमारे जो छोटे-छोटे किसान हैं। 1-2 एकड़ वाले उनका काम आसानी से चल सकता है और जो सब्जी वगैरह उगाते हैं इनका भी काम इससे अच्छा चल जाता है, जो बड़े किसान हैं उनका काम बगैर ट्यूबवेल के नहीं चलता है। साथ ही मैं बाढ़ की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बाढ़ पूरे संसार भर में चीन में आया करती थी, परन्तु उन्होंने इस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। आप जाकर देख लीजिए या किसी मंत्री को भेज दीजिए, स्कीम तो आप ले ही सकते हैं, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस ओर कुछ करिये ताकि इसी ओर से हमारे प्रदेश के किसानों का कुछ भला हो सके।

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

(मा0 राम शरण दास जी को सम्बोधित करते हुए) आप तो गागर में सागर भर रहे हैं।

(हंसी)

श्री राम शरण दास—

मैं गागर में सागर भर रहा हूं और आप जेब भर रहे हैं (हंसी) या गोबर भर रहे हैं, गागर में आप गोबर भर रहे हैं तो मैं क्या करूं (हंसी) साथ ही मान्यवर मैं यह भी कहना चाह रहा था कि नदियों की भी खुदाई की व्यवस्था कराइए और इनकी खुदाई करवाकर गहरा करवाएं, इससे प्रदेश के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। यह डा0 लोहिया की स्कीम है, इसको पढ़ लीजियेगा और मान्यवर यह जो आपकी जमुना कैनाल है, इसकी खुदाई का मामला भी चल रहा है, परन्तु मैं आपका ध्यान इस ओर भी लाना उचित समझूंगा कि यह जो कैनाल एक्ट है, इसको भी चेंज कराओ, क्योंकि नियमानुसार जहां कैनाल कमाण्ड एरिया है, वहां आप ट्यूबवेल नहीं लगवा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहते हो कि इसका समाधान निकाल लेंगे, लेकिन हो कुछ रहा नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि इस कैनाल एक्ट में चेन्जेज आप कराइए, और यह जो पूर्वी जमुना नहर है इससे तो बहुत ही पीड़ित रहते हैं सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के लोग, परेशान रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मा0 राम शरण दास जी आप माईक पर बोलिये ताकि रिपोर्टर सुन सकें आपकी बात को।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर माईक पर न भी बोलूं तो भी सुना जा सकता है क्योंकि अब तो यहां कुछ ही लोग हैं, भीड़-भाड़ तो सदस्यों की है ही न, और मैं वैसे भी जोर से बोलता हूं। (हंसी) साथ ही मान्यवर एक निवेदन और मैं करूंगा ताके वाली नहर के संबंध में, इसका समाधान भी बहुत आवश्यक है, इस संबंध में भी राणा जी बोल चुके हैं कि वहां के किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं, क्योंकि जब एक माह तक खेतों को पानी नहीं मिलेगा, तो फसलों का क्या हाल होगा इसलिए इस ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अगर आप इस विभाग में रहना चाहते हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह—

आपने जो कहा वह सुनाई नहीं पड़ा।

श्री राम शरण दास—

आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। आप तो सरकारी वकील हैं। एक ही तरह से बोलते हों। मेरी बातों की केवल आपने तारीफ नहीं की, सभी ने की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप डंके की चोट पर कह दो, मेरी चलेगी। जो निकम्मे-निकम्मे अधिकारी हैं जो इधर से उधर नहीं जाते हैं, उनको हटा दो, अगर जमे रहेंगे तो भ्रष्टाचार आप समाप्त नहीं कर सकेंगे। मुझे क्षोभ यह है कि जब कभी मैं हजरतगंज के चौराहे पर खड़ा हो जाता हूं, तो तमाम जीपें और कारें दिखाई पड़ती हैं, जिनमें प्लेट लगी रहती है, अधिशासी अभियन्ता की, कहां का है, नैनीताल का है, बस्ती का है, कहीं का हो, मिर्जापुर की हो या बलिया की हो, उस पर साहनी जी बैठी होती हैं, अभियन्ता नहीं अभियन्ती बैठी होती है, उसके बच्चे बैठे होते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मेरा सख्त चार्ज है कि राम शरण दास जी हमेशा उन लोगों की तरफ देखते हैं, जिस तरफ नजर नहीं उठानी चाहिये।

(हंसी)

श्री राम शरण दास—

एक और आ गये, हुकुम सिंह आ गये। इन्हें देखकर बोलने में जान आ जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार को मिटाओ, जो फिजूल खर्ची है, उसको आप समाप्त करो। किसी परियोजना में कोई अधिकारी है, मकान उसका हरिद्वार में है, देहरादून है और ऋषिकेश में है। जब मैं हरिद्वार में उतरता हूं, तो जीपों और कारों की लाइन देखता हूं, सारा धन ये अभियन्ता खा गये, लूट कर ले गये। बाबू नरेन्द्र सिंह, मिनिस्टर साहेब माफ करेंगे, आप बुरा नहीं मानेंगे, यह दिन सदा नहीं रहेंगे, अच्छा काम करोगे तो बहुत से लोग सराहना करेंगे और अगर लीपा-पोती करोगे तो लोग शुभहा करेंगे। तो मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा और सरकार को आगाह करूंगा कि आप मेरी कही हुई बातों को ध्यान देकर कुछ करेंगे। इसी आशा के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

हुकुम सिंह के आते ही इनकी बोलती बन्द हो गयी, क्या राज है।

श्री राम शरण दास—

एक और बात कह दूं। मंत्रियों के दो वर्ग हैं, एक वर्ग में आते हैं, मुख्यमंत्री जी, वीर बहादुर सिंह, सीताराम निषाद, सरस्वती अम्माल, चेतराम गंगवार, भोला शंकर मौर्य और दूसरे वर्ग में आते हैं माननीय अम्मार साहेब, माननीय हुकुम सिंह और माननीया श्रीमती बद्धवार।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं केवल आपके माध्यम से माननीय राम शरण दास जी से पूछना चाहता हूं कि वह अपने को किस वर्ग के साथ सम्बद्ध कर रहे हैं ?

श्री हरदेव—

यह सबके बीच में [XXX] है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नरेन्द्र सिंह जी के वर्ग के हैं ।

(समय—8 बजे रात्रि)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)—

मान्यवर, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग के सम्बन्ध में आज कई घण्टे तक चर्चा हुई और मैंने माननीय सदस्य श्री राम शरण दास जी और दोनों पक्षों के सम्मानित सदस्यों को बहुत ध्यान से सुना । मान्यवर, वास्तव में कटौती का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया । केवल एक मात्र एक औपचारिकता माननीय सदस्य ने की है । इतना जरूर रहा है कि आज का दिन माननीय सदस्य ने मनोरंजनपूर्ण वातावरण सारे दिन भर बनाये रखा और होली का समय तो काफी पहले बीत चुका है लेकिन ऐसा लग रहा था कि माननीय राम शरण दास जी होली आज मना रहे हैं और पूरे सदन का मनोरंजन कर रहे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह—

वे होली खेल रहे हैं ।

श्री सीताराम निषाद—

इसके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूं । मान्यवर, दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने जो रचनात्मक सुझाव दिये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और उन सुझावों के अनुसार हमारा विभाग उन पर विचार करेगा और उनके अनुसार इस प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक फायदा हो सकता है, इसका प्रयास करेगा।

मान्यवर, कुछ परियोजनाओं के बारे में जो हमारी वृहद् और मध्यम परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि उसमें बहुत समय लगेगा और यहां तक माननीय सदस्यों ने शंका व्यक्त की कि इस शताब्दी का अन्त हो जायेगा लेकिन वे परियोजनायें पूरी नहीं होंगी । मान्यवर, मैंने शुरू में ही कहा था कि इस प्रदेश की तरक्की के लिए जो हमारी वृहद् और मध्यम योजनाएं चल रही हैं हमारे सीमित संसाधन हैं इसलिए हम बाहर से भी विश्व बैंक और अन्य प्रदेशों से भी सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार से सहायता मिले, बाहर से सहायता मिले जिससे हमारी बड़ी योजनाएं पूरी हो सकें । मान्यवर, टेहरी बांध योजना जो देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है उसको पूरा करने के लिए ही सोवियत रूस से समझौता करके सोवियत रूस द्वारा 1500 करोड़ रुपया सहायता भारत सरकार को दी जायेगी, उससे यह महत्वपूर्ण योजना हमारी पूरी होगी । इसलिए इस तरीके का समझौता किया गया । इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त निगम बनाया जा रहा है । उससे मान्यवर, कितना बड़ा फायदा होगा हमारे प्रदेश का वह देखने की बात है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने मंडल हैं सब लाभान्वित होंगे । यही नहीं इससे मध्य क्षेत्र के इलाहाबाद तथा कानपुर तक के जिले लाभान्वित होंगे।

नोट—[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

इसी तरह से सरजू परियोजना है जिसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की । तो मैं बताना चाहता हूं कि उसे हमारी सरकार पूरा करना चाहती है । माननीय मुख्यमन्त्री जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उसे विश्व बैंक से पोषित करने के लिए योजना बनाई गयी है । विश्व बैंक से सहायता लेकर सरजू परियोजना को पूरा किया जाय यह प्रयास है । जिससे बहराइच, गोण्डा बस्ती और गोरखपुर आदि जिलों को फायदा होगा । हमारे सीमित साधन थे जिसकी वजह से वह अभी पूरा नहीं हो पायी है । एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि वहां पर ट्यूबवेल लगाये जायं । तो उस दिशा में भी हमारे विभाग द्वारा प्रयास किये गये हैं । सरजू नहर परियोजना में इमामगंज क्षेत्र में 50 संवर्धन नलकूप लगाने का निर्णय ले लिया गया है । वहां पर नलकूप लगाए जायेंगे ।

इसी तरह से और भी योजनाएं हैं जिनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, यहां पर घोटाले बताए गये कहा गया कि इस विभाग में बहुत घोटाले हैं । इतना बड़ा विभाग है और इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है । लेकिन उसमें घोटाले की बात कही जाती है अगर माननीय सदस्य पहले जो इतने काम हुए हैं उनकी सराहना करते तो अच्छी बात होती और अगर कहीं काम करने में कोई गलती है तो उसको सुधारने के लिए रचनात्मक सुझाव दिये जा सकते हैं । लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने केवल राजनीतिक द्वेश की भावना से केवल कीचड़ उछालने की कोशिश की है । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि लखवाड़ व्यास बांध के संबंध में मैंने कल ही एक प्रश्न के जवाब में स्पष्ट और विस्तार से बता दिया था और कहा था कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं की गयी है लेकिन उसके बावजूद भी आज फिर जानबूझ कर उस मामले को यहां पर उठाया गया और आरोप लगाने की कोशिश की गयी । मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आरोप लगाए गये हैं वे बिल्कुल बेबुनियाद, असत्य और निराधार हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है ।

इसी तरह से टेहरी डैम के बारे में भी कल ही मैंने एक प्रश्न के जवाब में स्पष्ट कहा था, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक प्रश्न पूछा था कि रूसी वैज्ञानिकों ने यह आशंका व्यक्त की है कि इसकी वजह से यहां पर भूकंप आयेगा। मैंने विस्तार मे जवाब दिया था कि रूसी और हमारे वैज्ञानिकों ने उस परियोजना की पूरी जांच की और उसमें कोई कमी नहीं पाई गयी । वह बांध जहां बन रहा है वह पूरी तरह सुरक्षित है उसमें ऊपरी भाग में मामूली सा थोड़ा परिवर्तन करने का सुझाव रूसी वैज्ञानिकों ने दिया है लेकिन नीचे स्थल के बारे में उन्होंने पूरी सन्तुष्टि व्यक्त की है । यह इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिससे हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है उससे सिंचाई भी होगी और बिजली भी मिलेगी । तो कितना बड़ा फायदा होगा । यह प्रसंशा सरकार की करनी चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण योजना को सरकार पूरा करने में लगी है। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसी प्रतिक्रियावादी ताकतें लगी हैं जो चाहती हैं कि इतनी महत्वपूर्ण योजना कामयाब न हो । उससे हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा ।

मान्यवर, सिंचाई दरों के बारे में कहा गया कि सिंचाई की दर गुजरात और अन्य राज्यों की हमसे कम है लेकिन रबी की दरें जो हैं वह गुजरात की दरें उत्तर प्रदेश से ज्यादा हैं । इसी तरह से खरीफ की दरें उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में जो हैं वह हमसे ज्यादा दरें बिहार, कर्नाटक गुजरात और राज्यस्थान की हैं । गन्ने की दर उत्तरा प्रदेश से गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, और महाराष्ट्र की दरें ज्यादा हैं । तो सिंचाई की दरों के संबंध में जो आरोप लगाया गया है कि हमारे प्रदेश में ज्यादा है तो ऐसी बात नहीं है ।

मान्यवर, अधिकारियों के बारे में कुछ बातें कहीं गयीं । मैं बताना चाहता हूं कि जहां कहीं शिकायतें मिली हैं उनके बारे में जांच की गयीं हैं और उसमें जो दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी का नाम लेकर कुछ माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है कि मुख्य मंत्री जी का उनको संरक्षण प्राप्त है । मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि किसी गलत अधिकारी को मुख्य मंत्री जी का किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं है । मान्यवर, इसी सिंचाई विभाग में जो शिकायतें मिली हैं मुख्य मंत्री जी ने उस पर जांच कराई और जो सही पाई गयी है उसमें कार्यवाही हुई है । इस संबंध में 104 राजपत्रित अधिकारियों के बारे में अन्तिम निर्णय लेकर 47 अधिकारियों को दण्डित किया गया, दो अधिकारियों को सेवा से बरखास्त किया गया, 8 को पदावनति की गयी, 5 की पेंशन रोकी गयी और 51 अन्य अधिकारियों को और तरीके से दण्डित किया, 7 सक्षम न्यायालय में चार्ज शीट दी गई, 5 अधिकारियों को गम्भीर आरोपों के कारण निलम्बित किया गया । इन्हीं मुख्य मंत्री जी के कार्य काल में जो लोग गलत पाए हैं, जहां भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं वहां लोग दण्डित किए गए हैं और उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया गया है ।

मान्यवर, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मुख्य मंत्री जी ने शिकायतों की रोक थाम के लिए, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सिंचाई विभाग में राज्य प्रशासनिक सेवा से एक संयुक्त सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है जिससे बड़े-बड़े अधिकारियों के खिलाफ फैसले लिए जा सकें । जांचोपरान्त यदि इनके खिलाफ आरोप सिद्ध हैं तो दण्डित किया जा सकें, इस प्रकार इतना महत्वपूर्ण कदम हमारे मुख्य मंत्री जी ने लिया है ।

मान्यवर, सीपेज के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं । यह सही है कि शारदा सहायक नहर के 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सीपेज की समस्या है जिसको दूर करने के लिए व्यवस्था की जा रही है और वहां ड्रेन और नालियां बनाकर सीपेज की शिकायत को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, माननीय रामशरण दास जी ने नहरों की सफाई के संबंध में यह शिकायत की कि कहीं सफाई नहीं हुई है, लेकिन यदि ईमानदारी से कहें तो उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रदेश में हर जगह नहरों पर सफाई का कार्य किया गया है और जहां टेल पर पानी कई वर्षों से नहीं गया था, वहां पर भी सफाई करके टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है ।

नलकूप के बारे में कहा गया, किसी ने कहा कि 30 परसेण्ट, किसी ने कहा कि 40 परसेन्ट और किसी ने कहा कि 50 परसेन्ट नलकूप खराब पड़े हैं, किन्तु यह बात बिलकुल गलत है। इसमें इतना काम हुआ है और एक साल में नलकूपों में इतना सुधार किया गया है कि इस समय केवल साढ़े 6 प्रतिशत नलकूप यांत्रिक या बिजली की खराबी से नाकाम पड़े हैं, लेकिन इससे ज्यादा नलकूप इस समय खराब नहीं हो रहे हैं । काफी मान्यवर, इसमें सुधार हुआ है । मान्यवर, फर्रुखाबाद जिले के राजपुर गांव की सुरक्षा के लिए ठोकरे लगाने का सुझाव द्विवेदी जी ने दिया था, उसकी योजना बन गई है और उस योजना को इस समय टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के पास उसके अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

बस्ती जिले के सम्बन्ध में श्रीमती कमला साहनी जी ने एक बिन्दु उठाया था कि कुछ जांच हुई है बांसी में बंजरहा बांध के सम्बन्ध में, तो उसके संबंध में मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि उसकी जांच हो चुकी है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र बनाए जा चुके हैं, उसका परीक्षण किया जा रहा है, "व्यवधान" माननीय पाण्डेय जी ने गंडक खन्दरा, जनपद बस्ती के बारे में कहा है, तो उसमें भी कार्यवाही हो रही है। इन

शब्दों के साथ, मान्यवर, जो सुझाव विधायकों ने दिए हैं, मैं उन जनोपयोगी सुझावों पर अवश्य विचार करूंगा और उससे विभाग की कार्य क्षमता बढ़ाने का प्रयास करूंगा । इसके बाद में कटौती के प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और सदन इस विभाग के बजट को सर्वसम्मति से पारित करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से अब कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । मंत्री जी ने कहा कि यांत्रिक खराबी से 6 परसेन्ट नलकूप खराब पड़े हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी क्षेत्र में 6 परसेन्ट से ज्यादा नलकूप खराब हों, तो क्या आप उस अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित करने की कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ? यह मेरे क्षेत्र की या आगरा जनपद की कहीं की जांच करा लें 6 परसेन्ट से कहीं ज्यादा नलकूप खराब हैं । तो यह इसके लिये कार्यवाही का आश्वासन दें । नम्बर दो, शामिल-बरहा आवपासी मूल में पैसा अभी तक नहीं दिया गया है । शामिल-बरहा आवपासी के कानून को क्या खत्म करेंगे ? इन्डोडधवाई लेटर स्कीम के अन्तर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश में नलकूपों की भरमार कर दी है । विश्व बैंक की दूसरी परियोजना में सारे नलकूप पूर्वी उत्तर प्रदेश को दिये गये हैं, तो मंत्री जी यह बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कितने नलकूप दे रहे हैं ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इन योजनाओं में नलकूप न देने का क्या कारण है ?

(कोई उत्तर नहीं आने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी उत्तर देंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इसमें स्पष्टीकरण दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इन पर स्पष्टीकरण होगा तो उत्तर दे देंगे ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में दोनों योजनाओं में नलकूप लगाए जा रहे हैं विश्व बैंक द्वितीय योजना में दो हजार नलकूप लगाये जा रहे हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह कितने नलकूप लगा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है । यह जानबूझकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल पैदा किया जाता है । इस देश की सबसे बड़ी परियोजना जो है उसका सारा फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलेगा । पूर्वी उत्तर प्रदेश को इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है इसलिए मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने पहले भी निवेदन किया था जैसी कि सिंचाई

विभाग की नीति है जहां असमानता होगी उसको दूर किया जाएगा । पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां साधन दिए जायेंगे । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां के साधन नहीं होंगे वहां पर सिंचाई के साधन दिये जायेंगे । (मेजों की थपथपाहट) ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह इतनी गम्भीर बात है आप मेरी बात का उत्तर नहीं दिलवा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, अभी तक मंत्री जी का भाषण सुना और इस समय भी वह भाषण दे रहे हैं बजाए प्रश्नों का जवाब देने के । उन्होंने अपने आपको सीमित रखा है परियोजना के नाम गिनाने पर । एक बात इन्होंने नहीं बताई सिंचन की स्थिति के बारे में यह भौतिक प्रगति का है, भौतिक सत्यापन का है तो उसके बारे में मैंने चार सवाल इनसे पूछे थे । दो फसली सींच के बारे में, शामिल बरहा को खत्म कराने के बारे में, जीन्स बदलकर आवपासी के बारे में और फर्जी टीम के बारे में, इनसे मैंने पूछा था, लेकिन इन्होंने इसके बारे में और फर्जी टीम के बारे में, इनसे पूछा था, लेकिन इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया ।

मान्यवर, दो बातें मैं इनसे जानना चाहता हूं एक तो एक योजना के बारे में, और दूसरी बात विश्व बैंक के बारे में जो कि वर्मा जी ने अभी पूछी है । मान्यवर, मंत्री जी से इसका जवाब दिलवा दें कि स्वतंत्रता के बाद से कितनी नहरें और कितनी परियोजनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलाई गईं ? और कितनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलाई गईं । इसका जवाब दे दें ।

मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा था कि कुछ प्रतिक्रियावादी तत्व टिहरी बांध परियोजना को नहीं बनने देना चाहते हैं तो क्या आपकी मंत्रि-परिषद् में प्रतिक्रियावादी तत्व हैं हैं जो नहीं बनने देना चाहते हैं । मिर्जापुर में कन्हर योजना थी जिस पर करोड़ों रुपया लगा था पंडित कमलापति त्रिपाठी के जमाने में लेकिन उस योजना को मारे डाल रहे हैं । वह प्रतिक्रियावादी तत्व कौन से हैं जिन्होंने इस योजना को मरा सा कर दिया है । दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आपके विभाग में ईमानदारी नाम की कोई चीज है । मैं मानता हूं कि समाज में ईमानदार और बेईमान सभी तरह के लोग होते हैं लेकिन माजिद अली एस0ई0 जिन्होंने करोड़ों रुपये का घपला सरयू योजना में किया है क्या उनको डिजाइन में ले आयेंगे । हमारे यहां भोला पांडे और मौजी लाल यादव, ईमानदार अभियन्ता है । क्या मौजी लाल यादव का प्रमोशन होगा ? तमाम लोग एस0 ई0 हो गये हैं लेकिन मौजी लाल जैसे ईमानदार अधिशासी अभियन्ता जिसको स्वयं प्रमोशन की चिन्ता नहीं है, ऐसे ईमानदार पड़े हुए हैं । क्या आपका विभाग मौजी लाल का केस देखेगा । ऐसा ईमानदार आदमी इस प्रान्त में नहीं मिलेगा । क्या मौजी लाल की फाइल संसदीय कार्य मंत्री देखेंगे कि आखिर क्यों एस0 ई0 नहीं बन पाये । चाहें तो आप हरिदेव राम से पूछ लें ।

श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के प्रमोशन की कोई फाइल पड़ी है क्या उसका जल्दी प्रमोशन करेंगे ।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, इस पर विचार हो रहा है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बस्ती जनपद में हमारे अपने क्षेत्र डुमरियागंज में चकबन्दी करायी गयी और किसानों की जमीन कटौती में जो आयी उसको सरजू कैनाल परियोजना को दिया गया । 3 लाख रुपये की तो मेरी जमीन गयी । तत्कालीन सिंचाई मंत्री जो मुख्य मंत्री थे तो तय हुआ था कि जितने गांवों की जमीन ली जायेगी उन गांवों की चकबंदी का खर्च सरजू कैनाल जमा करेगी । एक गांव की चकबंदी में ढाई हजार रुपये खर्च आता है तो जितने गांवों की जमीनों को आपने लिया है उनका चकबंदी का खर्च सरजू कैनाल परियोजना से जमा कराने का कष्ट करेंगे ।

श्री सीताराम निषाद—

जैसा कि माननीय सदस्य पाण्डेय जी ने कहा है अगर ऐसा कोई फैसला है तो उस पर जरूर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि बलिया जनपद में ड्रेनेज की समस्या जो इतनी खराब हो गयी है कि प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की फसल बरबाद हो जाती है तो उस क्षेत्र की पानी की निकासी के लिए और जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए मैंने सैकड़ों पत्र शासन को लिखे हैं तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जन प्रतिनिधियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बलिया जनपद में ड्रेनेज के विकास और जल निकास के लिए कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं या नहीं ? मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया था कि बजट भाषण में ही कि केवल बलिया ही नहीं, इस प्रदेश के 43 जिलों में जल प्लावन और बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए उसका मास्टर प्लान बनाया जा रहा है उस पर जरूर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, कानपुर में गंगा नदी, कानपुर के घाटों से हट गयी है और उन्नाव की तरफ चली आई है, जिससे हजारों बीघा जमीन उन्नाव की कट गई है और 2 दर्जन गांव गंगा में बिलीन हो गये हैं । कानपुर में पानी पीने की समस्या उत्पन्न हो गयी है । 13 मार्च को सिंचाई विभाग ने 13 लाख रुपया खर्च करके नहर खोलने का काम शुरू किया है, जो बेकार है, 20 साल से गंगा बैराज की मांग की जा रही है, मुख्य मंत्री ने उसको बनाने का आश्वासन भी दिया है, तो क्या माननीय मंत्री जी गंगा बैराज बनाने का आश्वासन देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम शरण दास जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 1,49,09,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 7,57,12,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें श्री शफीकुर्रहमान बर्क की सूचना, जो महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज, सम्भल, मुरादाबाद में उर्दू, हिन्दी पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं खोलने की इजाजत न मिलने से छात्रों में व्याप्त असंतोष के संबंध में है, वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है और शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं ।

जनपद उन्नाव की पुलिस की निष्क्रियता से होली के अवसर पर वर्गीय एवं खूनी संघर्षों में घायल होने आदि की घटनाओं के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

प्राप्त सूचनानुसार . . . . .

एक सदस्य—

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

[जनपद उन्नाव में होली का त्योहार सकुशल सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर शान्ति-व्यवस्था हेतु जनपद प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गयी थी । जनपद में होली के अवसर पर कुछ अप्रिय घटनाएं अवश्य हुई किन्तु इन घटनाओं को होली से जोड़ना किसी भी प्रकार संगत नहीं है ।

होली के अवसर पर जनपद उन्नाव में घटित घटनाएं मुख्यत: आपसी शत्रुता, भूमि विवाद, सिंचाई के लिए पानी के विवाद, फसल उखाड़ने, मकान के बंटवारे के विवाद आदि के कारण घटित हुयीं । इनमें 2 मार्ग दुर्घटनायें भी सम्मिलित हैं ।

होली के अवसर पर तथाकथित वर्ग संघर्ष में 200 लोगों के घायल होने तथा दो दर्जन लोगों की हालत चिन्ताजनक होना सही नहीं पाया गया । वस्तुत: दिनांक 3, 4 व 5 मार्च को जनपद चिकित्सालय में कुल 63 व्यक्तियों की चिकित्सा की गई । इनमें से 23 व्यक्ति पुलिस द्वारा चिकित्सा हेतु ले जाए गए तथा शेष स्वयं चिकित्सा कराने अस्पताल गए या मार्ग दुर्घटनाओं में घायल हुए ।

यह कहना सही नहीं है कि होली के अवसर पर जनपद की पुलिस गृह मंत्री के परिवार वालों के साथ होली मनाने में व्यस्त रही । होली के अवसर पर हुई घटनाओं को वर्ग संघर्ष की संज्ञा देना भी औचित्यपूर्ण नहीं है ।

सम्प्रति जनपद में पूर्ण शान्ति है तथा किसी प्रकार का आतंक या आक्रोश व्याप्त नहीं है ।]

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, बड़ा अच्छा होता कि माननीय गृह मंत्री जी यहां पर मौजूद होते और जो प्रश्न मैंने उन्नाव का रखा है, वह माननीय गृह मंत्री जी जहां से चुनकर आते हैं, वहां का यह सवाल है। जिस छिछले ढंग से माननीय राज्य गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया है, वह बहुत ही शर्मनाक बात है । मान्यवर, उन्नाव जनपद जो मेरा भी क्षेत्र है और गृह मंत्री का भी क्षेत्र है होली के दिन बिलकुल खूनी संघर्ष हुआ और 9 थानों के अन्दर 200 लोग घायल हुए । मान्यवर, खूनी संघर्ष हुआ । इन्होंने अपने वक्तव्य में 63 लोगों की चिकित्सा किए जाने की बात मानी है, जबकि मेरे पास 200 लोगों के घायल होने की सूचना है । मान्यवर, माननीय राज्य गृह मंत्री पूरे प्रदेश में दरोगाओं का राज्य कायम है। पूरे प्रदेश में मुख्य मंत्री और गृह मंत्री का राज्य नहीं है। पूरे प्रदेश में दरोगाओं का राज्य बना हुआ है, जैसा कि इस पत्रिका के रविवार में छपा है कि पूरे प्रदेश में दरोगाओं का राज्य है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, यह वक्तव्य से संबंधित बात है, जो उठा रहे हैं ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं पूछ रहा हूं कि क्या गृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 63 लोगों के घायल होने की बात को स्वीकार किया है । तो जो लोग चिकित्सा के लिए भर्ती हुए हैं वह किस-किस थाने के थे उनकी एफ0 आई0 आर0

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दर्ज हुई या नहीं । मान्यवर, मैंने तो बताया है कि 200 लोग घायल हुए हैं उसमें से कितने लोगों की रिपोर्ट दर्ज हुई है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, आपने जो नोटिस दिया है उसमें लगभग 19—20 गांव का जिक्र है । मैंने मान्यवर, वक्तव्य में भी निवेदन किया है कि 200 लोग नहीं 63 लोग थे । जिसमें यह भूमि विवाद है, पानी निकलने का विवाद है कि इधर से निकले या उधर से निकले । कोई किसी की फसल उखाड़ ले गया, कोई झगड़ा हुआ कि शराब की दुकान खुली रहे या बन्द रहे, यही ऐसे झगड़े हैं जो रोजमर्रा गांव में होते रहते हैं । कोई विशेष घटना का आपने भी उल्लेख नहीं किया है तो उसी तरह से वक्तव्य के माध्यम से आपको हमारी तरफ से उत्तर दे दिया गया है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं इस वक्तव्य के संबंध में माननीय गृह राज्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि थाना फतेहपर चौरासी में एक ऐसा गांव है, इस गांव की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है ? जब माननीय मनोहर लाल जी ने अपनी सूचना में उस थाने का नाम दिया है, गांव का नाम दिया है तो जब यह वक्तव्य दे रहे हैं तो कम से कम जो 7 थाने इसमें दिये गये हैं इन थानों के गांव के नाम भी दिये जायं । तो पहली बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इन थानों से रिपोर्ट आपने मंगायी या नहीं मंगायी, अगर नहीं मंगाई तो वक्तव्य देने का औचित्य क्या है ? मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि पहले तो जो थाने दिये गये हैं नोटिस में वह 7 थाने हैं पहला है फतेहपुर चौरासी, दूसरा है माखी, तीसरा है अचलगंज, चौथा है औरास, पांचवां पुरवा, छठवां अजगैन और सातवां कोतवाली । तो जब यह नाम दिये गये थे और इनके गांवों के नाम दिये गये थे तो आपने इन थानों से रिपोर्ट मंगाई या नहीं ? इन 7 थानों के अन्तर्गत जो गांव थे उनकी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, कुछ मामलों में हैं और कुछ में नहीं हैं । 18—20 जगहों का आपने विवरण दिया है और 6-7 थानों को कहा है तो इतना शीघ्र जितना हो पाया वह हुआ । अपनी-अपनी स्पेसिफिक घटना की नोटिस में विवरण दीजिए और अलग-अलग जवाब ले लीजिए ।

(इस समय 8 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, सवाल यह किया गया था कि 7 थानों के अन्दर जो गांव थे उनकी घटना की बात यह बताते । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 7 थानों की सूचना है एक थाने की बात होती तो बताते । मान्यवर, यह आपके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से आरोप है । जब कोई सूचना हम देते हैं और वह इस चेयर से कुर्सी से स्वीकार की जाती है और जब वह स्वीकार हो गयी तो मंत्री जी को या किसी भी मंत्री को यह अधिकार नहीं रह जाता कि वह इसमें यह कहें कि संक्षिप्त कर दें या विस्तृत कर दें । आपने जिस

रूप में स्वीकार कर दिया है उनका दायित्व है कि उसका जवाब दें । तो मान्यवर, उसमें 7 थानों का जिक्र है इन सात थानों के नाम दिये गये हैं तो इन सात थानों से गांवों की रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाई गयीं ? इन 7 थानों से पूरी जानकारी कौन-कौन थानों से कहां-कहां से प्राप्त हुई है, यह बता दें ?

श्री अधिष्ठाता—

जो मूल प्रश्न था, जिस पर यह वक्तव्य हुआ उसमें 7 थानों का जिक्र है, यह इनका कहना है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जी हां, मान्यवर, 7 थानों का जिक्र है उसमें भी 18 विभिन्न जगहों की घटनाएं हैं । कुछ जगहों पर एफ0 आई0 आर0 लिखाने कोई गया ही नहीं । अगर आप स्पेसिफिक रूप से बताएं कि फलां-फलां जगह क्या-क्या हुआ तो बता दूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि दुर्घटनाएं हुईं । इसमें कुछ डाक्टरी भी हुई और 23 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा चिकित्सा हेतु ले जाया गया, तो 23 व्यक्ति जो गये तो उनका नाम लिखा गया होगा । बिना एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराए पुलिस का कर्मचारी किसी को अस्पताल नहीं ले जायगा । तो जिन लोगों को ले जाया गया, जिनका डाक्टरी मुआयना हुआ, उनके नाम क्या हैं, उनकी एफ0 आई0 आर0 क्या है और किस दफा में लिखी गयी है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, जैसे इसमें है कि ग्राम गोपाल खेड़ा में पुत्तीलोध के पुत्र द्वारा श्री देवी हरिजन के खेत से चना उखाड़ लेने के प्रश्न पर मारपीट हुई । इसमें धारा 323 में रपट लिखाई गयी और हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा पंजीकृत किया गया । ग्राम सैता निवासी जमील खां गोलियों से घायल नहीं हुए बल्कि उनको मोटर साइकिल दुर्घटना में चोटें आयीं । उनका दिनांक 5-3-88 को मोटर साइकिल एक्सीडेंट हुआ था । इसमें कोई रिपोर्ट नहीं हुई । मोटर साइकिल दुर्घटना का केस था कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं हुई ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैंने 23 व्यक्तियों का नाम पूछा था जो मंत्री जी ने बताया नहीं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन 23 लोगों को पुलिस ने डाक्टरी मुआयने के लिये अस्पताल भेजा, उनमें गम्भीर चोटें कितनों के थीं, गोली लगने से चोटें कितने लोगों को थीं और कितनी लाठी, फर्से या बल्लम की चोटें थीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, किसी भी मामले में फर्से या बल्लम की चोट नहीं थी। सारी चोटें साधारण थीं ।

श्री मनोहर लाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो सूचना दी थी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 7 थानों में किन-किन थानों में खूनी संघर्ष हुआ ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई नयी बात हो तो पूछ लें ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैंने पूरी तरह से उन सब लोगों के नाम जो घायल हुए थे, दिये थे । थाने का नाम और तारीख दी थी । मेरा कहना है कि मान्यवर, मेरी सूचना का पूरा जवाब नहीं आया है । मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं । दूसरे मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गलत सूचना देकर जो गलत बयानी की है सदन के अन्दर, इसके लिये मैं उनको विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना देता हूं । मैं आपसे चाहता हूं कि इस पर हमको सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन वक्तव्य में पूरा जवाब नहीं दिया गया है । आप मेरी सूचना को पढ़ लें । उसमें पूरी तरह से थानावाइज लिखा है कि कौन-कौन लोग घायल हुए ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, आप थानावाइज सुन लें । करीब आधा घंटा लगेगा, सदन तैयार हो तो बता दूं । ऐसा नहीं है कि सूचना नहीं है । मान्यवर, हुसैननगर थाना कोतवाली में लेनदेन के प्रश्न पर दो पक्षों में मारपीट हुई और 323/504/506 की रिपोर्ट लिखाई गयी । ग्राम बन्थर, थाना अचलगंज में शराब का ठेका खुलवाने के प्रश्न पर दुकानदार एवं कुछ व्यक्तियों में मारपीट हुई । इसमें 147/148/149/307 का मुकदमा दर्ज किया गया । मान्यवर, ये थानावाइज सुनना चाहते हैं तो सुन लें ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मेरी सूचना का इसमें जिक्र नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, श्री धनीराम, निवासी ग्राम दौलतपुर स्कूटर दुर्घटना में घायल हुए । थाना माखी, गांव दौलतपुर में 4-3-88 को घटना हुई ।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल—

जिन गांवों का नाम दिया, उनका उल्लेख ही नहीं कर रहे हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दीजिये । मान्यवर, माननीय सदस्य मनोहर लाल जी का यह कहना है कि नियम 51 के अन्तर्गत जो उन्होंने सूचना दी थी, उसमें उन्होंने जिन गांवों और नामों का उल्लेख किया था, उसके संबंध में मंत्री जी कुछ नहीं कह रहे हैं । माननीय मंत्री जी जो पढ़ रहे हैं, उसमें उन गांवों और नामों का उल्लेख नहीं है । दूसरे मामलों को आप बता रहे हैं । मान्यवर, इसलिये इस पर चर्चा स्वीकार कर लें ताकि दोनों पक्षों से पूरे-पूरे तथ्य आ जायें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, इस पर चर्चा कराइये, मंत्री जी की दयनीय स्थिति पर तरस खाइये ।

श्री विजय सिंह राणा—

इस पर चर्चा करायें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने नियम 51 में जो सूचना भेजी है और उसमें जिन गांवों और नामों का स्पष्ट उल्लेख किया है, क्या उसका जिक्र वक्तव्य में नहीं है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, वक्तव्य में तो नहीं है, सबका जिक्र नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, मैं सबके ऊपर, जिन गांवों और थानों का इन्होंने जिक्र किया है, उत्तर देने के लिये तैयार हूं । 18 जगहों की घटनायें थी । 18 विभिन्न स्थानों की घटनायें थीं । मान्यवर, इसलिए इन सबका माननीय सदन में वक्तव्य देकर समय बरबाद करना मुनासिब नहीं समझा । मैं क्रमवार उत्तर देने के लिये तैयार हूं, हरेक का जवाब मेरे पास है । मान्यवर, यह 18 घटनायें हैं, इनका कम से कम 50 पेज में उत्तर आयेगा, उसकी तो एक किताब बन जायेगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपनी नियम 51 की सूचना में स्पष्ट रूप से गांवों का थानों का और नामों का उल्लेख किया था । अभी जब आपने माननीय मंत्री जी से इस संबंध में स्पष्टीकरण किया तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इनका जिक्र वक्तव्य में नहीं है । तो मान्यवर, जब वक्तव्य में उनका जिक्र ही नहीं है तो फिर प्रश्न किस पर करें । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी स्थिति में आज आप इसे स्थगित करें । आप पूरे नामों, गांवों, थानों, जिसका कि जिक्र माननीय सदस्य ने अपनी नियम 51 की सूचना में स्पष्ट रूप से किया है, उनसे संबंधित पूरे

विवरण का वक्तव्य में जिक्र करायें, ताकि यहां प्रश्न पूछे जा सकें । इसे आज स्थगित कर दें । पुनः इसे ले लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्य की राय से इत्तफाक करता हूं, इसे स्थगित करता हूं । आगे जब इसे लिया जाय तब माननीय सदस्य ने अपनी नियम 51 की सूचना में जिन गांवों के नामों, थानों आदि का जिक्र किया है, उसी के आधार पर वक्तव्य आना चाहिए ।

गोरखपुर में होली के अवसर पर पुलिस उप निरीक्षक द्वारा एक व्यक्ति की हत्या तथा तीन व्यक्तियों को घायल किये जाने विषयक स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

श्री अधिष्ठाता—

इस पर एक घंटे की चर्चा है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान (गृह राज्य मंत्री)—

मान्यवर, दिनांक 4-3-88 को होली के दिन उप निरीक्षक विनोद कुमार लगभग 9 बजे अपनी मोटर साइकिल पर जा रहे थे, जब वे मियां बाजार में पहुंचे तो वहां पर एकत्र लड़कों-बच्चों ने रंग डाल दिया, उप निरीक्षक की मोटर साइकिल फिसल कर गिर गयी, लड़कों को इसी पर हंसी आ गयी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मंत्री जी जो बयान पढ़ रहे हैं, उसकी कापी तो बांटी ही नहीं गई है । वैसे भी इस पर चर्चा थी, इसको श्री सूर्य प्रताप शाही जी को शुरू करना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

आप ठीक कह रहे हैं । श्री सूर्य प्रताप शाही जी आप शुरू करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, गोरखपुर में जो कांड हुआ, वह बड़ा ही हृदय विदारक कांड है । मैं यह बताना चाहता हूं कि यह कांड कोई अचानक वाला कांड नहीं था । इस तरीके के कांड पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं । पिछले वर्ष बस्ती में इस तरह का कांड हुआ था, उसके भी पहले देवरिया में इसी तरह का कांड हुआ था । इस तरीके से मान्यवर, पुलिस की मनोवृत्ति लोगों को मारने की हो गई है और उस मनोवृत्ति के शिकार के रूप में छोटे बच्चों को और उनके परिवार को गोली मारी गयी । घटना होली के दिन की है, जब कुछ छोटे बच्चों ने, एक दरोगा पर सड़क पर रंग छोड़ा और रंग छोड़ने के कारण वह मोटर साइकिल से डिसबैलेन्स हो गया । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह दरोगा गिर गया था, मैं बता रहा हूं कि वह दरोगा गिरा नहीं था, केवल डिसबैलेन्स हुआ था । तो मान्यवर, वह दरोगा बच्चों द्वारा रंग छोड़े जाने और डिसबैलेन्स हो जाने के कारण नाराज हो गया और एकदम से उग्र हो गया और उसने एक घर में घुसकर गोली चला दी, लेकिन मान्यवर, वहां का प्रशासन इस घटना की लीपापोती कर रहा है और अपने दरोगा को बचाना चाहता है । अभी मेरी माननीय मंत्री जी से भी बातचीत हुई । मैं 6 तारीख को गोरखपुर में ही था, उस दिन मुख्य मंत्री जी भी वहां गये थे । उस दिन तक खून आलूदा कपड़ों को न तो उठाया गया था और न खून के जो धब्बे थे, उनको कब्जे में ही लिया गया था । जब हमने इस मामले को विधान सभा में उठाया, तब जाकर

खून आलूदा कपड़ों को कब्जे में लिया गया । मान्यवर, इससे साफ जाहिर होता है कि गोरखपुर की पुलिस इस पूरी घटना को ठीक ढंग से नहीं ले रही है और इसकी जांच नहीं होने देना चाहती है ।

मान्यवर, हमारे राज्य मंत्री जी खुद वकील रहे हैं और वह जानते हैं कि इस घटना की तफ्तीस में पुलिस ने 6 दिन तक विलम्ब किया ताकि खून आलूदा कपड़े, खून के धब्बे और गोलियों के खाली खोखे न मिले, और इस केस में वह दरोगा छूट जाये । वह जानते हैं कि इसी आधार पर केस छूट सकता है । मान्यवर, 161 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत जो तफ्तीश की जाती है, वह भी इनके अभाव में सही नहीं होगी । इसलिए पुलिस ने इतना विलम्ब किया और उस दरोगा को पूरी तरह से बचाने का प्रयास वहां की पुलिस कर रही है । मान्यवर, ऐसी परिस्थिति में मुलजिम छूट जाता है, इस तरह का गोरखपुर में षड्यंत्र किया जा रहा है ।

मान्यवर, वहां पर बी0 के0 शुक्ला तथा एक दर्जन अन्य इन्स्पेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है । यह इन्स्पेक्टर नियमों का उल्लंघन करते हैं और प्रशासन के निर्देशों का भी उल्लंघन करते हैं । मान्यवर, यह नियम बना हुआ है कि जिस क्षेत्र का दरोगा है, उसकी उस क्षेत्र में नियुक्ति नहीं की जायेगी । लेकिन मान्यवर, बी0 के0 शुक्ला ऐसा दरोगा है, जिसकी नियुक्ति उसी के परिक्षेत्र में हुई है और वह आज भी वहीं पर विद्यमान है । यह दरोगा सेवरही, तरया सुजाण थाने में देवरिया जनपद में गृह क्षेत्र में नियुक्त है । मान्यवर, यह कानून वर्ष 1985 में बनाया गया था और आज 3 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी उसको वहां से न हटाये जाने के कारण शुक्ला जैसे दरोगा के दिमाग खराब हो गये । मान्यवर, जैसा कि मनोहर लाल जी ने कहा कि पुलिस हत्यारी हो रही है और मान्यवर, जैसा कि रविवार पत्रिका में भी दिया हुआ है, और मंत्री जी शायद आपने भी पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का न तो राज है, न मंत्री जी का राज है बल्कि वहां पर पुलिस के दरोगाओं का राज कायम हो गया है और वह जैसे चाहे, वैसे काम कर रहे हैं । इसी के चलते मान्यवर, मियां बाजार में मुन्नी लाल गुप्ता को, कला केन्द्र में घुसकर दरोगा ने मार डाला और उसके छोटे बच्चों को घायल कर दिया (श्री मनोहर लाल जी के द्वारा एक मैगजीन के दिखाए जाने पर) ।

श्री अधिष्ठाता—

इस प्रकार दिखाने की परम्परा श्री मनोहर लाल जी ठीक नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं गोरखपुर के जनता के धैर्य और संयम की प्रशंसा करता हूं । होली के दिन यह घटना वहां पर घटी, एक आदमी को मार दिया गया और उसके दो बच्चों को घायल कर दिया । जबकि वहां पर डी0आई0जी0 रहता है, कमिश्नर रहता है, कलेक्टर रहता है, कप्तान रहता है, लेकिन 12 घण्टे तक वहां कोई अधिकारी नहीं गया । यदि वहां पर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर नहीं जाती है । इस प्रकार का उपेक्षापूर्ण रवैया क्यों अपनाया गया, इसके पीछे क्या नीयत थी । क्या पुलिस को ऐसे हादसों को नहीं रोकना चाहिए था, उसने तो रोकने के बजाय होली के दिन 12 स्थानों पर लाठी चार्ज किया । गोरखपुर के लोगों ने 72 घण्टे के बंद की घोषणा की । श्रीमन्, विश्वविद्यालय के छात्रों को, डिग्री कालेज के छात्रों को, सिनेमा हाल में घुसकर, माया टाकीज में घुसकर पुलिस ने तोड़-फोड़ व आगजनी कर डाली। मान्यवर, परसों गोरखपुर के लोग आये थे, उनका कहना था कि गोरखपुर की पुलिस इस मामले में सही ढंग से तफतीश नहीं कर सकती, इसलिए मान्यवर, हम इस मामले को

कार्य-स्थगन में लाये थे और हमने मांग की थी कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाय । क्या एक आदमी की जान की कीमत 20 हजार रुपये है । मेरी मांग है कि मृतक के परिवार को आप 2 लाख रुपए देने की घोषणा करें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, अब आप बैठ जायं । अब माननीय मंत्री जी भी इस पर कुछ कह लें । क्योंकि ग्राह्यता के दिन ही इस पर काफी तथ्य आ गये थे । जब माननीय मंत्री जी बोल लेंगे और कोई नई बात आपको कहनी होगी तो अन्य माननीय सदस्य अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, कुछ हम लोग पहले कह लें, उसके बाद ही मंत्री जी अपना उत्तर दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य द्वारा इनीशिएट किया जा चुका है, अब माननीय मंत्री जी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने दें ।

मान्यवर, इस घटना से हम सबको क्षोभ है । यह कहना कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने गोरखपुर के कुछ अधिकारियों को संरक्षण दे रखा है, बिलकुल गलत है । मान्यवर, जैसा कि मैं पहले ही इस सम्मानित सदन में निवेदन कर चुका हूं कि इसमें पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई । उस दरोगा को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया तथा उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया । इसमें माननीय सदस्य को शंका नहीं करनी चाहिए । मैं सम्पूर्ण सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में कोई कमी नहीं रखी जायगी । निष्पक्ष तरीके से इसमें जांच की जायेगी । जैसा कि आपने स्वीकारा है कि क्या किसी जान की कीमत 20 हजार या 10 हजार रुपए होती है । मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जान की कीमत 2 लाख भी नहीं होती है । सरकार द्वारा जो कुछ किया जा सकता था, वह उसने किया । उसके दो लड़के हैं, उनको, उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी में रखने के लिए कहा गया है । मृतक को 20 हजार रुपए, दूसरे को जो ज्यादा घायल था 10 हजार रुपये व तीसरे को 5 हजार रुपये दिये गये हैं । आपने जुडीशियल इन्क्वायरी की बात कही है, इससे कोई फायदा नहीं होगा । इसमें तो 3-4 साल और लग जायेंगे । 2-3-4 साल में जुडिशियल इन्क्वायरी पूरी होती है । मैं आपको ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ बता रहा हूं कि कोई भी किसी तरह का पक्षपात दरोगा को बचाने का नहीं किया जायेगा । माननीय शाही जी से वक्त-वक्त पर पूछते रहेंगे, राय लेते रहेंगे और उसी के अनुसार निर्देशित करते रहेंगे, कोई भी कमी नहीं रखी जायगी । न्यायिक जांच से कोई लाभ नहीं होगा । अगर आप तैयार हों तो अगल बगल के जिले की बात सोची जा सकती है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी को सुना । मैं चाहता तो यह था कि व पूरी आ जायं तब मंत्री जी जवाब दें लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा तथ्य सही नहीं ह मैंने स्वयं मौके पर जाकर जांच पड़ताल की है । किसी ने पुलिस की वर्दी पर नहीं डाला था । एक बात और बता दें कि होली के दिन रंग नहीं पड़ेगा तो फिर पड़ेगा ? अगर रंग भी पड़ जाता तो क्या इसका औचित्य हो सकता है, किसी नाग को भी यह व्यवहार नहीं करना चाहिए, फिर पुलिस के अधिकारी से तो ऐसी आशा बिल नहीं है । लेकिन वह घर में घुसकर टूट पड़ा, मुन्नी लाल गुप्ता को गोली से डाला, उसके तीन तीन लड़कों को मारने के लिये ढूढ़ता रहा । यह बात कहकर कि डाल दिया इसलिए ऐसा हुआ, यह अपराध को दबाने का प्रयास है । मैं कहना च हूं कि सत्य को तो ठीक ढंग से रखें नहीं तो आज जो आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रमाण लिए गये हैं और उसको छोड़ा नहीं जायेगा, वे सब व्यर्थ हो जायेंगे । मैं का चाहता हूं कि इस कांग्रेस शासन में कोई अपराधी सजा नहीं पा रहा है । वह पुलिस अधिकारी है, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि अधिकारी था, उसको कोतवाली ले जाकर कुर्सी पर बैठाया गया, चाय पिलाई गयी । जनता से उसकी जान बचान लिये उसे जेल भेज दिया गया । यह संदेश हमारा है, जनता का है, सदन का अगर पुलिस के हाथ में तफतीश का मामला रहेगा तो उसको सजा नहीं मिल पायग संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि उसको दण्ड मिलेगा । आज आप भी कह रह कि दण्ड मिलेगा । आपकी मंशा पूरी हो, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि अपराधी जाय और आप गलत बयानी के गिरफ्त में आ जायं । इसीलिए मेरा कहना है कि न्या जांच करा दें । आपकी भी इसमें सुरक्षा है और अपराधी भी उचित दण्ड पा जायेग

एक बात आपने कही कि मृतक की जान की कीमत अगर 10 हजार नहीं है दो लाख भी नहीं है, 5 लाख भी नहीं है । मैं समझता हूं कि 10 हजार से 2 रुपया ज्यादा है । मुन्नी लाल गुप्ता काम करते थे, उनकी मृत्यु हो गयी, काम कौन करेगा ? क्षति पूर्ति के लिए उनकी 2 लाख रु0 की मांग सर्वथा उचित है । रखिए माननीय गृह राज्य मंत्री जी, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं, विधान सभा में आप जानते हैं, मैं सोच समझकर ही कहता हूं । आपके राज्य की पुलिस इतनी निर हो गई है कि कोई इज्जत किसी की नहीं है । मेरी मर्यादा इसलिए है कि मैं रहा हूं, प्यार से बोलता हूं, लेकिन जिस दिन थोड़ी सी भी गलती के प्रति कड़ाई लगेगी, इज्जत नहीं रहेगी । आज माननीय सदस्यों की इज्जत इसलिये बची हुई कि वे नम्र होकर शान्ति से रहना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन भी वे सत्य के लिए के लिए थोड़ा सा भी कड़ाई का व्यवहार करने लगेंगे, तो उनकी इज्जत पुलिस के नहीं रह जायेगी । पुलिस को नियंत्रित करिये नहीं तो गोरखपुर की ऐसी एक घटना अनेक घटनाएं होती चली जायेंगी । मैं फिर दोहराऊंगा कि एक दिन माननीय मंत्री जी के पास मैं बैठा हुआ था 5 विधायकों के साथ, एक पुलिस इंस्पेक्टर की शिक आयी तो उस समय मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि देखिये हरीश जी, लगता है कि पुलिस हमारी सरकार को खतम करके रख देंगे ।

इसलिये आप इस काण्ड पर न्यायिक जांच को स्वीकार कर लीजिये इसमें आ बचत होगी । आप पुलिस को नियंत्रित कीजिए । सारे उत्तर प्रदेश को पुलिस तबाह करके रख दिया है । कानून के बनाने वाले विधायक और कानून की रक्षा व वाली पुलिस दोनों की इसमें भिड़न्त हो सकती है । इसलिये विधायक लोग जो कह हैं कि आप अपनी पुलिस क नियंत्रित कीजिए । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा गोरखपुर काण्ड में आप न्यायिक जांच को स्वीकार कर लें ।

: हर्ष वर्धन—

मान्यवर, अभी अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्री जी संरक्षण पुलिस को नहीं प्राप्त है । मैं इस संबंध में दो-तीन उदाहरण आपके सामने ना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का उनको संरक्षण प्राप्त है या नहीं ।

अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, आप ऐसी बातें न करें ।

हर्ष वर्धन—

मैं गोरखपुर काण्ड के संबंध जो अभी माननीय, मंत्री जी ने कहा उसी के सन्दर्भ में कहना ता हूं कि गोरखपुर में एक क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक है जिसने तीन बार लिखा वहां के)ओ0 नागेन्द्र सिंह के विरुद्ध कि वह नेपाल में धान की तस्करी कराता है, लेकिन उसके लाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । नौतनवां थाने में बेचन यादव का फर्जी इनकाउण्टर जस्टर में किया गया, बार-बार कहा गया लेकिन उसके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं गई । यह क्या बात है । यदि माननीय, मुख्य मंत्री जी का उनको संरक्षण नहीं प्राप्त है क्यों नहीं उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? स्वयं माननीय, मुख्य मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र ोयरगंज में अभी 23 नवम्बर को एक थानाध्यक्ष के लड़के का बर्थ डे मनाया गया जिसमें के 17-17 थानाध्यक्ष मौजूद थे और शराब पीकर एक थानाध्यक्ष ने एक दूसरे थानाध्यक्ष पर ी चला दी । यह मामला डी0 आई0 जी0 को गया, पुलिस अधीक्षक को गया, आखिर ला क्यों रोक दिया गया ?

यह गोरखपुर में होली के दिन जो काण्ड हुआ है उसमें कहा गया है कि लड़के ंग डाल दिया था । यद्यपि यह बात सही नहीं है किन्तु यदि लड़के ने रंग भी डाल ा था तो क्या आप निरंकुश हो जायेंगे ? दरोगाओं की श्रृंखला है जो कि माननीय, मुख्य का संरक्षण प्राप्त कर रही है । गोरखपुर की घटना अकेली एक घटना नहीं है । लिये मेरी मांग है कि इसकी न्यायिक जांच करायी जाय ।

ाला प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस तरह ाप पुलिस की ताकत को प्रोत्साहित कर रहे हैं, भविष्य में इस तरह के और काण्ड ं इसके लिये आप इस घटना की न्यायिक जांच कराने का कष्ट करें ।

नोहर लाल—

मान्यवर, गोरखपुर में कुंवर सर्वोदय सिंह जो पहले दरोगा था और इस समय ुपुर का ही क्षेत्राधिकारी है, एक आई0 जी0 प्रशासनिक पंजवानी थे मान्यवर, मैं भी संबंध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी यथाशीघ्र इये, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के लिये और इस सरकार के लिये बहुत ही शर्मनाक है और जो लोग इसमें दोषी पाए जायं उनको दंडित किया जाय ।

ुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, इस संबंध में मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और अब फिर माननीय ों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो लोग इससे संबंधित हैं, चार्जशीट उन ागेगी, क्योंकि यह बहुत ही खुला हुआ मामला है, बिल्कुल ओपेन, ज्यादा छान-बीन

आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसमें जुडिशियल इन्क्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं है, एक क्रास वाली बात आपके मन में बैठ गयी है कि जुडिशियल इन्क्वायरी ही हो क्योंकि इसमें काफी समय लग जायेगा । मैं शाही ती, हरीश जी व माननीय हर्षवर्धन जी से विशेषकर निवेदन करूंगा कि इतने समय में पता नहीं हम लोग कहां हों, यहां हों या कहीं और जबकि पुलिस इतनी तेजी से काम कर रही है और सारे सुबूत भी मौजूद हैं, जो प्रासीक्शन के लिए आवश्यक हैं, इकट्ठे कर लिये गये हैं और यह भी नहीं होगा कि "जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड" । इसलिए अब ऐसी बात नहीं जिसमें कोई शंका की गुंजाईश हो और न ही ऐसी कोई बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा किसी सी0 ओ0, किसी दरोगा या किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी भी प्रकार का संरक्षण प्राप्त हो और यदि ऐसी कोई बात हो आपके संज्ञान में हो और किसी की कोई शिकायत हो तो उसे आप दें उसके खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन लिया जायेगा । इसलिए आप सभी लोगों से यह निवेदन करूंगा कि इस मांग को वापस ले लें ।...

(व्यवधान)

तपद मुरादाबाद में बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद द्वारा बनाये जा रहे बांध के प्रत्येक वर्ष में बह जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

हिम्मद रिजवानुल हक—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने तारांकित प्रश्न संख्या "6" नत्थी "ख" तांक 24-2-88 पर जो चर्चा निर्धारित है, नियम 49 के अन्तर्गत . . . .

अधिष्ठाता—

यह स्थगित हो चुकी है,

हम्मद रिजवानुल हक—

यह स्थगित मान्यवर कब हुई, इसकी सूचना तो हमें मिली नहीं, तो इसको ल ले लीजिएगा ।

अधिष्ठाता—

जी हां, शायद यह कल के लिए ही स्थगित हुई है ।

अब हम उठते हैं, कल सुबह 11.00 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि 9 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
17 मार्च, 1988 ई0

आज्ञा से,
भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

सूची

निकाय का नाम	वर्ष	मांगी गई धनराशि
		रु0
1—नगरपालिका, बलिया	1985-86	65,00,933
	1986-87	31,00,000
2—रसड़ा	1985-86	23,65,300
	1986-87	7,10,977
3—बिल्थरा रोड	1985-86	19,51,000
	1986-87	35,01,000
4—सिकन्दरपुर	1985-86	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
	1986-87	12,00,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शासन द्वारा स्वीकृत साधारण सड़क अनुदान	स्वीकृत विशेष सड़क अनुदान	बाढ़ सहायता सड़क अनुदान	योग
रु0	रु0	रु0	रु0
4,70,000	25,00,000	—	29,70,000
4,70,000	8,00,000	5,00,000	17,70,000
4,20,000	—	—	1,20,000
4,20,000	1,00,000	1,00,000	3,20,000
4 80,000	—	—	80,000
4 80,000	5,00,000	1,00,000	6,80,000
—	—	50,000	50,000
4,20,000	50,000	—	1,70,000

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

सूची

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम एवं पद	रोके गये वेतन की अवधि
1	श्री मो0 रशीद, बी0 एच0 डब्लू0	दिसम्बर, 1985
2	श्रीमती अशोक कुमारी, ए0 एन0 एम0	दिसम्बर, 1985 एवं फरवरी, 1986
3	श्रीमती सुदामा सिंह, ए0 एन0 एम0	नवम्बर एवं दिसम्बर, 1985
4	श्रीमती फूलकल, एच0 बी0	नवम्बर एवं दिसम्बर, 1985
5	श्रीमती राम सिंगारी, ए0 एन0 एम0	नवम्बर, 1985
6	श्रीमती कान्ता देवी, ए0 एन0 एम0	नवम्बर एवं दिसम्बर, 1985 तथा जनवरी, 1986
7	श्रीमती जोखना देवी, एच0 बी0	नवम्बर, 1985 से फरवरी, 1986 तक
8	श्रीमती फातमा खातून, एफ0 डब्लू0 डब्लू0	दिसम्बर, 1985
9	श्रीमती विद्यावती देवी, बी0 एच0 डब्लू0 (एफ)	दिसम्बर, 1985
10	श्रीमती जगदम्बा देवी, एच0 बी0	फरवरी, 1986
11	श्रीमती मीना चौधरी, ए0 एन0 एम0	फरवरी, 1986
12	श्री आ0 पी0 मिश्रा, एस0 पी0 एस0	दिसम्बर, 1985
13	श्रीमती प्रेमा देवी, एफ0 डब्लू0 डब्लू0	नवम्बर एवं दिसम्बर, 1985

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

संयुक्त कृषि निदेशक एवं उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-1 के अधिकारियों संबंध में विवरण :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम
1	2
	संयुक्त कृषि निदेशक के पद पर पदोन्नत अधिकारी
1	श्री रघुबीर सिंह
2	श्री सैय्यद रिशाद हुसेन
3	श्री वी0 एस0 वर्मा
4	श्री राम शरण लाल
5	श्री रामेश्वर मिश्रा
	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-1 सेक्शन "बी" में प्रोन्नत अधिकारी
1	श्री कृष्ण पाल सिंह (अब सेवा निवृत्त)
2	श्री कमलाकर श्रीवास्तव
3	श्री ब्रम्हदेव उपाध्याय
4	श्री श्रीचन्द्र मलिक
5	श्री राज कुमार अवस्थी
6	श्री जे0 के0 अग्रवाल
7	श्री दया शंकर लाल श्रीवास्तव
8	श्री आदित्य नरायण सिन्हा
9	श्री हरानन्द त्रिपाठी
10	श्री नन्हकू सिंह
11	श्री नर्वदा प्रसाद तिवारी
12	श्री हरादत्त उपाध्याय
13	श्री सुखबीर सिंह
14	डा0 केशव प्रसाद
15	श्री अनन्त प्रसाद श्रीवास्तव
16	डा0 अभय राज सिंह
17	श्री मदन पाण्डे
18	श्री हरि नाथ पाण्डे
19	श्री विश्वनाथ यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री आनन्द कुमार मिश्र
श्री अभय नन्दन सिंह
श्री गिरिजा शंकर तिवारी
श्री आत्मा राम
श्री दिगम्बर सिंह
श्री सभाजीत तिवारी
श्री उदय दत्त मिश्र
श्री श्रीकान्त उपाध्याय
श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा
श्री बैजनाथ सहाय वर्मा
डा0 शशि भूषण त्रिपाठी
श्री उदय प्रताप मिश्र
श्री हर्षपति नौटियाल
श्री गोपाल शरण सिंह
श्री अखिलेश चन्द्र श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-1 संवर्ग "सी" के पदोन्नत अधिकारी

श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल
श्री सरजीत सिंह
श्री विवेक कुमार मित्तल
श्री देवी प्रसाद सिंह
श्री नन्द किशोर गुप्ता
श्री धर्म नारायण गुप्ता

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-1 संवर्ग "डी" के प्रोन्नत अधिकारी

श्री बी0 एन0 खोसला
श्री केशव शरण सिंह
श्री सुरेन्द्र कुमार जैन
श्री वी0 एस0 विश्वकर्मा
श्री राम सुमेर सिंह
श्री महेश चन्द्र त्यागी
श्री राम कुमार
श्री राम लक्ष्मण प्रसाद
श्री गिरिराज किशोर अग्रवाल
श्री इम्तियाजुद्दीन
श्री रमेश चन्द्र सारस्वत
श्री राजबली यादव
श्री रवीन्द्र पाल सिंह गहलोत

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 39 का उत्तर प्रश्न पृष्ठ 40-41 पर)

संख्या-7323/11-5-86—200(148)/86

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

2—आवास आयुक्त, उ0 प्र0
आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक : 11 नवम्बर, 1986

विषय—विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में योजनाओं के अंतर्गत स्कूलों/विद्यालयों को रियायती दरों पर भूखण्ड दिये जाने के संबंध में ।

महोदय

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में योजनाओं के अंतर्गत स्कूलों/विद्यालयों हेतु भूखण्ड आरक्षित किये जाते हैं । परन्तु ऐसा देखा गया है कि उन भूखण्डों का मूल्य अत्यधिक होने के कारण यह भूखण्ड काफी समय तक रिक्त पड़े रहते हैं, कोई स्कूल या कालेज इन्हें क्रय नहीं करता है और योजनाओं के अंतर्गत निर्मित कालोनियों के निर्मित भवनों में लोग स्कूल चलाने लगते हैं जिससे स्कूल के बच्चे/विद्यार्थियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये पूर्व आदेशों को निरस्त करते हुये, यह निर्णय लिया गया है कि विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद् की योजनाओं के अंतर्गत स्कूलों/कालेजों को रियायती दरों पर जो भूखण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे उनकी दरें निम्न प्रकार

होंगी तथा उनके फ्लोर एरिया रेशियों एवं ग्राउण्ड कवरेज निम्न प्रकार अनुमन्य होंगे :—

क्रमांक	भूखण्ड का क्षेत्रफल	दर जो लागू की गयी
1	2	3
ए	2000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड हेतु	प्रचलित आवासीय भूखण्ड की दर की 50 प्रतिशत दर पर स्कूल-भूखण्डों को उपलब्ध कराया जायेगा ।
बी	2000 वर्गमीटर से 4000 वर्गमीटर तक की अतिरिक्त भूमि	40 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराई जायेगी ।
सी	4000 वर्गमीटर से 6000 वर्गमीटर तक की अतिरिक्त भूमि	30 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराई जायेगी ।
डी	6000 वर्गमीटर या उससे अधिक की अतिरिक्त भूमि	15 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराई जायेगी ।

स्कूल/विद्यालयों को अनुमन्य (Formissible) एफ0 ए0 आर0 एवं ग्राउण्ड कवरेज

एफ0 ए0 आर0	ग्राउण्ड कवरेज	विवरण
80	40	प्राइमरी तथा नर्सरी स्कूल
100	35	हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज
120	30	डिग्री कालेज तथा टेक्निकल स्कूल

मूल्य अदायगी की शर्तें निम्नवत् होंगी :—

कुल मूल्य का 25 प्रतिशत आबंटन के समय ।

अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि पांच सालाना किस्तों में, 17 1/2 प्रतिशत ब्याज के साथ देय होगी ।

समय से किस्तें अदा करने पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट दी जायेगी ।

इसके अतिरिक्त एकमुश्त पूरी धनराशि जमा करने पर मूल्य में 5 प्रतिशत की और छूट प्रदान की जायेगी ।

उपरोक्त आदेश समस्त विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद् पर तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

भवदीय,
(ह0) अखण्ड प्रताप सिंह,
सचिव ।

संख्या 7323 (1)/11-5-86—200 (148)-86, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(2) आवास अनुभाग-2 और 3 ।

आज्ञा से,
(ह0) कुंवर फतेह बहादुर,
संयुक्त सचिव ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

वर्ष 1985-86 में नसबन्दी का प्रा0 स्वा0 केन्द्रवार विवरण

जनपद—बलिया

प्रा0 स्वा0 केन्द्र का नाम	पु0 नसबन्दी	महि0 नसबन्दी	कुल नसबन्दी
1—दुबहड़	73	300	373
2—सोनवानी	71	342	413
3—कोटवा	9	323	332
4—मुरली छपरा	39	301	340
5—नरही	61	479	540
6—नगरा	69	436	505
7—रतनपुरा	63	387	450
8—सराय भारती	75	424	499
9—चिल्कहर	16	228	244
10—रेवती	70	276	346
11—बांसडीह	37	294	331
12—मनियर	57	250	307
13—बघुड़ी	24	248	272
14—सीयर	26	366	392
15—बयना	22	217	239
16—रतसड़	19	285	304
17—पन्दह	22	234	256
18—बेरुआर बारी	19	256	275
19—बलिया नगरीय	11	142	154
कुल योग ..	783	5788	6571

वर्ष 1986-87 में नसबन्दी का प्रा0 स्वा0 केन्द्रवार विवरण

1—दुबहड़	36	450	486
2—सोनवानी	114	425	539
3—कोटवा	50	308	358
4—मुरली छपरा	100	426	526
5—नरही	214	509	723
6—नगरा	332	963	1295
7—रतनपुरा	81	463	544
8—सराय भारती	246	1114	1360
9—चिल्कहर	184	437	621
10—रेवती	218	346	564
11—बांसडीह	165	378	543

जनपद—बलिया

प्रा0 स्वा0 केन्द्र का नाम	पु0 नसबन्दी	महि0 नसबन्दी	कुल नसबन्दी
12—मनियर	152	493	645
13—बधुड़ी	175	414	589
14—सीयर	166	778	944
15—बयना	390	346	736
16—रतसड़	163	581	744
17—पन्दह	148	402	550
18—बेरुआर बारी	61	466	527
19—बलिया नगरीय	33	498	531
कुल योग	3028	9797	12825

मेरा पदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0—6 विधान सभा—दिनांक 13-7-88—813 प्रतियां (लाइनो)